खण्ड-309, अंक-10
मंगलवार, 1 श्रावण, शक संवत् 1896
(23 जुलाई, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 309 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ जुलाई, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९९

अंगने लाल, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)।
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० आइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री

गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टेहरी गढ़वाल)
गौरीशंकर ,श्री
चन्दन सिंह, (एडवोकेट) कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेंद्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दर्लसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन वन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथूराम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री

नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पूरषोत्तम लाल बधकर, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजुलरहमान अन्सारी, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला नाथ सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनी राम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नूखां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह (एडवोकेट), श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नालाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलायम सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री

मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमापन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेंद्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेंद्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेंन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
रामगरीब, कैप्टन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री

राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति विन्दु (एडवोकेट), श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सनेही, श्री
राम सनेही तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण सौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद शर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री

वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमारी पांडेय, श्री
शिव कुमार दुबे, श्रीमती
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश कुमार खंडेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री श्री सालिकराम जायसवाल एवं लघु उद्योग मन्त्री श्री इस्तफा हुसैन भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २३ जुलाई, १९७४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हाइड्रो-इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन, उ० प्र० के प्रतिनिधि द्वारा आमरण अनशन

**१--श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा)--

क्या मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि हाइड्रो-इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि अपनी न्यायोचित मांगों के लिए आज कल शक्ति भवन के द्वार पर आमरण अनशन कर रहे हैं और उसके महामन्त्री द्वारा कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में कोई मांग-पत्र मई, १९७४ में विद्युत् मन्त्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो मांगें क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मन्त्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

जी हां, उनका मांग-पत्र राज्य विद्युत् परिषद् को प्राप्त हुआ। मांगों का ब्योरा संलग्न है। उनके सम्बन्ध में यूनियन तथा परिषद् के अधिकारियों के बीच वार्ता जारी है।

प्यारे लाल वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कर्मचारियों द्वारा की जा रही भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रयत्न किया जा रहा है।

राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, उनकी कुछ मांगें थीं जो उनसे बैठकर बातचीत हुई है उसी के फलस्वरूप ११ जुलाई को जो आमरण अनशन हुआ था और जो क्रमिक अनशन जारी है, उनके बीच वर्तालाप जारी है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मांगें कब तक पूरी कर दी जायेंगी। जिन कारणों से भूख हड़ताल की जा रही है उनकी मुख्य मांगें कौन-सी हैं ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो लिखा हुआ है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इनकी वहां पर हड़ताल चल रही है और दो प्रश्न विचाराधीन हैं तो इनकी मांगों पर अभी तक क्यों नहीं विचार किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

दो प्रश्नों की सूचना हमको नहीं है। उनका जो 4 जून, 1974 को पत्र प्राप्त हुआ। था उसमें यह था कि ८ जून, १९७४ से शक्ति भवन के द्वार पर भूख हड़ताल करेंगे

---

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११६८ पर)

करीब-करीब डेढ़ महीने हुए, इस डेढ़ महीने से जो उनकी मांगें चल रही हैं, वह तालिका में दी हुई हैं। उनकी मांगों के कार्यान्वयन में हमारी कुछ आर्थिक कठिनाइयां हैं। उन पर जहां तक हो सकता है, हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की, उससे पहले भी कोई बातचीत चली थी कि भूख हड़ताल हम लोग करने वाले हैं और हमारी यह-यह मांगें हैं, तो उस समय सरकार ने उनकी मांगों पर क्यों नहीं विचार किया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

वहां पर कुछ क्रम ही बन चुका है, तो बातचीत तो करीब-करीब हर महीने, दो महीने, तीन महीने पर होती है। मुझसे कम से कम ६ दफे बात हो चुकी है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, ये अधिकारी और कर्मचारियों के बीच जो वार्ता शुरू हुई है या कब से वार्ता जारी है और दूसरी बात यह है कि मांगें जो हैं कर्मचारियों की वह तो शासन को मालूम ही हैं। तो कर्मचारियों की कितनी मांगों को शासन मानने के लिए तैयार है और कितनी मांगों को मानने के लिए नहीं तैयार है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

उनकी समझ से तो कोई ऐसी मांग नहीं है कि जो महत्वपूर्ण नहीं हैं। हड़ताल के पीरियड में जो काम नहीं करेगा उसको हम वेतन नहीं देंगे, तो वह हड़ताल के पीरियड का भी वेतन चाहते हैं और अपनी जिद्द कर रहे हैं। अब जैसे उनके यूनियन के अधिकारियों को परेशान करने की जो बात है, उसको हम देख रहे हैं कि कोई भी अधिकारी उनको गलत तरीके से परेशान न करे।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। अगर शासन बातचीत करने के पहले दो एक मांग मानने को तैयार होता और वह यह कहता कि आप अनशन तोड़िए तो यह पूर्ण आशा थी कि अनशन न चालू होता। क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब शासन के विचार में उनकी सारी मांगें गलत हैं तो किस चीज के लिए वार्ता चलाई जा रही है।

श्री राज मंगल पांडेय—

जैसे उनकी एक मांग है कि इलाहाबाद के कर्मचारियों को अकारण निकालना, इसको हम एक्जामिन कर रहे हैं, फिर है यूनियन के अधिकारियों को नाजायज परेशान करना, इसको हम एक्जामिन कर रहे हैं, आपरेटिंग स्टाफ के स्केलों को जो गलत हो गये हैं, ठीक किया जाना, इसको हम एक्जामिन कर रहे हैं, यमुना में नियम के विरुद्ध सलेक्शन किया गया है, इसको हम एक्जामिन कर रहे हैं, पिछले जो आश्वासन है उन्हें पूरा किया जाय, हम इन प्रश्नों को एक्जामिन कर रहे हैं कि इस वर्ष हम कितनों को पूरा कर सकेंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि परिषद् के कार्यालय के सामने पहले आमरण अनशन शुरू हुआ, फिर क्रमिक अनशन शुरू हुआ। ऐसा मालूम होता है कि विद्युत् परिषद् उनकी मांगों को नहीं मान रहा है। क्या इस प्रश्न के होने के बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी हड़ताली नेताओं से बातचीत करके शीघ्रतिशीघ्र निर्णय लेने की कृपा करेंगे।

श्री राज मंगल पांडेय--

माननीय सदस्य के कहने के पूर्व ही जो कुछ किया है वह यह है कि १ करोड़ रुपए की इन्टरिम रिलीफ की बात थी। वह 4 महीने पूर्व ही कह दिया था कि उनको पे पैकिट के साथ मिल जायेगी। तो इस तरीके से जहां तक सरकार की सहानुभूति का प्रश्न है वह तो उनके साथ है ही लेकिन कुछ नियमों और चीजों पर ये आधारित होती हैं। यह कैसे हो सकता है कि उनकी हर वक्त मांगें मानते जायं, जिनका कोई औचित्य न हो।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उप-कृषि निदेशक, प्रयोग एवं प्रदर्शन मुख्यालय, लखनऊ व सहायक मृदा रसायनरी वाराणसी द्वारा घटिया किस्म के उपकरणों की खरीद

*१--श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरि शंकर अग्रवाल, उप कृषि निदेशक प्रयोग एवं प्रदर्शन मुख्यालय, लखनऊ एवं इसके रिश्तेदार एच०पी० शाह, सहायक मृदा रसायनरी, मृदा केन्द्र, वाराणसी द्वारा करोड़ों रुपये का घटिया किस्म का उपकरण एवं अन्य वस्तुयें बगैर अन्य अधिकारियों की संस्तुति लिये केवल दास साइन्टिफिक कारपोरेशन, कानपुर से खरीद ली गई हैं जो आज भी राज्य के विभिन्न प्रयोगशालाओं में बेकार पड़ी हैं ? यदि हां, तो ऐसे जन-धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

यह उत्तर तो नियमानुकूल है।

श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय मंत्री जी का उत्तर नियमों के प्रतिकूल है। २९ जून का यह शार्ट नोटिस क्वेश्चन था, जो स्वीकार किया गया था। सवाल के लिए टेलीफोनिक मैसेज से ही सारी इन्फार्मेशन ली जा सकती थी। जिले के ९ केन्द्रों की बात थी ....

श्री अध्यक्ष--

यह १५ दिन बाद फिर आयेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जब कोई अफसर फसता है तो सारे अफसर मिलकर उसकी रक्षा करते हैं। यह जबाव जो आया है, यह भी किसी अधिकारी ने ही दिया होगा। क्या माननीय मंत्री जी जिस अधिकारी अर्थात् श्री अग्रवाल के खिलाफ यह शिकायत है, जांच करा कर, जो फाइनैन्शियल इर्रेग्युलेरिटीज की हैं, पैसा चुराया है, और सरकारी जन-धन के दुरुपयोग में दोषी पाये जायंगे, दंडित करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

अभी तो प्रश्न यह है कि श्री हरि शंकर अग्रवाल, उप कृषि निदेशक, प्रयोग एवं प्रदर्शन मुख्यालय एवं उनके रिश्तेदार एच० पी० शाह, सहायक मृदा रसायनरी, मृदा केन्द्र, वाराणसी द्वारा जो सारे उपकरण खरीदे गये हैं, उनके बारे में सूचना की बात है।

माननीय सदस्य को यह भी ज्ञात होगा कि ये ५४/५५ जिलों में ये चीजें गयीं होंगी। तो यह सूचना एकत्र करनी है कि कितने उपकरण काम में आये हैं, कितने बेकार पड़े हुए हैं। यह ऐसी सूचना नहीं है कि टेलीफोन से आ जाय। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि अगली बार इस सत्र के पहले ही इसके विस्तृत सूचना दे दूंगा।

श्री काशी नाथ मिश्र--

श्रीमन्, एमर्फैसिस का सवाल है। इसके बारे में जिन अफसरों ने काम किया है, वह उसके क्षेत्राधिकार में था या उसके बाहर जाकर उन्होंने काम किया और पैसे का दुरुपयोग किया? यदि ऐसा किया तो क्या उसके खिलाफ माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

आप समय नष्ट न करें, इसको मैंने स्थगित किया। यह फिर आयेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मैं जानना चाहता हूं कि यह सवाल विभाग को कब भेजा गया?

श्री अध्यक्ष--

यह तो ऊपर लिखा है, माननीय सदस्य इसको पढ़ लेने का कष्ट करें।

श्री बीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मंत्री जी ने जो यह कहा है कि किसी अधिकारी के संस्तुति पर ये घटिया किस्म के उपकरण आदि खरीदे गये तो वह खरीदे या नहीं इसको तो बता दें?

श्री अध्यक्ष--

वह तो आयेगा १७ दिन बाद।

भिलंगना विकास खण्ड, टेहरी गवढ़ाल में हैजे से मृत्यु

*2--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह विदित है कि जिला टिहरी गढ़वाल भिलंगना विकास खंड के अन्तर्गत पट्टी भिलंग, थाती कठूड़ व बासर में हैजा का भयंकर प्रकोप हो रहा है जिससे कि ५० से अधिक मौतें हो चुकी हैं? यदि हां, तो हैजा की रोक थाम के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

भिलंगना विकास खण्ड के अन्तर्गत हैजा का प्रकोप नहीं है, गैस्ट्रोइण्ट्राइटिस की सूचना है गैस्ट्रोइण्ट्राइटिस से प्रभावित लोगों की स्थिति इस प्रकार है--

पट्टी	ग्रसित	मृतक
भिलंग	६	२
थटीकटूर	०	०
बासर	१०	२

रोग की रोकथाम एवं उपचार के लिये औषधियां तथा हैजा निरोधक टीके उचित मात्रा में उपलब्ध कराये गए हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं मंत्री जी को सूचित करना चाहता हूं कि व्यक्तिगत जानकारी से जो आपने उत्तर दिया वह कतई गलत है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसा अधिकारी था जिसने यह सूचना एकत्रित की कि इतनी मौतें जो हुई हैं ये हैजे की हैं या गैस्ट्रो इंटेराइटिस की हैं ? क्या कोई डाक्टर इन गांवों में गया हैं ? यदि हां, तो कृपया उसका नाम दाता द ? कोई नहीं गया !

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, इसी से जाहिर है कि २२ जून, १९७३ के उपरान्त कोई ग्रसित नहीं हुआ है और जो हैजा निरोधक टीके लगाये गये...।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मेरा प्रश्न है कि क्या कोई डाक्टर इन गांवों में गया हैं ? यदि गया हो, तो कृपया उसका नाम बता दें।

श्री राज मंगल पांडेय--

डाक्टर का नाम तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो १८,६२५ हैजा निरोधक टीके लगे हैं तो डाक्टर गये होंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इस बात को देखते हुए कि मंत्री जी को स्वयं ज्ञान नहीं है कि डाक्टर कोई गया या नहीं तो कैसे उत्तर दे रहे हैं कि ये हैजे से नहीं गैस्ट्रोइण्ट्राटिस से मरे हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

इस संबंध में जो इत्तला मिली तो निदेशालय से संक्रामक रोग शाखा अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि यह कालरा के केस नहीं हैं, गैस्ट्रो इण्ट्राटिस के केस हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मेरी इस सूचना को सही समझ कर कि कोई डाक्टर गांव में नहीं गया केवल एक वैक्सीनेटर और एक सैनिटरी इस्पेक्टर गये हैं, मंत्री जी कृपा करके जांच करायेगें ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इसमें अगर रत्ती भर भी माननीय सदस्य की ऐसी सूचना है तो मैं निश्चय ही जांच करा लूंगा ऐसी हालत के बाद भी वहां कोई अधिकारी क्यों नहीं गया।

*३--श्री मुलायम सिंह यादव--

[९ वें मंगलवार के लिये स्थगित]

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर के लक्ष्मीपुर तथा मिश्रौलिया विकास खण्डों में हरिजनों हेतु निर्मित कूप

*१--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के लक्ष्मीपुर तथा मिश्रौलिया (नवतनवां) विकास खंडों में पेय जल स्कीम के अन्तर्गत हरिजनों के लिये किन-किन ग्रामों में इस निर्माण की स्वीकृति गत पंचवर्षीय योजना में हुई थी, उनमें किन-किन ग्रामों में कुयें बनें ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

गत पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास विभाग में हरिजनों के लिये कोई आयोजनागत पेय जल योजना नहीं थी । परन्तु गत पंचवर्षीय योजना काल में आयोजनेतर मद से जिला गोरखपुर के विकास खंड लक्ष्मीपुर के १३ तथा मिश्रौलिया (नवतनवां) के १३ ग्रामों में कुएं की स्वीकृति दी गई और बनवाये गये थे । ग्रामों की सूची संलग्नक में प्रस्तुत है ।

इसके अतिरिक्त हरिजन सहायक विभाग में गत पंचवर्षीय योजना में हरिजन पेय जल योजना के अन्तगत प्राविधान था जिसके द्वारा सामुदायिक विकास विभाग को प्रदत्त धनराशि से विकस खंड लक्ष्मीपुर के एक तथा मिश्रौलिया (नवतनवा) के एक ग्राम में कूप के निर्माण की स्वीकृति दी गई जिनका निर्माण प्रगति पर है । साथ ही हरिजन सहायक विभाग द्वारा भी विकास खंड लक्ष्मीपुर में ५ मिश्रौलिया (नवतनवां) के १० ग्रामों में कुंए बने जिनकी ग्रामवार सूची संलग्नक में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११६९-११७० पर)

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सारे कुएं बन कर तैयार हो गये है और उन सबका पेमेंट हो गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जिन गांवों की सूची दी गयी है, मेरी सूचना यह है कि वे बन कर तैयार हो गये है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

इन सब का पेमेंट भी हो गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

पैसा तो जिले में सब दे दिया गया है और जैसे-जैसे कम्पलीशन सार्टिफिकेट आता जायगा, पेमेंट होता जायेगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

कुल कितने कुवें बने हैं और उन पर कितना खर्चा आया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

कुंवों की तदादा तो अलग अलग है और खर्च भी हर कुएं पर अलग-अलग आया है,किसी पर हजार, किसी पर दो हजार ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

मैं जानना चाहता हूं कि यह काम कबसे शुरू हुआ और अब तक कितना काम हो चुका है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इन कुओं के निर्माण के लिये अलग अलग-आदेश दिये गये हैं । उनके मुताबिक कुछ कुएं तो ३१ दिसम्बर, ७४ तक पूरे हो जायेंगे, जो पूर्ण हो चुके हैं वे थोड़े से हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मेरी सूचना है कि पेमेंट अभी तक केवल उन्हीं कुओं का हुआ है जो पुराने कुएं है और उन पर १००-५० रुपये लगाकर, उनकी मरम्मत करवा कर पैमेंट ले लिया गया है । जो नये कुवें बिलकुल बने है उनका किसी का पेमेंट नहीं हुआ है क्या मंत्री जी को यह सूचना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य की सूचना सही है तो उसकी छान-बीन करा ली जायेगी । (व्यवधान)

बरेली जिला परिषद् की जीप पर पेट्रोल का व्यय

*२--श्री हरीश चन्द्र गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि बरेली जिला परिषद् ने परिषद की जीप पर वर्ष १९७३-७४ में कितना रुपया पेट्रोल के मूल्य के रूप में व्यय किया और क्या यह सही है कि उपरोक्त जीप का उपयोग अध्यक्ष ने जिलाधिकारी के कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए किया और यात्राओं पर व्यय हुए पेट्रोल का धन जिला परिषद बरेली के खाते से वसूल किया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्नगत वर्ष में जिला परिषद, बरेली के पास दो जीपें थी जिन पर पेट्रोल की मद में जिला परिषद् फंड से ७०७० रुपये ९ पैसे तथा कैश योजना, फण्ड से ४,१०७ रुपया ३८ पैसे अर्थात कुल ११, १७७ रु० ४७ पै० व्यय हुए हैं । जीपों का प्रयोग जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद् के अलावा अन्य परिषदीय अधिकारियों ने भी किया है । चूंकि जिलाधिकारी, जिला परिषद् के अध्यक्ष भी हैं अतएवभ्रमण के समय दोनों कर्त्तव्यों का निर्वाहन करने में सुविधा होती है ।

बहराइच में पशुपालन विभागीय पशुपालों का नया वेतन-मान

*३--श्री कमला प्रसाद वर्मा

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग, बहराइच जनपद के पशुपालकों (स्टाकमैन) को अब तक नया वेतनमान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

बहराइच जिले में पशुपालन विभाग के समस्त पशुपालकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा चुका है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न नं० २ माननीय हरीश कुमार गंगवार का है और वे सदन में गैर हाजिर हैं । जिस अमाउन्ट्स टु कन्टेम्प्ट आफ दि हाउस । लोक सभा में भी ऐसी रूलिंग हो चुकी है । पैसा लेकर, सदन में प्रश्न रखवा कर, गैर हाजिर रहना यह सदन का अवमान है ?

श्री अध्यक्ष--

उपस्थित होना या न होना माननीय सदस्य की इच्छा पर है । लोक सभा में चाहे जो नियम हो, लेकिन मैं किसी को यहां उपस्थित रहने के लिये और प्रश्न करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता । मैं किसी ऐसे नियम का समर्थक भी नहीं हूं ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के शिवपुर और महिबी ब्लाक के पशुपालकों को सरकार से प्रश्न किये जाने के बाद पुनरीक्षित वेतन दिया गया है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, यह तो मैं नहीं कह सकता कि यह कार्यवाही आपके प्रश्न पूछने के बाद हुयी है लेकिन अभी भी अंतिम रूप से उनको पुनरीक्षित वेतन मान नहीं दिया गया है । प्रोविजनल दिया गया है । कारण यह है कि राम नरेश पांडेय २२-२-७० से ३०-११-७० तक अनुपस्थि रहे । और (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप ब्यौरे की बात बता रहे हैं ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न हुआ है १०-६-७४ को पेमेंट तो किस्ती तारीख को किया होगा ? वह तिथि बताने की कृपा करें कि किस तारीख को उनको पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, कुछ कारणों से उनको प्रोविजनल वेतनमान दिया गया है । वह काफी समय तक अनुपस्थित रहे हैं । उन्होंने २७-१-७३ को अपनी चरित्र पंजिका ली और २२-४-७४ तक अपने ही पास रखे रहे । इसलिये उनको यह पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिया जा सका । यह क्वेश्चन पूछने की वजह से ही यह वेतनमान उनको दिया गया है, यह बात नहीं है ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो पुनरीक्षित वेतनमान होते हैं वह तो स्थायी होते हैं तो आप प्रोविजनल कहां से ले आये । आप प्रोविजनल क्यों दे रहे हैं, स्थायी क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, यह दो केसेज हैं । राम नरेश पांडेय, पशुपालक २२-२-७० से ३०-११-७० तक , ११-३-७१ से २०-२-७२ तक, ११-२-७३ से ३०-४-७३ तक, १०-६-७३ से ३०-११-७३ तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं । फिर उनको २०-५-७४ को वैक्सीन लाने के लिये लखनऊ भेजा गया था परन्तु तब से वे अनुपस्थित हैं । उनकी अनुपस्थिति को अभी नियमित नहीं किया जा सका है, क्योंकि उन्होंने इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगने पर भी नहीं दिया है । इसलिये उनको प्रोविजनल वेतनमान दिया गया । इस अनुपस्थिति के नियमित हो जाने पर उनको पुनरीक्षित वेतनमान अंतिम रूप से निर्धारित हो जायेगा ।

उप-निदेशक (भूमि संरक्षण), बांदा द्वारा निलम्बित कर्मचारी

*४---श्री अठई राम, (जिला इलाहाबाद), श्री भगवत दयाल (जिला झांसी) तथा श्री चन्द्र नारायण सिंह (जिला हमीरपुर)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा रीजन के उप निदेशक (भूमि संरक्षण) ने वर्ष १९७३-७४ में कितने कर्मचारियों को निलंबित किया ? क्या निलंबित कर्मचारियों पर कोई चार्जशीट लगाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निलंबित कर्मचारियों को पुनः रिइन्सटेट (नियुक्त) किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय---

जी हां । छः ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अठई राम---

श्रीमन्, क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि निलंबित कर्मचारी कितने दिनों तक निलंबित रहे और कब उनको बहाल किया गया है ? उनको वेतन दिया गया है, या नहीं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी नहीं, वेतन नहीं दिया गया ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह ६ आदमी निलंबित किये गये हैं उनको किन जुर्मों में निलंबित किया गया था और किसकी जांच के बाद वह बहाल किये गये ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, जो उनके खिलाफ शिकायत थी वह यह थी कि उनमें से ४ आदमियों ने झूठी प्रगति सूचना भेजी थी और कुछ टेक्निकल इर-रेगुलरटीज भी थीं । बाकी २ आदमी भ्रष्टाचार के कारण निलंबित किये गये थे । मान्यवर, इसमें से ४ आदमियों को १७-११-७३ को निलंबित किया गया और २ आदमियों को ९-११-७३ को निलंबित किया गया ।

मान्यवर, इन लोगों को आरोप पत्र दिये गये इनमें से ५ आदमियों ने क्रमशः २३-११-७३, २३-११-७३, २१--११-७३, २६-११-७३, २१-११-७३ को स्पष्टीकरण दिया और एक आदमी ने २३-१२-७३ को स्पष्टीकरण दिया । इनमें से ५ आदमियों को क्रमशः २७-११-७३ और २७-११-७३ की तिथि को बहाल किया गया और शेष १ आदमी को २८-१२-७३ को बहाल किया गया ।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बहाली किस आधार पर की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय--

चूंकि उन्होंने अपनी भूलों को स्वीकार किया और भविष्य में ठीक आचरण करने की बात की तथा मांफी मांग ली इसलिये उनको बहाल किया गया । इसके अलावा उन पर कोई बड़ा जुर्म नहीं था केवल आंकड़ों में गलती थी और इसी कारण उनको बीच का भत्ता भी नहीं दिया गया ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि झूठी प्रगति रिपोर्ट दी थी इसलिये मुअत्तल किया गया । कोई बड़ी बात नहीं थी इसलिये उनको फौरन बहाल भी कर दिया गया । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गलत रिपोर्ट देने वालों से बढ़कर कौन सी बात माननीय मंत्री जी की नजर में है जो कि ड्यूटी के घातक है और तब उनको बरखास्त करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इसके माने यह नहीं है कि जो उन्होंने रिपोर्ट दी वह सब झूठी थी । एक-आध जगह आंकड़ों में गलती थी इसलिये कार्यवाही की गयी । परन्तु मांफी मांग लेने पर उनको बहाल कर दिया गया ।

पशुपालन विभाग के पशुपालों का वेतन-निर्धारण

*५--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६५ के वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुसार पशुपालन विभाग के कितने स्टाकमैनों (पशुपाल) का वेतन निर्धारण वेतन-वृद्धि व अवकाश सम्बन्धी मामले आज तक तय नहीं किये गये और क्यों और सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

सन् १९६५ में गठित वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के अनुसार पशुपालन विभाग ने उस समय १८२९ पशुपाल कार्यरत थे जिनमें से ३३ पशुपालों के वेतन निर्धारण वेतन वृद्धि व अवकाश सम्बन्धी मामले तय नहीं हो पाये हैं। समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को इन मामलों को शीघ्र तय करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन ३३ पशुपालों का क्या कसूर था कि ९ वर्ष की अवधि बीतने पर भी उनका वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि व अवकाश सम्बन्धी मामले तय नहीं किये गये ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, उनमें से ७ पशुपाल ऐसे थे जिनकी सेवा पुस्तिका विभिन्न जिला पशुधन अधिकारियों से तथा एक पशुधन क्षेत्र प्रबन्धक से मंडलीय उप निदेशकों को नहीं प्राप्त हो सकी इसलिये उनका वेतन निर्धारण नहीं किया जा सका। ३ पशुपालन निलम्बित थे तथा १० पशुपालों में से एक पशुपाल की सेवा पुस्तिका खंड विकास अधिकारी से तथा बाकी की जिला पशुधन अधिकारियों से मंडलीय उप निदेशकों को प्राप्त न होने के कारण वेतन वृद्धियां स्वीकृत नहीं की जा सकी हैं। १२ पशुपाल ऐसे थे जिनमें से एक पशुपाल अनाधिकृत रूप से अपनी सेवा पुस्तिका अपने पास रखे रहा तथा एक पशुपाल की सेवा पुस्तिका खंड विकास अधिकारी तथा शेष की विभिन्न जिला पशुधन अधिकारियों से मंडलीय उप निदेशकों को उपलब्ध नहीं हो पायी हैं। इसलिये इनके अवकाश के मामले अभी तक तय नही किये जा सके। संबन्धित अधिकारियों को इनके मामलों के निस्तारण सम्बन्धी आदेश दे दिये गये हैं।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

कुछ पशुपालों का कोई कसूर नहीं था किन्तु अन्य अधिकारियों की लापरवाही से उनके वेतनमान सम्बन्धी मामले निर्धारित नहीं किये जा सके। क्या मंत्री जी इसका आश्वासन देंगे कि उन सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

कार्यवाही का प्रश्न तब उठता है जब कि उनको कोई आदेश हो। एक पशुपाल अपनी सेवा पुस्तिका अपने पास रखे रहा तथा कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सेवा पुस्तिकायें विभिन्न जिला पशुधन अधिकारियों से तथा विकास खंड अधिकारियों से प्राप्त न होने के कारण उनके मामले निधारित नहीं किये जा सके।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन लोगों का वेतन कब तक निर्धारित हो जायेगा ?

श्री राज मंगल पांडेय--

उनको आदेश दिये जा चुके हैं कि सबकी सेवा पुस्तिकायें पूर्ण करके वेतन निर्धारित कर दिया जाय। वे आदेशों का पालन करेंगे।

वाराणसी नगर महापालिका के अधिकारियों को सरकारी भवन का एलाटमेंट

*६--श्री उमानाथ (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित), श्री आशाराम यादव, श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर) तथा डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी नगर महापालिका में प्रथम श्रेणी के ऐसे अधिकारी कौन हैं जिनके निजी मकान वाराणसी में होते हुये भी सरकारी भवन में रहते हैं तथा क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय--

वाराणसी नगर महापालिका में प्रथम श्रेणी के ऐसे एक भी अधिकारी नहीं हैं जो वाराणसी में निजी मकान होते हुये भी सरकारी भवन में रहते हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वहां के जो वर्तमान प्रशासक श्री लाल चन्द ओझा हैं उनका निजी मकान बनारस में है और इसके बावजूद वे सरकारी मकान में रहते हैं ? परन्तु हो सकता है कि उन्होंने अपना मकान अपने नाम से न बनवाया हो बल्कि अपनी पत्नी के नाम से बनवाया हो । उसको किराये पर दिये हैं ।

श्री राज मंगल पांडेय--

श्री ओझा नगरपालिका के अधिकारी नहीं हैं । मेरी इत्तला यह है कि वह अपने ही मकान में रहते हैं ।

श्री गोविंद सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब उन्होंने इस प्रश्न की जांच की तो यह भी जांच की कि इन अधिकारियों की बीबियों के नाम पर तो मकान नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न तो केवल वाराणसी नगरमहापालिका से सम्बन्धित है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के विकास खण्ड अधिकारी व प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी

*७--श्री गुलाब सिंह तथा श्री भोलादत्त सकलानी (जिला देहरादून)--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि विशेष वेतन क्रम में तथा कितने खंड, विकास अधिकारी प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी कार्यरत हैं तथा उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के क्रमशः कितने सदस्य हैं तथा उनका क्रमशः क्या प्रतिशत है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

११२ खंड विकास अधिकारी प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी कार्यरत हैं । इनमें अनुसूचित जाति के ६ अधिकारी हैं जो लगभग ६ प्रतिशत हैं ।

अनुसूचित जन-जाति का कोई अधिकारी नहीं है ।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के साधारण वेतन क्रम के विकास खण्ड अधिकारियों की पदोन्नति

*८--श्री गुलाब सिंह तथा श्री भोला दत्त सकलानी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासकीय आदेश संख्या १५/५-७३, ग्रा०एकी०, दिनांक २० मार्च, १९७४ जारी होने के पश्चात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के साधारण वेतन-क्रम वाले कितने खंड विकास अधिकारियों को विशेष वेतन-क्रम में पदोन्नत किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

अनुसूचित जाति के २ खण्ड विकास अधिकारियों को पदोन्नत किया गया । अनुसूचित जन-जाति के किसी को भी पदोन्नत नहीं किया गया ।

श्री गुलाब सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ११२ जो विशेष वेतन क्रम में खंड विकास अधिकारी और प्रशिक्षण अधिकारी कार्यरत हैं, उसमें २० माच, १९७४ के बाद कितने लोगों को रक्खा गया है ?

श्री वलदेव सिंह आर्य—

२० मार्च, १९७४ के बाद १६ को पदोन्नति दी गई जिसमें २ अनुसूचित जाति के खंड विकास अधिकारी हैं ।

श्री गोविंद सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि अनुसूचित जन-जाति के साधारण वेतन-क्रम के खंड विकास अधिकारियों को क्यों पदोन्नति नहीं किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

तीन अनुसूचित जन-जाति के साधारण वेतन-क्रम में खंड विकास अधिकारी हैं। अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि वह अनुसूचित जन-जाति के हैं या नहीं । इस बारे में जिला अधिकारियों को प्रमाणित करने के लिये लिखा गया है । जब प्रमाण-पत्र आ जावेगा तो उनके बारे में आगे विचार किया जावेगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या मंत्रीजी बतलायेंगे कि जिला अधिकारियों को कब लिखा गया और क्या सरकार निश्चित सूचना आते ही उनको कोटे के अनुसार पदोन्नति करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जब यह २० मार्च, १९७४ को यह आदेश जारी हुये उसके बाद ही लिखा गया । अभी तक वहां से कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब इनको नियुक्ति की गई तो उस समय आपने इन सभी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया । यह गलती कहां से हुई कि आपको जिसके कारण परेशानी हो रही है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ऐसा लगता है कि यह साधारण तरीके से जैसे और भरती हुये हैं, उसी तरह से यह तीन भी भरती हो गये । जब यह जी० ओ० निकला तब उन्होंने क्लेम किया । उसके बाद जिलाधीश से पूछा गया कि वह इनके बारे में प्रमाण-पत्र भेजें ।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि जब कोई नौकरी में आता है तभी अपने प्रमाण-पत्र देता है कि वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब वह दे चुके हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

आइन्दा से ऐसी गलती न हो इसके लिए क्या मंत्री जी शुरू से ही भर्ती होने के वक्त अनुसूचित जाति, साधारणत जाति जो कि उस जाति के हैं इसको सूबो रखेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अनुसूचित जन-जाति के लिए २ परसेंट स्थान सुरक्षित हैं । भविष्य में जब कभी भर्ती होगी तो उनसे प्रमाण-पत्र ले लिये जायेंगे ।

जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत हरिजनों के लिये निर्मित कूप

*९—श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के बिकास खंड बिलरियागंज, हरैया, आजमगढ़ और फतेहपुर मण्डोव के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों की हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कुओं का निर्माण गत ३ वर्षों के अन्तर्गत किया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

गत तीन वर्षों के अन्तर्गत आजमगढ़ जनपद के विकास खंड बिलरियागंज के १६, हरैया के १२, अजमतगढ़ के १७, तथा फतेहपुर मण्डोव के ३६ ग्रामों की हरिजन बस्तियों में कुएं बनवाये गये हैं । ग्रामों के नामों की सूची संलग्नक में प्रस्तुत है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११७१–११७३ पर)

*१०—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कुओं का निर्माण किन-किन विभागों के जरिये किया गया है ? क्या कुयें अभी अपूर्ण हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कुओं का निर्माण सामुदायिक विकास विभाग व हरिजन सहायक विभाग के जरिये किया गया । केवल १४ कूप अपूर्ण हैं जिनका निर्माण चल रहा है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १४ कुओं के बदले १७ कुओं का निर्माण नहीं हुआ है और उनका जो निर्माण नहीं हुआ है तो क्या उनके अनुदान का पैसा ब्लाकों के जरिये निकाल लिया गया है या सरकार के खजाने में पड़ा हुआ है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर यह उत्तर दिया कि १४ कुएं बन रहे हैं । निर्माण में प्रगति हो रही है । १७ की सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि कुओं का पैसा बनाने वालों को दिया गया या वह सरकारी खजाने में पड़ा हुआ है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, बिलरियागंज को रुपया एलाट किया है और यह रुपया जिलाधीश के पास यहां से आवंटित करके भेज दिया है और वही फिर अलग-अलग विकास खंडों को आवंटित करते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, दो सवाल कुओं के निर्माण के सम्बन्ध में आज सदन में आए और मंत्री जी ने दोनों में कहा कि निर्माण कार्य प्रगति पर है । यह बरसात का मौसम है और हमारे पूर्वी जिलों में कुओं का बनाना बन्द हो जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि यह किस तरह के निर्माण की सूचना है । कौन-सी निर्माण की कार्यवाही बरसात में हो रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी को यह सूचना है कि जो १७ कुएं पूरे कराये गये हैं वे गर्मी के दिनों में सूख गये और उनमें पीने के लिए पानी नहीं रह गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मुझे इसकी सूचना नहीं है । लेकिन माननीय सदस्य की यह सूचना कि उनमें पानी नहीं है इसकी जांच करा ली जायगी ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी हमारी सूचना को सही मानकर जांच कराने की कृपा करेंगे कि बिलरियागंज और फतेहपुर मन्डौवा ब्लाक में २५–३० कुएं ऐसे है जो बने नहीं है लेकिन उनका पैसा ग्राम सेवकों द्वारा निकाल कर हड़प लिया गया और कुछ पुराने कुओं की मरम्मत करके दिखला दिया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह जांच करा ली जायगी ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

जिन कुओं का निर्माण हुआ है उनमें बरसात में पानी स्वच्छ रहे इसके लिए क्या उनमें पोटाश डाली जाती है ?

श्री अध्यक्ष—

अभी तो पानी ही नादारत है ।

वाराणसी मण्डल के राजकीय कृषि फार्मों की आय व खर्च

*११—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी मण्डल में कितने राजकीय कृषि फार्म कहां-कहां है और उनमें सन् १९७१ से लेकर अप्रैल, १९७४ तक कितनी आय तथा कितना खर्चा हुआ ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

वाराणसी मण्डल में १३ राजकीय कृषि फार्म हैं । उनकी स्थिति एवं सन् १९७१ से लेकर अप्रैल, १९७४ तक आय तथा खर्च का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११७४ पर)

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष लाखों में आय क्यों हुई, जबकि पिछले वर्षों में यह आय केवल हजारों में होती थी । क्या इसमें बाजार रेट लगाकर जोड़ा गया ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, बात समझ में नहीं आयी ।

श्री ऊवल—

जो तालिका है, उसमें ७१–७२, ७२–७३ और ७३–७४ में लाभ हजारों में दिखाया गया है, लेकिन इस वर्ष का लाभ ५ लाख से ऊपर दिखाया गया है । मेरी जो सूचना है वह यह है कि जो पैदावार हुई है, उसके दाम में २०० रुपये क्विन्टल जोड़ दिया गया है, इसीलिये यह ५ लाख की आय हुई है, तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, ये अनुमानित आंकड़े हैं और दूसरी बात यह है कि पिछले सालों के मुकाबिले में ये जितने फार्म्स हैं, ये तरक्की के रास्ते पर हैं और इसलिये प्राफिट देने लगे हैं ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, तालिका में दिखाया गया है ७०–७१ में ५ लाख ७८ हजार आय और ५ लाख १८ हजार खर्च, ७१–७२ में ६ लाख ९८ हजार आय और ५ लाख ६१ हजार खर्च, ७२–७३ में ५ लाख ४३ हजार आय और ५ लाख ५८ हजार खच, लेकिन ७३–७४ म ९ लाख ८१ हजार आय और ५ लाख ५८ हजार खर्च । इस प्रकार करीब ५ लाख का फायदा है । जबकि पिछले वर्ष में यह लाभ हजार में है । मेरी सूचना है कि इस साल जो अनुमानित दाम लगाये हैं, वह बाजार रेट से भी ज्यादा जोड़ कर किया गया है । तो क्या इसकी जांच मंत्री जी करायेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, यह जो आंकड़ों में फर्क है, इसके कई कारण है । यह फसल के ऊपर डिपेन्ड करता है । ऐसी भी फसलें हैं जिनमें लागत और चीजों के मुकाबिले में कम है और आमदनी ज्यादा है । इसलिये यह कहना कि पिछले सालों के मुकाबिले में आय ज्यादा दिखाई गयी है और यह आंकड़े सही नहीं है, मैं इस मत का नहीं हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, जो ऊदल जी का सवाल था कि पैसे बढ़ गये थे, इसलिये आमदनी बढ़ी हुई है । मान्यवर, मैंने लोहता फार्म का निरीक्षण स्वयं किया और देखा । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने क्विन्टल पिछले सालों में सरकारी फार्म्स में उपज करते थे, उसमें मात्रा में भी अधिक उपज हुई है कि नहीं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मेरे पास न हर साल का जिन्सवार है और न यह कि कितने क्विन्टल पैदा हुआ । हां, यह बात है कि और सालों की तुलना में ७३–७४ में प्रगति अच्छी है ।

श्री गोन्विन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, जो तालिका मंत्री जी ने दी है, उससे पता चलता है कि तमाम फार्म्स में नुकसान हो रहा है और फायदा नगण्य है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां इन सरकारी फार्म्स में सरकार के सैकड़ों रुपये लगे हैं तो उनकी क्यों ऐसी दुर्दशा है कि बराबर नुकसान हो रहा है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, इन कारणों को पता लगाने की बात इसलिये नहीं हो सकती कि यही अधिकारी व कर्मचारी ७१–७२ तथा ७२–७३ में हमको लाभ नहीं दे रहे थे और ७३–७४ में बकौल आपके काफी अच्छा लाभ दे रहे हैं और मेरे आंकड़ों से यह बात साबित होती है तो कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

कृषि वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक होता है । ७३-७४ की आय के अनुमानित आंकड़े उन्होंने दिये हैं । इससे पूर्व अधिकांश फार्म्स पर क्षति हो रही है और एक तिहाई फार्म्स पर लाभ तो उसका कारण आप बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय---

माननीय सदस्य स्वयं बहुत बड़े एग्रिकल्चरिस्ट हैं । सबसे बड़ा कारण प्रकृति है । दूसरा कारण है फसलों की उगाही । गन्ने की फसल हुई और गन्ने के दाम बढ़ गये और कीमत कम लगी तो फायदा हो जायगा । गेहूं की फसल बो दी तथा पाला पड़ गया तो नुकसान हो जायगा । इसलिये कारण स्पष्ट है ।

श्री ऊदल--

३ फार्म्स ऐसे है जो पिछले वर्षों में घाटे पर चले और बकिया फार्म ५,६ हजार के फायदे पर चले तो क्या माननीय मंत्री ये 3 फार्म घाटे पर क्यों चले इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय---

घाटे पर चलने वाले जो भी फार्म हैं उनके बारे में निश्चित रूप से अधिकारियों से जानकारी की जायगी कि घाटा क्यों हो रहा है और किस तरह से घाटा पूरा किया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में ७३-७४ की अनुमानित आय ६ लाख ८१ हजार बतलायी है तो उसमें गेहूं की कीमत किस दर पर आंकी है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मेरे पास जिन्सवार आंकड़े नहीं हैं यह मैं पहले बतला चुका हूं ।

राजापुर टाउन एरिया, बांदा को दिया गया अनुदान

*१२--श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अन्तर्गत राजापुर टाउन एरिया को मार्च, १९७२ से लेकर अब तक कोई अनुदान और ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो वह कितना है और किन-किन मदों में खर्च हुआ है ?

श्री राम मंगल पांडेय--

वर्ष १९७१-७२ से लेकर वर्ष १९७३-७४ तक टाउन एरिया कमेटी, राजापुर को ६१,२०० रु० का अनुदान और ६०,००० रु० का ऋण स्वीकृत किया गया ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११७५ पर)

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा--

राजापुर टाउन एरिया को जो ऋण तथा अनुदान दिये गये हैं चेयरमैन द्वारा वहां उसका गबन कर लिया गया है, सड़कें जो बनाई गयी हैं वे उखड़ गयी हैं तो क्या सरकार इसकी टेक्निकल जांच करायेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

धन का दुरुपयोग हुआ है, सड़क पर नहीं लगाया गया और सड़क उखड़ गयी हैं तो जांच जरूर करायेंगे लेकिन अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से सड़क उखड़ गयी है तो दूसरी बात है । ईंटों की चोरी हो गयी; सीमेंट कम लगाया गया और इस वजह से सड़क टूट गयी है तो यह पर्याप्त कारण है और उसके लिये जांच अवश्य करायी जायगी ।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा--

टाउन एरिया के चेयरमैन ने पूरा पैसा गबन कर लिया है लिहाजा मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायें ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जैसी माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं उस पर जानकारी हासिल कर लूंगा और अगर किसी का दोष पाया गया तो उस पर कार्यवाही अवश्य होगी ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

यदि किसी को चोट लगे और सड़क भी टूट जाय तो बजाय उस आदमी को कम्पेनसेशन दें सड़क को कम्पेनसेशन देने की बात माननीय मंत्री करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

अमूमन ऐसी बात नहीं है। सड़क ठीक भी है लेकिन ट्रक्स की वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस प्वाइंट पर सड़क टूट गयी । लेकिन जहां पर किसी अधिकारी की वजह से सड़क खराब बनी तो उस के खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे ?

खण्ड विकास अधिकारी, टाण्डा, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत

*१३--श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित), श्री धर्मवीर सिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित) श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के तहसील टांडा के अन्तर्गत कितने विकास खण्ड अधिकारियों के विरुद्ध विधायकों की शिकायतें सन् १९७३-७४ में प्राप्त हुई ? उन शिकायतों में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

केवल खंड विकास अधिकारी, टांडा के विरुद्ध एक विधायक की शिकायत प्राप्त हुई थी । मुख्य शिकायत यह थी कि खंड विकास अधिकारी ने उनकी उपस्थिति की जानबूझकर अवहेलना की । किन्तु बाद में विधायक महोदय ने लिखित रूप से सूचित किया कि उन्हें खंड विकास अधिकारी से अब कोई शिकायत नहीं है तथा उनकी शिकायत पर अब कोई कार्यवाही न की जाय ।

श्री राम अधार--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह शिकायत कब की गई और वे कौन से विधायक हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, ८ अगस्त १९७३ को श्री राम अवध, भूतपूर्व विधायक ने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक पत्र संबोधित किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे विकास खण्ड मुख्यालय में गये, खण्ड विकास अधिकारी ने उनकी अवहेलना की और उन्हें सम्मान नहीं दिया । इस शिकायत की जांच की गई और जांच के बाद भूतपूर्व विधायक महोदय ने लिखकर भेजा कि अगस्त, १९७३ को जब क्षेत्र समिति की बैठक चल रही थी भीड़-भाड़ में मुझे न देखें हों । इस बात की मुझे कोई भी शिकायत नहीं है । अतएव अब उस पर कोई कार्यवाही करने का कष्ट न करें ।

श्री राम अधार—

उसमें तो आपने भूतपूर्व विधायक नहीं लिखा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने नाम बताया कि "राम अवध" हैं।

शुक्ला वैष्णव होटल,अमीनाबाद, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत

*१४—श्री शिव शंकर सिंह, (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्रमशः दिनांक ४ दिसम्बर, १९७३ और १८-४-७४ को स्थानीय व्यक्तियों तथा अनेकों विधायकों के हस्ताक्षर युक्त मेहरा सिनेमा, अमीनाबाद, लखनऊ के पास स्थित होटल के विरुद्ध शिकायती-पत्र मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ एवं शासन को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और शासन द्वारा होटल का लाइसेंस रद्द करके कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

दिनांक ४-१२-७३ का शिकायती पत्र नगर महापालिका, लखनऊ को प्राप्त नहीं हुआ है शासन को दिनांक १८-४-७४ का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसे प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था । मेहरा सिनेमा, अमीनाबाद, लखनऊ के पास स्थित शुक्ला वैष्णव होटल के विरुद्ध मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्न हैं:—

१—होटल के भवन की जीर्ण अवस्था में होना तथा रहने के अयोग्य होना।

२—होटल के भोजनालय एवं सफाई व्यवस्था का खराब होना ।

३—होटल का लाइसेंस रद्द किया जाना ।

४—कम शुल्क पर होटल के लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जाना ।

५—होटल के भवन को गिराये जाने की कार्यवाही करना ।

होटल के भवन एवं सफाई व्यवस्था के ५-७-७४ को निरीक्षण के उपरान्त लाइसेन्स रद्द कर दिया गया है ।

मेवा रवीन्द्रा फार्मास्यूटिकल्स, हैदराबाद को कथित ब्लैक लिस्ट में किया जाना

*१५—श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अब से लगभग २ वर्ष पूर्व मेवा रवीन्द्रा फार्मास्यूटिकल्स, हैदराबाद को उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैक लिस्ट घोषित किया था ? यदि हां, तो ब्लैक लिस्ट देने की तिथि किये जाने के क्या कारण थे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास कोई ऐसी सूची है जिनमें ऐसी फार्मास्यूटिकल्स फर्म्स हों जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया हो ? यदि हां, तो वे कौन सी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो व्यापक प्रश्न है ....

श्री राज मंगल पान्डेय—

मान्यवर, यहां तो एक ही के बारे में पूछा गया है। हमारे यहां कोई ऐसी फर्म नहीं है जो ब्लैक लिस्टेड हुई हो।

श्री रामसेवक यादव—

मान्यवर,.जो यह मेवा रबीन्द्रा फार्मास्यूटिकल्स हैदराबाद की फर्म है वह उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को दवा वगैरह जैसे ग्लूकोज आदि सप्लाई कर रही है ?

श्री राज मंगल पान्डेय—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राम अधार—

मान्यवर, मुझे निवेदन करना है कि क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि २२-५-७४ को यह प्रश्न गया था और अभी तक उनके पास सूचना क्यों प्राप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष—

यह इससे संबंधित नहीं है।

[दिनांक २३ जुलाई, १९७४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लोधा विकास क्षेत्र, अलीगढ़ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को दिया गया ऋण

*१—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह मार्च, १९७० में निजी नलकूप लगाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, अलीगढ़ शाखा विकास क्षेत्र लोधा, जिला अलीगढ़ से किन-किन कृषकों को कितना-कितना ऋण दिया गया ? क्या यह सच है कि उपरोक्त किसानों में से कुछ ऐसे भी ह, जिन्होंने ३०-१२-७३ तक बन्धक पत्र की धारा २-ख के अनुसार न तो मोटर पंपिंग सेट ही खरीदा है और न नलकूप लगाया है ? यदि हां, तो सरकार संबंधित कृषकों से नियमानुसार बकाया धनराशि की एकमुश्त वसूली हेतु शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक, अलीगढ़ ने क्या कार्यवाही की है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक भूमि विकास शाखा, अलीगढ़ में स्थित लोधा विकास क्षेत्र जो उस समय जवां एवं धनीपुर विकास क्षेत्रों में सम्मिलित था, में संलग्न सूची में वर्णित कृषकों को मार्च, १९७० में नलकूप/पम्पसेट लगवाने हेतु ऋण दिये गये थे।

ऋणी कृषकों में से केवल एक कृषक के विरुद्ध नलकूप न लगाने की शिकायत शाखा प्रबन्धक, अलीगढ़ को प्राप्त हुई है जिसकी जांच कराई गई। जांच के फलस्वरूप उस कृषक को दिनांक २१-५-१९७४ को इस आशय की नोटिस दी गई है कि यदि वह तीन महीने के अन्दर ऋण का पूरा सदुपयोग नहीं करते हैं तो उनसे मय व्याज समस्त ऋण धनराशि एकमुश्त वसूल की जायगी।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११७६-११८० पर)

श्री कल्याण सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, मैं उस एक कृषक का नाम जानना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि उनको कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

उनका नाम है मदनपाल सिंह। धनराशि निश्चित नहीं है, वैसे नलकूप में ५ हजार के करीब मिलता था, वह होगा। यों वह फीगर है नहीं।

श्री कल्याण सिंह--

इनको ऋण मार्च, १९७० में दिया गया और ४ वर्ष बाद तक उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया, तो विभागीय नियमों के अनुसार उनसे सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त वसूल हो जानी चाहिये। मेरी सूचना यह है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, अलीगढ़ ने यह आदेश भी दिया कि इनसे ऋण की एकमुश्त वसूली की कार्यवाई की जाए, लेकिन शाखा प्रबन्धक ने उसकी अवहेलना करके ३ महीने की अवधि उन्हें और दे दी है, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

श्रीमन्, जांच तो यों सारे ब्लाक में हो रही है। लेकिन पहले जैसा नियम था--मार्च, १९७० में इन्होंने लिया है, यह सही है और उस वक्त जैसे पहले किश्तें दी जाती थीं--बोरिंग के लिये १५ सौ रुपया दे दिया जाता था और पहले के नियम के अनुसार सेकेंड इंस्टालमेंट, जब यह आर्डर हो जाता था मोटर खरीदने का तो दे दिया जाता था। लेकिन नवम्बर, १९७० से यह नियम बदल गया और अब यह है कि जब उनको बिजली वालों से एग्रीमेंट होने के बाद, लग जाने के बाद और चलने का सार्टीफिकेट भी मिलने के बाद दिया जाता है। इनकी बोरिंग हो चुकी है, मोटर भी है, लेकिन बिजली नहीं मिली। इसलिये नहीं चला। वह किश्त भी देते जा रहे हैं और तीन दे चुके हैं। फिर भी इनको नोटिस दे दी गई है कि मोटर लगाकर कनेक्शन लगाकर चालू कर दें, वरना इनसे वसूली की कार्यवाई की जायगी।

श्री कल्याण सिंह--

बिजली नहीं मिली और मान लीजिये तीन महीने और न मिले। जैसा कि सरकार का रवैय्या है उसमें संभव नहीं है कि उनको ३ महीने में बिजली मिल जाये। फिर भी ऐसा निश्चय किस प्रकार हुआ। तो सरकार एक बात कहे या तो यह कहे कि ३ महीने के बाद भी इनसे ऋण के वसूली की कार्यवाई नहीं की जायगी या फिर इन्हें तीन महीने में बिजली अवश्य दे दी जायगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

पहले ही निवेदन किया कि वह किश्त देते जा रहे हैं, ३ किश्त दिया है, लेकिन काम पूरा हो जाना चाहिये था। यदि नहीं हो पाता है तो पूरे का पूरा एकमुश्त में वसूल किया जायेगा।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे, क्योंकि इनसे ऐसे बहुत से अन्य लोगों ने भी पंपिंग सेट खरीदने के लिये कर्ज लिया है, किन्तु बिजली नहीं मिल रही है कि जिन्होंने कर्ज लिया है उनको बिजली का कनेक्शन मिल जाए और इनको भी मिल जाए ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया, अब तो जब बिजली का कनेक्शन मिल जाता है, तब ही आखिरी इंस्टालमेंट का पैसा दिया जाता है।

*२--श्री कल्याण सिंह--

[पुनर्विचार पर निरस्त]

गोरखपुर-फैजाबाद मण्डल में सीड स्टोरों व बफर गोदामों में गबन

*३--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) तथा श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर-फैजाबाद मण्डल में १६६६ से ३१ मई, १६७४ तक किन-किन सीड स्टोर एवं किन-किन बफर गोदामों में कितने रुपये के गबन की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई है तथा कितने कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की कार्यवाह चल रही है, जो इस गबन से सम्बन्धित बताये जाते हैं, क्या पूरा विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजमंगल पांडेय--

गोरखपुर फैजाबाद मंडल में १६६६ से ३१ मई, १६७४ तक जिन सीड स्टोर एवं बफर गोदामों में गबन की जानकारी शासन को प्राप्त हुई है, उनका विवरण संलग्न† तालिका में दिया हुआ है। गबन की धनराशि प्रत्येक सीड स्टोर एवं बफर गोदाम के सामने तालिका में अंकित है।

गबन से सम्बन्धित १५६ कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही की जा रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह गबन की जो धनराशि बताई गई है, वह ६० लाख रुपया है और १५६ कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही गई है, किन्तु मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट अन्दाजा नहीं होता है कि कार्यवाही किस प्रकार की है--पुलिस की है या विभागीय है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि १५६ कर्मचारियों के खिलाफ कौन-सी, कार्यवाही की जा रही है और क्या ये लोग आ। भी कार्यरत हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, यह धन ऐसा है जो देखने में कुछ बहुत ज्यादा लगता है कि ८६ लाख कुल गबन के बारे में है। लेकिन ८० लाख ४७ हजार ३५४ रुपए ५१ पैसे वह हैं जो मार्गगत हानियां हैं जिनके लिए अभी तक रेलवे अथवा पूर्तिकर्ता द्वारा क्लेम स्वीकार नहीं किये गये, कुछ भंडार में कमी तथा हानि का है, कुछ अनियमित उधार बिक्री का है, कुछ एक भंडार से दूसरे भंडार को स्थानान्तरण से सम्बन्धित हानि का है, कुछ अनियमित व्यय है। ८६ लाख में ८० लाख निकाल दिया जाय तो ६ लाख रुपए रह जाते हैं।

*४--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिकेवल--

[६वें मंगलवार के लिए स्थगित]

इलाहाबाद नगर महापालिका के मुख्य नगर अधिकारी के पद पर नियुक्त किये गये अधिकारी

*५--श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका में २५ दिसम्बर, १६७३ से १५ जून, १६७४ के मध्य में किस-किस अधिकारी ने किस-किस अवधि में मुख्य नगर अधिकारी के पद पर कार्य किया अथवा मुख्य नगर अधिकारी (इंचार्ज) के रूप में पद का निर्वाह किया ?

---

†छापी नहीं गयी।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राज मंगल पांडेय--

इलाहाबाद नगर महापालिका में २५ दिसम्बर, १९७३ से १५ जून, १९७४ के मध्य में निम्नांकित अधिकारियों ने मुख्य नगर अधिकारी के पद पर कार्य किया अथवा मुख्य नगर अधिकारी (इंचार्ज) के रूप में पद का निर्वाह किया :

मुख्य नगर अधिकारी के पद पर रिक्ति में--

१--श्री वी० एस० कटरा, आई० ए० एस०, २५ दिसम्बर, १९७३ से २७ दिसम्बर, १९७३ तक।

२--श्री रामचन्द्र व्यास, उपनगर अधिकारी, २७ दिसम्बर, १९७३ (अपराह्न) से ४ फरवरी, १९७४ तक व १ अप्रैल, १९७४ से ११ जून, १९७४ तक।

३--श्री सुधीर मेहता, नगर अभियन्ता (विकास) ५ फरवरी, १९७४ से ३१ मार्च, १९७४ तक तथा

४--श्री ओ० पी० ऐरन, उपनगर अधिकारी, १२ जून, १९७४ से १५ जून, १९७४ तक।

बहैसियत इंचार्ज मुख्य नगर अधिकारी का कार्य देखा--

(क) श्री व्यास, की अल्पकालिक अनुपस्थिति में श्री ऐरन ने २९ व ३० अप्रैल, १४ मई, एवं १० व ११ जून, १९७४ को तथा श्री गंगा प्रसाद ने ४ जून, (अपरान्ह) से ७ जून, १९७४ तक ।

(ख) श्री ऐरन, की अल्पकालिक अनुपस्थिति में श्री मेहता ने १५ जून, १९७४ को ।

इलाहाबाद-नगर महापालिका में कथिक क्रय-विक्रय केन्द्र की स्कीम

*६--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९७३, अप्रैल, १९७४ की अवधि के मध्य में इलाहाबाद नगरमहापालिका द्वारा प्रेषित न्याय मार्ग पर एक क्रय-विक्रय केन्द्र के निर्माण हेतु किसी स्कीम को स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई ? यदि हां, तो किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की गई तथा उस स्कीम का क्या नाम है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहमऊ-करकौली व झरोटा-दधेटा मार्ग, मथुरा का निर्माण

*७--श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद के सादाबाद विधान सभाई क्षेत्र के अन्तर्गत सहमऊ, करकौली तथा झरौटा-दधेटा मार्ग के निर्माण के लिए जिला परिषद् के द्वारा कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ था ? क्या स्वीकृति धनराशि सम्पूर्ण उपयोग में ले ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सहमऊ--करकौली मार्ग के २ किलोमीटर तथा झरोटा-दधेटा मार्ग के ३ किलोमीटर पर मिट्टी की भराई एवं पुलिया निर्माण हेतु क्रमशः ३२,३०० रु० तथा ७२,५०० रु० का अनुमानित व्यय अध्यक्ष, जिला परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया था। प्रथम मार्ग के केवल

एक किलोमीटर पर ११,७५९.८० रु० की लागत से कार्य कराया जा सका और शेष कार्य धनाभाव के कारण पूरा नहीं किया जा सका। द्वितीय मार्ग पर कार्य ५०,६९१.३० रु० में ही पूरा हो चुका है। अनुमानित संख्या से कम पुलियों की आवश्यकता तथा अनुमानित रेट्स से कम पर प्राप्त निविदा के कारण इस मार्ग पर कम व्यय हुआ।

आबकारी अधीक्षकों व आबकारी निरीक्षकों की पदोन्नति

*८--श्री राम सजीवन (जिला बांदा), श्रीराम चन्द्र बक्श सिंह तथा श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक आबकारी आयुक्त के पद की प्रोन्नति आबकारी अधीक्षकों एवं आबकारी निरीक्षकों से चुनकर की जाती है? यदि हां, तो क्या श्रेणी दो के लिए प्रोन्नति हेतु कोई आयु की सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो क्या ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी हां।

पचास वर्ष की अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित है।

*९--श्री शिव सम्पत्ति राम--

[९वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

*१०--श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री राम निहोर, श्री उदय नाथ, श्री रामजी सिंह तथा श्री रघुवीर सिंह--

[९वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

पंचायत उद्योग केन्द्र, मैनपुरी में गबन

*११--श्री रघुबीर सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायत उद्योग केन्द्र, मैनपुरी की विशेष लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सन् १९६६-६७, दिनांक १८ जनवरी,१९७१, वर्ष १९६७-६८ की दिनांक ९ मार्च, १९७२ तथा वर्ष १९६८-६९, दिनांक १७ जून, १९७२ को पंचायत राज विभाग को प्राप्त हुई जिसमें मैनपुरी पंचायत उद्योग के तत्कालीन सचिव पर लगभग ६०,००० रुपए के स्पष्ट गबन के आरोप पाये गये? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां, इन रिपोर्टों में कुल ४१,६६७.४६ रु० के गबन व दुरुपयोग के मामले तत्कालीन सचिव, पंचायत उद्योग केन्द्र के विरुद्ध निहित पाये गये। सम्बन्धित सचिव को निलम्बित किया जा चुका है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है। साथ ही मामले को पुलिस की जांच के लिए दे दिया गया है।

थाना झंगहा व खोराबार, गोरखपुर में खाद का पकड़ा जाना

*१२--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा व खोराबार में ११ जून से १५ जून, १९७४ तक लगभग ६००बोरी खाद सुपर फास्फेट व यूरिया विभिन्न स्थानों से पकड़ी गई है? यदि हां, तो क्या इस खाद की तत्काल कमी की स्थिति में वहां के किसानों के बीच वितरण करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

जनपद गोरखपुर थाना झंगहा पर दिनांक १५ जून, १९७४ को ७६ बोरी खाद (१४ बोरी यूरिया, २२ बोरी सुफर फास्फेट, २० बोरी सुफला, १८ बोरी अमोनियम सल्फेट तथा २ बोरी एन०पी०के०) बरामद हुई तथा थाना खोराबार द्वारा दिनांक १३ जून, १९७४ को २०० बोरी सुपरफास्फेट खाद पकड़ी गयी ।

थाना झंगहा पर बरामद की गयी खाद नीलाम द्वारा निस्तारण हेतु खंड विकास अधिकारी को आदेश न्यायालय द्वारा मिल चुका है जोकि किसानों में शीघ्र वितरण करा दी जायगी। थाना खोराबार द्वारा पकड़ी गयी खाद चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के आदेशानुसार पार्टी को वापस कर दी गयी। अतः इसके वितरण का प्रश्न नहीं उठता है।

रंगीन डिनेचर्ड स्प्रिट के उपयोग के फलस्वरूप रंगाई कारीगरों पर प्रतिकूल प्रभाव

*१३—श्री दधीच सिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार को इसकी सूचना है कि डिनेचर्ड स्प्रिट (रंगीन) के उपयोग के फलस्वरूप रंगाई के काम करने वाले कारीगरों की उगलियां खराब हो रही हैं ? यदि हां, तो इसकी रोक-थाम के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

इस संबंध में कुछ शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं। आबकारी आयुक्त द्वारा इन शिकायतों की जांच कराने पर यह ज्ञात हुआ है कि विकृत स्प्रिट में मिलाये जाने वाले बर्तमान डिनेचुरेन्ट्स तथा रंग जिस अनुपात में प्रयुक्त हैं उनके कारण कथित प्रतिकूल प्रभावों का उत्पन्न होना संभव नहीं प्रतीत होता। अतएव, इस डिनेचर्ड स्प्रिट के उपयोग को रोकने का प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर नगर में नगरमहापालिका की भूमि पर अतिक्रमण

*१४—श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर के मुहाल सुतरखाना, तेलियाना, मोती मुहाल व गड़रिया मुहाल के अन्तर्गत नगरपालिका की कितने वर्ग मीटर भूमि पर कितने व्यक्तियों ने इस समय अतिक्रमण किया हुआ है और उसे हटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

प्रश्नगत क्षेत्र में गृह संख्या ६५/३६ के लगभग ३०० वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है तथा अतिक्रमण करने वाले ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

*१५—श्री मुहम्मद असरार अहमद तथा श्री मूल चन्द—

[१५वें गुरुवार के प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें

*१६--श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी), चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) तथा श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७४ के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न सं० २४ के प्रश्नोत्तर के तृतीय भाग के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की वे सिफारिशें कौन-कौन-सी हैं जिसे शासन ने मान लिया है, व उन्हें लागू करने जा रही है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११८१-११८७ पर)

दुग्ध उत्पादन के विकास हेतु गठित समिति की सिफारिशें

*१७--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहली संविद सरकार के पशुपालन मंत्री द्वारा दुग्ध उत्पादन के विकास के लिये सुझाव देने हेतु किसी समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन थे ? प्रतिवेदन सरकार को कब प्राप्त हुआ ? मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा क्या उन्हें शासन द्वारा लागू करने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१८--श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तथा श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

पाठा पेय जल योजना, बांदा के संबंध में शिकायत

*१९--श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तथा श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

क्या मुख्य मंत्री मेरी इस सूचना को सही मानकर कि पाठा पेयजल योजना जिला बांदा के निर्माण में भारी गबन तथा भ्रष्टाचार है एवं सस्ते दर की सामग्री लगाई गई है मामले की जांच किसी टेक्निकल सेल अथवा विजलेन्स से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जी हां । यदि कोई स्पष्ट नामजद शिकायत प्राप्त होगी तो जांच करायी जायेगी ।

शहरी क्षेत्र के हरिजनों को आवास के लिये भूमि देने की योजना

*२०--श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहरी क्षेत्र के हरिजनों एवं कमजोर वर्ग के लोगों को आवास के लिये भूमि देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*२१--श्री अब्दुल रऊफ लारी--

[९वें गलवार के लिये स्थगित]

विकास खण्ड रसूलाबाद, कानपुर के बी० डी० ओ० के विरुद्ध गबन की शिकायत

*२२--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के बिकास खंड, रसूलाबाद के बी० डी० ओ० द्वारा सरकारी धनराशि के गबन के संबंध में परगनाधिकारी, डेरापुर जांच कर रहे हैं ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उक्त बी० डी० ओ० के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां। बी० डी० ओ० के कार्य के संबंध में परगनाधिकारी, डेरापुर जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः अभी बी० डी० ओ० के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

ब्लाक नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के बी० डी० ओ० के विरुद्ध क्षेत्रीय विधायक द्वारा शिकायत

*२३--श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के बी० डी० ओ० ने फर्जी सीमेंट, खाद और शादी की शकर के परमिट काट कर हजारों रुपया कमाया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वैसे खंड विकास अधिकारी, नवाबगंज के विरुद्ध सीमेंट, खाद, शकर आदि के वितरण में अनियमितता करने की कुछ शिकायतें अवश्य प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है।

*२४--श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इन्हीं बी० डी० ओ० के खिलाफ जनता को सामान न मिलने पर क्षेत्रीय विधायक ने हाल ही में शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां।
जांच की जा रही।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, वाराणसी द्वारा खाद का वितरण

*२५--श्री ऊदल तथा श्री रघुनाथ (जिला बलिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, वाराणसी को सन १९७३ में कितनी खाद किन-किन कंपनियों से तथा जनवरी, १९७४ से मई, १९७४ तक कितनी खाद दी गई और उस समिति ने किस आधार पर और किन को खाद का वितरण किया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सूचना संलग्न है।

(देखियें नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ११८३ पर)

*२६--श्री मलिखान सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

कृषि अमीन एवं चपरासी संघ, बाराबंकी का प्रार्थना-पत्र

*२७--श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जनपद के लगभग ६५ कृषि अमीन एवं ६९ चपरासियों की सेवायें सन् ७१ में समाप्त कर दी गई थीं और पुनः उन्हें जून, १९७२ में सेवा में लिया गया परन्तु उन्हें पूर्व सेवाओं का लाभ नहीं दिया गया, जब कि इसी अवधि में निकाले गये राजस्व विभाग के राजस्व संग्रह अमीनों को पुनः सेवा में लिये जाते समय पूर्व सेवाओं का लाभ दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार को कृषि अमीन एवं चपरासी संघ बाराबंकी के अध्यक्ष के कई आवेदन-पत्र भी इस संबंध में प्राप्त हुये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां ।

कृषि अमीन एवं चपरासी संघ, बाराबंकी का आवेदन-पत्र जनवरी, १९७४ में प्राप्त हुआ था । कृषि विभाग के अमीनों के सम्बन्ध में भी राजस्व विभाग के अमीनों को प्रक्रिया अपनाने की कार्यवाही की जा रही है ।

एग्रो-इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ में सम्बन्धित "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति" का प्रतिवेदन

*२८--श्री अब्दुल रऊफ लारी--

क्या सरकार बतायेगी कि एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, विधान सभा एवं विधान परिषद् ने जो प्रतिवेदन सरकार को वर्ष १९७३-७४ में प्रस्तुत की है, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

शासन को प्रश्नगत प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव शासन द्वारा उस पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर में एग्रो के डिपो में गोलमाल

*२९--श्री राम जी सिंह (जिला गाजीपुर)--

क्या यह सही है कि गाजीपुर जनपद में कृषि विभाग के अधिकारियों ने खाद में हाल ही में साढ़े तीन लाख रुपये का गोलमाल किया है और (आर०पी० सिंह) एग्रो असिस्टेंट सेल्स आफिसर १५ दिनों से फरार हैं ? क्या सरकार इस मामले की जांच सी०आई० डी० द्वारा करायेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

गाजीपुर जनपद में एग्रो के डिपो में खाद के गोलमाल की सूचना मिली है। एग्रो के असिस्टेंट सेल्स आफिसर दिनांक २५-५-७४ से फरार हैं । मामले की जांच विभाग एवं पुलिस द्वारा की जा रही है । सतर्कता विभाग को भी जांच के लिये लिखा गया है ।

*३०—श्री बाबू लाल वर्मा—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित]

बहराइच जिलों में सड़कों का निर्माण

*३१—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले में कितने कि० मी० सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जा रहा है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत बहराइच जिले में लगभग १६.५ कि० मी० लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है तथा इस वर्ष के अन्त तक कार्य पूर्ण होने की आशा है।

साधन सहकारी समितियों, सिधौली, सीतापुर को दिया गया सस्ता कपड़ा

*३२—श्री श्याम लाल रावत (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक सिधौली जनपद, सीतापुर में किन-किन साधन सहकारी समितियों को १ जनवरी, १९७४ से ३१ मई, १९७४ तक कितना-कितना सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराया गया है तथा वितरण के संबंध में क्या शासन को हाल ही में कोई शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ब्लाक सिधौली जनपद सीतापुर में १ जनवरी, १९७४ से ३१ मई, १९७४ तक किसी साधन सहकारी सामिति को सस्ता कपड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया। कपड़ा वितरण के संबंध में हाल में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

*३३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

*३४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[९वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३५—श्री चन्दन सिंह—

[पुर्नविचार पर निरस्त]

जिला सहकारी बैंक, झांसी को रिजर्व बैंक द्वारा कथित दिया गया अनुदान

*३६—श्री चन्दन सिंह (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल झांसी जिला बैंक को रिजर्व बैंक से डेड डेट (न वसूल होने वाले कर्जे) के लिये कितना अनुदान मिला और उसे झांसी जिला बैंक ने तहसीलवार किस ढंग से किस-किस कर्ज के लिये बांटा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पिछले वर्ष डेड डेट (न वसूल होने वाले कर्जे) के लिये झांसी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि०, झांसी को रिजर्व बैंक से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इसके बांटने का प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्र विकास अधिकारी, बृजमनगंज, गोरखपुर के विरुद्ध आरोप की जांच

*३७—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के वर्तमान क्षेत्र विकास अधिकारी बृजमनगंज के विरुद्ध आरोप की जांच कब-कब हुई तथा किन-किन अधिकारियों ने जांच किया ? क्या इस समय भी कोई जांच उक्त अधिकारी के विरुद्ध चल रही है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कुछ शिकायतें जो पहले प्राप्त हुई थीं उनकी जांच दिनांक १९-७-७२, ५-८-७२, १२-३-७३ तथा १४-६-७३ को अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा कराई गई ।

दो अन्य शिकायती पत्र दिनांक २५-४-७४ तथा २९-४-७४ की भी जांच अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा की जा रही है । जांच की कार्यवाही अभी चल रही है ।

भूतपूर्व कृषि अधिकारी, बरेली का निलम्बन एवं बहाली

*३८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी बरेली (श्री डी० सी० गुप्ता) को १९७२ में लगभग चार लाख रुपये के गबन में निलम्बित किया गया था और सतर्कता विभाग ने जांच में उन्हें दोषी पाया था ? यदि हां, तो किन कारणों से उन्हें बहाल कर दिया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां । जांच अभी जारी है ।

सतर्कता की आंशिक रिपोर्ट के आधार पर और जांच को कार्यवाही में विलम्ब लगने के कारण ।

जिला इटावा के ग्राम सेवकों का सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक के पद पर स्थानान्तरण एवं पदोन्नति

*३९—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

मंगलवार दिनांक २५ जून, १९७४ के अतारा० प्रश्न सं० १२ तथा १३ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नगत जो ग्राम सेवक स० भू० स० निरीक्षक के पद पर नियुक्त किये गये थे उनकी अब तक पदोन्नति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्योंकि प्रश्नगत ग्राम सेवक कृषि विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

कृषक विकास एजेन्सी रायबरेली द्वारा वितरित किया गया पावर थ्रेशर

*४०—श्री मुन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राय बरेली जिले में लघु कृषक विकास एजेंसी द्वारा ७३–७४ के वित्तीय वर्ष में किसानों को कितने पावर थ्रेसर दिलाये गये और उनका मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया गया तथा वितरण की क्या विधि अपनाई गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वित्तीय वर्ष १९७३–७४ में लघु कृषक विकास एजेंसी रायबरेली ने छोटे किसानों को २८४ पावर थ्रेसर दिलाये ।

वितरित पावर थ्रेसरों के मूल्य निर्धारण हेतु जिलाधिकारी रायबरेली ने उप निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया जिसमें विभिन्न अश्वशक्ति वाले थ्रेसरों का एक नमूना निर्धारित कर विभिन्न फर्मों से उनके रेट्स मांगे । तत्पश्चात इस समिति में विभिन्न फर्मों के थ्रेसरों के मूल्य में एकरूपता लाने हेतु अलग-अलग एक विभिन्न अश्व शक्ति वाले थ्रेसरों के लिये अलग-अलग एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया और फर्मों ने उसी मूल्य पर थ्रेसरों की सप्लाई की ।

एजेंसी ने विभिन्न विकास खंडों की मांग के अनुसार स्वीकृत फर्मों को उन्हें थ्रेसर सप्लाई करने का निर्देश दिया और खंड विकास अधिकारियों ने उन थ्रेसरों को इच्छुक छोटे किसानों को या नकद भुगतान पर, या तकाबी के रूप में, या सहकारी बैंक द्वारा दिये गये ऋण पर वितरित किया।

तुलसीपुर नोटीफाइड एरिया, गोंडा में व्याप्त भ्रष्टाचार

*४१—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री मंगरे सिंह (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि जिलाधिकारी गोंडा ने तुलसीपुर नोटीफाइड एरिया, गोंडा में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसे तत्काल जब्त किये जाने की सिफारिश राज्य सरकार को वर्ष १९७३–७४ में भेजी थी ? यदि हां, तो जिलाधिकारी की रिपोर्ट क्या है और उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां, प्रश्न विचाराधीन है ।

सहायक कृषि अभियन्ता, बस वर्कशाप द्वारा घटिया किस्म के पुर्जों की खरीद

*४२—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७४ के तीसरे मंगलवार २५–६–७४ के उत्तरित तारा० प्रश्न सं० १ नत्थी (ख) के संबंध में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, पशुपालन (फार्म्स) के बेस वर्कशाप के सहायक कृषि अभियंता द्वारा १९६९ से अब तक अधिकांशत: उत्तम मूल रचना के पार्ट्स क्रय करने का आदेश देकर घटिया देशी नकली किस्म के पुर्जों की डिलेवरी लिये जाने के संबंध में दो शिकायतें किससे और कब प्राप्त हुई और विभागीय जांच किस अधिकारी ने की तथा उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दोनों शिकायतें तत्कालीन लेखाधिकारी (प्रक्षेत्र) से दिनांक ३०–१–१९७० तथा दिनांक १८–९–१९७० को प्राप्त हुई थीं ।

पहली शिकायत की जांच भूतपूर्व सहायक निदेशक, पशुपालन प्रक्षेत्र ने की थी और उन्होंने फोरमैन मैकेनिक को दोषी ठहराया था। दूसरे मामले की जांच भूतपूर्व उप निदेशक पशुपालन प्रक्षेत्र ने की थी और जांच के बाद नियमानुसार परिवहन विभाग से सत्यापन करवा कर उसी के अनुसार भुगतान किया गया था।

*४३—श्री चन्द्र शेखर सिंह—

(९वें मंगलवार के लिये स्थगित)

*४४—श्री मुन्शी लाल तथा श्री राम पूजन पटेल—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

*४५—कुंवर श्रीपाल सिंह—

(१०वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला कृषि अधिकारी मुरादाबाद के अधीन बीज भंडारों में गोल माल

*४६—श्री देबी सिंह श्री महेन्द्र सिंह तथा श्री सुल्तान सिंह यादव (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुरादाबाद के वर्तमान कृषि अधिकारी को उपरोक्त जनपद में रहते तीन वर्ष से भी अधिक हो चुके तथा इनके कार्यकाल में लगभग २,३२,००० रु० का गोल माल विभिन्न बीज भंडारों पर हुआ है? यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वर्तमान जिला कृषि अधिकारी को मुरादाबाद जनपद में कार्य करते हुए अभी तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं। इनके कार्यकाल में ४ बीज भंडारों में अनियमिततायें प्रकाश में आई।

जिला कृषि अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है और जांच की जा रही है।

रुदौली सहकारी संघ, बाराबंकी द्वारा चालित ईंट के भट्ठे

*४७—श्री राम सेवक यादव श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) तथा श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुदौली सहकारी क्रय-बिक्रय समिति बाराबंकी में कोई ईंट भट्ठा चलाती थी, यदि हां, तो क्या उपरोक्त भट्ठे को कोयला आपूर्ति का ठेका समिति के अध्यक्ष ने अपने बेटे को ही दिया था जिसके कारण भट्ठे को भारी हानि पहुंची और इसके खिलाफ समिति के एक संचालक ने एक लिखित शिकायत की थी जिसकी जांच दिनांक २२ अक्तूबर, १९७३ को हुई? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या हुआ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

रुदौली सहकारी संघ, बाराबंकी में दो ईंट के भट्ठे चलाती थी किन्तु कोयला आपूर्ति का ठेका अध्यक्ष के बेटे को नहीं दिया गया। अतः इस कारण हानि का प्रश्न नहीं उठता। समिति के किसी संचालक से ऐसी शिकायत नहीं मिली न ही ऐसी कोई जांच करायी गयी।

जिला सहकारी बैंक, गाजीपुर के संचालक मण्डल का भंग होना

*४८—श्री राम जतन राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री ११ जून, १९७४ को विधान सभा की कार्य सूची के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के संदर्भ में बतायेंगे कि जांच के दौरान सरकार जिला सहकारी बैंक गाजीपुर

का कार्यभार पुनः संचालक मंडल को सौंपने जा रही है और क्या उस परिपेक्ष में प्रताड़ना स्वरूप गंभीर अनियमितताओं पर कार्यवाही करने के कारण ही संबंधित सहकारी उप निबन्ध को स्थानान्तरित किया गया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी नहीं ।

प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये पूर्वांचल विकास परिषद् के गठन की मांग

*४९--श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास परिषद् के स्तर पर ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले के विकास के लिये पूर्वांचल विकास परिषद् के गठन की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस परिषद् के संचालन के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि एलाट की गयी है और किन-किन कार्यों पर विशेष तौर पर बल दिया जायगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर में लाला लाजपत राय अस्पताल में श्रीमती राज कुमारी की मृत्यु

*५०--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री आशा राम यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कानपुर स्थित लाला लाजपत राय अस्पताल में राज कुमारी (श्रीमती) नामक एक महिला की गलत ढंग से खून चढ़ाने के कारण मई, १९७४ में किसी दिन मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राज मंगल पान्डेय--

कानपुर स्थित लाला लाजपत राय अस्पताल में श्रीमती राज कुमारी नामक महिला की मृत्यु दिनांक ३ मई, १९७४ को सुबह २.५५ बजे हुई थी । उनकी मृत्यु के कारण की जांच हो रही है । अतः इस संबंध में पूरी विवेचना हो जाने तक उक्त रोगी की मृत्यु के किसी भी अनुमानित कारण की पुष्टि करना संभव नहीं है । विवेचना कार्य पूरा हो जाने के बाद ही इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ।

*५१--श्री त्रिवेणी सहाय--

वक्तव्य हो जान के कारण निरस्त

कानपुर के अमर शहीद श्री सालिग राम शुक्ला के नाम से अस्पताल खोलने में विलम्ब

*५२--श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि ग्राम सीड़ी इटारा बाजार, जिला कानपुर में अमर शहीद सालिग राम शुक्ला के नाम पर सरकारी अस्पताल खोलने के आदेश १७ जनवरी, १९७४ को दिये गये थे ? यदि हां, तो उस अस्पताल को खोले जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जी नहीं । ऐसे कोई आदेश उपलब्ध नहीं हैं । अतः अस्पताल के खोले जाने में विलम्ब का, प्रश्न नहीं उठता ।

बीकापुर, फैजाबाद में महिला अस्पताल खोलने की मांग

*५३--श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के अन्तर्गत बीकापुर में जनाना अस्पताल खोलने का प्रश्न कुछ वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब से खुल रहा है और उसमें विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

फैजाबाद जनपद के अन्तर्गत बीकापुर में महिला अस्पताल खोलने का प्रश्न जून, १९७२ से विचाराधीन रहा है। परन्तु इसकी स्थापना न हो सकी। चालू वित्तीय वर्ष में मैदानी भाग में ग्रामीण एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की योजना नहीं है। इसलिए यह निश्चित नहीं है कि यहां चिकित्सालय कब स्थापित किया जा सकेगा।

हार्समैन उर्सला अस्पताल, कानपुर के डाक्टरों व कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*५४--श्री मधुकर दिघे--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर स्थित हार्समैन उर्सला अस्पताल में कितने डाक्टर, अधिकारी, फार्मेसिस्ट, नर्स व लिपिक आदि ऐसे हैं जिन्हें इसी अस्पताल में कार्य करते हुए ३ वर्ष से अधिक हो गये हैं, परन्तु उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है और इनमें से कितने ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण किया गया और बाद में रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

उर्सला हार्समैन अस्पताल में निम्न संख्यक डाक्टर व कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं--

१--डाक्टर--७

२--फार्मेसिस्ट--१२

३--नर्स--२८

४--लिपिक--५

इनमें से चार डाक्टर तथा पांच नर्सों का स्थानान्तरण के आदेश जारी किये गये थे, किन्तु बाद को प्रशासनिक हित में डाक्टरों का स्थानान्तरण तथा नर्सों का स्थानान्तरण उनकी घरेलू परिस्थितियों के कारण निरस्त कर दिया गया।

शासन की निर्धारित नीति ५ वर्ष से अधिक समय से एक स्थान पर तैनात डाक्टरों को उक्त स्थान से स्थानान्तरण करने के बारे में है।

ज्ञानपुर तहसील, वाराणसी में जच्चा-बच्चा एवं प्राइमरी हेल्थ सेन्टर की मांग

*५५--श्री राम रति बिन्द, श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के ज्ञानपुर ब्लाक के अन्तर्गत जच्चा-बच्चा केन्द्र एवं नसबन्दी केन्द्र की स्कीम विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक वह केन्द्र खुल जायेंगे ? और कहां-कहां खुलेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*५६—श्री रामरति बिन्द, श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री गिरजा शंकर पाठक—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर तहसील, जिला वाराणसी के अन्तर्गत प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने की स्कीम विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक खुल जायेंगे और कहां-कहां ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सम्प्रति इस प्रकार की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

निधौली कलां, एटा के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रयोग की गयी बिजली

*५७—श्री गंगा सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निधौली कलां, जिला एटा के चिकित्साधिकारी के निजी निवास में प्रयोग की जाने वाली बिजली के उपलक्ष में भुगतान सरकार करती है? और सरकारी धन से चिकित्साधिकारी ने अस्पताल के भवन के ऊपरी मंजिल को निजी निवास बना रखा है तथा व्यक्तिगत फ्रिज, कूलर, हीटर चलाने हेतु बिजली का प्रयोग कर भुगतान विभागीय पैसे से करते हैं? यदि हां, तो सरकार ने उसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री राज मंगल पांडेय—

निधौली कलां जिला एटा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का चिकित्सालय एक किराये के मकान में स्थित है और उसी मकान की ऊपरी मंजिल में चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी ने ८५ रु० प्रतिमाह की दर से किराये पर आवास लिया है। इस मकान में चिकित्साधिकारी के आवास गृह एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक ही सब मीटर मकान मालिक की ओर से है जिसके कारण बिजली के व्यय का भुगतान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की ओर से किया जा रहा है। मकान मालिक से कहा गया है कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्साधिकारी के आवास गृह पर अलग-अलग सब मीटर लगाने की तुरन्त व्यवस्था करें। चिकित्साधिकारी को भी यह निर्देश दे दिये गये हैं कि वे कुल व्यय का ७/१२ सरकारी कोष में जमा करें। प्राप्त सूचना के अनुसार चिकित्साधिकारी अपने उपरोक्त आवास में फ्रीज, कूलर हीटर आदि का कदाचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

मेरठ व गाजियाबाद के नगरपालिका के सेनेटरी इन्सपेक्टरों का कार्यकाल

*५८—श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ व गाजियाबाद नगरपालिका में चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर तथा कई सेनेटरी इन्सपेक्टर ३ वर्ष से अधिक समय हो जाने पर स्थानान्तरित नहीं किए गए हैं और वहां कई मास से स्वास्थ्य अधिकारी का स्थान रिक्त है? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नगरपालिका मेरठ व गाजियाबाद में कोई भी चीफ सेनेटरी इंसपेक्टर ३ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत नहीं है। नगरपालिका मेरठ में ५ तथा नगरपालिका गाजियाबाद में एक सफाई निरीक्षक तीन वर्ष से अधिक से कार्यरत है और उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगरपालिका, मेरठ तथा गाजियाबाद का पद इस समय रिक्त नहीं है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बहराइच का भवन

*५९--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह ज्ञात है कि बहराइच जनपद के भिनग क्षेत्र में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जौगढ़ के पास कोई भवन नहीं है? यदि हां, तो उस पिछड़े क्षेत्र की दशा को देखते हुए क्या वर्ष १९७४-७५ में चिकित्सालय भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी हां ।

जी नहीं, वहां भवन निर्माणार्थ कोई भूखण्ड उपलब्ध नहीं है।

*६०--श्री मुंशी लाल--

९वें मंगलवार के लिए स्थगित

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुदौली, बाराबंकी के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शिकायत

*६१--श्री राम सेवक यादव, श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री विश्राम (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत प्रा०स्वा० केन्द्र, रुदौली, के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र १९७४ में प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो चिकित्साधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें हैं और उन शिकायतों पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राजमंगल पांडेय--

जनपद बाराबंकी स्थित प्राथमिक केन्द्र, रुदौली के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध अप्रैल, १९७४ में शासन को शिकायत प्राप्त हुई जिसमें रोगियों से अनाधिकृत धन लेने, प्राइवेट प्रैक्टिस करने, रोगियों से अभद्र व्यवहार करने तथा साम्प्रदायिकता फैलाने के आरोप लगाये गये हैं जिसकी जांच कराई जा रही है।

*६२--श्री आशाराम यादव, श्री सूबेदार प्रसाद, श्री शिव सम्पतिराम तथा श्री ओम प्रकाश सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*६३--श्री राम रेखा यादव--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज, वाराणसी में छात्रों द्वारा जमा की गयी धनराशि और छात्रों को अन्य मेडिकल कालेजों में भर्ती किया जाना

*६४--श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७२ में सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज, वाराणसी में १५० छात्रों का प्रवेश १६,००० रु० प्रति छात्र डोनेशन लेकर किया गया था और दिनांक १४ नवम्बर, १९७२ को उत्तर प्रदेश अध्यादेश के फलस्वरूप कालेज बन्द हो गया तथा उन छात्रों को दूसरे कालेजों में जाना पड़ा तो क्या सरकार डोनेशन की धनराशि छात्रों को वापस लौटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इन कालेजों में १५४ छात्रों का १६--१६ हजार रुपया (७,००० रु० बतौर डोनेशन और ९,००० रु० शिक्षण शुल्क के रूप में) लेकर भर्ती किया गया था, परन्तु इनमें से

६ छात्रों नें पूरी धनराशि नहीं जमा की थी। इन सभी छात्रों को बचे धन की वापसी के लिए अधिनियम में संशोधन करने की कार्यवाही की जा रही है और उसके बाद ही धन की वापसी की जायेगी ।

*६५—श्री अवधेश कुमार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न ६४ में उल्लिखित कालेज के छात्रों को अन्य मेडिकल कालेजों में भर्ती करने के लिये परीक्षा हुई ? यदि हां, तो उक्त परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ? उत्तीर्ण छात्रों में कितने छात्र प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों में भर्ती हो गये; जो बचे उन्हें भर्ती न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार ऐसे बचे हुए छात्रों को भर्ती करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां, इस कालेज के छात्रों के लिये जून, १९७३ में एक स्पेशल पी०एम०टी० का प्रबन्ध किया गया था और उसमें ११० छात्र सफल हुए । उनमें से ५० छात्र झांसी, ४९ छात्र गोरखपुर तथा १० छात्र कानपुर मेडिकल में भर्ती किये गये है । एक छात्र को इस प्रदेश का अधिवासी न होने के कारण प्रवेश नहीं दिया जा सका । २५ छात्र उपरोक्त परीक्षा में नहीं बैठे थे और ६ छात्र केवल एक ही पर्चे में बैठे थे और फेल हो गये, इन ३१ छात्रों के लिये उस वर्ष एक दूसरे स्पेशल पी०एम०टी० की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त १३ छात्र ऐसे थे जो स्पेशल पी०एम०टी के सभी पर्चों में बैठे थे किन्तु फेल हो गये, उनको दूसरे स्पेशल पी०एम०टी० में बैठने के लिये अनुमति नहीं दी गयी है ।

सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद की इमारत की मरम्मत

*६६—श्री बिमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद की इमारत जीर्ण-शीर्ण दशा में है ? वर्षा के मौसम में पानी टपकने के कारण रोगियों के योग्य नहीं रहता हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यक धनराशि स्वीकृति करके अविलम्ब मरम्मत कराने का प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

सिविल अस्पताल फर्रुखाबाद का भवन अत्यन्त पुराना होने के कारण अच्छी दशा में नहीं है । वर्ष के मौसम में पानी टपकने के कारण बाह्य रोगियों को अवश्य असुविधा होती है । अविलम्ब मरम्मत कराने हेतु आदेश जारी कर दिये गये है ।

*६७—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

[१० वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उप-अधीक्षक, लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर का आवास गृह

*६८—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत लाला लाजपत राय चिकित्सालय में उप अधीक्षक के पद पर इस समय कौन व्यक्ति नियुक्त है, और उनकी नियुक्ति कब से है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उस उप अधीक्षक को शासन की ओर से आवास, बिजली, पानी, आदि कौन-कौन सी सुविधाये उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उनका आधार क्या है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

लालालाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर में इस समय उप अधीक्षक के पद पर श्री लक्ष्मी नारायभंडारी नियुक्त हैं और उनकी नियुक्ति दिनांक ३०-४-१९६६ से है ।

उक्त उप अधीक्षक लाला राजपत राय अस्पताल, कानपुर के कैम्पस में बने सरकारी आवास गृह में रह रहे हैं जहां पर बिजली ब पानी की भी सुविधा है । ऐसा इसलिये किया गया है ताकि अस्पताल के कम्पाउन्ड में बने हुए मकान में रहने के फलस्वरूप उनकी सेवायें शीघ्रता से वक्त बे वक्त उपलब्ध हो सकें ।

कानपुर मेडिकल कालेज के लेबोरेटरी टेक्नीशियन के वेतन में कटौती

*६९---डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल तथा श्री अवधेश कुमार---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर मेडिकल कालेज एवं सम्बन्धित चिकित्सालय में कार्यरत लेबोरेटरी टेक्नीशियन एवं सहायकों के वेतन-क्रम में दिनांक १ अप्रल, १९७२ से किन कारणों से कटौती की गई है तथा उनके रिप्रेजेन्टेशन पर अभी तक सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

चूंकि प्रश्नगत संस्थाओं के कतिपय लेबोरेटरी टेक्नीशियन एवं असिस्टेन्ट को निर्धारित वेतन-क्रम से उच्चतर वेतन क्रम भ्रमवश दे दिया गया था, अतः उनको सही वेतन-क्रम दिये जाने पर उनके वेतन से कटौती करनी पड़ी । उनके प्रत्यावेदन पर अभी विचार किया जा रहा है ।

कदौरा, जालौन के अस्पताल की इमारत का नव-निर्माण

*७०---श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कदौरा, जिला जालौन के एलोपैथिक सरकारी अस्पताल में मरीजों को क्या-क्या सुविधायें प्राप्त रही हैं, यह अब भी हैं ? और क्या इस चिकित्सालय की इमारत को बार्डों सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कब, अप्रयोगनीय घोषित कर दिया था तथा अब तक उक्त इमारत का नव निर्माण क्यों नहीं करवाया जा सका ? क्या नव-निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कदौरा, जिला जालौन में पहले अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध थी, किन्तु भवनों के अप्रयोगनीय घोषित कर दिए जाने के कारण अंतरंग चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है और केवल बहिरंग चिकित्सा सुविधा की उपलब्ध करायी जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उक्त केन्द्र के पूरे भवन को सन् १९६८ में अप्रयोगनीय घोषित कर दिया था किन्तु धनाभाव के कारण इसका नवनिर्माण नहीं कराया जा सका है ।

सम्प्रति नव-निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

महेवा विकास खण्ड, जालौन का भवन

१---श्री वीर सिंह सेंगर---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले के विकास खंड महेवा में विकास कार्यालय की इमारत किस स्थान पर बनाना स्वीकार किया गया है तथा उसके कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

क्षेत्र समिति, महेवा, जिला जालौन ने ब्लाक भवन निर्माण स्थल के प्रश्न को जिला परिषद् के चुनाव तक स्थगित कर देने का प्रस्ताव पारित किया है। अतः इमारत कब तक बन जायेगी, यह प्रश्न इस समय नहीं उठता है।

आजमगढ़ के भूमि संरक्षण, निरीक्षकों का कथित अवैतनिक अवकाश

२—श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि आजमगढ़ जिले के कुछ भूमि संरक्षण निरीक्षकों के ऐसे मामले कृषि निदेशक के पास विचाराधीन है जिनमें यह शिकायत की गई है कि उनके ड्यूटी पर उपस्थित होते हुये भी अवैतनिक अवकाश दे दिया था ? यदि हां, तो कितने मामले विचाराधीन हैं तथा उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बभन जोत विकास क्षेत्र, गोण्डा में निर्मित कूप

३—श्री दशरथ सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कष्ट करेंगे कि गोण्डा जिले के विकास क्षेत्र बभनजोत में वित्तीय वर्ष १९७१–७२ तथा १९७२–७३ में विभाग की ओर से क्रमशः कुल कितने कुएं पेय जल हेतु बनाये गये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सामुदायिक विकास विभाग की ओर से सन् १९७१–७२ में कोई कुएं नहीं बनाये गये, परन्तु सन् १९७२–७३ में ११ कुएं बनाये गये।

सहकारिता विभाग के निलम्बित अधिकारी

४—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में कौन-कौन राजपत्रित अधिकारी हैं जो १ वर्ष से अधिक समय से निलम्बित हैं और उन्हें कब-कब अभियोग-पत्र दिया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

केवल एक। निलम्बन १९ मई, १९७३ के आदेशों से हुआ। आरोप पत्र १७ मार्च, १९७४ को जारी किया गया।

५—श्री मोहम्मद असगर अहमद, श्री रामजी सिंह तथा श्री खूबचन्द—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

देवरिया जिले में कथित सहकारी बैंक खड्डा के सचिव के विरुद्ध शिकायत

६—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के सहकारी बैंक खड्डा के सचिव के खिलाफ गबन की कितनी शिकायतें तुरहा ग्राम के निवासियों द्वारा मई, १९७४ तथा जून १९७४ में (एक जून से १५ जून तक) प्राप्त हुई ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

देवरिया जिले में सहकारी बैंक खड्डा नाम का कोई बैंक नहीं है। जिला सहकारी बैंक लि० देवरिया कसिया की एक शाखा खड्डा में अवश्य है लेकिन उसमें कोई सचिव का पद नहीं है। उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध कथित अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रदेश के फल उपयोग प्रभारी अधिकारियों का टी० ए० तथा डी० ए०

७---श्री जुगल किशोर यादव (जिला बदायूं)---

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उप निदेशक फल उपयोग विभाग, लखनऊ के अन्तर्गत आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर के महानगरों में स्थित फल उपयोग के प्रभारी अप्रैल, १९७३ से आज तक कितनी बार लखनऊ सरकारी कार्य से आये कितना टी० ए०, डी० ए० क्लेम किया तथा उनके आने का उद्देश्य क्या था?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ११८४-११८५ पर)

उप निदेशक फल उद्योग विभाग, डालीगंज, लखनऊ के स्टोर में घाटा

८---श्री जुगल किशोर यादव---

क्या मुख्य मंत्रीजी बताने का कष्ट करेंगे कि उप निदेशक फल उपयोग विभाग, डालीगंज, लखनऊ के स्टोर में भारी घाटे के क्या कारण हैं और उन घाटों को दोबारा न होने देने के क्या-क्या कदम उठाये गये?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

उप निदेशक फल उपयोग विभाग के अधीन डालीगंज, लखनऊ में पुरानी फल उद्योगशाला का निष्क्रिय (डिफन्क्ट) स्टोर है जिसमें कुछ बेकार सामान रखा है। अतः घाटे का प्रश्न नहीं उठता।

९---श्री विश्राम---

[११वें गुरुवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आबकारी अधीक्षकों एवं आबकारी निरीक्षकों की पदोन्नति की आयु सीमा

१०---श्री विश्राम तथा श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक आबकारी आयुक्त के पद की प्रोन्नति अधीक्षकों एवं आबकारी निरीक्षकों से चुन कर की जाती है? यदि हां, तो क्या इस चयन हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ५० वर्ष से अधिक आयु का न हो?

श्री राजमंगल पांडेय---

जी हां। संबंधित सेवा नियमावली में, पात्रता क्षेत्र में, ५० वर्ष की आयु सीमा का प्रावधान है।

११---श्री विश्राम तथा श्री मुहम्मद असरार अहमद---

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आयु सीमा में शिथिलता लाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही चल रही है? यदि हां, तो क्यों और इससे कौन-कौन व्यक्ति लाभान्वित होंगे?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

विधान के प्रस्तावित पुनर्गठन के संदर्भ में संभावित अनेक पदों पर उपयुक्त एवं अनुभवी अधिकारियों की सेवायें उपयोग में लाने हेतु शासन आयु सीमा में शिथिलता लाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। चयन में कौन प्रोन्नति पायेंगे और आयु सीमा में विचाराधीन प्रस्तावित शिथिलता से कौन लाभान्वित होंगे, यह बताना अभी संभव नहीं है।

१२--श्री राम रेखा यादव--

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित]

१३--श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

[९वें मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला आर्गेनाइजर प्रान्तीय रक्षा दल, शाहजहांपुर द्वारा लगाये गये कैम्प

१४--श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आर्गेनाइजर प्रान्तीय रक्षा दल शाहजहांपुर द्वारा १ जनवरी, १९७३ से १५ मई, १९७४ तक किस-किस विकास क्षेत्र में कितने कैम्प लगाये गये और उनमें कितना रुपया व्यय किया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

शाहजहांपुर जनपद में प्रादेशिक विकास दल द्वारा १ जनवरी, १९७३ से १५ मई, १९७४ तक की अवधि में विकास खण्ड ददरौल, सिधौली एवं बण्डा में दो-दो कैम्प एवं विकास खण्ड कांट में एक कैम्प आयोजित किया गया। उपरोक्त समस्त शिविरों पर कुल ३,३५७.५० रु० की धनराशि व्यय की गई।

एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ की कार्यवाही पुस्तिका का गायब होना

१५--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ की कार्यवाही पुस्तिका जो सचिव के पास रहती थी गायब हो गई है ? यदि हां, तो कब और क्या इसकी रिपोर्ट लिखाई गई ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां। कार्यवाही पुस्तिका गायब होने का ज्ञान दिनांक २२-८-१९७३ को हुआ और उसी दिन थाना हुसेनगंज, लखनऊ को लिखित सूचना दी गई। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

१६--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[पुनरावृत्ति, निरस्त]

कानपुर जिले के भोगनीपुर तहसील में समतलीकरण का कार्य

१७--श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिला के अन्तर्गत तहसील भोगनीपुर में समतल योजना चल रही है ? यदि हां, तो कब से और अब तक कितना कार्य हो चुका है और कितने दिनों में कार्य पूरा हो जावेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां।

[हेमवती नन्दन बहुगुणा]

कानपुर जिले के भोगनीपुर तहसील में समतलीकरण का कार्य केन्द्र द्वारा वित्त पोषित बीहड़ सुधार की अग्रगामी परियोजना के अन्तर्गत वर्ष १९७०–७१ से प्रारम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत भोगनीपुर तहसील में १,१०० हेक्टर बीहड़ क्षेत्र को समतलीकरण द्वारा तथा ४६६ हेक्टर क्षेत्र को बनीकरण द्वारा उपचारित किया जाना था। वर्ष १९७३–७४ के अन्त तक ५५०.९७ हेक्टर क्षेत्र समतलीकरण द्वारा तथा ४४०.२० हेक्टर क्षेत्र बनीकरण द्वारा उपचारित किया गया है। चूंकि यह योजना भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित है, अतः पांचवीं आयोजनाकाल में भारत सरकार से धन प्राप्त होने पर शेष कार्य पूरा किया जा सकेगा।

१८—श्री चन्द्रशेखर सिंह—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित]

गोरखपुर की विनियमित मण्डियों को मण्डी स्थल व उप मण्डी स्थल घोषित किया जाना

१९—श्री अवधेश कुमार—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में किन-किन बाजारों को कृषि उत्पादन मंत्री अधिनियम, १९६९ के अन्तर्गत प्रिंसिपल मार्केट यार्ड या सब मार्केट यार्ड घोषित किया गया है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, १९६४ के अन्तर्गत गोरखपुर जिले की विनियमित मण्डियों के निम्नलिखित प्रधान मण्डी स्थल व उपमण्डी स्थल घोषित किये गये हैं:—

मण्डी क्षेत्र	प्रधान मण्डी स्थल	उप मण्डी स्थल
१—गोरखपुर ..	गोरखपुर	..
२—परतावल ..	परतावल	महराजगंज
३—चौरीचौरा ..	चौरीचौरा	ब्रह्मपुर
४—आनन्दनगर ..	आनन्दनगर	बृजमनगंज
५—गड़ौरा ..	गड़ौरा	१—तिचलौल
		२—सिसवां
६—राहजनवा ..	राहजनवा	खलीलाबाद
७—गौतनवा ..	गौतनवा	..

गोरखपुर जिले की मण्डी समितियों द्वारा उत्पादकों एवं क्रेताओं को दी गयी सुविधायें

२०—श्री अवधेश कुमार—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में नौतनवा, फरेंदा तथा गोरखपुर में मण्डी समितियां उत्पादकों एवं क्रेताओं को अधिनियम के अन्तर्गत क्या-क्या सुविधायें दे रही हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

गोरखपुर जिले की नौतनवा, फरेंदा (आनन्दनगर) तथा गोरखपुर मण्डी समितियां उत्पादक तथा क्रेताओं को आवश्यकता नुसारनिम्नांकित सुविधायें दे रही हैं:—

क—(१) पीने का पानी ।

(२) रोशनी ।

(३) सफाई।

ख—(१) छलनों तथा त्रिपाल की व्यवस्था।

(२) विक्रय हेतु लाये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादनों को निर्धारित रूप से विक्रय की सुविधा।

(३) सही तौल की सुविधा।

(४) अनधिकृत कटौतियों से छुटकारा।

(५) विक्रेताओं को पूरा-पूरा तत्काल भुगतान की सुविधा

गाजीपुर जनपद में गांव सभाओं द्वारा निर्मित नलकूप

२१—श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में ग्राम पंचायतों के द्वारा कितने पंचायतों क पम्पिग सेट लगाये गये हैं और उक्त पम्पिग सेटों में से कितने हैं जो सिंचाई के कार्य कर रहे हैं तथा कितने ऐसे पम्पिग सेट हैं जो सिंचाई करने से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

गाजीपुर जिले में केवल एक गांव सभा में एक डीजल पम्पिग सेट लगाया गया है। वर्ष १९६८-६९ से यह सिंचाई का कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि इसका इंजन खराब हालत में है।

इसके अतिरिक्त, अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत गाजीपुर जनपद में ७३ गांव सभाओं में नलकूप लगाने के लिये ऋण दिया गया है। इनमें से ५२ नलकूप का कार्य पूरा हो चुका है किन्तु केवल ३५ नलकूप इस समय सिंचाई करने योग्य हैं। शेष नलकूप विभिन्न कारणों, उदाहरणार्थ बिजली के बिल भुगतान न करने, लाइन कट जाने, पानी ठीक न देने, मोटर चोरी चले जाने इत्यादि, के कारण बन्द हैं।

रामनगर विकास क्षेत्र, बस्ती के ग्राम प्रधानों को दिया गया अनुदान

२२—श्री मधुकर दिघे—

क्या पंचायती राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र रामनगर, जिला बस्ती के अन्तर्गत कितने ग्राम सभापतियों ने सन् १९५२ से लेकर अब तक कितना-कितना अनुदान निर्माण कार्य हेतु प्राप्त करने के बाद कार्य नहीं किये हैं और उक्त धनराशि को सरकारी खजाने में जमा भी नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त धन की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस अवधि में तीन ग्राम प्रधानों ने निर्माण-कार्य के लिये १९६५, १९७२ तथा १९७३ में अनुदान प्राप्त किया किन्तु अभी तक कोई कार्य नहीं किया है और न प्राप्त धनराशि को लौटाया है। अनुदान की वसूली के लिये यथा संभव कार्यबाही, जैसे व्यक्तिगत संपर्क, चेतावनियां तथा नोटिस दी गई हैं। वसूली की कार्यवाही जारी है।

नगर पुलिस अधीक्षक, श्री अहमद हसन के विरुद्ध श्री शतरुद्ध प्रकाश द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, श्री शतरुद्ध प्रकाश ने दिनांक १८-७-७४ को बनारस के नगर पुलिस अधीक्षक (व्यवधान) यह विशेषाधिकार का प्रश्न है जो उस दिन मैंने कहा था।

माननीय सदस्य, श्री शतरुद्ध प्रकाश ने दिनांक १८-७-७४ को बनारस के नगर पुलिस अधीक्षक, श्री अहमद हसन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। इस सूचना के अनुसार दिनांक १७-७-७४ को जब वे विधान सभा की १८-७-७४ की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में उसी दिन यह कह कर छोड़ दिया गया कि उनसे किसी भी प्रकार की शान्ति भंग होने की आशंका नहीं है। माननीय सदस्य का कहना है, इस प्रकार वे विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित रहे।

दिनांक १७ जुलाई, १९७४ को टेलीफोन पर यह सूचना दी गयी कि श्री शतरुद्ध प्रकाश को बनारस में गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में उसी दिन लगभग एक बजे अपराह्न छोड़ दिया गया। दूसरे दिन अर्थात् १८-७-७४को जिलाधीश, बनारस तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बनारस ने यह सूचना दी कि श्री शतरुद्ध प्रकाश, सदस्य विधान सभा तथा उनके अन्य साथियों ने दिनांक १७ जुलाई, १९७४ के पूर्वाह्न में मुहल्ला कमच्छा, वाराणसी स्थित गुरुद्वारे पर उत्सव समाप्ति के बाद लौटते समय गृह मंत्री भारत सरकार की कार को रोकने का असफल प्रयास किया, अनन्तर इन लोगों ने पुलिस स्कोर्ट को भी आगे बढ़ाने में रुकावट डाली। तत्कालिक शांति भंग की आशंका के कारण श्री शतरुद्ध प्रकाश तथा उनके अन्य साथी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१ में गिरफ्तार कर थाना कैण्ट ले जाये गये और १२ बजकर ४५ मिनट पर गृह मंत्री के वाराणसी से प्रस्थान के बाद शान्ति भंग की कोई आशंका न पाते हुए नगर मजिस्ट्रेट ने इन सभी व्यक्तियों को रिहा कर दिया। इससे स्पष्ट है कि श्री शतरुद्ध प्रकाश को गिरफ्तारी फौजदारी कानून के अन्तर्गत की गयी और उनको उसी दिन रिहा भी कर दिया गया तथा तद्विषयक सूचना भी मुझे अविलम्ब दी गयी।

कौल और शकधर की पुस्तक 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' के पृष्ठ २१७ पर यह कहा गया है कि गिरफ्तारी से छूट फौजदारी अपराधों में नहीं होती और ब्रिटेन में जो स्थिति है, उसी के आधार पर भारत में रिहाई से छूट का विशेषाधिकार यहां लागू नहीं होता और न उसका दावा किया जा सकता है, जहां संसद सदस्य पर अभ्यारोप्य आरोप (इंडिक्टेबिल आफेंस) का आरोप हो। उसी पृष्ठ पर दशरथ देव के मामले में लोक सभा की विशेषाधिकार समिति के इस निर्णय का भी उल्लेख है कि फौजदारी न्याय के प्रशासन में यदि किसी संसद सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो यह गिरफ्तारी सभा के विशेषाधिकार का भंग नहीं है। हाउस आफ कामंस में भी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस (१८वें संस्करण) के पृष्ठ १०० पर किये गये उल्लेख के अनुसार गिरफ्तारी से उन्मुक्ति का विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों तक सीमित है और उसे फौजदारी न्याय अथवा आपतकालीन विधायनों के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है अर्थात् फौजदारी के मामलों में इस प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं है।

अतएव, श्री शतरुद्ध प्रकाश द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्राग्दर्शन में नहीं बनता और मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री मनीराम द्वारा मुरादाबाद के पुलिस दरोगा, श्री हाकिमराय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरा है माननीय मनीराम का। उनका कहना है कि उनके साथ एक अधिकारी ने अभद्र व्यवहार किया। माननीय सदस्य मनीराम, जिन्होंने शिकायत की है ३० जून, १९७४

की शाम को लगभग ५ बजे ग्राम चुचैला कलां में श्री हाकिम राय, थानाध्यक्ष बछरायूं, जिला मुरादाबाद ने उन्हें क्षेत्राधिकारी श्री प्रताप सिंह एवं अन्य ग्रामीण लोगों के सामने गालियां दीं और गोली लगवाने की धमकी दी और यह कहा कि "तेरे जैसे चमट्टे ३६०एम०एल०ए० देखे हैं।" माननीय सदस्य ने थानाध्यक्ष से यह अनुरोध किया है कि उन्हें थानाध्यक्ष बछरायूं जिला मुरादाबाद से अपनी जान का सख्त खतरा पैदा हो गया है। अतः उनकी जान माल की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुये उनकी इस शिकायत पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने की व्यवस्था की जाय और उससे उन्हें अवगत कराया जाय। उनका यह भी कहना है कि श्री हाकिमराय, थानाध्यक्ष बछरायूं ने विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन का अवमान किया है। इसलिये उपर्युक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जाय।

इस प्रश्न पर विचार करने के उपरान्त यदि इस कार्य से विशेषाधिकार का नहीं तो औचित्य का हनन होता है। शासन के अनेक परिपत्र भेजे जा चुके हैं कि कोई भी अधिकारी किसी माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार और अशिष्ट व्यवहार न करे। इसका मैं जवाब मंगा रहा हूं। अगर प्राग्दर्शन में बनेगा तो विशेषाधिकार समिति को इसको निर्दिष्ट कर दिया जायेगा।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मान्यवर, जो शिकायत माननीय सदस्य ने लिखी है उसमें यह भी है कि अधिकारी ने धमकी दी है।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो हम विशेषाधिकार के प्रश्न को देख रहे हैं। दूसरा अंश विधायक की हैसियत से सुरक्षा की जो याचना है (उसको योग्यता के हिसाब से देखा जायेगा) इसको मुख्य मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

यह हाकिमराय थानाध्यक्ष बेइन्तिहा बेईमान आदमी है। जो कुछ भी उन्होंने कहा है वह बिल्कुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

अभी इस मामले को यहां नहीं ले रहे हैं। अभी जवाब आने दीजिये। फिर यदि यह विशेषाधिकार समिति में जायेगा तो आप साक्ष्य भी दे सकते हैं।

कार्यवाही में शुद्धि की सूचना

श्री अध्यक्ष--

कल हमारी कार्यवाही में एक अशुद्धि रह गई थी। कल श्री प्यारेलाल के नाम श्री कमलालाल वर्मा का भ्रम हो गया था तो वह शुद्ध कर दिया गया है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

श्रीमन्, मेरा नाम कमला प्रसाद वर्मा है।

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही शुद्ध कर ली गई।

इण्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल बिना कापियां देखे घोषित करने के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय शिक्षा मंत्री का एक बयान होगा ।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

माननीय सदस्य श्री वेद प्रकाश अग्रवाल ने अपने नोटिस में यह कहा कि--

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, इसमें मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जो वक्तव्य बंटा है उसमें लिखा है कि विधान सभा के सदस्य श्री वेद प्रकाश अग्रवाल की सूचना पर नियम ५६ के अन्तर्गत शिक्षा मंत्री का वक्तव्य। नियम ५६ के अन्तर्गत वक्तव्य देने का कोई आधार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य को मैं सूचित कर दूं कि जो आप नियम ५६ की सूचना देते हैं उसको मैं वक्तव्य में परिवर्तित कर देता हूं। लेकिन अगर आप यह जहमत उठाना चाहते हैं कि फिर से नया नोटिस दें तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मुझे इस काम के करने में कोई खुशी नहीं होगी। नियम ५६ में जो सूचनायें आती हैं और उनको कार्य-स्थगन लायक मैं नहीं समझता तो मैं उसको वक्तव्य के लिये स्वीकार करके उसको ही परिवर्तित कर देता हूं।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

लेकिन कार्य संचालन नियमावली में कहीं ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

नियम में तो है क्योंकि अध्यक्ष को आपने सारी ताकत दे दी है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं उसको खारिज कर दूं और फिर आप दुबारा उसको दें तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

नियमों में जो है उसी के अनुकूल काम चलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

यह अनियमित नहीं है । ऐसा पूर्व अध्यक्ष करते आ रहे हैं । लेकिन अगर आप नियम वर्चस्व की परम्परा को ही रखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

कुंबर श्रीपाल सिंह--

मैं केवल इतना ही जानना चाहता था कि किस नियम के अन्तर्गत यह किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

५६ में न रख कर इसको वक्तव्य में परिवर्तित कर दिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, इसी तरह का प्रश्न हमने भी दिया था।

श्री अध्यक्ष--

स्वीकार तो एक ही करते हैं लेकिन नाम जोड़ देते हैं। यदि आप कहते तो आपका भी नाम जोड़ देते।

पहली व्यवस्था का प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया है। विधान सभा की दिनांक २३-७-७४ की बैठक में श्री वेद प्रकाश अग्रवाल सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य। इसमें से नियम ५६ के अन्तर्गत निकाल दिया है। इसको निकाला हुआ समझें और हमेशा के लिये ऐसा होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, नियम ५६ की जगह नियम ५१ रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

वह तो नाम जुड़ चुका है। बाद में आया होगा तो नहीं जुड़ा होगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैंने पहले ही दिया था।

श्री अध्यक्ष--

वह अस्वीकार हो गया होगा। हम तो एक ही स्वीकार करते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इससे पहले दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष--

यह हो सकता है कि जिस दिन आपने दिया हो उस दिन और कोई महत्वपूर्ण सवाल स्वीकार हुआ हो। आप कहें तो आपको निर्णय करने दिया जाय। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

निर्णय तो आपको ही करना है। लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया कब तक चलेगी। इससे पहले भी ऐसा हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ५६ में एक ही सूचना नहीं होती है। कई सूचनायें होती हैं। एक दिन की सूचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूं एक स्वीकार करता हूं, शेष को अस्वीकार करता हूं।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

माननीय सदस्य श्री वेद प्रकाश अग्रवाल ने अपनी नोटिस में यह उल्लेख किया है कि जौनपुर जिले के मुगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर इन्टरमीडिएट परीक्षा के उत्तर पुस्तकों के ६ बंडल बिना जंची पड़ी रह गईं तथा ६६७ परीक्षार्थियों के परीक्षाफल बिना उनकी कापियां देखे घोषित कर दिया गया। उससे प्रतिभावान छात्रों के साथ घोर अन्याय किया गया तथा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में इससे असन्तोष एवं उत्तेजना है।

इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा परिषद् से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि इन्टर मीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तकों के छः बंडल लखनऊ के बादशाहनगर रेलवे स्टेशन पहुंचने थे परन्तु वह बंडल अपने गन्तव्य स्थान पर न पहुंच कर त्रुटि से जौनपुर के बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर चले गये। हर प्रकार की सावधानी एवं प्रयास के बावजूद स्टेशनों के नाम में समानता के कारण कभी-कभी उत्तर पुस्तकों के बंडल गलत स्थान पर पहुंच जाते हैं। जौनपुर के बादशाहपुर स्टेशन पर जो बंडल गलती से पहुंच गये थे वे भौतिक विज्ञान द्वितीय, जीव विज्ञान प्रथम, सामान्य हिन्दी द्वितीय तथा संस्कृत तृतीय प्रश्नपत्रों के थे जिनमें कुल मिला कर 667 उत्तर

[श्री रामजी लाल सहायक]

पुस्तिकायें थीं । इस प्रकार की स्थिति को बचाने के लिये परिषद् कार्यालय द्वारा समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह आदेश दिये गये थे कि यदि उनके जिले के किसी स्टेशन पर उत्तर पुस्तकों के बंडल बिना छुड़ाये पड़े रह गये हों तो वह इसकी सूचना परिषद् कार्यालय को तत्काल दें। जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर से ऐसी कोई सूचना न मिलने से परिषद् कार्यालय को बादशाहपुर स्टेशन पर पड़े हुये इन बंडलों का ज्ञान समय से न हो सका । परन्तु जब परीक्षाफल तैयार करते समय सम्बन्धित केन्द्रों के परीक्षाफल अपूर्ण पाये गये तो छानबीन के बाद इस स्थिति का पता लग पाया और तत्काल विशेष वाहक द्वारा इन बंडलों के छुड़ाने की व्यवस्था कर दी गई ।

3--यह उल्लेखनीय है कि परिषद् की परीक्षाओं में दस लाख से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं और उनकी एक करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं को विभिन्न जिलों के परीक्षकों को भेजने एवं वहां से परिषद् कार्यालय में मंगाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इतनी बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तकों को भिजवाने-मंगाने की व्यवस्था स्वयं में एक विशद् कार्य है। फिर इस वर्ष रेल कर्मचारियों की हड़ताल तथा डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण संचार व्यवस्था काफी अस्त-व्यस्त रही तथा विभिन्न जिलों में सम्पर्क स्थापित करने में कठिनाई थी। इन सब कारणों से भी जो उत्तर पुस्तकें अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकीं थीं उनके पता लगाने में विशेष कठिनाइयां थीं। हर सम्भव प्रयत्न के बावजूद परीक्षाफल पूर्ण होने तक उक्त उत्तर पुस्तकों का पता नहीं चल सका था और सम्बन्धित परीक्षार्थियों के परीक्षाफल अपूर्ण थे। ऐसी स्थिति में परीक्षा फल अपूर्ण होने से यदि सम्बन्धित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाता तो उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता क्योंकि ये परीक्षार्थी विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की परीक्षाओं में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। यदि वे पूरक परीक्षा के योग्य होते तो वे इसका भी लाभ नहीं उठा सकते। फलतः उनका पूरा का पूरा वर्ष व्यर्थ हो जाने की संभावना रहती। परीक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुये इन परिस्थितियों में परिषद् परीक्षार्थियों को उस प्रश्नपत्र में जिसकी उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा फल तैयार होने तक नहीं मिल पाती आनुपातिक अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित कर देता है। ऐसे मामलों में विचार कर निर्णय लेने का अधिकार परिषद् ने परीक्षाफल समिति को परिषद् नियम संग्रह के अध्याय 6 (क) के विनियम दो (9) के द्वारा प्रतिनिहित किया है। इस विनियम में यह स्पष्ट प्राविधान है कि परीक्षाफल समिति ऐसे मामलों में जिनकी उत्तर पुस्तकें खो गई हैं अर्थात् किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, विचार कर निर्णय लेगी ।

4--परीक्षार्थियों को आनुपातिक अंक प्रदान करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उनके साथ कोई अन्याय न हो तथा उन्हें किसी तरह की हानि न हो। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यदि किसी परीक्षार्थी के अन्य सभी प्रश्नपत्रों के अंक उपलब्ध रहते हैं और केवल एक प्रश्न पत्र का अंक सम्बन्धित उत्तर पुस्तकों के उपलब्ध न हो पाने के कारण उपलब्ध नहीं रहता तो उसे उसी विषय के दूसरे प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक से एक से तीन अधिक आनुपातिक अंक प्रदान कर दिया जाता है। बाद में यदि उत्तर पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं और उनका मूल्यांकन कराने पर परीक्षार्थी को जो वास्तविक अंक मिलते हैं उसके अनुसार परीक्षाफल में संशोधन कर दिया जाता है। परन्तु यदि परीक्षार्थी के वास्तविक अंक दिये गये आनुपातिक अंक से कम होते हैं तो उसके परीक्षाफल में परिवर्तन नहीं किया जाता है। अर्थात् उसे जो लाभ पहिले मिल चुका है उसमें कमी नहीं की जाती परन्तु यदि वह अतिरिक्त लाभ का अधिकारी होता तो उसे यह लाभ दे दिया जाता है। इस प्रकार आनुपातिक अंक परीक्षार्थियों के सर्वथा हित में रहता है और इससे उन्हें किसी तरह की कोई हानि नहीं होती ।

5--बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर पड़ी हुई 6 बंडलों में से 2 बंडल पहले ही प्राप्त हो गये थे और सम्बन्धित 123 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करा लिया गया था। केवल 4 बंडल जिसमें 544 उत्तर पुस्तिकायें थीं उनका मूल्यांकन नहीं हो सका था और सम्बन्धित

परीक्षार्थियों को आनुपातिक अंक देकर उनके परीक्षाफल घोषित किये गये थे। इन उत्तर पुस्तिकाओं का अब मूल्यांकन कराया जा चुका है और मूल्यांकन के फलस्वरूप २५ परीक्षार्थियों को लाभ मिला तथा उनके परीक्षाफल में संशोधन कर दिया गया है। अन्य परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में कोई संशोधन नहीं किया गया क्योंकि उन्हें मूल्यांकन से कोई लाभ नहीं हो रहा था।

6--ऐसी परिस्थितियों में आनुपातिक अंक प्रदान करने की व्यवस्था पहले ही से चली आ रही है और इस वर्ष कोई नई व्यवस्था लागू नहीं की गई है। जैसा कि पहले कहा गया है कि इस व्यवस्था से परीक्षार्थियों को किसी तरह की हानि नहीं होती, अतः इससे उनमें असन्तोष अथवा उत्तेजना उत्पन्न होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस सम्बन्ध में किसी छात्र या अभिभावक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि परिषद् के कार्यालय द्वारा समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह आदेश दिए गये थे कि अगर उनके यहां के स्टेशनों पर बिना छुड़ाये बण्डल पड़े हैं तो उसकी सूचना दें। मैं जानना चाहता हूं कि जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर ने सूचना नहीं दी तो क्या मंत्री जी ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की ?

श्री रामजीलाल सहायक --

मान्यवर, इसकी जांच की जा रही है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, उसके पश्चात् ही दण्ड देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि परीक्षा पुस्तिकाओं में इस तरह की गड़बड़ी कोई नई बात इस वर्ष नहीं है, बार-बार होती है और उसका कारण उन्होंनें बताया है कि इस परीक्षा में दस लाख से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं। मैं समझता हूं कि इसका कारण उत्तर प्रदेश का बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड इस तरह का दुनिया में है, तो कार्य की कुशलता को देखते हुए परीक्षाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके और शिक्षा व्यवस्था ठीक ढंग से चलती रहे, इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस परिषद् को विकेन्द्रित करके प्रदेश में चार स्थानों पर कार्यालय उनके स्थापित करके उनको पूर्ण अधिकार देगी....(बिजली फेल हो गई...) (व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष --

माननीय सदस्य ने प्रश्न कर ही दिया है, अब माननीय शिक्षा मन्त्री कृपया उसका उत्तर दें।

श्री रामजीलाल सहायक --

इस प्रश्न पर निर्णय लिया जा चुका है.....(कई माननीय सदस्य एक साथ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिए।)

श्री अध्यक्ष --

माननीय शिक्षा मन्त्री अभी जवाब न दें, जितने प्रश्न आयेंगे उन सबका आखिर में जवाब देंगे। हम आगे चलते हैं और जो काम इस समय हो सकता है वह किया जायगा। (व्यवधान).....(सरकार का चिराग गुल है।)

(बिजली के आ जाने पर)

श्री रामजीलाल सहायक --

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह उचित है इससे पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका था कि हम माध्यमिक शिक्षा परिषद् को चार हिस्सों में बांटेंगे, किन्तु आर्थिक

[श्री रामजीलाल सहायक]

संसोधनों के कारण वह कार्य नहीं हो पाया, किन्तु फिर भी दो हिस्सों में तो बांटा जा चुका है, एक इलाहाबाद में और एक मेरठ में। मान्यता देने का अधिकार भी मेरठ को मिल गया है और अधिकार भी उनको शीघ्र ही मिलेंगे।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने अपने बयान में कहा है कि "परन्तु जब परीक्षाफल तैयार करते समय सम्बन्धित केन्द्रों के परीक्षाफल अपूर्ण पाये गये तो छानबीन के बाद इस स्थिति का पता लग पाया।" । तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी तिथि थी जब पता लगा ? फिर आगे उन्होंने कहा है कि "हर सम्भव प्रयत्न किए गए" और तो वह कौन से प्रयत्न किये गये ? क्योंकि उन्होंने स्टेशनों के नामों के फेरबदल का जिक्र किया है कि नामों के एक से होने के कारण लखनऊ की कापियां जौनपुर में पहुंच गयीं, तो क्या कार्यवाही हुई ? क्या जिन लोगों की कापियां जाती हैं उनको भी सूचना जाती है तो वह सूचना उनको मिल गयी थी और क्या उनकी तरफ से सरकार को सूचना मिल गयी थी कि उनको कापियां नहीं मिलीं और अगर मिल गयी थीं तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है तो उसके लिए निवेदन है कि चार बार बेतार से सूचनाएं भेजी गयीं कि जिन जिलों में कापियां पड़ी हों वे कृपया सूचना दे दें, यह कार्यवाही हुई जो बंडल पड़े थे उनके सम्बन्ध में और दूसरा जो आपने पूछा कि जो असावधानी हुई उसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ? उनके बारे में पूछा जा रहा है और जहां पर भी असावधानी पायी जायगी उनका पता होते ही उनको सजा दी जायगी।

श्री राम सेवक यादव—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कार्यवाही कब शुरू हुई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जो परीक्षक थे, उन्होंने लिखा कि मुझे पुस्तकें नहीं मिली हैं तभी यह कार्यवाही शुरू हुई।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने यह बताया कि यह गड़बड़ी हुई। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह गड़बड़ी क्यों हुई ? रेलवे हड़ताल की वजह से या समय से सूचना नहीं मिली इसलिए गड़बड़ी हो गई। आपने यह बताया कि दो बंडल मिल गये, ४ बंडल बाद में मिले, ४ बंडल पता नहीं अलमोड़ा में पड़े हुए थे। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वास्तविकता क्या है, स्थिति क्या है ? सही स्थिति सदन के सामने रखेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, समान नामों की वजह से यह गड़बड़ी हो जाती है। रामपुर हमारे जिले में भी है और रामपुर जिला भी है, कश्मीर में भी है और श्रीनगर में भी रामपुर है। २७ तारीख को वह बंडल भेजे गये और २८ को वहां पर पहुंचे और ४ बंडल २९ तारीख को आया। इसलिए उनकी परीक्षा नहीं हो सकी, जांच नहीं हो सकी। ऐसी परिस्थितियों में आनुपातिक अंक प्रदान कर दिये गये।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह तो पूरे प्रदेश का सवाल है।

इण्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल बिना कापियां देखे घोषित करने के सम्बन्ध में १०९९ वक्तव्य

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, आपने तो यह कह दिया कि हम शिक्षा परिषद् का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं और उसको ४ क्षेत्रों में बांट देंगे। तो मैं निश्चित रूप से यह जानना चाहता हूंकि यह जो आप विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं और ४ क्षेत्रों में करने जा रहे हैं परीक्षाओं का तो यह उनकी योजना कार्यान्वित कब तक हो जायेगी? निश्चित अवधि बता दें?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो इसका जवाब दे दिया।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बड़ा अहम मसला है, नीति सम्बन्धी मसला है। तो यह कार्यान्वित कब तक कर देंगे, कम से कम स्पष्ट हो जाय?

श्री रामजी लाल सहायक—

यह तो हमारे संसाधनों पर निर्भर है। लेकिन यह समझिए कि इनका विकेन्द्रीकरण तो होगा ही, लेकिन निश्चित समय नहीं बता सकते।

मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों पर गड़बड़ी हो रही है मेरी जानकारी है कि और भी बहुत सी जगहों पर इस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, आप ऐसे प्रश्न को टाल दिया करते हैं। प्रदेश में कहां-कहां पर ऐसी गड़-बड़ियां हो रही हैं?

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं एक नई चीज उठाना चाहता हूं जो इम्तहान के सम्बन्ध में है। मान्यवर, यह परम्परा है पूरे प्रदेश की कि जब इम्तहान हाई स्कूल, इण्टरमीडियेट के खत्म हुआ करते हैं और कापियां परीक्षक की तरफ चलती हैं तो ज्यादातर लोग, लड़के या उनके अभिभावक नम्बर बढ़वाने के लिये चलते हैं। मुझे हैरत है कि कुछ कापियां ऐसे बच गयी हैं जिनका लोग पता नहीं लगा पाये। जो सरकार और जो माध्यमिक बोर्ड है, उसकी एक गलती हुई उस गलती में जो विद्यार्थी फेल हुए थे चाहे वे फेल होने वाले थे, आपने अपनी गलती से उन लड़कों को पास कर दिया। तो जो विद्यार्थी सिर्फ १ पर्चे में फेल हुए हों और दूसरे में उसी विषय में पास हुए हों तो क्या उसी आधार पर अगर वे मांग करेंगे तो उनको भी पास घोषित करेंगे? दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि माध्यमिक बोर्ड के 4 जगहों पर बंटवारे से भी समस्या का हल होने वाला नहीं है। असल में जो परीक्षा की पद्धति है, बुनियादी तौर से वह पद्धति ही खराब है। साल भर में एक बार 3 घंटे में परीक्षा हो जाती है। यह जो पद्धति है क्या आप उसको बदलने की बात सोच रहे हैं?

श्री रामजी लाल सहायक—

परीक्षा पद्धति क्या हो, इस पर विचार चल रहा है और संभव है कुछ दिनों में इस बात को साधिकार बता सकूं। माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न उठाया कि आनुपातिक अंक किस प्रकार से दिए जाते हैं, मेरा निवेदन है कि छात्र को पहले प्रश्न पत्र में जो अंक मिलते हैं तो जो अंक उसे उस प्रश्न पत्र में मिले हों शून्य से १५ अंक ३ अंक दिए जाते हैं, १६ से २० तक में २ अंक और २१ से ऊपर एक अंक। तो इसलिए अगर एक छात्र एक प्रश्न पत्र में फेल है तो उनको जोड़कर पास फेल होगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

जब इस सरकार ने प्रदेश में शिक्षा का बंडल ही गोल कर रखा है तो प्रश्न पत्रों का बंडल इस सरकार को कैसे मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं शिक्षा मन्त्री जी से कि जिला विद्यालय निरीक्षक को आपने कब आदेश भेजे, उन्हें कब मिले। आखिर में मंत्री जी अपने वक्तव्य में स्वीकार करते हैं कि 6 में से 2 बंडल मिल गये। इस रिपोर्ट को पढ़ने से तो यह मालूम होता है कि इसमें जान-बूझ कर गड़बड़ी की गयी है। मैं पुनः शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि किस दिन आपने सूचना भेजी, जिला विद्यालय निरीक्षक को कब सूचना मिली और अगर उनको सूचना मिली तो कब आपको उनसे सूचना मिली। मेरी प्रार्थना है कि आप माननीय शिक्षा मन्त्री जी से आग्रह करें और कहें कि आपकी शिक्षा नीति फेल हो चुकी है। आपने शिक्षा के मामले को गड्ढे में डाल दिया है। एक माह से स्कूल कालेज बन्द कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप इसको व्यापक बना रहे हैं। (व्यवधान)

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्रम मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये, उक्त समिति के विधान नियम १२ (ख) (आ) के अनुसार चार व्यक्तियों का निर्वाचन करें। (अत्यधिक शोर)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से तीन सूचनाएं जानना चाहता हूं। इनसे सब स्थिति स्पष्ट हो जायगी। एक तो यह है कि कब सूचना विद्यालय निरीक्षकों को गयी, उन्हें कब प्राप्त हुई, और उन्होंने कब इन्हें सूचित किया ?

श्री अध्यक्ष--

इससे प्रभावित कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। उन्होंने पूरा मामला कह दिया है। मूल्यांकन के बारे में भी बता दिया है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, इनका कहना है कि २ बंडल मिले हैं, ४ नहीं मिले हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इसका भी इन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

श्रीमन्, ऐसे महत्वपूर्ण मसलों पर भी आप हमें सवाल नहीं करने देते हैं। इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शिव कुमार पांडेय सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य सदन छोड़कर चले गये, उनका इस तरह से जाना सदन का अवमान होता है। उनके नेता को मैं यह बताना चाहता हूं कि वे सदन में बार-बार खड़े होते हैं और

अवरोध पैदा करते हैं, और चूंकि वे बार-बार बोलते हैं इसलिए मेरी निगाह उन पर नहीं जाती है ।

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी में कार्य करने के लिये, उक्त समिति के विधान नियम १२ (ख) (आ) के अनुसार चार व्यक्तियों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

जब समितियों के चुनाव होंगे उसी के साथ यह चुनाव भी निष्पन्न कर लिया जायगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

विपक्ष की संख्या ज्यादा मालूम हो रही है इसमें ।

श्री अध्यक्ष--

आप चाहते हैं कि निर्वाचन न हो ? (हंसी)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

माननीय लक्ष्मी प्रसाद वर्मा और माननीय जमुना प्रसाद बोस ने जो रखा है तो इस सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल ने स्पष्टीकरण मांगा था और कल माननीय मुख्य मन्त्री ने स्पष्टीकरण दिया है, तो बार-बार जो पूछते हैं यह अस्वीकार है ।

(व्यवधान)

कल माननीय सदस्य यहां थे और जबरन गेहूं वसूली के बारे में माननीय नेता विरोधी दल के आग्रह पर मुख्य मन्त्री जी ने प्रकाश डाला ही है और पूरी बात बता दी.... इस तरह से नहीं....यह अस्वीकार है ।

और मैंदे के अभाव के सम्बन्ध में भी अस्वीकार है ।

माननीय पुरुषोत्तम कौशिक और माननीय बांकेलाल और माननीय कृपा शंकर आर्य ने जो बी० टी० सी० परीक्षा के बारे में दिया है.....यह भी अस्वीकार है ।

माननीय मुहम्मद असरार अहमद, माननीय अब्दुल रऊफ लारी और माननीय हर प्रसाद सिंह ने आगरे के बदनपुर करघा गांव में रात में सोते हुए पांच नवयुवकों की हत्या के सम्बन्ध में दिया है, इसको केवल वक्तव्य के लिये मैंने स्वीकार किया है । वही स्वीकार है....शेष अस्वीकार है ।..... (व्यवधान और शोर)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ व्यवधान करने पर)

खाद्य एवं रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि वसूली के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई वक्तव्य यहां दिया जाय और उस पर चर्चा हो, तो आप उसकी इजाजत दे दें । इससे सरकार को लाभ ही होगा और जनता को भी लाभ होगा, आप इसकी आज्ञा दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

अगर सरकार ऐसा समझती है कि यह इतना महत्वपूर्ण है तो मैं इस पर कार्य-स्थगन स्वीकार करने जा रहा हूं, लेकिन....

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, जब मन्त्री जी को स्वीकार है तो आप इसे स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि कल इस सवाल को माननीय नेता विरोधी दल ने मेरे कक्ष में उठाया था और यह कहा था कि वे इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं, जबरिया वसूली गेहूं की हो रही है । मैंने माननीय नेता, विरोधी दल को प्रश्न उठाने की अनुमति दी और फिर गेहूं की वसूली के सम्बन्ध में सारे प्रश्नों का निबटारा करते हुए और सदन को भी, मैं समझता हूं, आश्वस्त करते हुए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपना बयान दिया । उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई मुझ से शिकायत करेगा तो मैं उस पर आवश्यक कार्यवाही भी करूंगा। फिर खाद्य की वसूली के सम्बन्ध में २ घंटा की चर्चा के लिए मैं इजाजत दे चुका हूं । अब इस वसूली के बारे में कोई दूसरी नीति माननीय मन्त्री जी रखना चाहती हों तो मैं इजाजत दे सकता हूं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, आपने स्थिति स्पष्ट कर दी । २ घंटे की चर्चा जो आपने स्वीकार की है, उसे हम स्वीकार करते हैं । चूंकि माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं इसलिए मैंने यह बात कही ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है ? जो भी कार्यवाही होगी वह नियमावली के अनुसार होगी । श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के कार्य-स्थगन प्रस्ताव को आपने स्वीकार कर लिया । नियम ५८ में लिखा है कि प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः विचार नहीं हो सकता, जिस पर उस सत्र में विचार हो चुका हो ।

श्री अध्यक्ष---

आप मेरे द्वारा दी गयी व्यवस्था के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं । मेरे निर्णय पर अभूतपूर्व व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं । आप आसन ग्रहण करें ।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, अभी आपने २ घंटे की चर्चा की इजाजत दी है । मान्यवर, अभी एक प्रश्न उठा और यह काफी दिनों से चल रहा है कि जो बेकरी हैं जो डबलरोटी बनाने वाली हैं उनको मैदा नहीं मिल रहा है । उनका सारा काम-काज ठप पड़ा है । मान्यवर, इसको भी आप उसी चर्चा के साथ जोड़ लें ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो मैं स्वीकार कर रहा हूं । माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने भी एक निवेदन किया । इस पर मैंने २ घंटे का समय दिया है उसमें इस समस्या पर चर्चा कर लीजियेगा ।

(कई सदस्यों के बोलने से शोर)

एक सदस्य---

मान्यवर, मैदा नहीं मिल रहा है ।

(व्यवधान)

मंहगाई बढ़ती जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अभी मैंने इस पर चर्चा करने का अवसर दिया है । आप बराबर मैदा नहीं है, मंहगाई है, इसको उठा रहे हैं । मैंने समय दिया है तो आपको इस पर अब आपत्ति क्या है ?

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, नहर के पानी की वजह से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए । (व्यवधान)

श्री हरि केवल (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, गंडक नहर में पानी छोड़ दिया गया है, वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कहीं उनके लिये न तो नाव है और न कुछ सहायता है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आधी रात को खांसी आवे, सांझ से मुंह बावे । इसको नियम ५१ के अन्तर्गत रखियेगा । (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

१९७४-७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या ४८---कृषि, अनुदान संख्या ४९---भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५७---क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ५९-पशुपालन, अनुदान संख्या ५१---मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ८०-पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजी परिव्यय, अनुदान संख्या ९३-ऋण तथा अग्रिम---कृषि तथा अनुदान संख्या ७७---कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)†

श्री महाबीर प्रसाद (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, कल मैंने कहा था कि कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था का मेरुदण्ड है जो आधारित है उत्तम बीज, उत्तम खाद तथा सिंचाई के उत्तम साधन एवं उत्तम भूमि व्यवस्था पर। मान्यवर, मेरे विचार से किसी भी बजट का अध्ययन भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है । मान्यवर, इसीलिए तृतीय चतुर्थ एवं पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के उत्पादनों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है ।

मान्यवर, जैसा कि कल मैंने कहा था कि तृतीय पंच वर्षीय योजना का उत्पादन ६७८.९० लाख टन था जिसका वार्षिक औसत १३५.७८ लाख टन था । जो बढ़कर चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में उत्पादन ८८४.८६ लाख टन हो गया था। जिसका वार्षिक औसत १७६.९७ लाख टन हो गया था। इसी प्रकार से कृषि योग्य भूमि तृतीय पंच वर्षीय योजना में २२४ लाख हेक्टेयर थी जो बढ़कर चतर्थ पंच वर्षीय योजना में २३२ लाख हेक्टेयर हो गयी ।

मान्यवर, इसी प्रकार से बहुफसली क्षेत्रफल २८ प्रतिशत से बढ़कर ३४ प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भूमि संरक्षण के अन्तर्गत मान्यवर, ६.८२ लाख हेक्टेयर भूमि का कार्यक्रम रखा गया था जो कि अन्त में ११.३९ लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की प्राप्ति हो गई । बहु फसली योजना के अन्तर्गत जो केन्द्रीय सरकार ने चलाया है

---

† २२ जुलाई, १९७४ की कार्यवाही से ।

[श्री महावीर प्रसाद]

उसमें १९७३–७४ में हमारे प्रदेश के ६ जिले लिए गए थे । हम चाहते हैं कि इनमें इन्टेन्सिव खेती की जाय । इसी आधार पर जापान में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है जबकि वह एक छोटा सा देश है । वहां वर्ष में कम से कम ३–४ फसलें उगाई जाती हैं । ये जिले हैं अलीगढ़, बदायूं, गोण्डा, रायबरेली, इलाहाबाद और देवरिया ।

मान्यवर, ये जिले बहु फसली योजना के अन्तर्गत परीक्षण के लिए लिये गये हैं । अब पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९७४–७५ में हमारा लक्ष्य क्या है ? तो मान्यवर, इसमें २१०.३० लाख टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसी से सम्बन्धित २३८.१० लाख हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए प्रस्तावित है । साथ ही साथ बहु फसली योजना के अन्तर्गत १९७४–७५ में ५.२० लाख हेक्टेयर भूमि बहु फसली खेती के लिये प्रस्तावित है । कृषि रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत १३०.०० लाख हेक्टेयर भूमि की व्यवस्था की गई है । भूमि संरक्षण से १.०९ लाख हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त कृषि के योग्य बनाने की व्यवस्था की गई है । इसके साथ ही साथ मान्यवर, हम देखते हैं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो प्रस्तावित बजट सदन के पटल पर रखा है उसमें ऊसर, बीहड़ आदि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये 10 लाख रु० की व्यवस्था की है ।

इसी के साथ ही साथ गत वर्ष जो इस विषय पर बजट में चर्चा हुई थी कि ४८.८९ करोड़ रुपया रक्खा गया था, वह इस वर्ष बजट में ५५.२६ करोड़ रुपया प्रस्तावित है। सदन को मालूम है कि इस वैज्ञानिक युग में कृषि भी टेकनिकल विषय हो गया है । इसलिए जानकारी प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार ने अनेक उपाय किये हैं । इसी सम्बन्ध में मान्यवर, फैजाबाद में कृषि विश्वविद्यालय प्रस्तावित किया गया है । कानपुर में वैज्ञानिक संस्थान को कृषि विश्वविद्यालय का रूप देने का प्रस्ताव है । इसी तरह पन्त नगर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पर्वतीय क्षेत्र में कालेज स्थापित करने का प्राविधान किया गया है । डाक्टर के० एन० राज कमेटी की केन्द्रीय सरकार ने नियुक्ति की है जिससे उत्तर प्रदेश में भूमि व्यवस्था ठीक करके पैदावार बढ़ाई जा सके ।

मान्यवर, इसी प्रकार मैं देखता हूं कि कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं । मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जहां बांसगांव से निर्वाचित होकर आता हूं वह गोरखपुर का पूरा पिछड़ा हुआ इलाका है । वहां पर ऊसर भूमि बहुत है । मैं १७ जुलाई का स्वतन्त्र भारत पढ़ रहा था तो पढ़ा कि हरदोई जिले में ४०० हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाया जा रहा है । यह योजना श्री धर्मगज, एम० पी० के आवेदन के जवाब में ली गई है । इसके लिए ७६.९७ लाख रुपया मंजूर किया गया है । इस पर करीब १६० परिवार बसाये जायेंगे और प्रत्येक को ५, ५ हजार रुपया दिया जावेगा ।

मान्यवर, इसी आधार पर मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपर जिले में भी कोई ऐसी व्यवस्था करें । यह पिछड़ा हुआ जिला है और वहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वह इस प्रकार की योजना बना सकते हैं । इसी के साथ-साथ वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायं । कृषि हमारी अर्थ व्यवस्था में मेरुदण्ड है । उत्तम बीज, खाद और सिंचाई की समुचित व्यवस्था से पैदावार बढ़ सकती है । इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले के लिये इन चीजों के लिए विशेष प्रबन्ध किया जाय । मुझे मालूम है कि प्रशासन के सामने कठिनाइयां हैं लेकिन उसी के अन्दर हमें काम करना है । मान्यवर, इस सिलसिले में मुझे एक उर्दू शेअर याद आता है :

"मुश्किल कहती है कुछ काम न कर, मंजिल कहती है तू आराम न कर ।
उठ दुनियां मुंतजिर है कुछ काम कर, यदि ख्वाहिशे आराम है तो
कब्र में आराम कर ।"

इन शब्दों के साथ मैं कृषि के बजट का समर्थन करता हूं ।

(इस समय १ बजे अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए ।)

श्री अधिष्ठाता--

बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। मैं समझता हूं उचित यह होगा कि ८-८ मिनट का समय प्रत्येक सदस्य को दिया जाये।

श्री जुगुल किशोर यादव (जिला बदायूं)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कृषि तथा पशुपालन विभाग के सम्बन्ध में जो अनुदान पेश है उस पर कल से बहस चल रही है। कल मुख्य मन्त्री जी ने कृषि को एक महान् उद्योग बताया। वह बात सही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की जलवायु कृषि की दृष्टि से और देशों के मुकाबिले में बहुत अच्छी है। लेकिन खेती की हालत दिनों दिन गिरती जा रही है। इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने २७ सालों में कोई उपाय नहीं सोचा। आज देश भर में खाद्य समस्या फैली हुयी है। भुखमरी फैली हुयी है। यह सारा वातावरण कृषि की तनुज्जली की वजह से है। अगर सरकार इस तरफ पहले से ध्यान देती तो यह समस्या न होती। खेती की तरफ ध्यान न देने का एक कारण यह भी रहा कि हमारे लीडर लोग हवाई प्लान की ओर चले गये और खेती के लिए सोचा कि किसी वैज्ञानिक अनुसंधान की जरूरत नहीं है, हल, बैल, ट्रैक्टर काफी है। जब कृषि की पैदावार घटी तो सन् ६७ में सरकार का ध्यान इस तरफ गया और बाद में फिर ध्यान हटा लिया। इसका नतीजा यह है कि खाद्यान्न समस्या बिगड़ी हुई है। प्रधान मन्त्री ने भी इस तरह के भाषण दिये हैं कि किसानों को वैज्ञानिक साधन से खेती करना बतलाया जाय।

मान्यवर, कृषि के लिए तीन मोटी बातें आवश्यक हैं--खाद, बीज और पानी। अच्छा बीज हो, उसके हिसाब से खाद मिले और सिंचाई के लिये पानी मिले। आज क्या हालत है? आज हालत यह है कि बिजली भी टाइम से नहीं मिलती। जो बिजली है भी वह कारखानों और शहरों को दे दी जाती है जबकि कृषि की समस्या मुख्य है। हालत यह है कि ट्यूववैल्स वक्त से नहीं चलते, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। बीज के बारे में यह है कि पिछले तो जो रिसर्च की संस्थाएं थीं उन्होंने अच्छे बीज दिये थे लेकिन बाद में कृषि विभाग ने ठेकेदारों और व्यापारियों से साठगांठ करके अपने बोरे सील लगाकर दे दिये और इस तरह से खराब बीज आने लगा। मैंने यह देखा है कि सरकार की जो स्कीम होती हैं जैसे परिवार नियोजन, अल्प बचत योजना इन पर सरकारी मशीनरी जोर से ध्यान देती हैं लेकिन जिस समय काश्तकार का काम आकर पड़ता है तो लापरवाही दिखाई जाती है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पिछली फसलों में खाद की बड़ी अव्यवस्था रही है। मेरे बदायूं जिले में जो हालत रही उसकी दो चार मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछली रबी की फसल में आपकी ज्यादातर डीलरशिप एग्रो की रही। एग्रो वालों ने क्या किया? ब्लाक में बी० डी० ओ० से साठगांठ की और दूसरे लोगों को खाद उठा दी। परमिटों को डिसआनर किया। जब चीख-पुकार हुई तो जिलाधिकारी ने एक मीटिंग में कहा कि आफिसर्स जब चोरबाजारी को रोक नहीं सके, तो पब्लिक रोके। अतः मैंने ७-८ नवम्बर, १९७३ को एक २०० कट्टे यूरिया खाद का एक ट्रक आधी रात को पकड़ा। इसके बाद तहसीलदार के पास गये। वह नहीं थे, तब नायब तहसीलदार को लिखकर दिया। नायब तहसीलदार थानेदार को लेकर

[श्री जुगुल किशोर यादव]

मौके पर पहुंचे और ट्रक पकड़ा। फिर सांठगांठ होती है और ट्रक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद मैंने कम्प्लेन्ट जिलाधिकारी से की कि नायब तहसीलदार ने रिश्वत लेकर ट्रक छोड़ा है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर को इनक्वायरी के लिए दिया। उन्होंने तहसीलदार को चार्जशीट दी। नायब तहसीलदार को जवाब देने का मौका दिया गया। यह पाया गया कि नायब तहसीलदार फंस रहा है। लेकिन उसको केवल बैड इन्ट्री देकर छोड़ दिया। इसी तरह से दिसम्बर, ७३ में एक ट्रक खाद डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिस के माध्यम से ब्लाक रजपुरा को दिया गया। स्टोर में इन्ट्री होती है लेकिन स्टोर तक नहीं पहुंचती।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री जुगुल किशोर यादव--

मान्यवर, गेहूं की वसूली चल रही है। मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। दो/एक जगह मान्यवर, और खाद पकड़ी गयी। डी० एम० से कहा कि जंगल में मकान बना है जिसमें काफी खाद और गेहूं है। लेकिन खाद नहीं पकड़ी गई और बाद में पास कर दी गई। एक एम० आई० ने खाद पकड़ा। मान्यवर, गेहूं तो वसूल किया जा रहा है लेकिन काश्तकार की सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब तक कृषि की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जायेगा, कृषि की तरक्की नहीं हो सकती।

श्री निर्भय नरायन सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने कृषि के बजट पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत कृषि बजट के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश और देश के लिए आवश्यक है कि कृषि पर से जनसंख्या का भार हटाया जाय और कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाय। दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश में स्थिति विपरीत है। वर्तमान समय में आबादी का ७५ प्रतिशत भाग हमारे प्रदेश में कृषि पर अवलम्बित है। साथ ही कृषि से जो उत्पादन होता है वह ६६ प्रतिशत है। प्रगति का पैमाना जो है, उसके हिसाब से ५० प्रतिशत से कम भार खेती पर होता है और ज्यादा भार उद्योग पर होता है। यह भी दुर्भाग्य है कि हम खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हो पाये। इस दिशा में जो यह संशोधित बजट कृषि का प्रस्तुत किया गया है, वह इस समय अभाव और कठिनाइयों के बीच एक सराहनीय बजट है और उसमें जो उपलब्धियां हैं, उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, कृषि और खाद्यान्नों के मामले में इस प्रदेश ने काफी उन्नति की है और पूरे देश के औसत से हमारे प्रदेश का औसत (भुट्टे और कपास को छोड़कर) काफी आगे है। जहां तक हमारे शोध तथा अनुसंधान की बात है पन्तनगर विश्वविद्यालय देश में बहुत अग्रगणीय कृषि के मामले में है और बहुत ज्यादा सहायता वह दे रहा है लेकिन आवश्यकताओं के अनुरूप उसकी क्षमता न होने के कारण हमको और भी विश्वविद्यालय चाहिए। विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमको इसकी सख्त आवश्यकता है। सीलिंग से बची हुयी भूमि देवरिया तथा गोरखपुर में आसानी से उपलब्ध हो सकती है, उस सीलिंग से जो भूमि मिले उसमें पन्तनगर विश्वविद्यालय की तरह दूसरा कृषि विश्वविद्यालय खोला जाय। जहां तक कानपुर कृषि विश्वविद्यालय का सवाल है वह अच्छा काम कम रहा है लेकिन मेरा सुझाव है कि अच्छा काम करने के लिये उसे कृषि निदेशालय से अलग रख कर शोध तथा अनुसंधान काम में लगाया जाय और उसके लिए टार्गेट फिक्स किया जाय। इस योजना के अन्तर्गत पूरे भारत का लक्ष्य ५वीं पंचवर्षीय योजना में १४० मिलियन टन निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये पूरा प्रयत्न किया गया है इस बजट में लेकिन हमको

१९७४-७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ११०७ ४४--कृषि, अनुदान संख्या ४६--भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ४७-क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ४९--पशुपालन, अनुदान संख्या ५१--मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ८०---पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजी परिव्यय, अनुदान संख्या ९३--ऋण तथा अग्रिम-कृषि तथा अनुदान संख्या---७७ कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सावधान रहना होगा क्योंकि चौथी पंच वर्षीय योजना में हम उसके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके और प्राप्त न होने का कारण बिजली, पानी, खाद तथा आर्थिक सहायता की कमी है। दुर्भाग्य की बात है कि बिजली जो हमारे देश व प्रदेश में उपलब्ध है उसकी रेश्यो में अन्तर है। देश में प्रति व्यक्ति जहां बिजली ४७.८० किलोवाट प्रति व्यक्ति उपलब्ध है वहां प्रदेश में वह २४.२० किलोवाट ही है। जहां तक बिजली की एफिशियेंसी का सवाल है वह सर्व विदित है कि हमारे ट्यूबवेल्स पर चाहे वे राजकीय हों अथवा प्राइवेट उनको बहुत कम बिजली दी गई है बमुकाबले इंडस्ट्रीज के और उसका रेट भी इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

मैं मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसानों के हित में वह पुनर्विचार करें। कृषि को पानी के अलावा सूखे तथा बाढ़ ने अलग से तबाह किया है और सिंचाई की योजनायें दो तीन साल पीछे पिछड़ गयी हैं और उनके डिले होने से कृषि में हम पिछड़ रहे हैं। जहां तक बोयी हुयी फसल का एरिया है केवल ६० प्रतिशत में हम पानी दे पा रहे हैं और वह भी एक ही पानी जबकि अच्छे किस्म के गेहूं को बोने के लिये ७, ८ पानी की आवश्यकता होती है। शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

तीसरी चीज खाद है। खाद का वितरण अनेक एजेंसियों से न किया जाय। एग्री-कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से ही किया जाय तो किसानों को ज्यादा फायदा होगा। खास कर एग्रो से वितरण न कराया जाय। इससे भी किसानों का बड़ा हित होगा। इस प्रकार खाद, पानी तथा बिजली की समुचित व्यवस्था से उम्मीद है कि हम अपने लक्ष्य को एचीव कर सकेंगे और इन सब चीजों के अभाव से हमारी यह दुर्दशा हुई है। इसके अलावा सारे देश में कृषि का उत्पादन व्यय जहां १६.१ रुपया है वहां हमारे प्रदेश में १९.२ रुपया हो गया है और इस प्रकार आर्थिक व्यय भी बढ़ता जा रहा है।

बीज और शोध कार्य में पन्तनगर ने काफी अच्छा काम किया है। मैं पहले कह चुका हूं कि कानपुर और पंतनगर के अलावा गोरखपुर अथवा देवरिया में एक कृषि विश्वविद्यालय और खोलने की आवश्यकता है। हमारे यहां धान अनुसंधान की भी काफी गुंजायश है। इसके लिए फैजाबाद में एक फार्म है लेकिन वह हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश धान ग्रोइंग एरिया है। लेकिन वहां कोई शोध कार्य नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर अथवा बलिया में धान के लिये अलग से अनुसंधान फार्म कायम किया जाय।

मान्यवर, आलू के विषय में कहना चाहता हूं। हमारी प्रधान मन्त्री ने भी इस विषय पर काफी जोर दिया है और कहा है कि हमें दैनिक खाद्यानों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए.....(लाल बत्ती होने पर)। मान्यवर, मुझे सिर्फ ५ मिनट का समय और दें। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि हमने आलू के क्षेत्र में काफी प्रगति की है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके रख-रखाव आदि के लिये कोल्ड स्टोरेजेज की समुचित और पूर्ण व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां कुल ५० शीत-गृह हैं जो कि आज की हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए कम हैं। इनकी क्षमता बहुत कम है। अपने उत्पादन को देखते हुए उसके उत्पादन का २/३ भाग कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए और केवल १/३ भाग ही अन्य चीजों में ले जाना चाहिए। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे शीत गृहों की संख्या दुगुनी होनी चाहिए तभी काम चल सकता है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में

श्री निर्भय नरायन सिंह

आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर शीत-गृहों का बहुत ही अभाव है अपेक्षाकृत दूसरे क्षेत्रों के। दूसरी बात यह है कि जितनी तेजी से दूसरे क्षेत्रों को फाइनेन्स किया जा रहा है उतनी तेजी से हमारे यहां नहीं हो रहा है। सरकार ने यह आदेश निकाला था कि आठ रुपये क्विंटल के हिसाब से शीत-गृहों में आलू रखा जायेगा लेकिन आज उसकी अवहेलना हो रही है और वह १२ रुपये से लेकर १४ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लिया जा रहा है।

(बिजली के चले जाने पर)

इस प्रकार से आलू सड़ जाता है और उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको सेविंग के सुझाव देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जो आपका जूट का विभाग है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह विभाग तब खोला गया था जब बंगला देश आजाद नहीं हुआ था वह पाकिस्तान के अधीन था। अब ऐसी स्थिति नहीं है और अब हमें बने हुए माल की जरूरत है। (बिजली के अभाव में सुनाई नहीं दिया)।

ऐग्रो के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उसमें जो प्रगति हुई है उस के लिये सरकार और वह ऐग्रो को हम धन्यवाद देते हैं। खासतौर से पार्लियामेंट की एक कमेटी ने सुझाव दिया था जो कि एक सर्व-सम्मत सुझाव था कि जितने भी कारपोरेशन हैं उनके हेड्स को नान-आफीसियल रखा जाय। आज स्थिति यह है कि इन कारपोरेशन्स के जितने भी हेड हैं वे सब सेक्रेटरी और कमिश्नर ही हैं जिनसे कि कोई फायदा नहीं....

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। कृषि के सम्बन्ध में जो बहस चल रही है उसमें मैं विशेषरूप से बुन्देलखण्ड के क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में बात करूंगा। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में कृषि विकास के लिये सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। हम बुन्देलखंड के लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मुगल पीरियड में सारे देश से राज-कन्याओं को पकड़कर मुगल हरम में डाल दिया जाता था वैसे ही हमारे क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार के हरम में डाल दिया गया है। इस सरकार को हमारे विकास की कोई चिन्ता नहीं है। हम लोग अन-अटेन्डेड, अन-केयर्ड-फार अवस्था में अभी तक रखे गये हैं। कृषि का क्षेत्र जो प्रदेश में है, उसका बुन्देलखण्ड में जो क्षेत्र पड़ता है, उसमें ९० प्रतिशत से ऊपर वहां की आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है और जो १० प्रतिशत शहरी क्षेत्र में भी रहते हैं, वे भी कृषि पर ही आधारित हैं। वहां पर अन्य उद्योगों का कोई विकास नहीं हुआ है। इस तरह से जो भिन्न-भिन्न दूसरे क्षेत्र विकास के हैं, वे भी कृषि उद्योग से सम्बन्ध रखते हैं। बुन्देलखंड की जनसंख्या ४२,९१,३७४ है और यहां का कुल क्षेत्रफल २९,९५,००० हेक्टेयर है और उसमें जो सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिये प्रदेश की तुलनात्मक दृष्टि से वह नहीं है, जहां साधन सिंचाई के अनेक उपलब्ध हैं वहां के हजारों तालाबों को यदि नहरों से परि-पूरित कर दिया जाता, तो वहां के बहुत काफी क्षेत्र में सिंचाई हो सकती थी।

नदियां भी बहुत हैं। मान्यवर, जो थोड़ी-बहुत व्यवस्था है, वह भी गड़बड़ चल रही है। जिसके सम्बन्ध में मैं मिसाल देना चाहता हूं ललितपुर में गोविन्दसागर बांध जो है, उसमें से जो नहरें निकलती हैं, उसमें इस वर्ष वहां के अधिकारियों ने किसानों के साथ पार्टनरशिप करके उन्हें जो नुकसान पंहुचाया है, उसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। बुन्देलखंड ऐसा उपेक्षित क्षेत्र बन दिय गया है कि सारे प्रान्त के जो गड़बड़ शिकायती अधिकारी होते हैं या जो रिटायरमेंट के करीब होते हैं, उनको बुन्देलखंड

में भेज दिया जाता है । इसके अलावा नये लोग जो सीखना चाहते है यानी जो ट्रेनीज होते हैं, उनको बुन्देलखंड में भेज दिया जाता है । इसका असर वहां हर क्षेत्र में, हर विभाग में पड़ता है । भूमि संरक्षण में सारा काम गलत किया गया है । बड़ी बंधी न डालकर मैदानी क्षेत्र की तरह छोटी-छोटी बंधी डाली गयी है ।

बिजली की भी वहां यही दुर्दशा है । वहां पर कुल ४५१४ गांव हैं, उनमें से ५१७ गांवों में ही कुल बिजली पहुंच पाई है । जबकि वहां पर माताटीला में बिजली पैदा करते हैं और राजघाट में बिजली पैदा करने जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड में इतनी सारी बिजली बने और फिर वहीं के लोग खेत के काम में बिजली के लिये तरसें यह व्यवस्था बहुत दिन तक चलेगी नहीं । इस पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिये ।

एक निवेदन यह है कि बुन्देलखंड के लिये अलग से एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिये, क्योंकि वहां के फसलों की जानकारी न तो सरकार को है और न इनके अधिकारियों को है । ५०१ से अधिक भूमि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कोदों, कुटकी, सावां, किझार, ज्वार, बाजरा, मक्का, कांवनी, मूंग, उर्द, राली, तिली, रामतिली, अरहर, मटा (Mata), मूंगफली, पान, सठिया, पसाई आदि की खरीफ की फसलें होती हैं, जिनमें काफी विकास और अनुसंधान की जरूरत है । किन्तु इनके बारे में उत्तर प्रदेश के अधिकारी जानकारी नहीं रखते हैं । उस क्षेत्र से मिली हुई जो मध्य प्रदेश की सीमा है, वहां का विकास देखकर हमें बड़ा दुःख होता है कि हम उत्तर प्रदेश में क्यों हैं । क्षेत्र का हर व्यक्ति मध्य प्रदेश के विकास को देखकर सोचने को विवश होता है कि या तो हमें मध्य प्रदेश में मिला दिया जाय या फिर बुन्देलखंड प्रान्त अलग बना दिया जाय ।

हमारे यहां 'एग्रो' का एक कारखाना झांसी में खुला और वह मसाले बनाता है । सारे प्रान्त से कच्चा माल लेकर मिर्च वगैरह तैयार करता है । किन्तु वहां जो चीज पैदा होती है, उसके सम्बन्ध में कोई विचार सरकार नहीं करती है वहां बरुआ सागर में अदरख पैदा होता है, जो सारे प्रान्त और सारे देश को जाता है, उससे सोंठ और रस बन सकता था और उसके शेष मिटीरियल से प्लास्टिक का काम बन सकता है । किन्तु उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है न सरकार का ध्यान गया है । भूमिहीनों को जो पट्टे दिये गये हैं उनसे लगातार लगान लिया जा रहा है परन्तु सरकार ने उन्हें कब्जा नहीं दिलाया ।

वहां पर किसान की पिटाई भी खूब हुई है । अभी जो गेहूं की वसूली हुई है । अभी जो बांदा के सदस्य चिल्ला रहे थे, उसी तरह से बुन्देलखंड में हर समय किसान की पिटाई होती है । उसका कारण है, वहां के दो एकड़ के बराबर एक एकड़ दूसरी जगह का माना गया था । सीलिंग के बाद भूमि लोगों के पास अधिक है, जो भूमि विकसित नहीं है और गल्ला कम पैदा करती है । इस कारण से इस पर जब लेवी लगती है, वसूली होती है उसमें अधिकारी लोग समझते हैं कि होल्डिंग के हिसाब से किसान के पास गल्ला ज्यादा है, उसको लूट लेते हैं, मेरी महरौनी कांस्टीटुएंसी में, ५० एकड़, ७० एकड़, ४० एकड़ के काश्तकारों का गेहूं देने के बाद भी ३/७ एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट और डी० आई० आर० में बिना नोटिस के चालान किया गया । धारा ३५३ और तमाम धाराओं को लगा कर गांवों को जाकर घेर लिया । अधिकारी गांव के अन्दर घरों में घुस गये, लड़करी गांव के एक घर में घुस कर एक बच्चे को उठा कर फेंक दिया, और उसकी हड्डी टूट गयी । इस तरह से व्यवहार हुआ है । छोटे-छोटे

[श्री रघुनाथ सिंह]

किसान को लूट लिया गया है । हमारी ऐसी स्थिति है कि हम उत्तर प्रदेश में रहने के लायक नहीं है । क्योंकि हमारी परिस्थिति हमारे यहां ३०,४० एकड का किसान भी भूखों मरता है । हमको कोई समझता नहीं है ।

बुन्देलखंड सारे प्रदेश की जो बजट की जो मांग है उसकी पूर्ति कर सकता है । परन्तु उधर उसके विकास पर ध्यान नहीं दिया गया । मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के किसानों के साथ भी उचित व्यवहार नहीं हो रहा है । ३३ करोड़ का बजट कृषि का है जिसे किसानों की तरक्की करना है और ८८ करोड़ का बजट खाद का है, जो किसानों की लूट करता है । १५ प्रतिशत शहर के लोगों को प्रसन्न रखने के लिये इस तरह से यह स्थिति है । मैं समझता हूं कि आज का दिन नागपंचमी का कृषि के बजट के लिये सोच समझ कर सरकार ने रखाया है । इस एक दिन हम नाग की पूजा करते हैं और पूरे साल भर उसे मारते हैं । यही हालत है उत्तर प्रदेश के किसान की । एक बजट के दिन उसकी खूब तारीफ होती है और पूरे साल वह पिटता है ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया ।

श्री क्रांति कुमार (जिला बिजनौर)---

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कृषि का बजट सदन के सम्मुख रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण, कटौती प्रस्ताव करने वाले और अन्य सदस्यों के पूरे भाषण सुने हैं ।

विपक्ष की ओर से अधिकांशत: कहा गया कि पिछले वर्षों में खेती के ऊपर सरकार का जितना ध्यान जाना चाहिये उतना नहीं दिया गया है । मैं विपक्ष के इस आरोप को मुनासिब नहीं समझता हूं । जो आंकड़े मेरे पास हैं उनको देखने से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि आहिस्ता आहिस्ता १९६७ से कृषि की पैदावार गेहूं के क्षेत्र में बढ़ी है । १९६६-६७ में प्रति हेक्टर उपज ९.०३ क्विंटल थी । सबसे अधिक उपज १९७०-७१ में हुई जो १३.०२ क्विंटल प्रति हेक्टर थी । उसके बाद पैदावार घटी और १९७३-७४ में ९.९३ क्विंटल पर आ गयी । यदि आप देखें, हमने चार पांच सालों में खाद का इस्तेमाल किस तरह से किया, तो आप देखेंगे कि १९६९-७० में हमने ४,५५,९४७ मीटरिक टन खाद का इस्तेमाल किया, १९७०-७२ में ३,४३,९११ मीटरिक टन खाद का इस्तेमाल किया, १९७१-७२ में ४,५२,९५५ मीटरिक टन, १९७२-७३ में ५,०४,२३८ मीटरिक टन, १९७३-७४ में ४,६३,२४३ मीटरिक टन खाद का इस्तेमाल किया ।

यदि इन आंकड़ों को देखें तो आप पायेंगे कि १९७०-७१ में हम ने कम खाद का इस्तेमाल किया हमारी पैदावार अधिक रही । इसलिये मैं कह सकता हूं कि आहिस्ता-आहिस्ता हमने खेती की ओर प्रगति की है । और इस वर्ष जब हमने खाद का इस्तेमाल ज्यादा भी किया तो भी हमारी पैदावार गिरी । उसका कारण सरकार नहीं, प्राकृतिक हैं । पिछले दो वर्षों से जिस प्रकार का मौसम चल रहा है उसमें खेती का नुकसान हुआ है । इस वर्ष पाले से नुकसान हुआ है । उसके कारण मुख्य रूप से गेहूं कि फसल की पैदावार गिरी है । शायद माननीय सदस्यों ने खेती के लिए कहा कि खाद, पानी और अच्छा बीज भी आवश्यक है किन्तु किसी सदस्य ने यह नहीं कि समय एक बड़ा फैक्टर है खेती के मामले में । यदि समय पर बुवाई नहीं करेंगे, निराई और गुड़ाई समय पर नहीं करेंगे तो कितनी ही अच्छी खाद, पानी तथा बीज हो लेकिन पैदावार नहीं बढ़ सकती है ।

रबी की फसल खराब हो चुकी है । अब खरीफ की फसल पर ही प्रदेश का भाग्य निर्भर करता है इसलिये जो भी फर्टिलाइजर उपलब्ध हो उसको किसान तक पहुंचाया जाय । जो कुछ प्राइवेट क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में है उनको बराबर बिजली मिलनी चाहिये ताकि खेतों

तक पानी पहुंच सके यदि ऐसा किया गया तो खरीफ की फसल अच्छी होगी । इसको जब मुख्य मंत्री जी एक उद्योग समझते हैं तो इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये । यही समय है जब फर्टिलाजर धान और गन्ने में लगना चाहिये । १५ दिन बाद इसकी इतनी उपयोगिता नहीं रहेगी। इसीलिये में विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं।

मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया है कि जापान में छोटी एकरेज है और उपज ज्यादा है । लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जितने मुल्क हैं जो गेहूं बाहर भेजते हैं उनमें आस्ट्रेलिया, अमेरिका रूस और कनाडा हैं । इन सब में मिकेनाइज्ड फार्म्स हैं और एक फार्म १०० एकड़ से कम नहीं होता है । १४ एकड़ में तो कोई भी मिकनाइज्ड फार्म मुनाफे में नहीं हो सकता है । एक खेत का या फार्म का इतना एकरेज जरूर होना चाहिये जो ट्रैक्टर के लिये आवश्यक है । यदि बड़े बड़े फार्म बना दिये जायंगे, सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में जिसमें उचित समझें पब्लिक सेक्टर में चाहे कोआपरेटिव सेक्टर में चार्ट प्राइवेट सेक्टर में जिसमें उचित समझे तो ही हमारी कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, छोटे खेतों में नहीं बढ़ सकता है । जापान में पैडी की पैदावार होती है । वह मुल्क भी इस हालत में नहीं है कि अपनी पैदावार दूसरे मुल्कों में भेज सके ।

एक बात एग्रो के बारे में कही गई है । इसका जब निर्माण हुआ था तो इसके दो कार्य थे । एक तो यह ट्रैक्टर्स को असेम्बिल करता था और दूसरे उनका वितरण करता था । आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक्टर के असेम्बिल करने का काम पिछड़ गया । यह अब एच० एम० टी० कालोबोरेशन से विसौर में हो रहा है । मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्री जी के प्रयास से दुबारा यह काम हमको मिलने जा रहा है । एच० एम० टी० कालोबोरेशन से यहीं ट्रैक्टर्स बनने व असेम्बिल होने लगेंगे ।

जहां तक कस्टम्स सेंटर्स का सवाल है ७२--७३ में ४३ कस्टम सेंटर्स काम कर रहे थे जिन्होंने मुनाफा दिया २५ और ११ ने घाटा दिया । इसके बाद भी एग्रो को फायदा हुआ । १९७३--७४ में केवल दो ऐसे हैं जो घाटा दे रहे हैं बाकी सब लाभ दे रहे हैं । छोटे किसानों में इससे बहुत फायदा हुआ है और अधिक से अधिक काम करना है ताकि किसानों को यह अधिक सहायता दे सके ।

उर्वरक के संबंध में भी कुछ कहा गया । मैं इतना ही कहूंगा कि कृषि विभाग का यह एक अंग है । इसको एग्रो तथा कृषि विभाग दोनों डील करते हैं । एक ही एजेंसी के द्वारा इसका वितरण होना चाहिये । यदि आप आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि ५ करोड़ में से फर्टिलाइजर्स को मैनेजमेंट कास्ट कृषि विभाग की सवा तीन करोड़ रुपये है जबकि एग्रो की १७ करोड़ खाद पर केवल ५५ लाख मैनेजमेंट कास्ट है । इन सब चीजों को सरकार को देखना चाहिये । सरकार को देखना चाहिये और एक एजेन्सी के माध्यम से वितरण करना चाहिये । दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि एग्रो भी अपनी कर्मशालायें चला रहा है और एग्रीकल्चरल विभाग भी अपनी कर्मशालायें चला रहा है । मैं चाहता हूं कि एग्रो को कृषि विभाग की कर्मशालाओं को ट्रांसफर कर देना चाहिये । कस्टम सेन्टर भी एग्रीकल्चर तथा एग्रो चला रहा है । इनको भी एक ही को ट्रांसफर कर देना चाहिये । मैं माननीय, आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। हमारा प्रदेश खेती प्रधान प्रदेश है। और जब तक खेती की तरक्की नहीं होगी तब तक और कोई तरक्की नहीं होगी। खेती की तरक्की के परिणाम अच्छे नहीं हैं। जब दिल्ली से माननीय बहुगुणा जी मुख्य मंत्री बन कर आये तो हमारे प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी आशा थी, लेकिन वह आशा अब निराशा में बदल गयी है, क्योंकि कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहूंगा कि कृषि का विकास कलम घिस्सू लोगों से नहीं होगा। यह हजारों की तादाद में जो सुपरवाइजरी स्टाफ लगे हुये ह, इनकी भाषा कोई पकड़ नहीं पाता है और इनसे किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। नतीजा भी उसका आप लोगों के सामने है। अगर यही नीति आप की रही तो प्रदेश की खेती कागजों पर ही होती रहेगी। कागज पर उसको आप लहलहा रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। मेरा निवेदन है कि आप कलम घिस्सू लोगों को हटा कर उत्पादन के काय में लगाये। इससे प्रदेश का जो तमाम पैसा खर्च हो रहा है, इनके हटा देने से यह उत्पादन के कार्य में लग सकेगा।

हमारे प्रदेश के जो पड़ोसी प्रदेश हैं जैसे राजस्थान, पंजाब आदि इनकी अपेक्षा हमारे प्रदेश की भूमि में उर्वरा शक्ति अधिक है। अगर हम उत्पादन पर दृष्टि डालें तो हमें मालूम होगा कि हम अन्य प्रदेशों से पीछे हैं। इसका कारण यह है कि आपकी नीतियां गलत हैं। १९७०-७१ की प्रति व्यक्ति उत्पादन के आंकड़े बताना चाहूंगा

			कि० ग्रा०
पंजाब	..	..	५३७
हरियाणा	..	..	४७३
मध्य प्रदेश	..	..	२६२
उत्तर प्रदेश	..	..	२२०

हमारे प्रदेश की उर्वरा शक्ति ज्यादा है परन्तु हमारी पैदावार कम है। इसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश की उपेक्षा केन्द्र करता रहा और हम केन्द्र के पिछलग्गू बने रहे। हमने कोई पृथक नीति नहीं अपनायी। प्रधान मंत्री हमारे प्रदेश की हैं। हम प्रधान मंत्री का झुनझुना बजाने में ही अब तक मस्त रहे।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)---

२२० किलोग्राम किस सन् में हुआ।

श्री बेनी प्रसाद बर्मा---

आप अपनी सरकार से पूंछ लीजिए।

श्री अधिष्ठाता---

श्री वर्मा अपना भाषण जारी रखें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

अन्न आयात के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि जो स्थिति सन् १९४६ में थी करीब करीब वही आज है, जबकि इसके बीच में सरकार ने और सरकारी रेडियो ने हरित क्रान्ति का खूब ढिंढोरा पीटा है। सन् १९४६ में २३ लाख टन आयात किया गया था और ७१-७२ में २० लाख टन। तो इसमें क्या कहा जाय? इसे माननीय मुख्य मंत्री जी की कछुये या खरगोश की गति कही जाय मैं और प्रदेश की जनता तो इसे खरगोश की चाल समझती है।

श्री अधिष्ठाता---

(श्री अब्दुल रऊफ लारी से) लारी साहब को पीठ और वक्ता के बीच में नहीं आना चाहिये। वर्मा जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आपका दावा है कि २० लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा जब कि यह बिलकुल गलत है। मेरी यह मान्यता है कि १५ लाख टन से ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ा होगा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना अभी तक आपकी बनी नहीं, आपकी क्या आपके मालिक की भी नहीं? ८० प्रतिशत लाख टन इसमें आप उसे उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपके पास क्या ठोस कार्यक्रम उसके लिये हैं जिस पर इसके लिये विश्वास किया जा सके? इस पर विश्वास किया नहीं जा सकता क्योंकि जो अवस्था, बिजली, खाद, कृषि यंत्रों और दूसरी कृषि कार्य में उपयोग में आने वाली वस्तुओं के अभाव या उनके इतने महंगे होने के कारण साधारण किसान उन्हें खरीद नहीं सकता और न उसे उपयोग में ला सकता है। तो यह कैसे हो सकेगा इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी पुनः विचार करेंगे। जब तक खेती की दशा नहीं सुधरेगी तब तक आप चाहे जितना ढिंढोरा पीटें, प्रदेश की तरक्की की नहीं हो सकती।

अलाभकर जोतों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ८० प्रतिशत किसान अलाभकर जोतों के है, बड़े किसान तो थोड़े बहुत होंगे लेकिन इन ८० प्रतिशत को आपकी योजना से कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो कुछ उत्पादन बढ़ा भी है वह भले ही बड़े किसानों के द्वारा आपकी योजनाओं का फायदा उठाने के कारण बढ़ा हो, आपके कोई आंकड़े इस सम्बन्ध में हों तो कृपया जवाब में बतावें कि अलाभकर जोत वाले किसानों के द्वारा कितना उत्पादन बढ़ा है। सिर्फ चूंकि इनका समुदाय बड़ा है इसलिये इनको खुश करने के लिये आप ढिंढोरा पीटते रहते हैं लेकिन दरअसल इनका कोई फायदा नहीं हुआ है। जब तक इन बड़े समुदाय के लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा तब तक आपकी उन्नति कृषि में नहीं हो सकती (लाल बत्ती होने पर) दो मिनट बोलने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---

आपके केवल एक मिनट और हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

अब कृषि फार्मों के बारे में मैं कुछ कहूंगा। ११ कृषि फार्मों को अब सहायक पशुपालन निदेशक की देखरेख में चलाया जा रहा है। सन् ६३-६४ से पहले वे उनकी देखरेख में नहीं चलते थे। इन दस सालों में जो घाटा हुआ है, वह सन् ६३ के पहले १५-२० साल में नहीं हुआ था। इन ८-१० सालों में १ करोड़ ९१ लाख ४७ हजार २३४ रुपये का घाटा हुआ है जब कि उसके पहले के १५ सालों में सिर्फ ७३ लाख ७५ हजार ४८२ रुपये का घाटा इन फार्मों पर हुआ था।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय वर्मा जी, आपका समय समाप्त हो गया, आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय काशीनाथ मिश्र।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

धन्यवाद, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि सन् ४६ में हम जहां थे वहीं सन् ७१ में और आज भी हैं, और यह हास्यास्पद स्थिति है। कोई भी आदमी अगर स्वतंत्र हिन्दुस्तान में किसी एक क्षेत्र में कोई सबसे अधिक क्रान्तिकारी परिवर्तन पाता है तो वह कृषि का ही क्षेत्र है। इसमें दो राय नहीं है कि विदेशों से जो लोग आते हैं वह भी कहते हैं कि हमने इसमें प्रगति की है। हमारा कृषि विभाग इसमें जो क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया है उन्हीं के चलते हमारे उत्पादन में भी आज वृद्धि हुई है और हमारे किसानों ने आज आधुनिक ढंग से खेती करने के तरीकों को अपनाया है। और आधुनिक तरीके की खेती चल पड़ी है। अब किसी को श्रीमन् सूर्य के प्रकाश में दिखाई न दे तो सूर्य की रोशनी का दोष नहीं है। मैं आपका ध्यान और मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आधुनिक साधनों से जो लाभ पहुंचना चाहिये था वह नहीं पहुंच पाया है। भूमि की व्यवस्था कृषि से संबंध रखती है। जो खेतिहर मजदूर हैं, मल्लाह हैं, वह जमीन के साथ अभी बन नहीं पाये हैं। आज बड़ी-बड़ी जोतों को लोग हथिया रखे हैं बड़ी-बड़ी सीलिंग के बाद भी। मुझे उम्मीद है कि एक दिन माननीय मुख्य मंत्री का छापा उन बड़ी-बड़ी जोतों को जो हथिया रखे हैं, उन पर पड़ेगा।

जो गरीब लोग हैं, जो जमीन को जोतते बोते हैं अगर ये खेतिहर, खेती करने वाले लोगों के हाथ में जमीन दी जायगी तो खेती की पैदावार बढ़ेगी और हमारी सरकार इस की तरफ जागरूक भी है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े लोग इसी माननीय सदन में जो बैठने वाले लोग हैं चाहते हैं कि भूमि की व्यवस्था में दखल देना चाहते हैं। जो माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से सवाल उठते हैं, बड़े बड़े जो खेतिहर जोत वाले हैं उनका वह पक्षपात करना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके द्वारा अपील करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के मंत्रित्व काल में जो बड़े बड़े लोग हैं, उन पर आफत आई है और छोटे छोटे लोगों पर राहत आई है।

मान्यवर, कृषि विभाग को माननीय मंत्री जी ने पुनर्गठित किया है। इसमें तेजी आई है। हमारे जो बड़े-बड़े फार्म्स घाटे पर चलते थे, उसमें अधिकांश लोगों को फायदा हुआ हो रहा है। जबसे राम कृष्ण को हटाया गया तब से कृषि में लाभ हो रहा है। उनके टाईम में बहुत गड़बड़ घोटाला हुआ। एक अग्रवाल साहब हैं जो कि राम कृष्ण के कुल के हैं, जिनके कारण प्रयोगशाला का काम ठप हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जो इस तरह की योजनाएं चलाई जायं इन कृषि के केन्द्रों पर, जो पूर्वी जिलों के किसान हैं, उनको उसमें भ्रमण कराया जाय कि किस तरह से खेती की जाय और जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, उन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये जिससे के हम उस योजना को और निदेशालय को ठीक से संगठित कर पावें। जो कृषि विकास के लिये नीति सरकार की तरफ से छपी है उसमें ऐसी बातें दी गई हैं कि जिससे हम किसी टाइम बाउण्ड समय के अन्दर कोई ठोस कार्यक्रम निकालें और खेती का विकास कैसे किया जाय। इस एक साल के अन्दर या दो साल अन्दर कितने ऊसर भूमि को हम खेती के अन्दर कैसे जायेंगे, यह दिया हुआ है।

गुणक खेती के द्वारा पैदावार कैसे बढ़ सकती है। हमारे प्रदेश की जमीन ७३ प्रतिशत असिंचित है और हमारा प्रोडक्शन ४५ प्रतिशत होता है। इसमें भी व्यवस्था होनी चाहिये। शुल्क खेती का हरा बैर पानी से, उत्तम बीज देकर, केवल बीज को सप्लाई करने कुछ मात्रा में खाद सप्लाई करके इन जमीनों को हम खेती योग्य बना सकते हैं। तो इस ढंग से हमारे विभागीय लोगों को इस प्रकार की योजनायें बनानी चाहिये कि एक खास समय के अन्दर हम कितनी जमीनों को खेती लायक बना सकते हैं। १ १/२-२ करोड़ एकड़ हमारी जमीन खेती लायक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अकेले बनारस मंडल में ऐसी बहुत सी जमीन है जिसको खेती योग्य बनाया जाना चाहिये और साथ-साथ हमारे जो खेतिहर मजदूर ह, जो बड़े-बड़े शहरों में रिक्शा चलाते हैं उनके लिए कोई स्कीम बनायें जिनको इन जमीन पर लगाया जा सके। तब जाकर हम खेती की पैदावार बढ़ा सकते हैं।

दूसरे आपने जो छोटे-छोटे किसानों के लिये योजना बनायी है, उसकी मैं सराहना करता हूं। हमारे जिले और मथुरा जिले में एक योजना चलायी जा रही है। मेरी प्रार्थना है कि इस योजना को व्यापक रूप दिया जाय और छोटे किसानों को जो ट्रैक्टर्स दिये जायं, उनकी दरों में कटौती करके दी जाय। इस समय उनसे २४ या २५ रुपया प्रति एकड़ चार्ज होता है। मेरी प्रार्थना है कि छोटे किसानों को सब्सीडी देने की व्यवस्था की जाय जिससे छोटे-छोटे किसान भी आधुनिक तरीकों का लाभ उठा सकें और जो मार्जिनल स्कीम में केन्द्र खोले गये हैं उनसे छोटे किसान लाभान्वित हो सकें। इस तरह से श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विभिन्न तरीकों से कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है, उसी तरह से पर्वतीय इलाकों में फल का उत्पादन बढ़ाया जाय ताकि हमारे भोजन की जो समस्या है, इस पर हम काबू पा सकें। सबसे बड़ा काम जो है वह भूमि की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। दूसरे जो हमारी खेतिहर मजदूरों की गरीबी की फौज है, जो खेती करना जानती है, उनको जब तक खेती में नहीं लगाया जायगा तब तक उत्पादन का हमारा लक्ष्य नहीं बढ़ सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार ने खेती में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं, वे भविष्य में भी होंगे।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खेती हमारे देश और प्रदेश का प्रमुख उद्योग है क्योंकि आज हमारे देश और प्रदेश की जो इन्कम है, मेरे विचार में, ५० फीसदी से ऊपर खेती से ही आती है। इसलिये हमको खेती को एक उद्योग मानकर ही चलना चाहिये। प्रश्न यह है कि खेती का सम्बन्ध किन-किन प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। आज का युग बदल चुका है। पहले का युग नहीं है। पहले की तरह काम भी चलने वाला नहीं है। खेती का सम्बन्ध पानी से है, खाद से है, बिजली से और पूंजी और श्रम से और अच्छे बीज से है। ये ५-७ चीजें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध खेती के साथ अच्छी उपज देने के लिये मिला हुआ है। अगर एक-एक प्रश्न को लेकर हम विचार करें तो घंटों का समय लगेगा और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज जो हमारी हालत है, उसमें गिरावट आ रही है। पानी को ही ले लीजिए, पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने ही कहा है कि मुश्किल से २७ फीसदी भूमि में ही हम पानी दे सके हैं।

मान्यवर, जब २७ फीसदी भूमि में ही पानी दिया जा सकता है तो जो हमारा असिंचित इलाका है, वहां जो हमारी पैदावार होनी चाहिये, ठीक से, वह नहीं हो पाती है। आज का युग, जब नया बीज आ गया है, मैक्सिकन गेहूं आ गया है, जिसमें सरकार खुद कहती है, कृषि

---

*वक्ता ने भाष ण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

विभाग खुद कहता है कि ५ पानी से कम नहीं देना चाहिये और पानी हम एक नहीं दे पा रहे हैं। तो मान्यवर, पैदावार कैसे बढ़ेगी, उसमें से तो बाली भी नहीं फूट सकती। १९५५-५६ से आज पानी की चौगुनी कीमत हो गयी है और ६००० गैलन ट्यूबवेल पर हम पहुंच गये हैं। इसी तरह से नहरों पर भी शुल्क बढ़ गया है। बांध, बंधियां, तालाब लोगों ने जोत लिए, कुएं खराब हो गये। पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। सिंचाई विभाग ने भी काफी रेट बढ़ा दिये। तो सरकार इस प्रश्न पर बहुत गम्भीरता से सोचे कि ज्यादा से ज्यादा हम पानी उपलब्ध करा सकें।

दूसरे, माइनर ट्यूबवेल और माइनर इरिगेशन को आप देखें। अब तक तो पंपिंग सेट्स के लिये कर्जा और अनेकों सुविधाएं मिल जाती थीं, अब मार्च के महीने में सरकार का आदेश देने पर कि हम स्माल ट्यूबवेल्स के लिये कनेक्शन नहीं देंगे, अकेले बनारस में ४४७ कनेक्शंस मंजूरशुदा पड़े हैं। कनेक्शन नहीं मिले, कर्जा भूमि विकास बैंक से ले लिया। तो इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

खाद की कीमत दुगनी हो गयी है और कमी है। अभी कहा गया कि खाद के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया। यह आवश्यक है कि जहां उत्तर प्रदेश में खाद का इस्तेमाल कम होता था वहां आगे बढ़े हैं, लेकिन अगर हम हरियाणा, पंजाब और दूसरे प्रदेशों से मुकाबला करते हैं तो कितना वहां डाला जाता है और कितना हम डालते हैं। उनका प्रोडक्शन प्रति एकड़ कितना है और हमारा क्या है--हमको इन तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है। खाद ५-७ एजेंसियों के माध्यम से बिकती है। एग्रो के माध्यम से जहां दी जाती है, गाजीपुर में, बनारस में वहां ब्लैक हुआ और उत्तर प्रदेश में कोई भी उनकी एजेंसी ऐसी नहीं है जहां ब्लैक नहीं होता। कोआपरेटिव का क्या गोरखधंधा है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट एजेंसियों से, क्रय-विक्रय समितियों से और एग्रिकल्चर विभाग अलग करता है। राष्ट्रपति शासन में इस विभाग द्वारा अकेले फैजाबाद में ३५ लाख रुपये का घोटाला हुआ...

श्री लोकपति--

एग्रो का खाद से संबंध नहीं है। वह नहीं बनाता।

श्री ऊदल--

त्रिपाठी जी हमारे जिले के हैं, मैं कहता हूं कि ७ लाख का खाद हमारे जिले में, बनारस एग्रो में पकड़ा गया, बेचा गया। गाजीपुर में पकड़ा गया, बहुत से लोग सस्पेंड हैं। अब नहीं एग्रो के पास यह हो सकता है। बफर गोडाउन बनारस में ७ लाख का गबन हुआ, फैजाबाद में हुआ। डी० वाई० एस० पी० इंटेलीजेन्स ने जांच की। मैं तो इस राय का हूं कि खाद की ऐजेंसी एग्रीकल्चर के मोहकमे के पास ही रहनी चाहिये। और किसी को न दिया जाय और गोरखधंधा न बनाया जाय। जब इतनी किल्लत थी खाद की तो इस साल हरी खाद की व्यवस्था बड़े पैमाने पर क्यों नहीं की गयी? आप भी मान्यवर, यह जानते हैं कि हरी खाद कितनी अच्छी हो रही है। आजकल तो उसकी आवश्यकता और भी अधिक है क्योंकि रसायनिक खाद के दाम बहुत ज्यादा हो गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विभाग को इस ओर बड़े पैमाने पर ध्यान देना चाहिये।

हमारे यहां छोटे-छोटे एकरेज के किसान बहुत ज्यादा हैं। हमको ऐसे छोटे-छोटे आधुनिक यन्त्र तैयार करना चाहिये ताकि किसान उनका उपयोग अपने बैलों द्वारा ही कर सकें और उनसे अपने खेतों को जोत आदि सकें। यंत्र बढ़िया होने चाहिये और उनको एप्रूव्ड फर्म से ही खरीदे जाने चाहिये। इस ओर भी विभाग का ध्यान जाना चाहिये।

जहां तक क्रान्तिकारी भूमि सुधार की बात है, तो वही कहावत है कि हम चलें डाल डाल तो वह चलें पात-पात। आपका हदबन्दी कानून लागू हुआ, मगर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। कितने ही लोगों ने नाजायज तरीके से जमीनों पर अपना कब्जा कर लिया है। अपने जानवरों तक के नाम से खेतों को बांट लिया है। मेरा सुझाव है कि आप १३५६ व १३५९ फसली खातों की जांच करावें। इस तरह से लोगों ने भूमि का बटवारा किया है कि वे विकास कर से भी बच गये हैं। दिखाने के लिये कागज में बटवारा है मगर एक साथ पूरे खानदान के लोग रहते है और एक साथ ही खाना पकता है।

इसलिये जब तक बड़ी-बड़ी जोतों को तोड़ा नहीं जायेगा, जमीन जोतने वालों को दी नहीं जायेगी, पानी, खाद और बिजली की ठीक-ठीक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक कृषि के क्षेत्र में कोई प्रगति सम्भव नहीं है। इसके लिये जरूरी है कि आप जिला स्तर पर कृषि विभाग, सिंचाई विभाग और बिजली विभाग का एक कोआर्डिनेशन विभाग बनाइये, तभी कुछ क्रान्तिकारी सुधार करना सम्भव हो सकेगा।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध तथा इन अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारा प्रदेश एक विशाल प्रदेश है और उसकी समस्यायें भी विशाल हैं। कृषि इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है। ८६ फीसदी जनता इसी काम में लगी है। यह कहना कि कृषि क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई है गलत है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। आज जब कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें इतनी भूमि है और इसकी जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। तो एक ओर कृषि का उत्पादन है और दूसरी ओर बढ़ती हुयी जनसंख्या है। तकरीबन १९–२० लाख व्यक्ति हर साल बढ़ जाते हैं। यह नये मेहमान एक जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के लिये लाते हैं। तो इस बढ़ती हुयी जनसंख्या को देखते हुये कृषि की ओर ध्यान दिया जाय। हमारी सरकार इस संबंध में जागरूक हो।

कृषि का उत्पादन किस प्रकार से, किस कदर ज्यादा हो इस संबंध में मैं आपसे कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। मैंने कृषि के बजट को देखा है यह पिछले साल के बजट से अच्छा है और जो इसके सहायक विभाग है जैसे सिंचाई, बिजली और सहकारिता यह भी और उन सबके बजट भी इसको प्रोत्साहित करते है। आज यह कहा जाता है कि कृषि के लिये इन-पुट्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसान का जो मनोबल है उसको आज ऊंचा उठाने की जरूरत है, उसको सही दिशा देने की जरूरत है। आज इन सब के साथ-साथ एक्सटेन्सिव कल्टीवेशन की बहुत आवश्यकता है। इसकी वजह से कृषि का जो उत्पादन है उसकी बढ़ोत्तरी हो सकती है तो इसकी ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

मेरा ख्याल है कि अगर आप पश्चिमी जिलों में जाइये तो वहां आपको कृषि और अच्छी दिखायी देगी। वहां के किसानों ने अपने उत्पादन को काफी बढ़ाया है। अगर आप रात को वहां जायें तो जिस तरफ आपकी नजर वहां जायगी, नन्हें-नन्हें जुगनू जैसी चमक आपको दिखायी देगी। यह बिजली के बल्ब हैं। यह किसानों के निजी ट्यूबवेल्स हैं जिनसे वह अपनी खेती की सिंचाई करता है। तो इसी तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश में खेती का विकास हो सकता है।

[श्री मुमताज मोहम्मद खां]

आज हम उत्तर प्रदेश में केवल 28 प्रतिशत ही सिंचाई की क्षमता पूरा हम कर सके हैं। लेकिन जो यह बाकी क्षेत्रफल हैं जो सिंचाई की सुविधा नहीं पा रहे हैं, जब उनको पानी मिल जायेगा तो हमारे उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल होगा और खासतौर से उत्पादन बढ़ेगा।

आज यह कहा जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत ही कमजोर हाल में है। तो इसका कारण यह है कि वहां सिंचाई की सुविधायें नहीं हैं। लेकिन जो हमारी सिंचाई की योजनायें हैं, वक्त दूर नहीं है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह से खुशहाल हो जायेगा।

इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारी भूमि सुधार की योजनायें हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जैसे चकबन्दी है। पश्चिमी क्षेत्र में पहले ऐसी भूमि थी जो बेकार थी, कमजोर थी, चकबन्दी के बाद उसका भी बहुत विकास हुआ है। तो इसी तरह से जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर भी चकबन्दी होनी चाहिये जिससे वहां का विकास हो सके और जो जमीन बेकार है वह खेती के काम में आ सके। इस ओर मैं अपने मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसके अलावा एक चीज और है, किसान को वक्त पर खाद मिले, पानी मिले बीज मिले तो हमारे प्रदेश की कृषि की तरक्की हो सकती है। अभी हरित क्रांति में कुछ कमी हुयी है, कुछ ढील आयी है तो यह मायूसी की बात नहीं है। अगर हम इस बात की ओर नजर डालें तो देखें कि इसकी वजह यह है कि जनसंख्या में काफी वृद्धि हुयी है। जहां तक कृषि के अन्दर साधनों का ताल्लुक है तो छोटे-छोटे किसानों को पूरी तरह वह प्राप्त होना चाहिये। जो छोटे किसान हैं यदि उनके लिये साधन नहीं जुटायेंगे तो उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। इसलिये उनको जुटाने की चेष्टा होनी चाहिये और उनके लिये खाद, बीज तथा पानी की व्यवस्था करना चाहिये। जैसे अब सहकारी समितियों की सदस्य संख्या बढ़ाई जा रही है तो इससे वह खाद ले सकते हैं तथा उनके द्वारा वे ट्यूबवेल लगा सकते हैं। इस तरह से उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है।

श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें बोलने का समय दिया। मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि की उन्नति के लिये प्रधानता दी जानी चाहिये। हमारा तो यह सुझाव है कि कृषि को प्रमुख उद्योग मानकर इसकी तरक्की के लिये हर संभव कदम उठाये जायं। जब तक कृषि की उन्नति नहीं होगी तब तक देश और प्रदेश की उन्नति सम्भव नहीं है।

मान्यवर, इसी अनुदान के साथ-साथ मत्स्य पालन अनुदान भी संबंधित है। इसलिये मैं इस पर भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मत्स्य पालन की योजना काफी अरसे पूर्व जब द्वितीय युद्ध चल रहा था, और खाद्य संकट फैला हुआ था, उस समय यह विभाग सन् १९४४ ई० में स्थापित किया गया था। उस समय इस विभाग का काम सीमित था। केवल सैनिकों को मछली देने के लिये इस विभाग में व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज यह महसूस करते हैं कि जब देश में खाद्य संकट दिन-प्रति दिन बढ़ता जा रहा है तो आज इस उद्योग को बढ़ाने की जरूरत आ गई है। यदि इस विभाग को काफी बढ़ाया जाय तो खाद्य संकट को हल करने में हमको काफी मदद मिलेगी।

इसके संबंध में अभी केरला रिसर्च इन्स्टीट्यूट खुला है जो इसके बारे में रिसर्च कर रहा है । वह इस बात का सबूत है तथा मछली ऐसी चीज है जिसमें ९० प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है । यह खाद्य के लिये बहुत आवश्यक चीज है । इसलिये हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि खाद्य समस्या को हल करने के लिये इस पर विशेष ध्यान दिया जाय और इसके लिये एक अनुसंधान केन्द्र भी खोलें जिसमें इस बात की शीघ्र व्यवस्था हो कि इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये जाने चाहिये । इस उद्योग के विस्तार के लिये जो बड़े-बड़े बांध बने हैं उसका पानी तालाबों में लाकर इस उद्योग को भलीभांति चलाया जा सकता है ।

सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि नदियों में पानी का जो भंडार है और जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है उसके लिये अनुसंधान केन्द्र खोल कर मछलियों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है । इन मछलियों का यहां पर उपयोग हो सकता है और निर्यात भी किया जा सकता है । इससे बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है जिससे विकास कार्य किये जा सकते हैं ।

मान्यवर, हमने इस पुस्तिका का अध्ययन किया है जिसमें यह लिखा है कि मछुओं को इस सरकार ने अत्यधिक पिछड़ा हुआ वर्ग माना है । लेकिन मुझे खेद है कि पिछड़ा वर्ग मानने के बाद भी इनकी तरक्की के लिये वह कदम नहीं उठाया गया है जो उठाना चाहिये था । भारतीय संविधान में भी दिया है कि हमारे देश में जो समाज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं, उनके लिये अनुच्छेद १५ (४) , २९ (२) व १६ (४) तथा ३४० के अन्तर्गत राज्य सरकार इस बात के लिये सक्षम है कि उनके लिये विशेष कानून बनावे । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मछुओं का वर्ग देश में सबसे अधिक गरीब वर्ग है । मौजूदा सरकार कहती है कि वह कमजोर वर्गों की तरक्की के लिये कदम उठायेगी । इस देश में मछुओं का वर्ग सबसे अधिक कमजोर है और उनकी संख्या करोड़ों में है, उसके पास कोई रोजी-रोजगार भी नहीं है, जायदाद, नहीं है, इसलिये उनको उठाने के लिये प्रयत्न किये जायं ।

उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय । उनके बच्चों को पढ़ाने के लिये सुविधायें दी जायं । इस उद्योग को बढ़ाने के लिये मत्स्य बोर्ड की जरूरत है । उसमें अनुभवी मछुओं को रक्खा जाय जिससे विभाग को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके । आज ठेकेदारी प्रथा चल रही है । ठेकेदार मछुओं का शोषण करते हैं । सारा पैसा हजम कर जाते हैं इसलिये सरकार ठेकेदारी प्रथा को बन्द करके मछुओं की मत्स्य सहकारी समितियां खोले और उनको अनुदान दे तथा ऋण दे । पहले १०,००० रुपये तक विभाग से मछुओं को अनुदान मिल जाता था लेकिन इस बजट में वह बंद कर दिया गया है । हम आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वह जो अनुदान की प्रथा पहले थी, उसे फिर लागू करायें और पूरे प्रदेश में मछुओं की सहकारी समितियां बनवायें । मत्स्य विभाग में मछुओं के बच्चों को शैक्षिक योग्यता में छूट मिलना चाहिये और नियुक्ति में आरक्षण व प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रथम बार बोलने का अवसर दिया.....

श्री अधिष्ठाता--

इसमें मेरा दोष नहीं है। आपने बोलने का प्रयास नहीं किया होगा।

श्री राज किशोर तिवारी--

आज जो कृषि का बजट पेश है उसका मैं समर्थन करता हूं और हमारे भाई ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको मैं सिद्धान्त विहीन समझकर उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन इसलिये करता हूं कि हमें जो साहित्य उपलब्ध हुआ है और उसमें जो आंकड़े देखे हैं और चाहे इस पक्ष के या उस पक्ष के सदस्यों के जो भाषण हमने सुने हैं उनसे यह आभास मिला कि विगत तीन चार योजनाओं में कृषि का उत्पादन बढ़ा है। एक किसान का बालक होने के नाते जो अनुभूति रखता हूं....।

(कुछ सदस्यों में 'बालक' शब्द पर प्रतिक्रिया होने के कारण।)

श्री अधिष्ठाता--

मैं आग्रह करूंगा कि जब कोई माननीय सदस्य पहली बार बोल रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिये।

श्री राज किशोर तिवारी--

जब ऐसा कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का कोई काम नहीं हुआ और कोई तरक्की नहीं हुई तो मुझे बड़ी हंसी आती है और ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े सत्य पर पर्दा डाला जा रहा हो। जब यह कहा जाता है कि सन ४२ के पास हम रह गये तो बहुतों को इस बात का आभास होगा कि हम उस वक्त दाने दाने को मोहताज थे और पार्लियामेंट में अपने प्रदेश की दुर्दशा का वर्णन करते हुए एक सदस्य, श्री गहमरी जी रो पड़े थे क्योंकि हमारे यहां लोग गोबर में से दाना निकाल कर खाते थे। अब तो हम यहां सदन में अच्छे या घटिया किस्म के गेहूं की बात करते हैं। उस जमाने में अरजेन्टाइना से जुन्नरी आई थी जिसको खरीदने के लिये लाइन लगती थी। जिसके लिये एक रुपये की गांव की चक्की पीसने पर टूट जाती थी। उसी जमाने में एक प्रान्त में लाखों लोग भूख की ज्वाला से तड़प कर मर गये थे। लेकिन आज जब कृषि के क्षेत्र में कुछ न किये जाने की बात कही जाती है तो हमें बड़ी पीड़ा होती है क्योंकि यह एक प्रकार से सच्चाई पर और इतिहास पर पर्दा डालना है। मुझे विश्वास है कि हमारा प्रदेश दिनों दिन तरक्की करेगा क्योंकि शासन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसकी चतुर्मुखी प्रतिभा है।

इस सदन में भी देखा है और हम बहुत दिनों से जानते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री के शरीर में बिजली का सा दौर होता है और इसलिये हमारी जो आशाएं हैं वह पूरी होंगी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में इंगित किया था कि प्रदेश में भूमि परीक्षण करके उसी के आधार पर जिलों में पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिला जौनपुर की जमीन बड़ी उर्वरक है और यह भी बताना चाहता हूं कि ऊसर तोड़ने की जो बात कही जाती है हमारे यहां किसानों के लिये जोतने को जमीन नहीं रह गयी है और सारी ऊसर जमीन जोत ली गयी है। तो भी हमारा जिला प्रदेश के इनेगिने जिलों में अपना स्थान गरीबों में रखता है। उर्वरक होने का उदाहरण रखना चाहता हूं। हमारे जिले में मूली पैदा होती है जो १५--२० किलो तक की होती है।

मान्यवर, सारे देश में और प्रदेश में ऐसी मूली कहीं नहीं पैदा होती। इसका बीज दूसरी जगहों में सफल नहीं होता यह इस बात का सबूत है कि हमारे यहां की भूमि की पैदावार कितनी अच्छी है। दूसरा उदाहरण दे दूं, हमारे जौनपुर की मक्का सारे देश की मक्का से अच्छी है। शंकर मक्का का जिक्र किया जाता है। मैं कहता हूं कि जौनपुर की मक्का संकर मक्का से बढ़ कर है।

एक सदस्य––

आप मूली वाली बात कर रहे थे ।

श्री राज किशोर तिवारी––

मूली तो मान्यवर, इतनी बड़ी होती है कि अगर विरोधी भाई के कंधे पर रख दी जाय तो विरोध करना भूल जायेंगे। मान्यवर, हमारे यहां भूमि जितनी उर्वरक है, सिंचाई उतना अच्छा साधन नहीं है। शारदा कैनाल की शाखा गयी है जिसमें वर्षों-वर्षों से पानी नहीं आता, लोग तरसते रह जाते हैं। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं, हमारे यहां केवल मड़ियाहूं में १३ ट्यूबवेल इन २५ वर्षों में लग पाये हैं। तो सिंचाई की यह हालत है और भूमि की जो हालत है, यह मैं बता चुका हूं।

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले के लिये कृपया सिंचाई की व्यवस्था करने की कृपा करें। वह वहां की स्थिति को जानते ही हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं है। हमारा जिला उनका अनुगामी रहा है और कार्य क्षेत्र भी रहा है। हमारी कठिनाइयां वह जानते हैं। अतः मुख्य मंत्री जी से पुनः प्रार्थना है कि वह हमारे जिले की कठिनाइयों की ओर ध्यान दें।

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय कल्याण सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, सरकारी पक्ष और विपक्ष के लोग, सभी सहमत हैं कि हमारे देश और प्रदेश की रीढ़ और श्रम का देवता किसान है। उत्तर प्रदेश में लगभग १,२२,६२४ गांव हैं और ८६ प्रतिशत कुल प्रदेश की आबादी में लोग गांव में रहते हैं और केवल १४ प्रतिशत ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं। यह भी, मान्यवर, सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की आबादी का ७४ प्रतिशत ऐसा है जो कृषि पर निर्भर है और उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, आबादी और क्षेत्र की दृष्टि से भी पूरे देश में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस प्रकार, मान्यवर, हम देखते हैं कि कृषि का संबंध केवल खेती करने वालों से ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे भी किसान है जो अपने हाथों से खेती करते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो खेत पर श्रम करके खेती से ही परोक्ष रूप से जीवनयापन करते हैं। कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं जिनका खेती से नाता जुड़ा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पूंजी लगाकर खेती से जीवनयापन कर रहे हैं। तात्पर्य यह कि प्रदेश की आबादी का काफी भाग खेती पर निर्भर है। हमें देखना है कि कौन से कारण हैं कि हम खेती में उस सीमा तक प्रगति नहीं कर पाये। खेती का संबंध सिंचाई से गहरा है। हम किसान को अच्छा बीज, काफी खाद भले दे दें लेकिन जब तक पानी हर खेत तक नहीं पहुंचता, फसल अच्छी नहीं हो सकती और इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक श्री राम कृष्ण और संयुक्त निदेशक श्री त्यागी ने पंजाब और हरियाणा का दौरा किया और कृषि उत्पादन का निरीक्षण किया और अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन न बढ़ने का मुख्य कारण है सिंचाई के साधनों में कमी। मैं यह कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं का विकास किया जाय और उनको प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला प्रसाद वर्मा]

हां जल धरती के बाहर निकालने के लिये विशेष योजना लागू की जानी चाहिये। केन्द्रीय रकार ने अभी कुछ समय पहले पूरे देश का सर्वेक्षण कराया था और उसमें यह पाया या कि उत्तर प्रदेश की धरती में भूमिगत जल काफी मात्रा में है, उसको बाहर निकालने के लिये छोटी-छोटी योजनायें लागू की जानी चाहिये।

इसके अलावा दूसरा नम्बर बीज का आता है। प्रत्येक जिले में एक बीज शोध न्द्र खोलना चाहिये। अभी तक तो यह व्यवस्था है कि पंतनगर विश्वविद्यालय से शोध किया हुआ बीज बांटा जाता है। वहां की मिट्टी, वहां की जलवायु तथा वातावरण जिस प्रकार ा है वैसा प्रदेश के प्रत्येक जिले में नहीं है। यह देखा जाता है कि एक ही जिले में अलग-अलग ेत्रों में अलग-अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार से जिस मिट्टी, जलवायु में स बीज का परीक्षण करके पैदावार की जाती है उसी बीज को पूरे प्रदेश में वितरित किया ाता है लेकिन जिस तरह से उत्पादन शोध केन्द्र पर होता है वैसा अन्य जिलों में नहीं हो ाता है। मेरा सुझाव है कि बीज शोध केन्द्र हर जिले में स्थापित किये जाने चाहिये।

खादों के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि उर्वरक हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल ाते हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने यह बात कही थी कि हरी खाद और कम्पोस्ट खाद को विकसित किया जाना चाहिये और कीट नाशक दवाओं को उपलब्ध कराना चाहिये। किसानों को उनके उत्पादन का प्रोत्साहन मूल्य दिया जाना चाहिये। हम देखते हैं कि किसानों के उत्पादन का जो लागत सूचकांक था वह १९७० से १९७२ तक १०२ रुपये लेकर १४८.२८ पैसा था, ७३ में १४७.१५ पैसा था लेकिन सरकार ने १९६७ में ो मूल्य निर्धारित किया था वही १९७३ तक स्थिर रखा और ७४ में १०५ रुपये या गया। उसका परिणाम यह हुआ कि अपने देश में ६३ लाख के बजाय ० लाख हेक्टेयर में ही गेहूं का उत्पादन किया गया। जो भूमि विकास पर लगाया गया उस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मन्त्री के विचार अखबार में पढ़ने को मिले। उसमें यह हा गया था कि ६० प्रतिशत ग्रामीण कोष में जमा किया गया, १५ प्रतिशत जिला कोष तथा २५ प्रतिशत प्रखंड कोष में जमा किया गया। मेरा सुझाव है कि सारा कर केवल ामीण कोष में ही जमा किया जाना चाहिए और इस विकास कर का ८० प्रतिशत केवल चाई के साधनों पर ही खर्च किया जाना चाहिए।

तीसरी चीज यह है कि कृषि के प्रति हमारी जो नीति है वह अन्तर्मुखी होनी चाहिए। में दूसरे देशों की नकल न करके, दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वदेशी किस्मों की चीजों पर निर्भर रहना चाहिए और स्वदेशी चीजों का फैलाव अपने देश में करना चाहिए। दूसरी ीज यह है कि अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के लागू हो जाने से किसानों के पास मीन थोड़ी रह गई है इसलिए हमें छोटे-छोटे ट्रैक्टर्स का निर्माण करना चाहिए ताकि ोटे किसान भी उन्हें खरीद सकें।

दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था विधेयक, १९७३ जोकि यहां पर ० मार्च, १९७४ को प्रस्तुत किया गया था उसके अध्याय ९ के पृष्ठ ४८ में यह दिया हुआ कि कृषि सेवाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर एक सेवा केन्द्र रहना चाहिए। इस न्द्र द्वारा बीज, खाद, कीटाणुनाशक दवाइयां, पशु रोगों की दवाइयां इत्यादि को उपलब्ध राने तथा औजारों व नलकूपों आदि की मरम्मत कराने जैसी सेवाओं का प्रबन्ध किया ाना चाहिए जिससे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के काश्तकारों को प्राथमिकता के आधार र सहायता प्रदान की जाय.....

श्री अधिष्ठाता---

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें।

श्री कमला प्रसाद वर्मा––

इन शब्दों के साथ मैं माननीय कल्याण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव क समर्थन करता हूं ।

*श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)––

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कृषि अनुदान को पेश किय है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमने आज कृषि में कितनी तरक्की की उ मैं अपने गांव से आंकता हूं। हमारा गांव हिमालय की गोद में बसा हुआ है। वह ऐस जगह है जहां पर धान की खेती होती थी और साल भर में किसान को रोटी के दर्शन नह होते थे। रिश्तेदार जब कोई आ जाते थे तो दूसरों से मांग कर हम उन्हें खिलाते थे। मे कहना यह है कि आज जितने भी आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं वे सब भ्रामक हैं और उन आंकड़ ने सरकार को भी भ्रम में डाल दिया है। जो आंकड़े बताये जा रहे हैं उनका तरीका य होना चाहिए कि जो आंकड़े बनाये जायं वह सही स्थिति हमें दिखा सकें और हमा सामने सही रूप में आ सकें। श्रीमान जी, मेरे ब्लाक में १५ साल तक दो ही ट्यूबवे थे और आज १६ ट्यूबवेल हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि किसान वहां पर जितना अच्छ धान पैदा करता था उतना ही अच्छा आज गेहूं भी पैदा कर रहा है। जिसके पास जितन भूसा होता है उतना ही धान और गेहूं भी होता है। अभी तक सदन में किसी भी माननी सदस्य ने सन्तोष की बात नहीं कही और मालूम पड़ता है कि हमारे विरोध पक्ष के लो खेती ही नहीं करते हैं...

(व्यवधान)

आप लोगों को जानकारी होते हुए भी कहना नहीं चाहते हैं। दिल से नहीं कहते हैं। श्रीमान जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे भी कभी-कभी पन्तनगर, कानपु कृषि विश्वविद्यालय और मसौधा कृषि फार्म के अनुसन्धान केन्द्र में जाने का और उसे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जब वहां जाता हूं वहां हजारों वैज्ञानिकों को देखता हूं तो मेरा मस्तिष्क श्रद्धा से झुक जाता है कि ये ही हमारे किसानों के देवता हैं, मन्दिर जोकि भारत की रचना कर रहे हैं। आप सोचें कि पहले बौना कनपूटिया नाम का गेहूं यह पर आया था जिससे लोगों को गेहूं उपजाने का लालच मिला। उसके बाद हमारे वैज्ञ निकों ने सोनालिका सोनालिका नामक गेहूं की किस्म निकाली जिससे हम आज इस उपज में काफी आग बढ़ गये हैं। मैं सच कहता हूं कि हमारे यहां अनाज की कमी नहीं है लेकिन वह किसान के पास, व्यापारियों के पास और खाने वालों के पास रोक हुआ है जिससे हमें आज कम दिखायी दे रही है।

श्रीमान्, हरित-क्रांति के बारे में लोग शंका करते हैं, अब इसकी कोई दवा नहीं हमारे पास कि अगर इनको देखकर भी दिखाई नहीं देता है। अब हम लोग बता कर सक हैं। अभी भूमि के बारे में, शोधन का कार्य सरकार की तरफ से चल रहा है, यह बहु ही क्रांतिकारी कदम है। क्योंकि किसान को पता नहीं है कि हमारी भूमि में किस चीज की कमी है। पोटाश की कमी नहीं है, लेकिन पोटाश छोड़ते जा रहे हैं, इससे उनका बेका में पैसा खर्च होता है और खेती की भी बर्बादी होती है। एक बात और है मैंने १०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राज बहादुर चन्द]

सैम्पेल्स भेजे थे, ऊसर का भेजा था, लेकिन मुख्य मन्त्री जी आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दसों की रिपोर्ट एक तरह की आई हैं। तो लगता है कि कैसी लापरवाही से अधिकारी लोग जांच करके भेज देते हैं, कभी-कभी इसके बड़े गम्भीर परिणाम किसानों के लिए हो सकते हैं।

श्रीमन्, दूसरी खाद की बात है। हमारे बस्ती जिले में एक फल अनुसन्धान केन्द्र है। उसको देखने से हम समझ सकते हैं कि कैसे ऊसर जमीन को भी हम उपयोगी बना सकते हैं। इस हेतु माननीय सदस्यों को मौका मिले तो वहां आयें, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। वहां पर आंवले के इतने अच्छे वृक्ष हैं, और उनमें इतने अच्छे फल हैं, जिसका कुछ कहना नहीं। बस्ती का जो फल अनुसन्धान केन्द्र है, सरकार ने उसकी जो नींव डाली और उसमें जो शोध कार्य हुए, उसके लिए पूरा प्रदेश और हमारा जिला सरकार का आभारी है। विशेषकर, तेवटिया साहब का काम, जो शुरू-शुरू में वहां रहे, खासकर सराहनीय रहा है।

जहां तक पशुओं का सवाल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश इसमें बहुत ही पीछे है। हमारे यहां न दुधारू गाय हैं, न भैंस हैं और न अच्छे बैल ही हैं। वहां छोटे छोटे बैल २---२ और ढाई-ढाई फुट के आपको हलों में लगे दिखाई देंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऐसी योजना बनाई जाय, जिससे वहां पर अच्छे किस्म के दूधारू गायें व भैंसें पहुंचें और अच्छे बैल भी सरकार उपलब्ध करायें, जिससे वहां कृषि की उन्नति हो सके। खाद के बारे में मुझे यह कहना है कि जब से एग्रीकल्चर विभाग में खाद का काम आया, तब से यह विभाग पथभ्रष्ट हो गया है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विभाग जो शोध का कार्य कर रहा था, जब से खरीद-फरोख्त में जुट गया, तो वहां गबन और भ्रष्टाचार सामने आया। इस तरह से यह विभाग उसमें लग गया और अपने मेन उद्देश्य से विचलित हो गया। इस पर सरकार ध्यान दे। खाद का काम एक जगह होना चाहिए---केवल एक एजेंसी द्वारा होना चाहिए। दो जगह जब भी होगा चाहे जैसा आज प्राइवेट आदमियों और सरकार द्वारा होता है, काम ठीक नहीं होगा। शोध-कार्य और कृषि के प्रचार का काम केवल कृषि विभाग से लिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो आपने एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन बना दिया है, उससे यह सारा कार्य कराया जाय। जहां तक सिंचाई और बिजली का मामला है मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सिंचाई, बिजली और कृषि इन तीनों कार्यों के समन्वय के लिए एक समिति प्रदेश में और हर जिले में होनी चाहिए। कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि विभाग में फाइल पड़ी रहती है महीनों लग जाते हैं। कभी-कभी काम इतना लेट कर दिया जाता है इसलिए आवश्यक है कि प्रदेश स्तर पर और हर जिले में कोआर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। अलग-अलग रहने से एक विभाग का अफसर दूसरे विभाग के अफसर पर टालता है। यह कहा जाता है कि गरीबों के पास सामान नहीं हैं। सरकार ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया है मास्टर प्लान, इसके द्वारा किसी कृषक के पास यदि हिस्से का भी पैसा नहीं है तो सरकार हिस्से का भी पैसा देती है। इससे गरीबों का बड़ा लाभ हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

श्री शारदा प्रसाद रावत।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन हो गये इस ग्रांट पर मेरे दल का कोई नहीं बोला है।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय शिवनाथ जी का नाम कल था। चार बजे तक उनको बोलने का अवसर देने के लिए प्रतीक्षा करता रहा। नियम के हिसाब से लोगों को बुलाया जाता है।

चौधरी रामपालसिंह यादव––

आज दे दें।

श्री अधिष्ठाता––

अवश्य देगें आप स्थान ग्रहण करें।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)––

मान्यवर, रामपालसिंह जी बोलें तो पांच मिनट मेरे टाइम में से निकाल कर दे दें।

*श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। प्रथम इसके कि मैं खेती के बारे में कुछ कहूं, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने खेती के लिए जो बजट बनाया है और उन्होंने जो सब लोगों का आवाहन किया है खेती की तरक्की करने के लिए, उसका मैं स्वागत करता हूं। जो सरकारी आंकड़े दिए हुए हैं मैं एकदम से असहमत नहीं हूं बल्कि उसमें सत्यता भी है। इसमें दो आंकड़ों की तरफ माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1965–66 में गेहूं की जो पैदावार थी वह 37.55 लाख मीटरिक टन थी। 1968-69 में वह बढ़ कर 66.87 लाख मीटरिक टन हो गयी। अगर यह ठीक है, यह पैदावार एकाएक दूनी क्यों बढ़ी ? जब तक ये आंकड़े मेरे पास आये नहीं थे, एक किसान हूं इसलिए मैं यह सोचता था कि जब भी आंकड़ा आयेगा, अवश्य ही 1968 के बाद खेती की तरक्की तेजी से होने की बात अवश्य होगी। मान्यवर, मेरी समझ से इसमें दो बुनियादी कारण हैं। एक यह कि किसानों में जोश आ गया। दूसरा यह कि सरकार भी उधर एकदम से जुट गयी। किसानों में जोश क्यों आया ? १९६५ में पाकिस्तानी हमले के बाद हमारे प्रधान मन्त्री के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि हम या तो अमेरिका के सामने गरदन झुकायें गेहूं के लिए, या किसानों को प्रोत्साहित करें गेहूं पैदा करने के लिए। उन्होंने निश्चय किया हम उपवास करेंगे लेकिन अमेरिका के सामने सर नहीं झुकायेंगे और उन्होंने आवाहन कर दिया किसानों का, कि किसानों पैदावर बढ़ाओ। जिस तरह से १९६२ की लड़ाई में चीन को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने भारत को अस्त्रों से सुसज्जित कर दिया उसी तरह से१९६५ में पाकिस्तान ने हमला करके उसने भारत को अधिक अनाज उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक उसका रेजल्ट रहा कि १९६८-६९ में खाद्यान्न की दूनी पैदावार बढ़ी। उसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश के शासन ने एक विचारधारा अपनाई और वह यह कि कृषि विभाग को प्रोत्साहित किया जाय, सारे साधन कृषि विभाग द्वारा बटवाये जायं ताकि फर्टिलाइजर जो उत्पादन का मुख्य स्रोत है उसको कृषि विभाग द्वारा बंटवाया जा सके और मान्यवर, मुझे अच्छी तरह से याद है कि १९६७, ६८, ६९, ७० और ७१ में ग्राम सेवक किसानों के पास जाता था और पूछता था कि कितने रकबे में कौन-कौन सा गेहूं बोओगे और उसी हिसाब से वह नत्रजन, पोटाश सुपर-सल्फेट खाद के लिए कहता था। आज यह चीज समाप्त हो गई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि कुछ न करें लेकिन १९६८-६९ में पैदावार बढ़ी तथा १९७०-७१ में जो आपको ७६.९ हाइयेस्ट ईल्ड हुई तो उस समय खाद का वितरण किस विभाग के द्वारा होता था? कोआपरेटिव विभाग के द्वारा होता था या कृषि विभाग के द्वारा होता था? जिस विभाग के द्वारा भी उस समय होता था वह किसान के खेत तक पहुंचता था उसी विभाग के जरिए से खाद दिया जाय। हमारे यहां कृषि विभाग का स्टोर को साढ़े चार लाख रुपए की बिल्डिंग खड़ी है। उसमें एक इंचार्ज और स्टाफ बैठता है लेकिन खाद जरा भी नहीं है। कृषि विभाग के जरिए खेती में उन्नति इसलिए हुई है कि ग्राम सेवक और कृषि अधिकारियों की तरक्की खेती की उन्नति से जुड़ी हुई है। सहकारिता विभाग के सुपरवाइजर और अधिकारियों की तरक्की इससे जुड़ी हुई है कि वह कितनी वसूली करता है। जितनी वसूली वह करेगा उतनी ही उसकी तरक्की होगी। एक तो सहकारिता विभाग को खेती का तजुर्बा नहीं है दूसरे उसको इसमें दिलचस्पी नहीं है कि खेती की तरक्की हो। वह तो उन लोगों को खाद देगा जो समय पर रुपया दे जाय। जो जल्दी से कर्जा निपटा दे। ग्राम सेवक तथा कृषि अधिकारियों की इंट्री भी इसी पर निर्भर करती है कि कितनी खेती की उन्नति होती है।

यह कहा गया है कि चार एकड़ तक के किसानों को 5 बोरी नत्रजन खाद देंगे। इससे ऊपर के जो काश्तकार हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा सुझाव यह है कि साढ़े बारह एकड़ से ऊपर वाले काश्तकारों को आप हिदायत दें कि अपने साथ वे डेयरी फार्म भी रखें जिससे वे खाद की कमी को पूरा कर सकें। उनको गोबर की खाद मिलेगी और गैस प्लान्ट भी होगा। आपके विभाग में जो चीज है कि बड़े किसानों को खाद नहीं देंगे तो वह चीज भी पूरी हो जायेगी।

सघन खेती क्यों नहीं कामयाब हो रही है। 1972-73 में खेती की पैदावार कम हुई है। आज किसान के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि अच्छा गेहूं और खाद क्यों बोये क्योंकि उसको खाद नहीं मिलेगी, अगर खाद नहीं मिलेगी तो पैदावार नहीं होगी। लिहाजा उसके दिमाग को बदलने के लिए मनोवैज्ञानिक बात बतायें कि देशी खाद से भी अच्छे किस्म के गेहूं की पैदावार की जा सकती है। अब मैं पशु पालन के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको पशुओं की तरक्की करनी चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांड़, भैंसें जो छोड़े जाते हैं तो वह देशी छोड़ दिए जाते हैं या जो छुट्टा जानवर हैं उनको छोड़ दिया जाता है। ये अच्छे नस्ल के जानवरों को खराब कर देते हैं। लिहाजा मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि एक ऐसा आदेश इस सम्बन्ध में अवश्य दें कि जो भी छुड़वा सांड़ छोड़े जायेंगे उसके बछड़े पशु पालन विभाग से एप्रूव कर दिये जायें। जो भी सांड़ छोड़े जायें वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों। यह जब तक नहीं होगा तब तक नस्ल बरबाद होती जायगी। सरकार को चाहिए कि जो देशी नस्ल के सांड़ हैं उनको पकड़वा लें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री विद्याधर (जिला इलाहाबाद)--

अधिष्ठाता जी, मुझे आपने अनुमति दी आज के इस कृषि बजट पर बात अपनी कहने की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कृषि ऐसा विषय है जिस पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे बात याद आ जाती है अपनी उस जनता की, उस असहाय जनता की, उस शोषित और पीड़ित जनता की जिससे मैं प्रतिबद्ध हूं। इस उम्मीद के साथ कि माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा रखा गया यह बजट और उसकी धनराशि ज्यादा से ज्यादा उस गरीब, कमजोर और शोषित तक पहुंचे, उस विश्वास के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ मैं विश्वासघात नहीं कर पाऊंगा और इस बजट के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करूं यह मेरी खुशकिस्मती होगी। अधिष्ठाता जी, यह कृषि आज के इस वैज्ञानिक युग में केवल यह कहना कि यह कृषि प्रधान देश है या कोई दूसरी दुनिया है, ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ठीक कहा कि यह एक बिशेष उद्योग है और आज के इस वैज्ञानिक युग में सचमुच इसे एक विशेष उद्योग करके ही मानना चाहिए। कृषि और उद्योग, देहात और शहर, बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम इसकी खाई को समाप्त किया जावे। हमारा समाज सामन्तवादी और पुरातनवादी या यों कहिये जो थैलीशाही और नौकरशाही है उसका यह कच्चा बच्चा है। उस खाई में विश्वास उनका है लेकिन जिनके दिमाग में आगे आने वाली समाजवादी समाज की तस्वीर साफ है वे बिलकुल आश्वस्त हैं कि सचमुच कृषि भी उद्योग ही है।

हम ने अपने विरोधी दल के आज के नेता का नागपुर में व्याख्यान सुना था और समझा था, उन्होंने माना था कि कृषि की दूसरी दुनिया है और उद्योग की दूसरी दुनियां है, देहात की दूसरी दुनिया हैं और शहरों की दूसरी दुनिया है, शारीरिकता की दूसरी दुनिया है और बौद्धिकता की दूसरी दुनियां है लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते जावेंगे, संघर्षों और चपेटों में वह दिन आता जायगा जिससे यह फासला दूर होता जावेगा। हमें याद है कि हमारे विरोधी दल के नेता ने हमारे उस प्रगतिशील प्रस्ताव का दल के अन्दर रहते हुए भी घोर विरोध किया था। कृषि से सम्बन्धित, भूमि सुधार से सम्बन्धित चाहे वह सीलिंग हो, चाहे स्टेट ट्रेडिंग हो और चाहे कोआपरेटिव फार्मिग हो उन सब का उन्होंने घोर विरोध किया था।

मुझको उस समय ताज्जुब हुआ था यह जानकर कि जवाहरलाल जी का नेतृत्व, हमारे कांग्रेस की प्रगतिशील नीतियां और उसमें ऐसा व्यक्ति कैसे पड़ा हुआ है, उस समय यदि ऐसा व्यक्ति हटा दिया गया होता तो मेरा ख्याल है कि कांग्रेस आज अधिक शक्तिशाली होती लेकिन हमने देखा कि उसके बावजूद भी ऐसे लोग दल के अन्दर बने रहे और उससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह रही है कि उनके साथ उसी मिनिस्ट्री का तामझाम भी लगा रहा, उनके पास वही विभाग भी करीब-करीब वही रहे जिस पर मैं आज अपना विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ऐसे लोगों को उसी जमाने में ही निकाल देना चाहिए था लेकिन आज इस मौके पर जब ऐसे लोग निकले हैं तो हमारा ख्याल है कि आज उनके सामने हमारा जो नया नेता है, जो हमारे देश का नेता है, विरोधी दल के नेता के जैसे विचार हैं बिलकुल उसके उलटे हमारे नेता हैं जो नये इन्सान, नये समाज और नयी अर्थ व्यवस्था में विश्वास रखने वाले हैं।

आज उन नेता से हम आशा करते हैं कि एक जमाने से जो भूमि सुधार की चर्चा चली आयी है उसको वे गम्भीरता से लेंगे और इसका दूसरा फेज सीलिंग है उसको अच्छी तरह देखेंगे और जो भूमिधर हैं उनके लिए जो ललकार उन्होंने लगायी है उससे वह काफी सहम गए हैं लेकिन मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से चाहूंगा कि उनके पीछे इतने पड़ें कि वे भूमिधर डर जायं और उनके पंजे से जमीन निकल जाये और वह जमीन उन लोगों को दी जावे जिसके असल हकदार वे लोग हैं जो मजदूर हैं। जो गांव समाज की जमीन है, जो बची हुई जमीन है और सीलिंग की जमीन है वह वह जमीन है जिस पर मजदूर काम करता है, काम करता चला आया है लेकिन यह उसकी बदकिस्मती है कि वह उसकी नहीं रही है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त ।

श्री विद्याधर--

और हम मुख्य मन्त्री जी से यह अपेक्षा करते हैं कि उन दीनों गरीबों और मजदूरों को वह लाभ पहुंचावेंगे क्योंकि उन्हीं के आधार पर समाजवाद की तस्वीर बनना अवश्यमभावी है और इससे समता अधिक बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं। मैं यह भी चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता--

अब अपना स्थान आप ग्रहण करें। श्री शिवनाथ सिंह।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार की तरफ से कृषि के इस महत्वपूर्ण विषय पर तरक्की के बड़े-बड़े आंकड़े पेश किये गये हैं और माननीय सदस्यों ने इस विभाग की बेहबूदी की तरह तरह की बातें कहीं। इसके बारे में प्रदेश में जीताजागता नमूना एक ही सामने दिखाई देता है कि आज प्रदेश में जहां जमीन में इतनी उर्वरक शक्ति है, प्राकृतिक साधन हमारे पास है। इसके बावजूद २७ साल गुजरने के बाद भी न जाने कितने हरिजन और छोटे अल्प वेतन भोगी लोग अत्यधिक संख्या में भुखमरी के शिकार हैं और देश दूसरे देशों का मुहताज है। अन्न के बारे में भीख मांग कर किसी तरह से अपना जीवन बिताता है। इसके बारे में मैं आपसे एक ही अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार की गलत नीतियों का यह प्रतिफल है कि आज हमारे यहां जहां बहुसंख्यक लोग खेती करते हैं, इसके बाद भी हमारा प्रदेश आज जबरदस्त भुखमरी का शिकार है। यह केवल योजनाओं का दोष है और उन योजनाओं को मौटे तरीके से देखें कि सरकार ने इस विभाग में जबरदस्त अधिकारियों की एक लम्बी फौज की भर्ती कर ली है।

जिला जालौन में अधिकारियों की जगह बैठने के लिए न होने के कारण शिफ्ट लगती है। आज मोटे तरीके से जैसे देखें आपकी भूमि संरक्षण योजना और बीहड़ सुधार योजना जिनका एक ही नेचर का, एक ही किस्म का काम है और दो प्रथक-प्रथक डिप्टी डायरेक्टर केवल कानपुर में ही रहते हैं जिनका एक ही कार्य क्षेत्र है और इस प्रकार की लम्बी फौज जो जनता से सीधे सम्बन्ध नहीं रखती है। केवल कागजी फाइलें ये अधिकारी और कर्मचारी लोग चलाते रहते हैं। अगर सरकार को इस तरह से जनता को सुविधा पहुंचाना ही है तो इस खेती के बारे में केवल यह आवश्यक है कि ग्राम सेवक को जनता के बीच में आकर जनता को कुछ खेती के बारे में बताना है, लिखना है साधन जुटाना है।

अगर सरकार किसानों को खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती है तो ग्राम सेवक जैसे लोगों को और ज्यादा भर्ती कर लें। खेती की तरक्की के लिए अगर सरकार चाहती है कि साधन जुटाए जायें तो सबसे पहले पानी उपलब्ध करायें, तब खाद और उसके बाद बीज। यह सरकार के सामने स्थिति खुलासा है कि पानी की बेतहाशा कमी के कारण इतनी उर्वरा जमीन होने के बावजूद उसमें हम पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं पैदा कर पाते हैं। हमारे बुन्देलखंड का इलाका पिछड़ा हुआ है। इस इलाके की तरक्की के लिए, खेती की तरक्की के लिए और यातायात की तरक्की के लिए साधनों को जुटाना चाहिए। किसानों के लिए जो आधुनिक व्यवस्था खाद, बीज वगैरह के लिए है वह समय से नहीं मिलती है। आज की स्थिति यह है कि जब समय निकल जाता है तब हमारे यहां बीज पहुंचता है और खाद पहुंचती है। उसका परिणाम यह होता है कि पहले तो किसानों को जबरदस्ती बीज और खाद दिया जाता था, परन्तु अब किसानों को मांगने पर भी खाद और बीज नहीं मिलता है और मिलता भी है तो वह समय बीत जाने के बाद मिलता है।

मान्यवर, किसानों के हित के लिए समय से उनको बीज, खाद आदि सप्लाई करें। जैसे आपके यन्त्र हैं, इन यन्त्रों को बड़े-बड़े व्यवसायिक लोग ले लेते हैं। बड़े-बड़े कोटा लेकर ये तमाम बड़े-बड़े लोग इस तरह से बेजा लाभ उठाते हैं। आज किसानों को यन्त्र कायदे से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। पर्याप्त मात्रा में अधिक से अधिक साधन सरकार को जुटाने चाहिए ताकि किसान उनसे समुचित लाभ उठा सकें।

हमारे प्रदेश में एक पशुपालन विभाग है। १९४८-४९ से ६४ तक यह कृषि विभाग में शामिल था। इस दौरान में इस विभाग में ८२ लाख रुपए का घाटा हुआ और उसके बाद १९६४ से १९७३ तक अर्थात् ९ वर्षों में करीब २ करोड़ रुपए का घाटा हो गया है और उपलब्धि क्या हुई, विभाग प्रथक होने से हर वर्ष जो ५ लाख रुपए का घाटा होता था वह २२ लाख रुपया प्रति वर्ष हो गया है। पशुओं की उपलब्धि का जहां तक सम्बन्ध है वह मुर्रा भैंस या साहिवाल गाय वगैरह थीं, उनके दूध का जो उत्पादन था वह नीचे चला गया। भैंस का दूध जो पहले १९३ किलो होता था वह घटकर ९२ किलो प्रति व्यांत रह गया है। इसी प्रकार से गायों का भी पहले भी १२५ किलो ग्राम प्रतिव्यात दूध वह भी कम हो गया है।

जहां तक ट्रैक्टरों का सम्बन्ध है उनके बारे में हमारी जो योजनायें हैं, उनका भी कोई ठोस उपयोग नहीं हो पाता है। गिना-गिनाया काम करने पर भी मरम्मत में बहुत खर्चा करते हैं और इस प्रकार से इस विभाग में बड़ा ही भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जब तक खेती को डाक्टर लोहिया के अनुसार मुनाफे का धंधा नहीं बनाया जायगा तब तक हमारी खेती की समस्या हल नहीं हो सकती है और देश का विकास सम्भव नहीं।

अन्त में मुझे यह निवेदन करना है कि हमारी तमाम भूमि परती बंजर पड़ी हुई है। मेरी प्रार्थना है कि इसको भूमिहीनों को बांट दी जाय ताकि उनकी बेकारी दूर हो और अन्न की समस्या भी हल हो सके। इस प्रकार की हमारी सरकार को एक योजना बनानी चाहिए। तभी हमारे यहां की गल्ले की समस्या हल हो सकती है।

श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण खेती के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। हमारे देश की तीन चौथाई जनसंख्या खेती पर निर्भर है और खेती प्रकृति पर निर्भर है। इस प्रकार से इस देश और प्रदेश की खेती एक जुआ है। आज तक ४ पंचवर्षीय योजनायें बनायी गयीं लेकिन खेती की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और यही कारण है कि इस देश और प्रदेश की एक तिहाई जनता भुखमरी के कगार पर खड़ी हुई है। १९७०-७१ के जो आंकड़े गृह विभाग के हैं उनके अनुसार २ हजार व्यक्ति प्रति वर्ष इसलिए आत्म हत्या करते हैं कि उनको और उनके परिवार वालों को भर पेट भोजन नहीं मिलता है। हमारी सरकार ने हरित क्रांति का बड़ा शोर मचाया कि हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे, हमें विदेशों से अनाज नहीं मंगाना पड़ेगा। इसलिए खेती की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही सिंचाई के साधनों को बढ़ाया गया। इसका नतीजा यह हुआ है कि जिस तरह से हमारे माननीय सदस्य चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि खेती का उत्पादन बढ़ा है, मैं उनसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि

[श्री राम प्रकाश यादव]--

उत्पादन बढ़ा नहीं है, घटा है। १९६९-७० में १० करोड़ ९४ लाख टन गल्ला हमारे देश में पैदा हुआ। १९७१-७२ में वह घट कर १० करोड़ ४६ लाख टन रह गया और १९७२-७३ में वह और घटकर सिर्फ १० करोड़ टन रह गया और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब एस०वी०डी० की सरकार थी तब यह १९४ लाख टन पैदा हुआ था और जब यह कांग्रेस की सरकार आयी तो वह २० लाख टन घट कर १७४ लाख टन ही रह गया। इस उत्पादन के घटने का मूल कारण यह है कि हमारे प्रदेश के किसानों को उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलता है।

मान्यवर, गेहूं की पैदावार तब अधिक होगी जब किसान को उसका उचित मूल्य दिया जायगा। तभी उसके दिन में उपज बढ़ाने का माद्दा पैदा होगा। राष्ट्रीय बीज निगम जो कि सरकारी संस्था कही जा सकती है, उसके आंकड़े के अनुसार गेहूं का मूल्य ११२ रुपए प्रति क्विंटल आना चाहिए जबकि इस सरकार ने सिर्फ १०५ रुपए क्विंटल दिया है और मेरे विचार से वह १५० रुपए होना चाहिए। खेती के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता पानी की होती है और २/३ भाग यहां का असिंचित है। २७ साल की आजादी के बाद भी सिर्फ ५ परसेंट सिंचाई के साधन यहां बढ़े हैं यह बड़े शर्म की बात है। असल में बात यह है कि इंदिरा देवी के सहारे पर हमारे मन्त्रियों को रहना पड़ता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के किसान को इन्द्र देवता के सहारे पर रहना पड़ता है। परन्तु अब शायद एक ऐसी किरण फूटी है कि हमारे मुख्य मन्त्री जो, जैसा कि सुनने में आया है, इंदिरा जी के सहारे पर नहीं हैं तो शायद इस प्रदेश का भी भला होगा और इन मन्त्रियों का भी भला होगा।

आज आवश्यकता है नलकूपों की और हमारी सरकार लगा रही है "लूप" और उसमें भी इतना भ्रष्टाचार है कि मेरे ही जिले में ५ लाख रुपए का घोटाला इस लूप और नसबन्दी के दौरान हुआ है...नल कूप और "लूप" की बात कह रहा था। यदि प्रदेश की उन्नति होनी है तो खेती में उन्नति करनी होगी और खेती की उन्नति करनी है तो सिंचाई के साधन बढ़ाने होंगे। हमारे क्षेत्र में कुरसंडा रजबहा है माट डिवीजन का है उसका निर्माण हुए १५ वर्ष हो गये, लेकिन उस क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ भूमि निर्माण में चली गई परन्तु इतने वर्षों से १५ दिन भी पानी रजबहे में नहीं आया है। मेरे क्षेत्र में नलकूपों की भी उपेक्षा की गयी है। बहुत थोड़े लगाये गये हैं और वह भी बेकार पड़े हैं। कुछ दिन पूर्व गुतैरा गांव में नलकूप लगा, ४ दिन के बाद से खराब पड़ा है। खाद भी जो कृषि के लिए आवश्यक है उसको आप पूरी नहीं दे पा रहे हैं और अगर जो भी मिलती है, ब्लैक से मिलती है। बीज गोदामों पर परती लगाकर खाद निकाल ली जाती है और सीड स्टोर इंचार्ज एक या दो साल के अन्दर लखपती हो जाता है। हमारे मथुरा, कोसी बीज गोदामों पर भी बहुत गड़बड़ी हुई और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने पता नहीं क्या जांच की कुछ पता नहीं।

इसके बाद उन्नतिशील खेती के लिए ट्रैक्टर्स की जरूरत है। एक तरफ आप सीलिंग लगाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रैक्टर्स के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। १९६६ में जीटर ट्रैक्टर १३,४४७ रुपए में मिलता था अब उसका मूल्य ३३ हजार हो गया है और मैसी-फरगूसन का मूल्य ४० हजार है, उस पर १८ हजार का ब्लैक है। तो एक तरफ तो सीलिंग और दूसरी तरफ ट्रैक्टरों के मूल्य अधिक, इससे खेती पर कितना बुरा असर पड़ेगा? कौन ट्रैक्टर खरीदेगा? और खरीदेगा भी तो कर्जा लेगा और उससे इतना दब जायगा कि उसे अपनी खेती भी बेचनी पड़ेगी।

उन्नतिशील बीजों के लिए मेरा यह सुझाव है कि हर जनपद में एक बीज संस्थान खोले जायं जिससे उन्नतिशील बीज मिल सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य कल्याण सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित है क्योंकि करीब ७५ प्रतिशत व्यक्ति इस प्रदेश का कृषक है। लेकिन प्रतिवर्ष कृषि की वृद्धि इस प्रदेश में १.६६ होती है जबकि देश में ३.०१ और पंजाब में ४.५६ प्रतिशत प्रति वर्ष है। गेहूं के औसतन उत्पादन में इस प्रदेश ने अच्छी तरक्की की है। १९७०-७१ में आजादी से पूर्व उत्पादन तिगुना हो गया। लेकिन उतनी तरक्की चावल के उत्पादन में न हो सकी। पंजाब, हरियाणा में तो ४४ प्रतिशत के करीब गेहूं में वृद्धि हुई है, जबकि यहां आधी ही हुई है। चावल के उत्पादन में भी हम पंजाब, तामिलनाडु और आंध्र के मुकाबले करीब आधे ही हैं। गन्ने में भी इसी प्रकार की स्थिति है। तो जब तक हम अपने खेत की पैदावार को नहीं बढ़ायेंगे तब तक प्रदेश और देश की जनता का भला नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, प्रति वर्ष जमीन कटती जाती है, घटती जाती है और बटती भी जाती है। आजादी भी बढ़ रही है इसका एकमात्र उपचार यही है कि सघन खेती पर जोर दिया जाय। विरोधी पक्ष के एक माननीय नेता ने कहा कि आजादी के बाद से हमारे यहां सिंचाई के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आजादी के समय यहां जितने सरकारी नलकूप थे आज उनकी संख्या बढ़कर ६ गुना हो गयी है, जितने निजी नलकूप थे, उनकी संख्या बढ़कर १०० गुना अधिक हो गई है, पम्पिग सेट्स भी जितने १९५०-५१ में थे, उससे १६३ गुना अधिक हो गये हैं। ४२ प्रतिशत सिंचाई के साधन आज उपलब्ध हैं जबकि हिन्दुस्तान में कहीं भी इतने सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। हिन्दुस्तान का सिंचाई औसत करीब २२ प्रतिशत है। सिंचाई, खाद और उत्तम बीज पर अच्छी खेती निर्भर करती है। सिंचाई के अच्छे साधन हमारे पास हैं, भूमि भी अच्छी है, बीज भी है, फिर क्या कारण है कि कृषि की पैदावार में अच्छी वृद्धि नहीं हो रही है? इस प्रश्न पर हमारे वैज्ञानिक कानपुर वैज्ञानिक संस्थान में तथा पन्तनगर यूनिवर्सिटी में और शाहजहांपुर गन्ना रिसर्च स्टेशन पर अध्ययन कर रहे हैं। उन सभी के लिए आज यह एक चुनौती है कि किस प्रकार प्रदेश की उपज को बढ़ाया जा सकता है।

हमारे प्रदेश में मान्यवर,दो फसली क्षेत्रफल में भी बढ़ोत्तरी तो अवश्य हुई है।

एक सदस्य--

माननीय वर्मा जी यह गलत बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति की है और वह सबसे आगे है .... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

जब आपको समय मिले तब आप कहें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि जब तक हम अपने प्रदेश में २ फसलें और बहुफसलों की पैदावार नहीं बढ़ायेंगे, उस समय तक हम अपने प्रदेश की खेती का उत्पादन और आर्थिक अवस्था को ठीक नहीं कर सकते हैं। अभी केवल ८ लाख हेक्टेयर भूमि में ही दो फसलें पैदा होती हैं।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]—

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जायं और देखें कि कहीं एक भी खेत खाली नहीं मिलेगा। प्रत्येक किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद में तीसरी फसल लेता है। मैं तो अपने मुख्य मन्त्री जी से आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि वह किसानों का भ्रमण करायें। प्रदेश के मध्य, पूर्वी, बुन्देलखण्ड भाग का कृषक यदि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जाये तो वह (व्यवधान) (लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी तो मैंने बहुत कम बोला है।

श्री अधिष्ठाता—

आप ६ मिनट तक बोल चुके हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो उनकी बाबत कुछ नहीं कहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बोलिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि अगर मध्य, पूर्वी और बुन्देलखण्ड का कृषक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर कृषि को देखे तो मुझे यकीन है वह अपनी कृषि की पैदावार बढ़ायेगा। आज यदि उत्तर प्रदेश का कृषक, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आन्ध्र तामिलनाडू और दूसरे प्रदेशों में जाये और देखे कि-किस तरह से वहां काश्तकार अपनी खेती करता है, तो उसको एक सबक मिलेगा और खेती का उत्पादन वह बढ़ायेगा।

जितने क्षेत्र में सिंचन क्षमता है यदि उतने क्षेत्र में जब तक २ फसलें या बहु फसलें न उगायीं जायेंगी तब तक प्रदेश का आर्थिक विकास मुश्किल है। कृषि निदेशालय का यह फर्ज हो जाना चाहिये कि वह सारे सिंचित क्षेत्रफल पर २ फसलें और बहु फसलें उगवाने की कोशिश करे।

दूसरा सुझाव मैं खेती की पैदावार बढ़ाने के बारे में जो देना चाहता हूं। मान्यवर, यह खाद है। मान्यवर, खाद की कीमत पहले से ही अधिक थी अब २ गुनी हो गयी है। इसकी वजह से निर्धन और सीमान्त कृषक इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे अतः पैदावार घटेगी।

आज विदेशों से २०० रुपये क्विंटल गेहूं मंगाते हैं और उसको सब्सीडाइज करके कन्यूमर्स को दिया जाता है। मान्यवर, क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री केन्द्रीय सरकार को यह लिखें कि वह जो किसान गरीब हैं, निर्धन हैं, जो सीमांत कृषक हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर खाद दें तथा उसके उत्पादन के लिये उसमें हुए व्यय को ध्यान में रखकर लाभप्रद कीमत उस कृषक को दें जिससे उसकी आर्थिक अवस्था में सुधार हो सके।

मान्यवर, आज जो खाद की कमी है, इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कम्पोस्ट खाद का अधिक प्रयोग होना चाहिये इसमें ५ प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। अगर आप गोबर गैस के प्लांट गांवों में घर-घर में स्थापित करायें तो अनेक लाभ होंगे। इसके जरिये जो खाद मिलेगी उस में २ प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। इसकी गैस का इस्तेमाल अन्य कामों में आयेगा। इसलिए मैं आप के जरिये मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि इस प्रदेश में एक से एक धुरंधर, कृषि के पंडित जो माने जाते हैं, मन्त्री रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश की पैदावार को पंजाब, हरियाणा, तामिलनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली की पैदावार के मुकाबले नहीं बढ़ा सके हैं। इसमें वह असफल रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खाद की निजी एजेंसियां, जो खाद को ब्लेक मारकेट में बेचती हैं, एडल्ट्रेशन करती हैं उनके पास यह नहीं रहनी चाहिये। जो हमारा कृषि विभाग है, कोआपरेटिव विभाग है, गन्ना विभाग है तथा एग्रो, उनके पास यह एजेंसियां रहनी चाहिये। यह मेरा सुझाव है।

इसी तरह मान्यवर, दालों का चाहे वह उरद की दाल हो, या मूंग की दाल हो या अरहर की दाल हो, यदि आप १९५० के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि उनकी औसत उपज और पैदावार का क्षेत्रफल घट रहा है । दालों से प्रोटीन मिलता है इसलिये इनके क्षेत्रफल को बढ़ाया जाना चाहिये तथा प्रति एकड़ पैदावार को भी बढ़ाया जाना चाहिये । वैज्ञानिक जो शोध करते हैं तो यदि उसको अनपढ़ निर्धन किसान के घर पर नहीं पंहुचाया जायेगा तो पैदावार नहीं बढ़ सकती है ।

मान्यवर, इसी प्रकार भूमि तथा जल संरक्षण की प्रदेश में बड़ी आवश्यकता है । १९७३–७४ में १ लाख ६ हजार हेक्टेयर भूमि में संरक्षण किया गया । चालू वर्ष में अर्थात् १९७४–७५ में १ लाख ९ हजार हेक्टेयर भूमि में संरक्षण करने का इरादा है । मेरा सुझाव है कि इसको और बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिये ।

एक बात मैं मान्यवर, बीज के सिलसिले में कहना चाहता हूं । सभी विशेषज्ञ कहते है कि उत्तम किस्म का बीज बोया जाय तो १० से १५ प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ सकता है । कोआपरेटिव सीड स्टोर जो प्रदेश में अधिकांश बीज बांटते हैं, ८०–८५ प्रतिशत बीज सी क्लास का बांटते है । १ अक्तूबर, १९६९ से प्योर सीड ऐक्ट लागू इस प्रदेश में किया गया है और जिला कृषि अधिकारियों को बीज निरीक्षक भी नियुक्त किया गया है । लेकिन फिर भी सी क्लास के बीज को वे लोग प्रमाणित करते हैं । इसलिये पैदावार में गिरावट हो रही है ।

दूसरी बात मान्यवर, स्टोरेज की है । यदि ठीक से स्टोरेज किया जाय तो चूहों तथा कीड़े-मकोड़ों से ५ प्रतिशत से ७ प्रतिशत पैदावार को बचा सकते है । इसलिये वार-फुटिंग के आधार पर किसानों के घर-घर में स्टोरेज की सुविधा देने की कोशिश करनी चाहिये ।

ऋण के सम्बन्ध में प्रदेश की सरकार ने कुछ किया है । केन्द्र सरकार ने अलाभकर जोतों को कम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था कराई है । करोड़पतियों तथा बड़े-बड़े व्यापारियों को ६ से ७ प्रतिशत पर ऋण दिया जाता है परन्तु कृषकों को १२ प्रतिशत पर ऋण दिया जाता है । इसलिये गरीब किसानों को कम रेट पर ऋण दिया जाना चाहिये ।

मान्यवर, ज. से निदेशालय की स्थापना हुई है २४०० हेक्टेयर से बढ़कर ६३ हजार हेक्टेयर से भी अधिक पहाड़ों में फलों के बाग हो चुके है । लेकिन पहाड़ के आदमियों को जो फल सब्जी पैदा करते हैं उनको फल व सब्जी ले जान तथा बिक्री की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उनका शोषण होता है । इसलिये फलों के बिक्री और इक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दें ।

मान्यवर, पशुपालन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि मुजफ्फर नगर, मेरठ तथा बुलन्दशहर के जिलों में ही यदि पशु नस्ल में सुधार कर दिया जाय तो हरियाणा तथा पंजाब से पशुओं को मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

सेमिनार की बात है । दो फसलें देश में होती हैं–रबी और खरीफ की प्रत्येक जिले में दोनों फसलों के ऊपर अलग-अलग सेमिनार किये जायं । गन्ना तथा फलों का अलग-अलग सेमिनार किया जाय । इस तरह शोधकार्य काश्तकारों तक और काश्तकारों की दिक्कतों का रिसर्च वालों को पता चलेगा जिससे वे मिल जुलकर इस प्रदेश का विकास कर सकेंगे ।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

मान्यवर, मैंने श्री कल्याण सिंह जी के विचारों को सुना । जो उन्होंने कई रचनात्मक सुझाव दिये है और कहा हैं कि कटौती कर के अनुदान की धनराशि को एक रुपया कर दिया जाय । लेकिन यदि कटौती करके उस धनराशि को एक रुपया कर दिया जायेगा तो वे क्या जादू के डंडे से उन सुझावों को लागू करेंगे । इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मंत्री जी ने बजट जो पेश किया है उसका प्रबल समर्थन करता हूं ।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन का ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं जिधर कि न तो सत्ता पक्ष के लोगों ने ध्यान दिया है और न विपक्ष के हमारे साथियों ने । मान्यवर, कृषि से सम्बन्ध रखने वाले मूल विषय दो है । एक तो आधुनिक युग के वैज्ञानिक साधन है और दूसरी तरफ मनुष्य की शक्ति । आज उत्पादन पर भाषण हो रहे हैं. खाद और पानी की बात की जा रही है । लेकिन हम पूरे प्रदेश के यहां जो सदस्य हैं और जो किसानों से सम्बन्ध रखते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया है । किसान की क्या कैटागिरी है, किसान क्या कहता है और किसान कहां तथा कौन है, इस पर किसी सदस्य ने कहीं कहा है ? उत्तर प्रदेश की तरक्की तभी हो सकती है जबकि मनुष्य की श्रम शक्ति पर ध्यान दिया जायेगा । मनुष्य का श्रम ही खेती में काम आता है और जो खेती में काम करते है वे ही किसान है । लेकिन किसान की परिभाषा हमारी सरकार ने उन लोगों को दी है जिनके पास सैकड़ों और हजारों बीघे जमीन है जैसा कि हमारे सत्तापक्ष के माननीय सदस्य बोले है । लेकिन क्या बतायेंगे कि बुलन्दशहर में ५०० बीघे की बाग जिसको चमन बाग कहते है जिनके पास है वे अभी भी किसान की बात करते हैं, क्या किसान उसको कहते हैं कि जो पालियामेंट में बैठे । बुलन्दशहर से वे चुने गये हैं जिनका नाम है श्री सरेन्द्र पाल । इनके पास सैकड़ों बीघे खेती है । इससे उत्पादन अधिक होगा । लेकिन उससे लाभ किसको होगा जो चौपाटी पर रहते है ।

फारेन से आने वाले राजदूत अच्छा गेहूं खायेंगे । तीन दिन पहले जो कोटे से गेहूं मिला था वह बहुत ही खराब था । मैं साफ कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने की बात सभी कर रहे है लेकिन उत्पादन चाहे १०० गुना भी बढ़ जाय जनता को गेंहूं मिलने वाला नहीं है । कृषि के उत्पादन बढ़ाने का सम्बन्ध रसायनिक खाद और नौकरशाही से है । समय कम है इसलिये मैं सारी बाते बतलाना नहीं चाहता हूं लेकिन खेती पर अगर चन्द इजारेदारों का ही कब्जा रहा तो सरकार कितनी भी योजनाओं पर योजनायें बनावे, कुछ होने वाला नहीं है आप कहते है कि बिजली कम है लेकिन अगर सारे खेतों में भी बिजली पंहुच जाय फिर भी उत्पादन बढ़ाने का स्वप्न पूरा होने वाला नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणा और पंजाब का जिक्र किया लेकिन मैं पूर्वी जिले का रहने वाला हूं इसलिये वाराणसी, बस्ती, बहराइच वगैरह के बारे में ही बतला सकता हूं । मैं १५ साल पहले बढ़ौत गया था तो देखा कि वह खेती में बहुत आगे है लेकिन मेरे इलाके में हाल तो यह है कि खाद में नमक मिला दिया जाता है और इसके रोड़े कुछ दिन पूर्व मैंने खाद्य मंत्री को भेजे थे । इस तरह से उत्पादन कैसे बढ़ सकता है । उत्पादन बढ़ाने के लिये बीज का बड़ा महत्व है लेकिन उत्पादन पर थोड़े से लोगों का कब्जा होने से वह भी अच्छा मिल नहीं पाता है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने का फैसला दिल्ली में बैठकर कृषि मंत्री जी और जो नाजायज फायदा उठाते है वह कर लेते है । उसमें किसान से बिलकुल नहीं पूछा जाता है । अगर उत्पादन बढ़ाना है तो हमें भाव निर्धारित करने दें । इसी तरह से दिल्ली में बैठकर गन्ने का भाव निर्धारित हो जाता है । इसको उद्योग मंत्री और कृषि मंत्री तय कर देते हैं लेकिन किसान से कोई नहीं पूछता है । अगर किसान से बगैर पूछे भाव निश्चित किये जायेंगे तो किसान की हालत खराब होती चली जायेगी ।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला लखीमपुर खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मुझे भी पांच मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय कल्याण सिंह जी को बोलना है । समय कम है और समय के अन्दर ही यह अनुदान पास होने हैं । आप उनके समय में से यदि वे चाहें तो ५ मिनट का समय ले लें ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)––

मान्यवर, मेरे समय में से ५ मिनट का समय इन्हें दे दें ।

श्री राज ब्रजराज सिंह––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि के विषय में काफी चर्चा हो चुकी है । मैं सिद्ध कर सकता हूं कि सरकार कृषि की किस प्रकार उपेक्षा कर रही है । कृषि के विषय पर चर्चा होती रही है और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी काफी समय के लिये बाहर थे और शायद उन्होंने बहुत सी बातों को सुना भी न हो । खेती एक महत्वपूर्ण विषय है । केवल हमारा देश ही नहीं, हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान है । यहां ७८ फीसदी लोग कृषि पर लगे हुये हैं । कृषि के लिये चार चीजें मुख्य हैं । खेती में अधिक उत्पादन के लिये खाद, पानी और बीज अत्यन्त आवश्यक चीजें हैं ।

पानी के विषय में यह कहना है कि सरकार लूप तो लगवा रही है लेकिन नलकूप नहीं लगवा रही है । अगर नलकूप लग जाते तो ५० प्रतिशत भूमि सिंचित हो जाती । सीलिंग लगने से पहले एक व्यवस्था थी कि जो बोरिंग करायेगा उसे ५ एकड़ की छूट दी जायगी । लेकिन अब १८ एकड़ सिंचित और २७ एकड़ असिंचित रख दी है, जिसके फलस्वरूप लाखों नलकूप उखड़ गये ।

बीज के विषय में यह सुझाव है कि सरकार को चाहिये कि अच्छे से अच्छे बीज लोगों को दे । इसके लिये सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स खोले जायं और वहां अधिक (उत्पादन) देने वाले बीज उत्पादित किये जायं ।

तीसरी बात यह है कि हमारे यहां जो भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि है उसके लिये "स्वायल टेस्टिंग बैंक्स" भेजे जायें, जो मिट्टी को टेस्ट करें और फिर उसके बाद उसी के अनुरूप खाद देने की व्यवस्था की जाय । अगर सरकार चाहती है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़े तो, उपरोक्त बातों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये । मैं दो आंकड़े आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूं । ७०-७१ में १९७ लाख मीटरिक टन उत्पादन हुआ परन्तु ७२–७३ में यह उत्पादन घट-कर १७५ लाख मीटरिक टन रह गया । इस प्रकार हम देखते हैं कि गेंहूं का उत्पादन भी घट रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि देशी गेहूं सस्ता और विदेशी गेंहूं महंगा लिया जा रहा है । अगर गेंहूं का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो उसका उचित मूल्य लागत व्यय व समता के आधार पर कृषकों को दें । जब आप उचित मूल्य किसानों को देंगे, तभी उत्पादन बढ़ेगा अन्यथा नहीं ।

श्री कल्याण सिंह––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो दिन से कृषि अनुदान पर बहस चल रही है । मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में अपने विचार रखे हैं । मैंने सभी के भाषणों को पूरे समय तक बैठकर सुना है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्यों का कटौती के प्रस्ताव से मतभेद नहीं है । खेती की पैदावार अच्छी

[श्री कल्याण सिंह]

नहीं, पानी नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, कृषि सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही, किसान को प्रोत्साहक मूल्य नहीं मिलता, आदि-आदि मोटी मोटी बातों पर किसी भी माननीय सदस्य का मतभेद नहीं हुआ । अतः उत्तर देने के लिये, वास्तव में, कुछ शेष रहा ही नहीं । लेकिन चूंकि सरकारी पक्ष से आलोचना होती है कि हम सुझाव नहीं देते हैं, इसलिये मैं चन्द सुझाव देना चाहता हूं और आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें गम्भीरता से विचार करके विभाग में कार्यान्वित कराने का प्रयास करेंगे ।

मान्यवर, तीन चीजें हैं, कृषक है, कृषि है और कृषि विभाग है । मेरा कहना है कि तीनों को दूरलक्षित किया जाता है । चाहे केन्द्र के मंत्री हों या प्रदेश के, सभी का मत है कि कृषि एक बड़ा भारी उद्योग है । लेकिन फिर भी इसको उद्योग को मिलने वाली सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं । इसलिये शाब्दिक रूप में इसे उद्योग कहते हैं लेकिन व्यवहारिक रूप में कृषि को उद्योग की सुविधायें नहीं मिलतीं । उद्योगपति माल बनाता है और उसकी कीमत स्वयं निर्धारित करता है । लेकिन किसान गेंहूं कहीं पर बोते हैं और गेंहूं का मूल्य निर्धारित किया जाता है एअर कन्डीशन्ड कमरे, दिल्ली में । किसानों के नुमाइन्दों को कृषि उत्पादन मूल्य आयोग के अन्दर होना चाहिये, लेकिन उन्हें नहीं रखा जाता, किसानों में जो विद्वान हैं, मूल्य आयोग के अन्दर ५१ प्रतिशत ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिये । लेकिन जिनका खेती से सीधा सम्बन्ध है, जो किसान हैं, वे मूल्य आयोग में कम हैं और किताबी विद्वान ज्यादा हैं । जो पैदा नहीं करते और जिनको ज्ञान नहीं कि लागत कीमत क्या आ रही है कृषि विभाग को शाब्दिक रूप से कहा जा रहा है कि बड़ा टेक्निकल विभाग हो गया है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में १०वें पृष्ठ पर कहा है कि कृषि विभाग बड़ा तकनीकी विभाग हो गया है । मैं मांग करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस बात की घोषणा कर दें कि कृषि विभाग पूर्णतः तकनीकी विभाग मान लिया गया है—और तकनीकी विभाग में काम करने वालों को जो सुविधायें होती हैं (टेक्नोक्रेट्स को) वही सुविधायें कृषि विभाग में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलनी चाहिये । मनुष्य को बुखार आ जाय या पेट दर्द करे तो वह बता सकता है । तो मनुष्य के रोग को पता लगाने वाले को तो टेक्निकल मान लिया गया है । पशु भी करवट बदल कर पेट के दर्द को जाहिर कर देता है और पशु चिकित्सक को टैक्निकल मैन मान लिया गया है । लेकिन कृषि विभाग में, विशेषकर प्लान्ट प्रोटेक्शन में, पौधे बोल नहीं सकते, पेड़ बोल नहीं सकते, दर्द बता नहीं सकते, फिर भी कृषि कर्मचारी पेड़ पौधों की बीमारी पहचानते हैं, निदान करते हैं, चिकित्सा करते हैं, किन्तु उन्हें टेक्निकल नहीं माना जाता है । कृषि विभाग के लोगों को वह सुविधा नहीं, वह वेतनमान नहीं जो टेक्निकल सेवाओं को दिया जाता है । अतः मेरा आपके माध्यम से, मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि कृषि विभाग को टेक्निकल विभाग घोषित किया जाना चाहिये ।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं कृषि विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि कृषि प्रसार सेवाओं का अभिनवीकरण हो, विज्ञानीकरण हो, तकनीकीकरण हो । ऊपर से नीचे तक हमें इस विभाग में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

(इस समय ४ बजकर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

कृषि विभाग का पुनर्गठन किया जाना चाहिये । जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में तीन ऐसे अधिकारी रखें जायं जिनमें से एक कृषि विषय का विशेषज्ञ हो, दूसरा कृषि प्रबन्ध विशेषज्ञ हो और तीसरा कृषि सम्बन्धी अर्थशास्त्र पर विशेषज्ञ हो । उसी प्रकार से, मान्यवर, ब्लाक स्तर पर भी कुछ कृषि विशेषज्ञ नियुक्त किये जायं । पौध सुरक्षा इकाइयां हम पूरे प्रदेश में फैलायें । आज भी, मान्यवर, पूरे प्रदेश में केवल ५५६ ब्लाक पर पौध सुरक्षा इकाइयां हैं लेकिन १२२ ब्लाक पर पौध सुरक्षा इकाइयां नहीं हैं । इनके अन्दर जितना प्रशिक्षत स्टाफ चाहिये, जिस सीमा तक चाहिये, वह नहीं रखा गया है । कृषि विभाग के सम्बन्ध में यह साफ

तरीके से कहा जाता रहा है कि प्रत्येक २० हजार की जनसंख्या पर ग्रामीण अंचल में प्रशिक्षण देने के लिये, नई नई टेक्निक्स का ज्ञान कराने के लिये एक एग्रिकल्चरल ट्रेड ग्रेजुएट आफिसर रखा जाना चाहिये और उसकी जिम्मेदारी हो कि सारी टेक्नीक्स की जानकारी किसानों को वह कराये। १५ किलोमीटर के क्षेत्रफल में आपको एक एग्रो टाउन स्थापित करने की आवश्यकता है जहां पर कि किसान को कृषि से सम्बन्धित हर चीज यानी बीज, खाद, ऋण लेने की सुविधा, कृषि के औजार उपलब्ध हों । ऐसा करने पर ही कृषि की उन्नति हो सकती है । इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी के नीचे से लेकर ऊपर तक क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं निश्चित कर देने चाहिये । पैदावार के लिये उनको सीधे-सीधे जिम्मेदार ठहराना चाहिये कि तुम्हारे क्षेत्र में इतनी पैदावार के लिये तुम्हारी जिम्मेदारी है । कर्मचारियों में असंतोष के कारणों पर भी गौर किया जाय । यह विभाग बहुत पुराना है । १८८५ से शुरू हुआ होगा । इस विभाग की सर्विस मैनुअल १९३७ में बनी और उसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। मैं मांग करता हूं कि एक नया मैनुअल कृषि विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये तैयार होना चाहिये जिससे पदोन्नति में पक्षपात के कारण जो असंतोष होता है वह दूर किया जा सकें। जो असंगतियां पैदा होती हैं, असन्तोष, कुंठा पैदा होने से कर्मचारियों का मनोबल गिरता है काम के प्रति वह दूर किया जा सके ।

इसी तरह से जितने सीड स्टोर्स हैं उनमें बड़ा घपला है । वहां चेकिंग की जाय । इसके अलावा जो कृषि सेवा केन्द्र है वहां वर्षों तक सामान की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की जाती है । स्टोर में कितना सामान था, कितना समाप्त हुआ, कितने का दुरुपयोग हुआ कितना कौन खा गया इसका कुछ पता नहीं है, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसी तरह से प्रदेश में जो वर्कशाप चलते हैं जैसे जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया तथा लखनऊ में ताल कटोरा आदि में वहां पर सामान बनता है । मेरी निश्चित सूचना है कि पिछले दो तीन वर्षों में इन सरकारी वर्कशाप्स में लाखों रु० की लागत का सामान तैयार किया गया लेकिन विभागीय अधिकारियों ने कृषि के काम में आने वाले यंत्रों को राजकीय वर्कशाप्स से न खरीद कर दिल्ली और लखनऊ की प्राइवेट कम्पनियों से सामान खरीदा और यह धन्धा किया गया मुनाफा कमाने के लिये और पिछले तीन वर्ष में वर्कशाप्स में जो रुपया लगा उससे बने हुये सामान का दुरुपयोग किया गया । बाहर से प्राइवेट फर्म्स से मंगाये हुये सामान के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय कमेटी सरकार बनाये ताकि बड़े-बड़े अफसरों का परदा फाश हो सके । इससे जनता के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है वह बचाया जा सकेगा ।

इस विभाग के बारे में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य भाषा हिन्दी है लेकिन इस विभाग में सरकार देखे कि कितने प्रतिशत काम हिन्दी में तथा कितने प्रतिशत काम अंग्रेजी में होता है । मेरे पास बड़े बड़े अधिकारियों के हस्ताक्षर से पत्र मूल रूप में अंग्रेजी में हैं मैं चाहता हूं कि यह विभाग हिन्दी की ओर ध्यान दे और हिन्दी में ही सारा काम काज करें । क्योंकि हिन्दुस्तान और प्रदेश का किसान हिन्दी में समझेगा, अंग्रेजी में नहीं समझ सकता है । मान्यवर, मैं सीड स्टोर्स के बारे में निवेदन कर रहा था कि उनमें बहुत गबन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और उसमें बड़े-बड़े अफसर और उच्च-स्तरीय अधिकारी लगे हुये है मैं आपके माध्यम से एक चीज सदन के सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं । तत्कालीन एडीशनल डाइरेक्टर स्वायल कन्जरवेशन का मेरे पास दिनांक २७-४-७४ का एक डी०ओ०५०५ डी० है जिसमें लिखा है कि उस समय के निदेशक को पूछा यह गया था कि श्री अमर सिंहजी जो रिटायर हो चुके है उनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिये । उसके जवाब में कहा गया है कि डिप्टी

[श्री कल्याण सिंह--]

एस०पी० (विजीलेन्स) उत्तर प्रदेश लखनऊ जो हैं वे गबन के मामले की जांच कर रहे हैं और ३०,८१०.५६ पैसे के आर्टिकिल्स की शार्टेज की जांच हो रही है । इसी प्रकार से दूसरे जो स्टोर्स हैं उनमें भी हजारों रुपये के घपले की जांच चल रही है इसीलिये उनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है । लेकिन मुझे जो जानकारी हुई है वह यह है कि जिनके ऊपर हजारों रुपये के मामले की शार्टेज है किन्तु फिर भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे दिया गया है । मेरी इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट कर देंगे ।

मैंने कल भी यह प्रश्न उठाया था और आज फिर उठाना चाहता हूं । मुझे आश्चर्य तो नहीं है परन्तु इस बात का दुख अवश्य है कि सत्तारूढ़ दल की ओर से किसी भी माननीय सदस्य ने उस विषय को छूने तक का साहस नहीं किया । मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर ४.६८ प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनके पास पूरे उत्तर प्रदेश की ३०.९१ प्रतिशत भूमि है, जो सम्पन्न परिवार है जिन्होंने विकास के सारे पैसे का लाभ उठाया है, अनुदान का सारा लाभ उठाया है । ऐसे लोग या वे लोग हैं जो शहरों में रहते थे, पड़ोसी गांवों में जाकर जिन्होंने अपने काले धन को सफेद धन करने की कोशिश की है, या वे तथा कथित बड़े जमींदार या नये पूंजीपति हैं या बड़े-बड़े राजनीतिक नेता हैं । ऐसे सम्पन्न किसान जिनको प्रदेश की जनता के कोष से दी गई सब्सिडी, खाद पर किया गया खर्च, आयोजनाओं पर हुये व्यय की सब्सिडी के सारे धन का लाभ उठाया है अपनी राजनीतिक सत्ता के संरक्षण में । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आज मुख्य मंत्री इस बात की घोषणा करें कि ऐसे सम्पन्न किसानों के ऊपर निश्चित रूप से कृषि आय-कर लगाया जायगा ।

मान्यवर, इससे दो तीन लाभ हैं । सर्व प्रथम प्रदेश की योजनाओं में यह पैसा लगाने के काम में आयेगा, गरीबों पर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और उससे उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई, पानी इत्यादि की व्यवस्था भी हो सकेगी । साथ ही एक लाभ यह होगा कि काले धन का सफेद धन होने पर अंकुश लग जायेगा । किसी भी माननीय सदस्य ने इस पहलू को नहीं छुआ । अभी कल ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई है वहां पर भी इस बारे में चर्चा हुई है। प्रधान मंत्री कह चुकी हैं, वित्त मंत्री श्री चाह्वाण कह चुके हैं, डी०पी० धर साहब कह चुके हैं कि आज स्वयं कांग्रेसी इन बड़े और सम्पन्न किसानों की हिमायत करते हैं । यह मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं बल्कि मेरे पास १७ जुलाई, १९७४ का दैनिक जागरण है, उसे पढ़ रहा हूं ।

मान्यवर, मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि जब तक आप क्रांतिकारी कदम नहीं उठायेंगे, किसान के लिये खाद, पानी बीज की उत्तम व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता है । और जब कृषि का उत्पादन बढ़ नहीं सकता है तो अपने प्रदेश का उत्थान भी नहीं हो सकता है । पशुधन के बारे में कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, जिससे मुख्य मंत्री जी को अधिक समय मिल सके अपनी बात कहने का । पशुधन को भी एक उद्योग के रूप में अपने प्रदेश में पनपाया जाना चाहिये । हरित-क्रांति के माध्यम से अपने यहां एक हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है, किन्तु विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पशुधन के ऊपर विशेष बल दिया जाय, उनकी नस्ल सुधारी जाये, क्रास-ब्रीडिंग करके उनके दूध देने की क्षमता बढ़ाई जाय, तो जहां हमारे खाने की समस्या हल होगी, पौष्टिक भोजन मिलेगा, वहां पशुधन से ३ हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है । लेकिन अफसोस है कि यह पशुधन विभाग केवल एक रस्म अदायगी का काम करता है, उसको एक व्यवसायिक उद्योग का रूप देने का विभाग ने कोई प्रयास नहीं किया है ।

इसी तरह से मत्स्य पालन की बात आई थी। उनका ठेका दिया जाता है, मछलियों के लिये नदियों, घाटों, छोटी-छोटी झीलों का ठेका लेने वाले कौन हैं ? यह बड़े-बड़े पूंजीपति लोग हैं । बड़े-बड़े लोगों को ठेका दिया जाता है, लेकिन मछलियों का काम करते हैं वही मछुवे, केवट और गोड़िया जाति के लोग । इसलिये मैं मांग करता हूं कि इन लोगों की कोआपरेटिव

सोसाइटीज बनाई जा सकती हैं और उनको इनका ठेका दिया जा सकता है, सरकार इसे करे । बड़े-बड़े पूंजीपतियों को, बिचौलियों को आप बीच से निकाल दें ।

मान्यवर, यह कुछ सुझाव आपके सामने रखे हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि जितने भी विषय सामने आये हैं, उन सभी पर आप अपनी बात कहें वैसे तो मुख्य मंत्री जी का स्वभाव है कि वह सभी को सुन लेते हैं, लेकिन चूंकि वह कल बातचीतों में ज्यादा मशगूल रहे, इसलिये शंका होती है कि शायद हर चीज पर उनका ध्यान जा पायेगा या नहीं । यदि उन पर ध्यान नहीं जा पायेगा तो वह उस रूप में उसका जवाब भी नहीं दे सकेंगे । हां, एक बात अवश्य है, जो कार्यवाही विभाग के अधिकारियों के पास गई होगी, उस पर टेप-रिकार्डर की भांति वह अवश्य बोल देंगे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

अध्यक्ष जी, इस माननीय सदन ने कृषि विभाग और उससे सम्बन्धित पशुधन के विकास, मत्स्य उद्योग के विकास, फल संरक्षण, भूमि संरक्षण आदि सभी विभागों के सम्बन्ध में कल और आज जो चर्चा की है, उससे इन सभी विभागों को काम करने में कोई नई दृष्टि और प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे यह आशा है कि सबसे पहले मान्यवर, मैं आपके द्वारा एक बार फिर इस सदन में इस बात के लिये खुशी जाहिर करता हूं, जिस एक वाक्य से मैंने अपना भाषण शुरू किया था, सदन के इधर और उधर के लोगों ने उस वाक्य में निहित विश्वास को स्वीकार किया है । मैंने कहा था –कृषि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है । मुझे इस बात की भी खुशी है मान्यवर, कि सभी दलों ने और वक्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि कृषि और खाद सम्बन्धी चर्चा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होनी चाहिये, और एक बात की मान्यवर, जबरदस्त खुशी है कि कम से कम माननीय भीखा लाल जी के दल के पड़ोस में बैठने के कारण माननीय कल्याण सिंह जी पर कुछ अच्छा असर पड़ा । भूमि सुधार सम्बन्धी जो हमारे विचार हैं, जिस को भारती, क्रांति दल के नेता जी ने और लोगों ने उस रूप में स्वीकार नहीं किया और जैसा मैंने कहा उन्होंने उसको मंजूर कर लिया, जनसंघ का असर उन पर नहीं पड़ा, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं ।

श्री कल्याण सिंह––

मान्यवर, यह कहना कि किसी का असर पड़ा है, जनसंघ का नहीं पड़ा, यह बात गलत है । इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा, मेरे हाथ में "भारतीय जनसंघ घोषणायें व प्रस्ताव १९५१–७२" किताब है । गाजियाबाद में २७ नवम्बर, १९७१ का हमारा प्रस्ताव है जिस में लिखा है "वित्तीय तथा मुद्रा सम्बन्धी नीतियों की पुनर्रचना की जायगी जिससे अधिकाधिक घरेलू बचत हो सके, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिये आमदनी का बटवारा किया जा सके । इस दृष्टि से ऊंची कृषि आय पर तथा बिलासपूर्ण उपभोग पर टैक्स लगाया जायगा" यह जनसंघ का प्रस्ताव है, भीखा लाल जी का नहीं है, यह हमारा अपना है, और मौलिक है और बहुत पहले का है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

मेरी गलतफहमी दूर हुई लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो मैं समझ रहा था स्थिति उसके विपरीत हो गयी । मैं समझ रहा था कि कृषि आयकर नहीं, जो छोटी सी तादाद के लोगों में बहुत बड़ी जमीन फंसी हुई है उसके बटवारे की तरफ इनका इशारा है । मैं अपनी भूल सुधार रहा हूं और स्वीकार करता हूं कि आप सिर्फ टैक्स लगाने के पक्ष में हैं । यह प्रस्ताव जो हमारा है, भीखा लाल जी जिससे सहमत हैं . . .

श्री कल्याण सिंह--

हम पूर्णतया उस सिद्धांत से सहमत हैं। जो ४.६८ प्रतिशत परिवारों के कब्जे में प्रदेश की ३०.९१ प्रतिशत भूमि पड़ी है वह निकाली जानी चाहिये। उसका बटवारा होना चाहिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जनसंघ के गाजियाबाद के प्रस्ताव से यह बात आगे जाती है। इसलिये मैं उनको फिर बधाई देता हूं। "देर आयद दुरुस्त आयद" अच्छा हुआ उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि कुछ माननीय सदस्यों ने विशेष कर अगर मेरा स्मरण ठीक है चौधरी मुल्तान सिंह साहब ने सलाह दी थी कि जमीन का बटवारा उनको होना चाहिये जिनके पास अलाभकर जोत है, जिनके पास से ज्यादा जमीन निकले उनको दें जिन के पास अलाभकर जोत है। मैं जानता हूं कि चौधरी साहब, माननीय नेता विरोधी दल हमारे कांग्रेस के अन्दर इस विषय को और अपनी पुस्तकों के द्वारा इस विषय को बार-बार जनता के सामने बहुत अच्छी दलील दे कर बड़ी मजबूती के साथ रख चुके हैं। हमारा कहना सिर्फ एक है। मैं मानता हूं कि एक एकड़ का खेती करने वाला लाभकर खेती नहीं कर सकता लेकिन जिस प्रदेश में जैसा कि चौधरी साहब ने खुद कहा जो प्रदेश छोटी जोतों का है, जिसके बहुत संख्यक लोगों के पास पांच एकड़ से कम खेत हो उसमें एक एकड़ खेत का भी मालिक बन जाना भी, मेरा विश्वास है कि जिस आदमी का आज मन बिगड़ा हुआ है, भूमिहीन, है जो उसके दिल में परेशानी है उस परेशानी को अगर ठंडा करना है, उसको न्याय देना है, हजारों साल से जो अन्याय रहा है,, भूमि जोतने वालों को, इस ख्याल को जो फरीदपुर कांग्रेस ने स्वीकार किया और उसके पहले रूस जैसे देश में-- जहां महान क्रांति हुई, स्वीकार किया। इस ख्याल को जब हमने स्वीकार किया, हर जोता समाज को यह कह कर, तो यह लाभदायक नहीं होगा, मैं समझता हूं कि यह थीसिस, यह विचार आज के युग में चलने वाला नहीं है चाहे उसके पीछे अर्थशास्त्र कितना ही मजबूत क्यों न हो।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने यह फरमाया कि मैंने अनेकों बार बहुत दलीलों के साथ यह प्रतिपादित किया है कि छोटी जोत वालों को जमीन दी जाय बजाय भूमिहीन लोगों को यह राय उनकी गलत है। दफा १९८ जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम जो मेरा बनाया हुआ है, बल्कि एक एक लफ्ज मेरा बनाया हुआ है, मेरा अगर यह ख्याल होता तो उसमें जमीन उन लोगों को दी जाती जिनके पास जमीन कम है, जब कि उसमें जमीन उन लोगों को देने का प्राविधान किया गया जिनके पास आज जमीन नहीं है।

बेशक मैंने इस सवाल को उठाया है कि इन दोनों में से किस को देना ठीक है। मैंने लिखा है कि राजनीतिक दृष्टि से हम इसको नहीं कर सकेंगे। इसलिये भूमिहीनों को ही देना ठीक है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

राजनीतिक दृष्टि से चौधरी साहब ने कहा, यह मैंने नहीं कहा बल्कि मैं तो आर्थिक विचार बता रहा था और उनके उत्तर में निहित है। मेरा दृष्टि में राजनीतिक हो या आर्थिक हो लेकिन जब तक भूमि का बटवारा नहा होता है और जब तक छोटी संख्या में बड़ी जोतो को रखे हुये है तरह तरह के जाल और फरेब के जरिय।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मैं चाहता हूं कि माननाय मुख्य मंत्री जी आश्वासन दें कि मंगलदेव विशारद कमेटी द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है उसके बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

जब तक आप वहां बैठे हुये हैं मैं अच्छी बात भूल नहीं सकता हूं । आपका यहां बैठना नये युग की तरफ जाने के लिये प्रेरणा देता है यद्यपि राजस्व विभाग के बजट के साथ बात हो चुकी है । लेकिन उसको मैं पुन: कहूंगा क्योंकि इसका जबर्दस्त सम्बन्ध भूमि के मालिकाना से है । जब तक भूमि का मालिकाना सही माने में नहीं होता है तब तक हमारी कृषि की उन्नति नहीं हो सकती है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब तक न्यायोचित भूमि का मालिकाना नहीं होगा तब तक किसान भी अच्छे बीज, नहर, सड़क तथा खाद दें तब तक तरक्की नहीं हो सकती है जब तक मेहनत करने वाले के मन में यह नहीं आयेगा, जब तक उसका मन खेती के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वह काम हृदय से करने वाला नहीं है और उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है ।

इसलिये टैक्स लगाकर जनता को धोखा देना ठीक नहीं है । हमने भूमि सुधार के सम्बन्ध में टैक्स लगाया था, आज चाहे चौधरी साहब विरोध पक्ष में बैठे है लेकिन कांग्रेस की तरफ से जितना की काम हुआ है, उसको शुरू करने वाले हमारे सामने बैठे हैं और उन्होंने लार्ज लैंड होल्डिंग्स पर उन्होंने टैक्स लगाया था लेकिन परिणाम वह नहीं निकला जो कल्याण सिंह जी चाहते हैं । जमीन निकली वह भूमिहीनों की तरफ नहीं गई बल्कि उनके पास गई जो खरीद सकते थे । किस लिये आप टैक्स लगाना चाहते हैं, विकास करने के लिये टैक्स लगाना चाहते हैं लेकिन आज अकेले विकास नहीं चाहिये । इसके साथ सामाजिक न्याय जरूरी हो गया है । अगर इधर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे प्रदेश की हरित क्रांति विफल हो जायगी । मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने हरित क्रांति को सफल बनाया है, उत्पादन को बढ़ाया है । न्यायोचित भूमि बंटवारा करना होगा । इसलिये मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि हमारा यह पहला ध्येय और लक्ष्य है । जैसे ही हमें समय मिलेगा जिलों जिलों में माननीय सदस्यों का सहयोग हम लेंगे । इधर और उधर के सभी माननीय सदस्यों का हम सहयोग लेंगे । जो सहयोग देने के लिये तैयार नहीं होंगे उनसे हम क्या कह सकते हैं । भूमि के न्यायोचित बंटवारे के सिलसिले में जो ग्राम समाज की जमीन बंटने वाली है, हमने तय कर दिया है कि इसी वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूरा करना है । इसी तरह से हमने निश्चय किया है कि इसी वर्ष हमें हाउस साइट्स का कब्जा भी दिला देना है चाहे हम उनके लिये उतना रुपया न रख पाये कि सारे मकान बनवा दें, लेकिन झोपड़ी उसकी हो और अपनी जमीन पर बैठ सके । जब तक हम वह नहीं करते हैं तब तक काम आगे नहीं बढ़ता है । केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है । उन्होंने लिखा कि पार्लियामेंट में बिल ला रहे हैं और जो शहरी जमीन है उस पर सीलिंग लायेंगे । हम उसका इन्तजार कर रहे हैं । किसी की कलकत्ते में जमीन है किसी की बम्बई में है तो केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में सक्षम है । इसलिये मेरी सलाह है कि केन्द्रीय सरकार अगर न बनावे तो हम जरूर बनावेंगे ।

चौधरी चरण सिंह––

मैं देख रहा हूं कि पहले भाषण में भी, बजट के सिलसिले में भी बराबर मुख्य मंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं और ताली पिटवाते हैं या कि सही बातें कह रहे हैं । भूमि वितरण कहने से समस्या हल नहीं हो जायेगी । अगर १८ एकड़ पर यह लगी है तो १५ पर लगा दें या १० पर लगा दें तो कुल जमीन कितनी मिलेगी, कितने भूमिहीन हैं, कितने स्माल होल्डर्स है और कितने लोगों को मिल जायेगी । मैं बराबर २५ सालों से कह रहा हूं और वह एक लम्बी हिस्ट्री है, लेकिन उससे जिन लोगों को जमीन मिल जायेगी बेशक उनकी समस्या हल हो जायेगी, लेकिन कितने लोग हैं ? बहुत थोड़ा हिस्सा है १० परसेंट प्राबलम हल होने वाली नहीं है,

[श्री चौधरी चरणसिंह]
लेकिन पोलिटिकल दृष्टि से यह प्रचार रहा कि लैंड एक्वीजिशन करें और सारी मशीनरी कांग्रेस की उसी में लगी रही । बेहतर तो यह था कि कितनी जमीन है, कितने किसान हैं और कितनी जमीन मिलेगी । किसी रोज बहस हो जाये इस पर ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मुझे चौधरी साहब का इन्टरवेशन हमेशा अच्छा लगता है । वह एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं । उन्होंने ठीक पूछा कि कितनी जमीन, है, उन्होंने ठीक कहा कि कितने को देने से काम चलेगा । मैंने प्रस्तावना के रूप में कहा कि यह करना है उसके बाद खाद, बीज, पानी, शोध कार्य ये सारे काम हैं, लेकिन किस भीत पर इनको खड़ा करेंगे । ऐसी संस्थायें हैं जो १०० एकड़ जमीन दबाये हुए हैं और ऐसी भी संस्थायें हैं जो गड़बड़ी करती हैं । मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सबको सुख मिल जायगा जो होना था वह हो चुका, नये रास्तों पर चलना पड़ेगा । खेती के ऊपर का बोझ कम करना पड़ेगा उसके साथ ही साथ पशुधन का विकास करना पड़ेगा । अगर हर आदमी के पास पशु रखने की क्षमता हो जाय तो उनकी दशा सुधरेगी । जो पूरे का पूरा काम्प्लेक्स है उसके एक एक मुद्दे को देखना होगा । प्रार्थना यह है श्रीमन् कि सदन का समय उस समय तक बढ़ा दिया जाये जब तक कि इस बजट पर बहस समाप्त न हो जावे क्योंकि बोलना मेरा देर से आरम्भ हुआ और बीच बीच में मैंने लोगों को समय भी दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जावे जब तक कि कार्यसूची के ८,९ और १० आइटम पूरे नहीं हो जाते ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कल्याण सिंह—

मैं आपकी अनुमति से अध्यक्ष महोदय यदि माननीय मुख्य मंत्री जी एक मिनट में मेरी बात सुन लें तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जब तक जमीन का बंटवारा नहीं होगा और भूमिहीनों तथा हरिजनों किसानों को जमीन नहीं पहुंच जाती तब तक प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती । हम सब इस भावना से शतप्रतिशत सहमत हैं और इसका समर्थन करते हुये केवल इतना पूछना चाहते हैं कि कृपया निश्चित समय सीमा बता देवें समय जब आप इस कार्य को पूरा कर लेंगे ? एक साल में दो साल में या कितने सालों में पूरा कर देंगे वैसे हम और हमारी पार्टी इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, कुछ लोग होते हैं जो सुनकर भी नहीं सुनते और कुछ लोग होते हैं जो कहकर फिर किसी को नहीं सुनते । माननीय कल्याण सिंह जी आदमी बहुत अच्छे हैं लेकिन एक दल में ऐसे फंसे हुये हैं जो सुनकर भी सुनता नहीं है और कह कर फिर किसी की कभी सुनना नहीं चाहता मैंने कहा था कि आज जो सीलिंग के नीचे जमीन है, जो गांव समाज की जमीन है जितनी भूमि उपलब्ध है उसका बंटवारा इसी वित्तीय वर्ष करने का हमने निश्चय किया हुआ है और यह वित्तीय वर्ष उनके सामने है । (एक आवाज—और आप ऐसे दल से सम्बन्धित हैं जो कहकर भी कुछ नहीं करते ।) मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न यह उठाया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि की तरक्की के क्या-क्या काम हो रहे हैं । मेरा काम माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने सबसे ज्यादा हल्का कर दिया है । उन्होंने पिछले २५ या २७ सालों में इसकी प्रगति के आंकड़े उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये हैं कि कितने ट्यूबवेल में वृद्धि हुई,है, सिंचित भूमि में कितनी वृद्धि हुई है, नहरों में किस प्रकार उन्नति हुई है, निजी क्षेत्रों में कितने नलकूप लगे हैं,

किस तरह से किसानों ने अपनी सारी जमीन को विकसित करने के लिये कार्यक्रम उठाये गये हैं, किस तरह से पशुओं के विकास का थोड़ा बहुत काम हुआ है, बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने कह दीं और मैं उन्हे दोहराना नहीं चाहता लेकिन थोड़े तथ्यों को सदन के सामने प्रकाश में लाना चाहता हूं।

माननीय वर, कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में हमारी स्ट्रेटेजी क्या है ? हम यह चाहते हैं बांध बने लेकिन उससे अधिक समस्या भूमि को बढ़ाने की है। भूमि को कटाव से बचावें, जो उबड़ खाबड़ भूमि है उसको समतल करने का प्रयास हो। हम सिर्फ अब मेड़ नहीं बांधेंगे किन्तु हमने निश्चय किया है कि जमीन को समतल कराया जाय, क्योंकि केवल मेड़ों के बांधने से ही पानी की जो सोखने की या खींचने की शक्ति है वह नहीं बनती और वह काम अधूरा रह जाता है तो हमने उसमें यह निश्चय किया है कि हम जमीन को पहले समतल करावें ताकि पानी से जमीन को जिस प्रकार हो सके मेंड़बन्दी का ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वह भी हो सके। मेड़बन्दी के सिलसिले में तो माननीय सदस्यों ने उतना नहीं कहा, यह बात सही है कि एक दो माननीय सदस्यों ने उसके बारे में कहा है लेकिन हम स्वयं इससे संतुष्ट नहीं हैं कि जो व्यवस्था आज है वह बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हमने साफ साफ कहा है कि खेत की मेड़-बन्दी तो किसान जब स्वयं करता है तो वह ज्यादा अच्छा होता है वह उस को बनाता है, ठोंकता है, लकड़ी से, पैर से और फिर उस पर खरपत लगाता है, घास लगाता है या पेड़ लगाता है उसको अपना समझ करके उसी रुचि से काम करता है लेकिन अगर मेड़बन्दी करने अधिकारी हमारे गये तो वह ठेकेदारों से उसको बनवाते हैं और अगर पेड़ कमजोर हुई तो वह सारी की सारी मेंड़ गड़बड़ हो गयी है। कई जिलों से ऐसी शिकायतें भी हमारे सामने आयी हैं और हमने सर्वेक्षण करा लिया किन किन जिलों में काम ऐसा है और अगर दोष हमारे अधिकारियों का है तो केवल उनको सजा देना ही काफी नहीं है बल्कि हमको यह भी सोचना पड़ेगा कि किसान की जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति हम कैसे करें। दूसरा प्रश्न मान्यवर यह है कि हम यह चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी सिंचाई की क्षमता है इसको पूरी तरह से पूरा करें। मान्यवर, बेतवा के सिस्टम से खरीफ की सिंचाई पूरी नहीं हो पाती है। आगरा नहर से हम जितना पानी लेना चाहते हैं वह नहीं ले पाते हैं क्योंकि वह जहां से निकलती है वह बैराज शक्ल ऐसी नहीं है कि वह पानी पूरा दे सके और हरियाणा के साथ हमसे झगड़े हैं। केन्द्रीय मंत्री जी से कहा भी है कि वह फैसला करें। आगरा और मथुरा में दो फसल तीन फसल उगाने की क्षमता हो जाय हम ऐसा चाहते हैं। जमुना नदी से हम पानी न लें, तो यह एक अनुचित बात है। जैसा गंडक का सिस्टम था स्ट्रेटेजी नम्बर ३ जिसके ऊपर मैं कहता कि जितनी हमारी क्षमता सिंचाई की पैदा हो। उसकी क्षमता के साथ पूरी खेती की जाय। इसके लिए हमने निश्चय किया है कि गूल बनाने का प्राविधान कर दें। ऐक्ट में तरमीम करने से आसान हो गया। हम दो प्रकार से काम कर रहे हैं। हम एक तो लखौली फार्म के लिए स्कीम बनी हुई है। एक एरिया डेवलपमेंट एथारिटी राम गंगा नहर के लिए एक एथारिटी बना दी है। उस एथारिटी में सिर्फ सिंचाई का काम नहीं देखा जायगा।

माननीय सदस्यों ने कहा कि नीचे के स्तर पर काम होना चाहिए। फलस्वरूप उद्यान हो, तो किस तरह के फल लगें ? इसकी पूरी क्षमता इस्तेमाल करने के लिए राम गंगा प्रायोजना के साथ शारदा सहायक प्रायोजना के साथ, गंडक प्रायोजना के साथ ये क्षेत्र बना दिये हैं और हमने आदमी रखे हैं। एक जगह इंजीनियर को रखा है, एक जगह ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर को रखा है क्योंकि वह ब्यूरोक्रैट कर सकता है, इंजीनियर कर सकता है या एग्रिकल्चर का जो एक्सपर्ट

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

है वह कर सकता है। इन तीनों आदमियों के मातहत एक कम्पटेटिव काम हमने दिया है। जो हमारी खेती हो वह ठीक से हो और जो खेतसे पैदा होने वाला सामान है उसके साथ ठीक ठीक कार्यवाही हो सके। इस स्ट्रेटजी में मान्यवर, एक चीज और जुड़ी है। हमारे पास प्रदेश में जो फर्टिलाइजर है, इसके सिलसिले में क्या कहें यह बात बिल्कुल सही है कि फर्टिलाइज के सिलसिले में बहुत घपले होते हैं।

हमने केन्द्रीय सरकार से साफ साफ कहा था कि फर्टिलाइजर को फील्ड से निकाल दिया जाय। हमने प्रार्थनापत्र दे दिया था, वह अभी तक फैसला नहीं कर पाये। हमने एग्रो को आज्ञा दिया कि वह प्राइवेट के हाथ नहीं बेंचेंगे। यह राय मानी हुई कि एक ही संस्था रहे जिसके जरिये यह सब बंटे। जिले में इन सब, संस्थाओं को, जिले में जो अधिकारी होगा वह देखेगा कमांड अधिकारी उसको कोआर्डिनेट करेगा। प्राइवेट ट्रेडर्स को हम हटाने के फेवर में है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई प्राइवेट ट्रेडर रहे। क्योंकि निश्चित हम चाहते हैं कि पर्दे के पीछे ब्लैक का रास्ता होता है। हमारे सीड स्टोर से भी जब ब्लैक मार्केट में गया तो प्राइवेट ट्रेडर के द्वारा गया। तो प्राइवेट ट्रेडर्स को, इस सदन की पूरी अनुमति है, इसमें नहीं जाना चाहिए। यह भी बात मैं स्वीकार करता हूं कि और एक सज्जन ने कहा भी है कि हमारे जो एग्रीकल्चर के स्टोर्स है, उनका जो आर्गेनाइजेशन है वह अच्छा काम करता है। एक आध ने यह भी कहा कि वे गड़बड़ करते हैं। सवाल यह है कि कितना रुपया और कितना खाद हम किसानों को दे सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के किसानों को लोनिंग क्या है और पंजाब के किसानों की क्या है। उत्तर प्रदेश में यह 65 करोड़ के करीब है और अगर मैं सही हूं और भूलता नहीं हूं तो पंजाब में यह 170 या 175 करोड़ रुपया है। उनकी यह कैसे हुई और हमारी कितनी है? हम एग्रीकल्चरल स्टोर्स को अगर कायम नहीं रखते हैं, हमने निश्चय नहीं किया है क्या करेंगे, क्योंकि जो लोग उनमें लगे हुए, वे आपके पास पहुंचेंगे और परेशान करेंगे, उनको हटाने वाले नहीं है। उनकी नौकरी की सुरक्षा करेंगे और जैसे तैसे कायम रखेंगे लेकिन प्रश्न केवल यह है कि हम 1 करोड़ रुपये का फर्टिलाइजर ही खरीदते हैं और एक करोड़ का ही बांटते हैं लेकिन अगर यह कोआपरेटिव में शेयर कैपिटल लगा दें तो 1 करोड़ की जगह पर 8 करोड़ का फर्टिलाइजर हम खरीद सकते हैं। तो एक करोड़ का खरीदें या सहकारिता के द्वारा हम बांटें।

सहकारी बड़ी संस्था है और उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें बड़ी गड़बड़ी होती है। मैं सहकारिता की तरफ से पक्षधर तो नहीं रहा हूं क्योंकि ट्रेड यूनियन और कांग्रेस आन्दोलन में रहा हूं, सहकारिता आन्दोलन के करीब नहीं पहुंचा हूं लेकिन यह बात स्पष्ट है कि सहकारिता के सम्बन्ध में लोगों में अविश्वास ज्यादा पैदा हो रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा एक सवाल है कि हम लोग जो इस सदन में बैठे हैं, सब लोग इस प्रदेश के भविष्य को बनाना चाहते हैं, जो इन्सटीट्यूशंस फाइनेन्स देते थे, बैंकों ने क्रेडिट स्क्वीज कर दिया है, उस हालत में खेती में उत्पादकता को कायम रखना है, अपने किसानों को पैसा भी देना है तो मेरी राय में इन सबको कोआपरेटिव का सदस्य बना दिया जाय, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शेयर कैपिटल का भी पैसा दे देंगे तो भी पूरी स्कीम पर हमें सोचना होगा। इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही सदन उठेगा, मैं माननीय नेता विरोधी दल और अन्य विरोधी दलों के नेताओं को यह हर दल के एक एक प्रतिनिधि को आमंत्रित करूंगा ताकि इस विषय पर हम चर्चा करें कि कोआपरेटिव आन्दोलन को ठीक करने के लिए हम क्या करें और अपने प्रदेश में ऋण की व्यवस्था किसानों के लिए करने के लिए क्या रुख अपनायें। मैं कोई निर्णय आपके सामने नहीं दे रहा हूं। यह मसला उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है कि हम किसानों को कितना ऋण दे सकेंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हल जोता के पास या एक एकड़ वाले के पास खाद के लिए पैसा नहीं रहेगा। अगर किसी के पास एक एकड़ जमीन है तो एक एकड़ के लिए हमें उसे इनपुट्स के लिये भी पैसा देना पड़ेगा। हम सबके लिए हमें पैसा चाहिए। साधन हमारे सीमित है। बजट से हमें 200 या 250 करोड़ देना होगा। अगर पंजाब में यह 170 करोड़ है तो आबादी के हिसाब से अगर देखा जाय तो कितना फैसला हम करते हैं, उससे

5 गुना ज्यादा पैसा चाहिए । तो फिर अगर वैसा करना है तो सबको विश्वास में लेकर ही हमें कोई निर्णय करना होगा ।

चौथी बात जो एक बुनयादी बात है वह नीति सम्बन्धी बात है कि हम खेती को प्राथमिकता देना चाहते हैं । वह मेरी 2 बातों से स्पष्ट होगी एक तो हमारे कामों से देख सकते हैं और दूसरे जो मैं आज कहने वाला हूं उससे आप देख सकते हैं । यह मेरा कहना नहीं है कि उद्योग हमारे लिए आवश्यक नहीं है । कुछ लोगों ने मुझसे दिल्ली में शिकायत की कि आपके यहां से उद्योग उठ रहे हैं, वायु मंडल खराब हो रहा है । मैंने उनको साफ कहा कि एक आर्क बिजली फरनेस को बिजली देने के बजाय 80 ट्यूबवेल का चालाना मुनासिब है, एक आर्क फरनेस चलाना मुनासिब नहीं है, चाहे वह उद्योग बिगड़े या बने । जो हमारा मुख्य उद्योग खेती है जब तक उसको शक्तिमान नहीं बनाते तो काम चलने वाला नहीं है । वैसे दोनों उद्योग आवश्यक हैं लेकिन भरपूर बिजली नहीं है । उसी का फल है कि जिस दिन हमारे चरण पड़े हैं, एक यूनिट बिजली बिड़ला को नहीं दी है, सारी काट ली है और उसको डाइवर्ट कर रहे हैं ।

एक चौथी बात यह है कि खेती को जो इनपुट्स है, प्राइवेट हों या हमारे हों यदि बिजली से चलते हैं तो हमारा प्रयास यह है कि समय समय पर उनको बिजली दे सकें । वर्षा ऋतु आयी, लेकिन वर्षा नहीं हो पायी, इसलिए हमने तय किया है कि आज 25 तारीख से उत्तर प्रदेश को दो हिस्से में––सिर्फ पर्वतीय जिलों या देहरादून को छोड़कर बांटा है । दो ग्रुप्स 'ए' और "बी" में । ग्रुप "ए" को सुबह 6 बजे से 12 बजे दिन तक रोज 6 घंटे देंगे ताकि खरीब के समय तक यह काम पूरा हो जाय ।

(शासक दल की ओर से तालियां)

चौधरी चरण सिंह––

मैं तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं । अब्बल तो 24 घंटे देनी चाहिए आप 4 घंटे रात को देते हैं, अब आपने 6 घंटे दिन को देने का ऐलान किया । पता नहीं दे पायेंगे या नहीं, पर आप के दोस्तों ने ताली पिटवा दी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

मेरी प्रार्थना है कि चौधरी साहब को शोर पसन्द नहीं आता और मुझको भी नहीं आता । ताली मत बजाओ, मेरी प्रार्थना है, आप ताली बजाते हैं सूचना चौधरी साहब पर पूरी नहीं जाती । हम जितनी भी होगी खुशामद करेंगे, उनको खुश करेंगे आप चाहे कितना ही हमसे नाराज करना चाहें नराज नहीं होने देंगे ।

दूसरा यह है कि जो ग्रुप बी है उसको 12 से 6 बजे तक, 6 घंटे देंगे । 24 घंटे देना चाहिए था, यह ठीक है, चौधरी साहब का कहना गलत नहीं है ।

एक सदस्य––

आपके माध्यम से एक चीज पूछना चाहूंगा कि यह बिजली रात में देंगे या दिन में ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

जिन में सवेरे ६ बजे से दोपहर १२ बजे तक । लेकिन इसमें एक दिन लग जायगा सब को सूचना देने में । क्योंकि उद्योग की बिजली इसमें कटेगी और दिन में जो उद्योग चलते . वे उनसे कहा जायगा कि रात में जाइये । हमारे पास ढाई सौ मेगावाट बिजली है, उसके

[श्री हेमवती नन्दन ब गुणा]
बांटने में हमने रोटेशन किया है । दिन वाले उद्योग तो रात में जायंगे और रात में किसान बिजली के कुएं नहीं चला पाते थे और वाजिब भी नहीं था कि धान लगाने के लिए किसान रात को जाय, बेल हैं, दुश्मनी है, रात का मामला है, सांप, कीड़े, बिच्छू, बरसात का मौसम, लम्प उसके पास नहीं ।

(चौधरी चरण सिंह और उनके साथियों द्वारा तालियां बजायी गयीं ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चौधरी साहब ताली पीटते हैं तब भी आप लोग न पीटें । मुझे खुशी यह है मान्यवर, कि अपने मिजाज के खिलाफ चौधरी साहब मुझसे प्यार करते हैं और मैंने उनके मिजाज के खिलाफ काम उनसे करा दिया, क्योंकि वह अपने मिजाज के खिलाफ कोई काम नहीं करते ।

श्री अब्दुल बाकी (जिला आजमगढ़)--

एक चीज साफ हो जाय । हमारे इस प्रदेश में छोटे-छोटे ये बिजली करघे चलते हैं । अगर यह योजना लागू कर दी जायगी तो वह तबाह हो जायंगे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

नहीं, तबाह नहीं होंगे । एक भी पावर लूम, जो ५ हार्स पावर तक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं चाहे कोई भी उन पर यह बात लागू नही होगी । कोई चिन्ता करने की बात नहीं है । जिन लोगों के उद्योग गांव में लगे हैं उनको भी बिजली मिलेगी । (व्यवधान)

एक बात अब और कहना चाहता हूं । हमारा लक्ष्य यह है कि काश्तकारों को खाद ठीक-ठीक और समय पर मिले । आज हमने यह निर्णय लिया है और वह सब जगह चला जायेगा कि हर गांव में हर किसान की जो तबाही को देख कर या जोतबही नहीं है तो राशन कार्ड को देखकर उस पर मोहर लगा कर, जो उसकी आवश्यकता है उसको देख कर, जो भी पुरानी खाद हमारे पास है उसे 3-4-5 दिन के अन्दर बांट दिया जाये और यह भी कह किया है कि अब नयी और पुरानी खाद को जोड़ा न जाय । प्राथमिकता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अधार पर मिलेगी । इधर हम देख रहे थे कि खाद उठ नहीं पा रही थी । बड़े काश्तकार लोग पैसा जमा करने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि नयी और पुरानी के जोड़ का सवाल था । हमने अब कह दिया है कि नयी और पुरानी को एक साथ लिंक न किया जाय । जो पुरानी खाद है उसे हम पुराने दामों पर खरीफ के लिये जल्दी से जल्दी बटवाना चाहते हैं ।

श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)--

मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं । पुरानी खाद का स्टाक जिस ब्लाक में जितना है वही बांटा जायेगा या आवश्यकतानुसार बांटा जायेगा । यदि किसी ब्लाक में नहीं है तो उसे क्या और दिया जायेगा ? क्या हर ब्लाक में आवश्यकता के आधार पर बराबर खाद बटवाया जायेगा ?

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

मील ओनर्स को जो नैपथा पुराने रेट दिया गया है खाद बनाने के लिये, क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वह खाद ही पुराने दामो पर ही बिके क्योंकि नैपथा आपने पुराने दामों पर दिया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, कृषि एक दिलचस्प विषय है और इसलिये इसमें कुछ अधिक उठक बैठक करनीपड़ रही है । एक सवाल यह है कि पहले हम सारे जिलों की खाद को एक जगह पूल करें और आवश्यकतानुसार हर जिले के लिय दें । अगर ऐसा करेंगे तो इसमें ही 7-8 दिन लग जायेंगे । इससे जो लाभ होना है वह भी नही हो पायेगा । हम तो चाहते हैं कि कि जल्दी सारी खाद जो भी है वह बट जाय । इसलिये हम ऐसा कर रहे हैं कि जो भी

खाद जिस ब्लाक में जितनी है उसे जरूरत के मुताबिक बांट दी जाय। इसलिये जरूरत पड़ें तो दूसरी जगह भेज दी जाय। शिफ्टिंग करना इस समय पासिबिल नहीं उसमें काफी समय लग जायेगा। (व्यवधान) खाद और बिजली के बारे में हम रेडियो से 2–3 दिन तक बराबर सूचना देते रहेंगे।

एक बात मान्यवर, और कही गयी है, उत्तर प्रदेश के सिलसिले में। यह बुनियादी बात है, हमारी पैदावार को हरियाणा और पंजाब से जैसा कि केन्द्रीय सरकार जोड़ती थी यह सदन भी जोड़ने लगा है। और औसत पैदावार के आधार पर यह बात कही जा रही है कि हरियाणा और पंजाब की औसत उपज हमसे ज्यादा है, और हमारी कम है। अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो उत्तर प्रदेश का हित नहीं होगा। मैं यह तो उत्तर प्रदेश की जनता ने परिश्रम किया है उसको छोटा नहीं कहना चाहता हूं। सोचने की बात है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, बुन्देलखंड भाग, पूर्वी भाग, मध्य भाग हैं। इन अंचलों की मिट्टी की किस्म अलग अलग है, सिचाई की सुविधायें अलग हैं। जो हमारी तरक्की हुई वह अलग-अलग है। रीति रिवाज अलग-अलग हैं। जैसे बुन्देलखंड में एक समय में जानवरों को छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के लिये। तो उत्तर प्रदेश का मुकाबिला अन्य प्रदेशों से और इस मार्गों की तुलना आप अगर आपस में करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं करेंगे।

पिछली मर्तबा जब मैं खाद मांगने दिल्ली गया तो वहां आंकड़े मेरे सामने पेश किये गये, औसत उपज के। तो मैंने उनसे कहा कि मैं मुकाबला कहने के लिये तैयार हूं। आप मेरठ डिवीजन का मुकाबिला हरियाणा से करिये और जब यह बातें देखीं गयी तो केन्द्रीय सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि हम हरियाणां से पीछे नहीं हैं। पंजाब से थोड़ा पीछे हम हैं। इस बात के संबन्ध में मैंने कहा कि भाखड़ा नांगल आपने पंजाब को दिया है। वहां कृषि के संबन्ध में बहत पहले से बिचार हो रहा है, इस तरह से उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया यह बात सत्य है।

अब मैं कुछ आकड़ें देता हूं जिनमें पंजाब और हरियाणा से उत्तर प्रदेश का मुकाबिला किया गया है। १९७१–७२ में औसत की एकड़ उत्पादन पंजाब में २४.१३ किवंटल था। हरियाणा में यह २०.४३ था और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में यह १८.३७ क्विंटल था।

अब १९७२–७३ को लीजिये पंजाब में यह उत्पादन हो गया २२.३३ यानी २४.१३ से गिरा। हरियाणा में यह १७.५५ हो गया। वहां औसत उत्पादन ७२–७३ में गिरा इसकी मुझे खुशी नहीं हुई। क्योंकि हमारे देश पर असर पड़ा। उत्तर प्रदेश में ७२–७३ में १८.३७ के बजाय यह १८.४२ हो गया। यानी हम हरियाणा से कुछ आगे थे। इसी प्रकार से चने का उत्पादन लीजिये। १९७१–७२ में पंजाब में यह औसत ८.३१ क्विंटल का था। हरियाणा में ५.८० था और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में यह औसत ९.७४ था। इसी तरीके से १९७२–७३ में पंजाब में ८.३५ क्विंटल औसत उपज थी। हरियाणा में ५.६२ था यानी की ७१–७२ से कम थी। उत्तर प्रदेश में औसत उपज ८.६७ क्विंटल यानी कि ७१–७२ की तुलना में कुछ कम थी।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अपनी तुलना करके अपने हाथ कमजोर करेंगे। यही बात हमने फर्टीलाइजर अ.र इनपुट्स मांगने में की है। हमने केन्द्रीय सरकार के सामने रीजनल रिक्वायर मेंट्स जो हैं उनको टोटल करके मांगा है। १ लाख २७ हजार की जगह पर १ लाख ३९ हजार की मांग की है और कहा है कि मिनिमम तो हमको अवश्य दी जये

[हेमवती नन्दन बहुगुणा]
जो हमारी डोजेज है, जितना हमको चाहिये यह उसका १/३ है । देश की पैदावार के लिये जिस रेशियों में दिया जा रहा है हमने उसी रेशियों में लेने की कोशिश की है ।

मान्यवर, एक बात और कही गयी । एक सदस्य ने कहा, मुझे याद नहीं कि माननीय सदस्य किस दल के थे । वह कहते हैं कि जो १९६५-६६ के बाद पैदावार बढ़ी है उसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था । तो हमारा खेती की तरफ ध्यान गया । जैसे चीन ने हमला किया था तो हथियार की ओर ध्यान गया, वैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया तो खेती की तरफ ध्यान गया । मुझे नहीं मालूम कि यह हिसाब उन्होंने कैसे लगाया क्योंकि लड़ाई के समय तो पाकिस्तान के बार्डर क गांवों को पानी से डुबोना पड़ता है और उससे फसल का बड़ा नुकसान होता है । मैं इन सब बातों को कहना नहीं चाहता लेकिन सच बात तो यह है और पुराना बजट उसका साक्षी है कि जब इन्दिराजी भारत की प्रधान मंत्री हुईं तो दुर्भाग्य से वह युग था जब हमारे देश में कृषि के बारे में बड़ी चिन्ता थी । श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी यह बात कही थी । उस समय अकाल भी कई सूबों में पड़ा था । उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा था । कुदरत ने कहा कि अब तुम खड़े हो जाओ । चौधरी साहब हंस रहे हैं क्योंकि वह कहेंगे कि उन्होंने जो कहा था वह बात साबित हुई । तो कुदरत ने ढकेला और इस कारण कृषि की ओर ध्यान गया । मैं मानता हूं कि चौधरी साहब जैसे बुजर्गों से हिम्मत आई तो कृषि की तरफ ध्यान देने लगे । लेकिन हैवी इन्डस्ट्री नहीं होती तो बिजली का तार कहां से आता, टरबाइन कहां से आता, रिग कहां से आता, तो हमारी पालिसी गलत नहीं थी, लेकिन जब पेड़ में फल लगने को हुये तो उसी समय मन में फल खाने को हुआ । खेत पर ६६-६७, ६७-६८, और ६८-६९ में काम हुआ, उसका परिणाम हुआ कि ७०-७१ में फसल अच्छी हुई । कुदरत ने भी साथ दिया ।

श्री मोती लाल देहलवी--(जिला कानपुर)--
इससे पहले कमरे में खेती होती थी ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--
उधर से बोलने दीजिये, इधर से न बोलिये ।

श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--
आपने उनको एक ही काम सौंप दिया है कि ताली बजायें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा--
इस तरह से विचार लगाना तथ्यों के विपरीत है । एक बात और कही गई कि हमारे यहां खेतों का बन्दोबस्त मुनासिब नहीं है । यह बात सही है । इसी तरह खेती के स्ट्रक्चरल आर्गेनाइजेशन के बारे में कई बातें कही गयीं । इसके सम्बन्ध में कई प्रश्न भी पूछे गये । एक प्रश्न यह पूछा गया कि कृषि टैक्निकल है या गैर टैक्निकल है। मेरे टैक्निकल कह देने से कोई एलाउन्स तो मिल नहीं जायगा । मैं यह कह रहा हूं कि यह टैक्निकल डिपार्टमेंट है । यह ऐसा काम है जिसमें मिट्टी की पहचान करनी होती है और उसी से खाद डिटरमिन की जाती है। मिनरल्स के बारे में भी तय करना होता है । सारे का सारा कम्प्लेक्स साइन्स है । हम इस विभाग को हाइली टैक्निकल डिपार्टमेंट मानते हैं और इस टैक्निकल डिपार्टमेंट को हम कोई असुविधा देना नहीं चाहते जिसके कारण कोई डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़े । हमने टैक्निकल आदमी को कृषि का हेड बनाया है और हम मानते हैं कि इस विभाग के अन्दर काम करने वाले को जो भी सुविधा हम दे सकें, देना चाहिये, लेकिन यह बात जरूर है जिसको माननीय सदन मानेंगे कि इस भाग के कर्मचारियों का बड़ा उत्तरदायित्व है । और उन कर्मचारियों को भी यह समझना होगा कि वेतन मात्र के लिए नहीं बल्कि इस सदन के द्वारा मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश को नया जीवन देने के लिए हम काम कर रहे हैं । अगर वह यह समझ कर काम नहीं करेंगे और तनख्वाहों के झगड़े में पड़े रहेंगे तो मैं समझता हूं कि परिवर्तन की जो दिशा है उसमें आगे बढ़ने में कठिनाई होगी ।

मान्यवर, मैं आशा करता हूं कि उनमें इस नई प्रवृत्ति का उदय होगा। हां, उनके जो रूल्स हैं और जो उनकी सर्विस कंडीशंस हैं उनके सिलसिले में कुछ लापरवाही ही नहीं बल्कि मैं सख्त शब्द का इस्तेमाल करूं तो कई विभागों में एनार्की सी रही है। इसलिए सर्विस रूल्स, रेगुलेशंस, हर कैडर की कैडर स्ट्रेंथ और ग्रेडेशन लिस्ट जिसको सीनियारिटी जूनियारिटी कहा जाता है यह सारी की सारी चीजें बनाने के लिए मंत्रि मंडल ने आदेश दिये हैं और यह काम हर जगह शुरू हो रहा है। जाहिर है कि बहुत दिनों का काम है और एक दो महीने में पूरा नहीं किया जा सकता और इसके साथ ही कर्मचारियों से पूछना पड़ता है कि यह ग्रेडेशन लिस्ट है, इसमें कोई उज्र तो नहीं है। शुरू से काम हुआ होता तो इतनी दिक्कत न होती लेकिन चूंकि यह हुआ नहीं इसलिए कुछ कठिनाई तो आयेगी ही। मान्यवर, एक चीज और बतायी गयी। यह कहा गया कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत है। अब मेरा यह क्लेम तो नहीं है कि यह सारा शुद्ध कार्यक्रम है, गड़बड़ी है, मैं भी संतुष्ट नहीं हूं।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि बी०एल०डब्लू० के ऊपर खेती के सम्बन्ध में काफी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट ने उससे कहा है कि ९० फीसदी काम खेती का देखो। इसलिए यह जो सारा संगठन है उसमें कुछ मूलभूत दृष्टि से देखने की आवश्यकता प्रतीत होती है। एक ए० डी० ओ० एग्रीकल्चर का बी०डी०ओ० से शुरू होता है तो अन्त होता है डिप्टी डाटरेक्टर के पास। ए०डी०ओ० किस-किस को ठीक रखे। एक के नीचे काम करना तो ठीक देखता लेकिन पांच मालिक हों तो उनको देखना है। इसलिए दिक्कत है। इन बिल्ट स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं। हम इस दिशा में भी सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। बड़ी भारी फौज हमारे कृषि के महकमे की है और इस फौज में जो टोटल लोग हैं वे करीब ३४ हजार ८७२ के हैं। सबार्डीनेट सर्विस के लोग हैं, अमीन, चपरासी हैं। यह फौज छोटी नहीं है और अगर बी० एल० डब्लू को भी जोड़ लें तो यह बड़ा भारी कंप्लेक्स हो जाता है। मैं समझता हूं बी० एल० डब्ल पूरी तरह सक्षम नहीं है, उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मिट्टी की टेस्टिंग ठीक नहीं हो रही है उससे किसान को लाभ और हानि दोनों हो सकती है। ठीक टेस्टिंग होगी, ठीक फर्टीलाइजर पड़ेगा तो सब चीज ठीक होंगी। यह चार्ज किया गया कि केमीकल फर्टीलाइजर पूरा नहीं मिलता तो गोबर का क्या किया, हरी खाद का क्या किया। हरी खाद में ढेंचा और सनई का बीज नहीं मिलता तो उसका क्या किया। कई बार कहा जा चुका है और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि फर्टीलाइजर अगर हन्ड्रेड परसेन्ट मिल भी जाता तो भी आर्गेनिक फर्टीलाइजर दिये बगैर जमीन की उर्वरा शक्ति उतनी न रहती जितनी उसमें होती है। इसलिए केमीकल फर्टीलाइजर के साथ-साथ गोबर और आर्गेनिक मेन्योर जिसको कहते हैं और सारे कम्पोस्ट का प्रयोग करें तो अच्छा होगा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गोबर गैस प्लान्ट का सिलसिला चला। गोबर जैसा हम डालते हैं वैसा डालें तो घास-कूड़ा में पैदा होता है लेकिन उसका नाइट्रोजन कंटेन्ट ज्यादा नहीं होता। उसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है। अब गोबर गैस प्लान्ट बनाने का सिलसिला चला है। कुछ जगह जैसे काशीपुर में एक कृषक ने इसके लिये प्रयास किया है। वह गोबर गैस से प्रेसर चलाने वाला है, बत्ती जलाने वाला है, खाना पकाने वाला है और उसके बाद जो गोबर खेत में जाता है उसकी उर्वरा शक्ति साइन्टिस्ट मानते हैं, काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में २,००० गोबर गैस की व्यवस्था के संबंध में खादी कमीशन और रिजर्व बैंक पैसा देने को तैयार हैं। इसका परीक्षण हुआ और सभी जगह नहीं तो इस वक्त वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, फैजाबाद

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

और आजमगढ़ जिलों में करीब ४५० गोबर गैस प्लांट उत्तर प्रदेश में लगेंगे। एक कृषक के पास पैसे की कमी है तो कइयों को मिलाकर इसे लगाकर काम चलाया जायेगा। मैंने अमरौली, जिला गुजरात में गोबर गैस प्लान्ट की क्षमता देखी है कि किस तरह से वहां किसान गोबर गैस की वजह से समृद्धशाली बने हैं। वहां पर इससे कुएं से पानी तक निकालते हैं, मेरा जो ज्ञान है वह मेरा नहीं बल्कि जो खोज में लगे हैं उनसे प्राप्त हुआ है, खादी विलेज ऐण्ड इन्डस्ट्री कमीशन ने जो भारत में परीक्षण किया है, जैसे अमरौली में, उससे मुझे बल मिला है कि मैं यह माननीय सदस्यों से कहूं कि गोबर गैस प्लान्ट को यहां तेजी से लगाया जाय। केन्द्रीय सरकार ने लोहा और सीमेंन्ट एलाट किया है इसके लिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कृषि विभाग में कर्मचारी काम कर रहे हैं, ५४ हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। मेरी सूचना के अनुसार ३ हजार कर्मचारी सस्पेन्ड हैं बहुत अरसे से, करीब दस साल से। मेरा निवेदन है कि अगर वह दोषी हैं तो निकाल दिये जायें अन्यथा उनको रिइन्सटेट किया जाय। दूसरा प्वाइन्ट यह है कि एक सर्कुलर निकला था कि सेल प्वाइन्ट तोड़ दिये जांय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रिटरेन्च कर दिया जाय। सेल प्वाइन्ट तोड़े गये और एक महीने बाद फिर उनको रख लिया गया, इसी तरह से कलेक्शन अमीन निकाले जा रहे हैं। तो यह तय हो जाना चाहिये कि किस श्रेणी के कर्मचारी रहेंगे और किस श्रेणी के नहीं ताकि उनके अन्दर असंतोष की भावना न पैदा हो और वे मन से काम कर सकें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

कर्मचारियों के बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूं विरोधी दल के प्रति नेताओं से कि बीच में ऐसेम्बली होने के तुरन्त बाद एक दिन बैठ कर या शनिश्चर और इतवार को बैठकर परामर्श कर लें और निर्णय कर लेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि एक रुपये का फर्टीलाइजर किसान तक आठ रुपये में न पहुंचे, वही एक बात है, लेकिन निकाले नहीं जायेंगे। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर संगठन का रूप बदलता है तो नये संगठन में उनका नाम जोड़ दिया जायगा। उनका वेतन, भत्ता, पेन्शन के रूल्स वगैरः वही रहेगी और कोई गड़बड़ी नहीं होगी लेकिन ३ करोड़ रुपये तनख्वाह में दें और हमारा ३४ करोड़ रुपया बकाया रहे और वह हाथ हिलाते रहें यह समझ कर कि ओझा जी तो मौजूद ही हैं हमारे लिये लड़ने के लिए, तो इसमें कठिनाई होगी। मुझे मालूम है ओझा जी नहीं लड़ेंगे, गलत आदमियों के लिये। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि जो कर्मचारी उत्तरदायित्व और निष्ठा के साथ काम करते हैं उनकी सुरक्षा हमारे हाथ में है, उसमें बिगाड़ नहीं होगा।

गोबर गैस के बारे में बतला रहा था। एक बात यह कही गयी कि ढैंचा और सनई का बीज सरकार दे। अच्छे बीज सरकार दे, यह बात ठीक है लेकिन ढैंचा और सनई के बीज का मल्टी टिलीकेशन किसान को कर लेना चाहिये था। किसान ने नहीं किया तो थोड़ा बहुत सीड मल्टीटिलीकेशन फार्म में ....

श्री ऊदल--

मेरा एक निवेदन था कि ढैंचा तथा सनई के बीज बहुत से इलाकों में नहीं थे। पश्चिम के इलाके में आपने कहा कि व्यवस्था कर दी लेकिन टाइम से नहीं पहुंचा। टाइम से पहुंच जाय तो कोई खाद की शार्टेज न रहे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माननीय ऊदल जी ने बहुत ठीक कहा। ऐसा करने की चेष्टा करूंगा। सरकार ने जो निर्णय लिया उसको बतला रहा था और वह यह है कि खरीफ के लिये जितना बन्दोबस्त करना है उसकी पूरी पिक्चर गन्ने को लेकर एक इंटीग्रेटेड तरीके से अप्रैल के महीने तक बना लेना

चाहिये । केन्द्रीय सरकार से हम कह चुके हैं, चिट्ठियां भेज चुके हैं कि दाम का ऐलान तीन महीने पहले हो जाना चाहिये वर्ना काश्तकार नहीं समझता कि क्या बोये, क्या नहीं बोये और इससे देश का नुकसान होता है और इसी तरह से रबी के लिये व्यवस्था सितम्बर के महीने तक हो जानी चाहिये यानी इस सारे काम को साइंटिफिकली करना होगा । वर्मा जी ने कहा कि जो बीज हम दे रहे हैं सवाई वाला कोआपरेटिव के जरिये वह गड़बड़ कर रहा है । उन्होंने कहा कि उसे हटा देना चाहिये ।

चौधरी चरण सिंह––

मतलब यह है कि धान के लिये खाद का अभी तक प्रोग्राम बन रहा है और अरली पैडी को खाद मिलने वाली नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

चौधरी साहब ने ठीक बात कही । मैं इस सदन में कोई बात कहूं तो उसका असर खाद लेने की जो ताकत है उस पर बुरा असर पड़ेगा । इतना बतला दूं कि ३० जुलाई तक टाइम हमारे पास है । कुछ किसानों ने खरीद करनी चाही कि उनको कुल खाद दे दो जो बेकार रखी हुई थी । हम यह चाहते थे ई-विन बंटवारा किया जाय । इसमें टाइम लग गया । यह बात सच है कि २५ परसेंट के ऊपर खाद ले चुके हैं किसान और जो बची है उसे ३० जुलाई तक बांट देना चाहते हैं वर्ना अगली दफा खाद देते वक्त केन्द्रीय सरकार तंग करेगी । इसलिये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपनी खाद बांट दें । अर्ली पैडी के लिये कुछ बंट चुकी है और लेट पैंडी के लिये भी पूरी हो जाय ऐसा हम चाहते हैं । एलाटमेंट देर में शुरू हुआ इसी चक्कर में लेकिन केन्द्रीय सरकार से सारी व्यवस्था ठीक कर लें तो हर चीज जून के महीने तक ठीक-ठीक पहुंच सकती है लोगों के हाथ में और फिर यह काम ठीक हो सकता है ।

हमने यह भी तय किया है कि गन्ना आयुक्त अपने को गन्ना मिल आयुक्त ही न समझे । जो मिलों के लिये गन्ना है उतने ही गन्ने की उसकी फिक्र रहती है और मिल एरिया के बाहर के गन्ने अथवा काश्तकार की उसे फिक्र नहीं रहती बल्कि वह उसमें कुछ रुकावट ही डालता है । हमने उससे कहा है कि सारे उत्तर प्रदेश के गन्ने के एरिया को वह देखे, उसके इन पुट को देखे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)––

इस सम्बन्ध में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस विभाग में एक जो महामहिम भटनागर साहब बैठे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाय ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा–

मैं पहले ही कह चुका हूं कि अच्छा बीज और खाद केवल गन्ना मिल क्षेत्र के अन्दर ही न मिले बल्कि मिल क्षेत्र के बाहर भी काश्तकार को मिले ताकि गुड़ और खांडसारी की पैदावार और उससे मिलने वाला पैसा अधिक हो, इस बात को भी उसे पूरे तौर से देखना होगा । इसी प्रकार जितनी हमारी कैश क्राप हैं जैसे जूट, उसकी पैदावार घट रही है और इसलिये घट रही है कि उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । इसलिये हमने यह तय किया है कि जहां भी जूट पैदा होती है, जैसे लखीमपुर-खीरी में अच्छी किस्म की जूट पैदा होती है, वहां उसमें तेजी लायी जाय तब १६-१७ साल में यह स्थिति होगी कि हमारे यहां जूट काफी पैदा होने लगेगी । जहां तक उसके उचित दाम न मिलने का सवाल है, उसके लिये हमने सोचा है कि उसके दाम भी ठीक मिलें । इसलिये केन्द्रीय सरकार से बातचीत करने की हमने सोची है ।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री कृष्ण राय--

बाद में आप भूल जायेंगे। आप कहते हैं कि जमीन कम है लेकिन बड़े-बड़े अफसरों ने डेढ़-डेढ़ और दो-दो एकड़ में जो अपने बंगले बना रखे हैं जब कि लोगों जो मड़ई धरने की जगह नही रहती है तो इन बड़े-बड़े मकानको लेकर क्या उसमें आप फार्मिग करवायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं तो कृषि के सम्बन्ध में कह रहा हूं, यह सवाल तो तब आयेगा जब हमें हाउसिंग के ऊपर कहें। लेकिन फिर भी जितने भी ऐसे बंगले हैं चाहे वह इरीगेगेशन का हो, पी० डब्लू० डी० का हो या कोई भी ऐसा कम्पाउन्ड हो और उसमें हम कोई चीज पैदा कर सकते हैं तो हम उसमें बोयेंगे, जोतेंगे।

एक बात यह कही गई कि पांच सालों में इर्रीगेशन में कोई परिवर्तन नही हुआ। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने सारे आंकड़े ब्योरेवार दे दिये ह।

श्री सत्यपाल मलिक--

उनको मिनिस्टर तो बनाइये....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं हर योग्य आदमी की प्रशंसा करता हूं। लेकिन आप को नहीं बनना है। १० साल बाद आप क्या-क्या बनेंगे कौन कह सकता है। एक बात यह कही गई कि इस्टेबलिशमेंट पर बहुत खर्चा है और प्रोग्राम पर कम खर्चा है। इस पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कितना प्लान साइड में इक्सपेन्डिचर १९७१-७२ में १२.९ प्रतिशत था और १९७२-७३ में १६.८ और इस बजट इस्टीमेट में ३० के लगभग है। क्योंकि कार्यक्रम बहुत बड़े रहते हैं। हमारा जो खर्च का प्रोग्राम है वह हमेशा ६० प्रतिशत रहा है बल्कि उससे ऊपर ही रहा है। उससे कम कभी नहीं रहा।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी जो टोकना चाहता और मैंने वीरेन्द्र वर्मा जी को भी टोका था कि आपके आंकड़े वह बताते हैं कि प्रदेश का कुल क्षेत्रफल २३२ लाख हेक्टेयर है जिस पर कि आपने केवल २८ प्रतिशत पर ही सिंचाई की सुविधा दी है। आप स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं वह बहुत कम है। इसके अतिरिक्त आप अपनी योजनाओं को ही ले लीजिये, फिर भी संतोष होना चाहिये था लेकिन फिर भी सिंचाई के सम्बन्ध में आप बहुत पिछड़ रहे हैं

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मैं प्रजातांत्रिक विचार का आदमी हूं इसलिये जितने भी इन्टर प्रिटेशन होंगे उनको स्वीकार करूंगा। माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने कब कहा कि सरकार सारी सिंचाई की व्यवस्था कर रही हैं। उन्होंने यह कहा कि जितनी व्यवस्था सरकार कर रही है उससे ज्यादा व्यवस्था प्राइवेट तौर से हुई है। उन्होंने यह कहा कि यदि सरकारी ट्यूबवेल हजारों में है तो प्राइवेट लाखों में है। उसी दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।

बाबा रामनाथ--

तो फिर १२५ वर्ष आप ले लेंगे, तब जाकर पूरे प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था कर पायेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

यह भी कहा गया कि सीड फार्म्स का मैनेजमेंट ठीक नही है। उसमें नुकसान और घाटा बहुत होता है और एक सज्जन ने तो यहां तक कहा कि इनको बन्द कर दो तो अच्छा है तो १९८ सीड फार्म्स हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। मैंने उनके आंकड़े निकलवाये तो देखा कि टोटल में एक्चुअली जो सीड और बीज दिया है और जो उससे मुनाफा हुआ है, दोनों को मिलाकर देखा जाय तो बहुत अच्छा लगेगा। तराई सीड फार्म जो पंतनगर में है, जो सीड बनाते हैं वे उससे सस्ता देते हैं। ये महंगा सीड लेते हैं और सस्ता देते हैं। फूडग्रेन का जो प्राइज है बाजार में, उस पर साढ़े १२ परसेंट और लगाकर दे देते हैं। अब जाहिर है कि १९८ सीड फार्म्स में थोड़ी तकलीफ आती है मौसम आदि की, लेकिन फिर भी कोई घाटा नहीं है उनमें, यह कोई नही कह सकता कि वह सारे के सारे घाटे में चल रहे हैं।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)––

आप दोनों को हिसाब में रखकर उनका घाटा बतायें ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

१९८ सीड फार्म हैं, ६ हजार हेक्टर में करीब-करीब उनका फैलाव है। यह आप देखें, उसमें जो टोटल लागत लगी है वह ७३–७४ के लिये ५ करोड़ रुपये के करीब इस प्लान में उठाने की कोशिश की है। ट्रैक्टर्स वगैरह देते रहे हैं, लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इनसे मुनाफा हुआ या नहीं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इनसे मुनाफा हुआ है। उससे फूड प्रोडक्शन यदि देखा जाय, फाउन्डेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड को देखा जाय तो आप के सामने यह आता है कि ७२–७३ में फाउन्डेशन सीड ३५०; ७३–७४ में २८० और ७४–७५ में ३०० मीट्रिक टन इनसे तैयार हुआ है। अब एरिया जो कवर किया है, वह इस प्रकार है ७२–७३ में १४०.७३; १९७३–७४ में १६१.३२ लाख हेक्टर तथा टारगेट जो हमारा ७४–७५ के लिये है वह १४५.७८ लाख हेक्टर का है तो आपको इस दृष्टि से भी देखना होगा। यदि यह हमने न दिया होता तो जो इतनी ज्यादा जमीन में अच्छा बीज मिला वह न मिलता। मैंने आपसे कहा कि हम नुकसान में नहीं हैं। मेरा कहना है घाटा उसमें भी नहीं है। कोई कहे कि हम इनसे १५ या २० परसेंट मुनाफा लायें, तो हमें यह देखना होगा कि बाजार में यदि भाव १०५ रु० का है तो हम उस पर साढ़े १२ प्रतिशत और लगा कर उसे दे देंगे, किन्तु....

श्री रामसेवक यादव––

प्राइवेट फार्म और सरकारी फार्म को जो सुविधायें मिलती हैं, उनमें परस्पर जमीन आसमान का अंतर है, इसको आप देखें। फिर भी इतने इन्वेस्टमेंट के बाद आपको ज्यादा मुनाफा नही है, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

प्राइवेट वाले १६० रु० में भी अपना बेचें तो उसको कोई रुकावट नहीं है, लेकिन सीड–फार्म बंधा हुआ है। वह तो जो सरकार बाजार भाव तय करे, उस पर केवल साढ़े १२ प्रतिशत और लगाकर बेंचनें को बाध्य हैं।

बाबा रामनाथ ——

सीड के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई, मैंने सदन से निवेदन किया था कि पंतनगर यूनिवर्सिटी के जो वाइस-चांसलर डाक्टर सिंह हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट सरकार को दिया है कि सब स्टैन्डर्ड बीज की सप्लाई के कारण २५ करोड़ रुपये का हर साल नुकसान होता है, तो इसको रोकने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा——

डी० पी० सिंह ने बहुत पहले किताब लिखी थी । जो कोआपरेटिव का सवाई वाला बीज है, उसके बारे में वह है । जो उन्होंने लिखा, वह किताब मेरे पास रखी है । यदि माननीय सदस्य कहेंगे तो उनको उनकी बात सुना दूंगा । उस किताब के बारे में मैंने २८ जून को एक पत्र भी लिखा है उनको कि और सफाई कर दो । उन्होंने जो जवाब में लिखा है वह मैं पढ़े देता हूं । उनका पत्र संख्या १९९५० है । इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि सीड ऐक्ट के अनुसार सर्टिफाइड किस्म के बीजों का वितरण तभी हो सकता है जबकि उसकी शुद्धता ९७ परसेन्ट और अंकुरण शेष ९५/९० परसेंट हो । हमारा सीड फार्म यह बात देख लेता है । हमारा सीड फार्म ज्यादा अंकुरण न हो तो देता नहीं है किसान को ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक——

मान्यवर, जहां तक हमारी जानकारी है' ' '

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा——

अब यह असंभव नही है मेरे लिये । एक बात जो आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, कोआपरेटिव के सवाई की बात अगर माननीय सदन चाहता है तो बड़ी भारी जिम्मेदारी ले रहे हैं , लाखों किसानों का हमको और आपको सामना करना पड़ेगा, अगर सवाई प्रथा बन्द होने का सवाल है तो बिरोधी दल की तरफ से आ जाय हम स्वीकार कर लेंगे । आज सवाई प्रथा कोआपरेटिव द्वारा चलती है । अगर आप चाहते हैं कि यह प्रथा बन्द हो तो बिरोधी दल की तरफ से प्रस्ताव आ जाना चाहिये, उसके बाद हमारे दल से स्वीकृति में दिक्कत नहीं आयेगी लेकिन जो कठिनाइयां पैदा होंगी उसको पहले समझ लेना चाहिये । बहुत छोटे-छोटे काश्तकार हैं जिनकी शक्ति नहीं खरीदने की । उनका काम चलता है इस बीज से । बीज के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों की अलग-अलग राय है । मेरा कहना यह नहीं है कि जो काश्तकार गेंहूं पैदा करते हैं वह बिल्कुल बीज लायक होता है । (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक——

मेरी प्रार्थना है (व्यवधान) लोकतंत्र है, कोई बात पूछ लेता हूं । आपकी इन धौंस-धमकियों से डरने वाला नही हूं जब तक मेरे नेता न कह दें । मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं । हमारा बिरोध केवल इतना है कि यह बीज किसानों तक पहुंच नहीं पाता, आपके कृषि विभाग में बहुत से रक्त–बीज बैठे हैं । यह बीज उन किसानों तक नही पहुंचने देते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा——

मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता जिस भाषा का माननीय कौशिक जी ने इस्तेमाल किया है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक——

अध्यक्ष महोदय, कहें अगर रक्त–बीज असंसदीय हो ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं उस भाषा का प्रयोग नही करूंगा। मैं मानता हूं कि जो कर्मचारी हैं उनको आप दोषी कहें, गलत कहें, लेकिन कर्मचारी जिनमें कई लोग माननीय सदस्यों के भाई–भतीजे, छोटे-मोटे कहीं न कहीं काम कर रहे हैं रक्त बीज हुये तो हम लोग क्या हुये ? इसलिये यह बात बोलना चाहते हैं तो कहें गलत है, अशुद्ध हैं। संसदीय भाषा बोलते रहें, मेरा कोई झगड़ा नहीं, जिस चीज को चाहें कहें मैं उनको रोक नहीं सकता। सीड स्टोर्स से बीज दे कर हमने किसानों को सहयोग पहुंचाया है जिसका परिणाम हुआ है कि पिछले २५ सालों में उत्पादन कृषि का बढ़ा है। उसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश गर्व कर सकता है कि जो उसने सार्वजनिक सीढ़ी पर पहला कदम रखा था उसनें उससे आगे कितना अपने को बढ़ाया है।

एक बात और कहना चाहता हूं। यह कहा गया पशुओं की उन्नति के सिलसिले में एक माननीय सदस्य ने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान के ६,७ फीसदी रेजल्ट्स आते है। मुझे नहीं मालूम कि उनके आंकड़े किस चीज पर आधारित हैं। हमारे आंकड़ों के मुताबिक कृत्रिम गर्भाधान का काम जो केन्द्रों से हो रहा है, ३७ फीसदी तक सफलता है। कुछ गर्भाधान केन्द्र ५० फीसदी तक पंहुचे हैं। कृत्रिम गर्भाधान बड़ी पेचीदा चीज है। पशु जब हीटेड होते हैं अगर उस मौके पर नहीं है, वेनिंग आफ हीट के मौके पर जब हीट कम हो रही हो, उस वक्त पहुंचते हैं तो गर्भाधान ठीक से नहीं हो पाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिये जब वह अपनी हीट के पीक पर हो उस वक्त ले जाइये तो उसकी पूरी तौर पर जिम्मेदारी हो सकती है लेकिन हमने इस बात के लिये महाराष्ट्र के वारलीकंचन को देखा है कि वहां के आंकड़े ये हैं कि वहां पर ६० परसेंट रिजल्ट निकलते हैं और हम जो एरिया डेवलपिंग अथारिटी बना रहे हैं और इसके लिये अलग-अलग इलाकों में जो काम हो रहा है उसके जरिये इस कृत्रिम गर्भाधान के काम को हम और आगे बढ़ाने वालों में हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे पास जो सलाह आयी कि जो रद्दी सांड़ हैं उनको अलग किया जावे हम तो इसके एक कदम और आगे जाते हैं और जो हरियाणा या साहीवाल के जो सांड़ हैं हमारे पास पूर्विंग सायर (१) नहीं है और अब कौन गणना करे कि उसकी मां कैसी थी बाप कैसा था यह सब न करके हमने इसीलिये वारली कंचन के पैटर्न पर जो कि एक सामाजिक संगठन है यह निश्चय किया है कि उसके आधार पर कुछ इलाकों में काम करके देखना चाहते हैं कि हम कुछ परिवर्तन ला सकते हैं या नहीं। हम वह काम करेंगे।

मछली उत्पादन के सिलसिले में माननीय निषाद जी ने कहा कि ठेकेदार बीच में आ गये हैं, उन्होंने यह भी ठीक कहा कि मछुओं की कोई सहकारी समितियां नहीं हैं और जो ठेकेदार हैं वह मछुओं से काम लेते हैं, यह ठीक नहीं है। इस बात को जनसंघ के माननीय मित्र जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उन्होंने भी आखिर में दोहराया है। मान्यवर, मैं इसको स्वीकार करता हूं और सिद्धांततः यह बात उचित मालूम होती है लेकिन बनावे कौन कोआपरेटिव उनकी। आपने अगर कहा कि सरकार बनावे और अगर सरकार बनाने लगे तो फिर आप कहेंगे कि इसमें सरकार का हाथ ज्यादा है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने क्षेत्र में जो माननीय सदस्य इस सहकारिता के आधार पर मछुओं को संगठित करने लगेंगे तो सरकार हर बात में उनकी सहायता करने को उद्यत रहेगी। हम तो इस बात के लिये भी तैयार हैं कि अगर पहले साल ठेकेदारों की बोली से मछुओं की बोली कम होगी तो भी हम उस सहकारिता को ही आगे बढ़ायेंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ठेकेदार यह कर सकता है कि एकदम ठेकेदार बोली

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

को बढ़ा देंगे ताकि सहकारी संस्थायें घाटे में पड़ जावें तो उसके लिये हम उस हद तक भी तैयार हैं कि कम बोली पर भी सहकारी संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिये तैयार हैं और ठेकेदारों की उस चालाकी से लड़ते हुये सहकारी क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने के लिये हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह करेंगे लेकिन मैं आशा करता हूं कि अगर केवल भाषण में सहानुभूति दिखलाने के लिये नहीं कही गयी है वह बात तो भी माननीय सदस्य चाहे इधर के चाहे उधर के इसमें दिलचस्पी रखते हैं मेरी आशा है कि वे इस काम को पूरा करेंगे ।

यह भी कहा गया कि मत्स्य पालन विभाग ने पूरा काम नहीं किया है । मैं मानता हूं कि इस विभाग ने काम पूरा नहीं किया है और यह भी मानता हूं कि किस विभाग ने काम पूरा कि ा है, सीड का काम पूरा हुआ है, फर्टिलाइजर का काम पूरा हुआ है, किसी का पूरा नही हुआ, मैंने कहां कहा है कि काम पूरा हुआ है लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो भी करना चाहिये वह हम करने का प्रयत्न करना चाहते हैं कर रहे हैं और करेंगे । मत्स्य पालन के लिये कीथम लेक का जिक्र किया गया कि वह जलकुम्भी से भर गया है । ठीक है जलकुम्भी ऐसी खराब चीज है कि अगर एक बार वह हो जाये तो हटती नहीं है लेकिन हमने निर्णय लिया है कि जहां-जहां बड़े तालाब हैं या लेक हैं जैसे कीथम लेक है और इसमें जो जलकुम्भी हुयी है उसके लिये कितना भी पैसा लगे लेकिन उसको उखाड़ने के लिये हम पूरा प्रयत्न करेंगे और उसमें मछली पालन करेंगे। उसी तरह से पर्वतों पर जो अन्य बड़ी बड़ी लेक्स है जिनमें मछलियां होती हैं और चाहे प्लेन्स पर हों उनमें अच्छे किस्म की फिश को पैदा करने के लिये हम वहां काम को बढ़ायेंगे ।

फलोद्योग और फलोद्यो ग के सम्बन्ध में हमारे मित्रों ने कहा कि वह आते नहीं हैं, रास्ते नहीं है, कम हैं जिनके कारण उनके नीचे तक पंहुचने में बाधा पड़ती है । उसके लिये मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फलोद्योग को बढ़ाने के लिये यह सरकार पूरी तौर पर चेष्टा ही नहीं करेगी कि मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में इस काम को बढ़ाने के लिये पूर्ण सचेष्ट रहेगी । इस सम्बन्ध में जो क्षेत्रफल पर्वतीय इलाकों में इस सम्बन्ध में लाना चाहते हैं उसका एरिया सन् ७५ के बजट के द्वारा वह करीब ४ हजार ३ सौ हेक्टेयर का आयेगा और उसके अतिरिक्त जो उत्पादन में वृद्धि होगी उसमें समय लगता है । मैदानी क्षेत्र में फलों के बढ़ाने की बात है, हमें हिमांचल की तरह से बम्बई में, कलकत्ता में कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, यहां तक लाने के लिये सड़कों की कमी को पूरा करना पड़ेगा । हमें तकनीकी शिक्षा को बढ़ाना होगा । हमने कोशिश की है कि जितने भी कृषि कालेज हैं उनको हम केन्द्र बनाना चाहते हैं, सिर्फ एजूकेटेड ग्रेजुएट्स पैदा करने के लिये नहीं, बल्कि किसानों को एक्सटेन्शन ज्ञान देने के लिये। फल, तरकारी, अन्न, पशुधन की उन्नति के सिलसिले में वह काम करें । उन्होंने पैसा मांगा है कि हमें दो । यद्यपि हमारे पास उसका प्राविधान नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि इन कालेजेज की छोटी-मोटी कठिनाइयों को दूर करने के लिये कदम उठायेंगे ।

जहां तक स्वायल टेस्टिंग का सवाल है उसे और अच्छा बनाना होगा । माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि कई मिट्टियां टेस्टिंग के लिये भेजी गयीं लेकिन उनका परिणाम एक ही आया। किया होगा किसी कार्यकर्ता ने, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता को अपनी देखरेख में रखना होगा । खाद समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है और आरगेनिक खाद को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। किसानों को बताना होगा कि जो पत्ती, घास-फूस से खाद बनती है या जो कम्पोस्ट खाद है उसके बिना काम चलने वाला नहीं है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि फर्टीलाइजर के दाम बढ़ा दिये हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि जिस तारीख से उन दामों को स्वीकार किया है उस तारीख को जो नयी खाद और पुरानी खाद के दाम थे उनका औसत है। औसत १०५ रुपया है पुराने दाम कम थे और नये दाम ज्यादा हैं । इसलिये उसके औसत पर निश्चित किया है । यहां अखबार कोट नहीं होता है, इसलिये कोट नहीं करूंगा ।

टाइम्स आफ इंडिया में पूरा का पूरा लेख है उसमें चर्चा है कि दूसरे देशों में खाद के दाम क्या हैं । जब इनपुट का दाम बढ़ रहा हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार कभी नही चाहेगी कि आउटपुट का दाम न बढ़े । कृषि को बुनियादी लक्ष्य मानकर उत्तर प्रदेश नक्शा बनाना चाहते हैं । हमें भरोसा है कि यह सारा सदन और सभी माननीय सदस्य हमको सहयोग देंगे ताकि लक्ष्य की पूर्ति में हम सफल हों ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)––

मान्यवर, आज खाद की कमी है । इसको माननीय मुख्य मंत्री जी भी महसूस करते हैं और हरी खाद जो सनई की होती है, माननीय मुख्य मंत्री जी हरी खाद के लिये सनई के अतिरिक्त अन्य कोई तरकीब निकालेंगे जिसको मवेशी चर न सकें । इससे खेती में बहुत ज्यादा कामयाबी होगी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

आपका सुझाव मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी को भेज दूंगा और वहां से सुझाव आने पर उस पर विचार किया जायगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी––

माननीय मुख्य मंत्री गन्ना विभाग को आदेश दे दें तो गन्ना विभाग से खाद अच्छी मिल सकती है ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४४ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४४ कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त १४, ५२, २४, ५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४६ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं० ४६–भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २, ३८, ४४, १०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४७ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं० ४७--क्षेत्र विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशियों की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २, ६६, ५५, ३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान सं० ४९--के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४९--पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ६,५०,८८,४०० रुपये से अनधिस धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१--मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्यों को चुकान के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरक्त ६२, १४,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८० के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८०--पशु पालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,७५,९०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९७४-७५ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ११५९ ४४--कृषि, अनुदान संख्या ४६--भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ४७--क्षेत्रीय विकास, अनुदान संख्या ४९--पशुपालन, अनुदान संख्या ५१--मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या ८०--पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजी परिव्यय, अनुदान संख्या ९३--ऋण तथा अग्रिम--कृषि तथा अग्रिम--कृषि तथा अनुदान संख्या ७७--कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९३ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९३--ऋण और अग्रिम--कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३२,४५,४०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७७ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७७--कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,१४,२४,३०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज गंडक नहर में इंजीनियरों द्वारा पानी छोड़े जाने से देवरिया जिले के सैकड़ों गांवों के जलमग्न हो जाने के सम्बन्ध में माननीय बांके लाल, कृष्णा राय, कृपा शंकर आर्य, हरिकेवल, चौधरी रामपाल सिंह यादव, जनार्दन प्रसाद ओझा और शिवनाथ सिंह कुशवाहा की एक सूचना है। इसको मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

एक दूसरी माननीय सत्यपाल मलिक और धर्मवीर सिंह जी की उत्तर प्रदेश व हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के सम्बन्ध में है। इसके बारे में यदि चाहें माननीय मुख्य मन्त्री जी बता दें ?

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

इसके बारे में मैंने अपने भाषण में भी इशारा किया था। ताजेवाला पर बैरेज बना है। यमुना से कुछ पानी हरियाणा में जाता है और कुछ उत्तर प्रदेश में। यमुना आदि का बहाव ऐसा है कि उधर तो चला जाता है फ्लोसिंग बांध बनाना पड़ता है जिसके कारण उत्तर प्रदेश को पानी नहीं मिलता है। ओखला पर जो बैराज है वह पुराने ढंग का बना

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

हुआ है। जितना पानी हम मथुरा और आगरा के लिए लेना चाहते हैं और जितना पानी हरियाणा गुड़गांवा के लिए चाहते हैं, वह नहीं ले पाते हैं। यह एक इन्टरस्टेट रिवर है। दोनों सरकारों के बीच में मतभेद था कि नया बैरेज कहां पर बनाया जाय। ताजेवाला में भी विचार था और ओखला में भी बनाने का विचार था लेकिन दोनों प्रदेश इस बात को तय नहीं कर पा रहे थे कि किस स्थान पर बनाया जाय। हरियाणा के मुख्य मन्त्री यह चाहते थे कि ओखला में बने और ताजेवाला का बाद में बने। हम यह चाहते थे कि निश्चय भी साइमल्टेनियसली हो और काम भी साइमलटेनियसली हो। किसी निर्णय पर नहीं आ पाये थे। जब मैं ए० आई० सी० सी० के सेशन में गया हुआ था तो वहां पर हरियाणा के माननीय मुख्य मन्त्री भी मौजूद थे। मैंने उनसे बातचीत की और मैंने उनसे कहा कि हम पड़ोसी प्रदेश के हैं और आपस में दोनों में विभिन्न राय न हों। हम चाहते थे कि हमें आगरा और मथुरा के लिए पानी मिल जाय। और मान गये और फिर हम दोनों केन्द्र सरकार के मन्त्री माननीय के० सी० पन्त के सामने गये और समझौता इतना ही हुआ है कि दोनों सरकारें इस नतीजे पर पहुंची कि इन दोनों रेंजेज का पुर्नि-माण करना आवश्यक है। केन्द्र सरकार के मन्त्री निश्चय करेंगे कि किस जगह पर बने और जो पानी इस्तेमाल होगा उसका कास्ट रेश्यू तय होगा यानी कास्ट पर तय होगा कि १ हजार क्यूसेक्स हम लेते हैं और वह ५०० लेंगे तो एक रुपया हम देंगे और वह आठ आने देंगे। तो इस तरह से कास्ट जो है वह बेनिफिट से रिलेटेड होगी।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)---

हमने नियम ५१ में बयान की मांग इसलिए की थी---अच्छा है कि मुख्य मन्त्री जी ने बता दिया---तो मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच कई एक मामले ऐसे हैं जिनपर विवाद है और सदन को पता नहीं है कि उनके बारे में, क्या-क्या ईश्यूज हैं आपका बयान कुछ आता है हरियाणा का कुछ आता है तो इस सदन में मुख्य मन्त्री जी इन मामलों के सम्बन्ध में हाउस को कानफिडेंस में ले लें कि हम क्या चाहते हैं और झगड़ा क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

एक बात पर स्पष्ट कर दिया---पानी के झगड़े पर। अब सिर्फ उनकी हदबन्दी का सवाल है। जो यमुना बह रही है उसपर है और वह मामला भी पंच निर्णय में दे रखा है, गृह मन्त्री भारत सरकार को। अब पंच निर्णय ने यह सिद्धान्त दिया है कि यमुना की नहर के बीच में जहां तक हमारी उनकी सरहद आती है वह कहां पर किस जगह पर नापी जाय। एक इलाका बुलन्दशहर का था जिसको लेकर झगड़ा हुआ था तो एक सिद्धान्त था। साथ ही एक अलीगढ़ के समस्तपुर का, गुड़गांव का और सहारनपुर का कुछ था। तो एक सिद्धान्त पर तय हुआ, तो हमने कहा कि वही सिद्धान्त मान लो तो तय कर लिया जाय। लेकिन यह हुआ कि पूरा सिद्धान्त किस प्रकार हो, कौन खम्भा कहां ले जायं, जिस तरह से भी हो वह तय किया जाय। तो दो ही विवाद हैं आज तक। आपने अच्छा किया कि पूछ लिया, मुझे कहने का मौका मिल गया।

श्री अध्यक्ष---

तो यह हो गया। यह जो गेहूं वाला है यह अस्वीकार किया गया है जैसा मैंने कहा कि बहस होगी २ घंटे की गेहूं और अनावृष्टि पर तो उसमें आ जायगा।

यह जो माननीय बाबूलाल वर्मा और माननीय राजेन्द्र प्रसाद चौधरी का है तो अभी रुक जायं, इसको देखा जायगा। फिर यह माननीय हरिकेवल का देवरिया के बारे में दे दिया है तो मैं दो को खारिज कर दूंगा। एक ही को महत्वपूर्ण समझ कर।

यह नगर महापालिका लखनऊ का जो मामला है, यह आज तो नहीं हुआ। इस पर प्रश्न कर लें।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)--
श्रीमन्, वह बाढ़ वाला....

श्री अध्यक्ष--
सभी महत्वपूर्ण हैं। एक को मैंने स्वीकार कर लिया।
एक नदी और तूफान का है। तो नदियों में अभी तूफान आने की स्थिति नहीं पैदा हुई है कि अविलम्ब उस पर कार्यवाही की जाय।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के बारे में यह कहना है कि यह नीति विषयक प्रश्न है। उसके विषय में जानकारी करानी है, जल्दी आ जाय।

श्री अध्यक्ष--
आ जायगा।
यह नगरमहापालिका कानपुर के बारे में माननीय मोतीलाल देहलवी का है, इस पर अल्पसूचित प्रश्न करें।

मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--
जब हम अल्पसूचित प्रश्न करते हैं तो वह आता ही नहीं है, स्वीकार नहीं होता।

श्री अध्यक्ष--
आप दे दीजिये, नीचे आप यह लिख दिया करें कि मेरे निर्देश से आप यह प्रश्न दे रहे हैं।
शेष सभी अस्वीकार किये गये हैं।

(व्यवधान)

बिजनौर जिले के एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता श्री ऋषि बल्लभ सुन्दरियाल की विष देकर कथित हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)--
प्राप्त सूचना के अनुसार श्री ऋषि बल्लभ सुन्दरियाल पिछले १४-१५ वर्षों से बिजनौर क्षेत्र में भिन्न-भिन्न पार्टियों में कार्य करते रहे थे। कुछ समय से वह लोकतांत्रिक पार्टी में कार्य कर रहे थे। श्री ऋषि बल्लभ सुन्दरियाल ने कस्बा कीरतपुर में दिनांक ३०-६-७४ को उक्त क्षेत्र के हरिजनों के प्रति स्थानीय पुलिस के व्यवहार के सम्बन्ध में एक सभा की। सभा समाप्त होने पर श्री सुन्दरियाल जीप द्वारा ग्राम बाहूपुरा गये तथा वहां से आस-पास के गांवों में प्रचार किया। ग्राम नगली, थाना कीरतपुर के पास जीप खराब हो गयी। तत्पश्चात् श्री सुन्दरियाल व उनके साथी ग्राम फजलपुर में चौधरी रिसाल सिंह के यहां चले गये और वहीं खाना खाया। दिनांक १-७-७४ को सुबह कुछ खा-पीकर चौधरी रिसाल सिंह के साथ ग्राम नगली आये तथा उसके बाद ग्राम भनेड़ा आये और वहा से कीरतपुर बस स्टैन्ड पहुंचे। इसके बाद में रिक्शा द्वारा वे कीरतपुर के एक प्राइवेट डाक्टर पी० एस० राना के दवाखाना में गये तथा उनसे बतलाया कि उन्हें सांस लेने में कुछ कष्ट है। डा० राना ने उन्हें दवा दी तथा दवाखाने में आराम करने को कहा। कुछ देर बाद श्री सुन्दरियाल ने सीने में दर्द की शिकायत की। डा० द्वारा उन्हें इन्जेक्शन पैथीड्रीन

[श्री राममंगल पांडेय]

दिया गया परन्तु जब उन्हें आराम नहीं हुआ तब उन्हें मारफीया का इन्जेक्शन दिया गया परन्तु लगभग डेढ़ बजे दिन श्री सुन्दरियाल की मृत्यु डा० राना के दवाखाने में हो गई। इस आशय की लिखित रिपोर्ट डा० राना द्वारा थानाध्यक्ष, कीरतपुर को भेजी गई। डा० राना की उक्त लिखित सूचना के अनुसार श्री सुन्दरियाल की मृत्यु प्राकृतिक रूप से कारडियक फेल्योर (कोरनरी थ्रामबासिस) से हुई। थानाध्यक्ष द्वारा मृतक का पंचायत-नामा भर कर लाश पोस्ट मार्टम के लिए भेजी गई और डाक्टर की दवाओं के कुछ नमूने कब्जे में ले लिये गये।

२--डा० राना द्वारा दी गई उक्त सूचना से किसी अपराध का होना नहीं पाया गया अतः कोई हस्तक्षेपीय अपराध इस सम्बन्ध में कायम नहीं किया गया तथा दरियाफ्त हाल कायम होकर विवेचना आरम्भ की गयी। मृतक का पोस्ट मार्टम दिनांक २ जुलाई, १९७४ को किया गया। पोस्टमार्टम परीक्षण से मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका। मृतक का विसरा केमिकल एक्जामिनर को भेजा गया है, जिसका नतीजा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

३--श्री सुन्दरियाल सरकार की गल्ला वसूली नीति का विरोध कर रहे थे, तथा दिनांक ३० जून, १९७४ को उपरोक्त सभा में उन्होंने एस०डी०एम०, नजीबाबाद द्वारा गेहूं की वसूली में की जा रही कार्यवाही की भी आलोचना की परन्तु यह सही नहीं है कि एस०डी०एम० नजीबाबाद किसी प्रकार से श्री सुन्दरियाल से नाराज थे और ना ही उन्होंने उनको मारने की कभी कोई धमकी दी। अब तक की विवेचना से इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे कहा जा सके कि एस०डी०एम० नजीबाबाद अथवा थानाध्यक्ष, कीरतपुर द्वारा मृतक को विष दिया गया। यह कहना सही नहीं है कि सभा के बाद थानाध्यक्ष द्वारा श्री सुन्दरियाल को थाना ले जाया गया तथा वहां उन्हें चाय पिलाई गई या नाश्ता कराया गया। यह कहना सही नहीं है कि इस घटना से जनता में पुलिस के प्रशासन के प्रति असन्तोष है। शान्ति व्यवस्था का कोई खतरा नहीं है।

४--जनता के कुछ व्यक्तियों द्वारा जिला प्रशासन को प्रार्थना-पत्र दिये गए थे जिनमें श्री सुन्दरियाल की मृत्यु में एस०डी०एम०, नजीबाबाद तथा थानाध्यक्ष कीरतपुर का हाथ होने का सन्देह व्यक्त किया गया था। किन्तु जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक २ जुलाई, १९७४ को ही इस मामले की मजिस्टीरियल जांच के आदेश दे दिये थे तथा मजिस्टीरियल जांच चल रही है। उक्त मामले की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा भी कराये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कीरतपुर के होलिका दहन के स्थान को लेकर गरीब हरिजन सुक्खे व सुन्डा को १२ जून को पकड़ा गया। इसकी बाबत क्या वाकया है?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में गिरफ्तारी धारा ३९५ में अवश्य की गयी थी।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, उसको डाकेजनी के झूठे मामले में पकड़ा गया था। उसकी गिरफ्तारी के मामले को लेकर श्री ऋषि बल्लभ सुन्दरियाल ने प्रदर्शन किया था और कहा था कि यदि उनको छोड़ा न गया तो वह सभा एवं प्रर्दशन करेंगे? तो इस गिरफ्तारी के विरुद्ध कोई प्रदर्शन हुआ था?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी हां।

चौधरी चरण सिंह--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि श्री ऋषि बल्लभ सुन्दरियाल ने एस०डी०एम०, नजीबाबाद जोकि गल्ले की जबरन वसूली कर रहे थे, ज्यादती कर रहे थे, तो इस नेता ने उनके खिलाफ कोई पब्लिक मीटिंग की थी । क्या एस०डी०एम० के खिलाफ कोई शिकायत है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी हां। मीटिंग हुयी थी । पर एस०डी०एम० नजीबाबाद के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह--

क्या मन्त्री महोदय यह बात सही है कि श्री विश्वामित्र शर्मा और चन्द्र वीर सिंह ने इस केस की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी ।

श्री राज मंगल पांडेय--

जी हां।

चौधरी चरण सिंह--

क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि पोस्ट मार्टम २ जुलाई, १९७४ को किया गया था ? मृतक का विसरा ९ तारीख को केमिकल एक्जामिनर को भेजा गया। यह विसरा जल्दी भी भेजा जा सकता था। इसको १-२ दिन बाद भी भेजा जा सकता था।

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, विसरा सील करके भेजा जाता है। इस बारे में कोई सन्देह या शिकायत नहीं है।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, स्पष्ट आदेशों के होते हुए विसरा ९ तारीख को भेजा गया, जबकि पोस्ट मार्टम २ तारीख को हो गया था। ७ दिन बाद भेजा गया। इसको एक-दो दिन बाद भेज सकते थे। जल्दी भी भेज सकते थे। इसका जवाब भी क्या आप देंगे ?

मान्यवर, क्या मुख्य मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि एस०ओ० का तबादला जिले के बाहर कर दिया जाय ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, जिले के बाहर की बात का पता नहीं, लेकिन तबादला १२ जुलाई, १९७४ को किया गया है।

चौधरी चरण सिंह--

मेरा अनुरोध है कि एस०ओ० का तबादला जिले से बाहर करने की कृपा करेंगे ।

श्री राज मंगल पांडेय--

यदि चौधरी साहब इससे खुश हैं कि उनका तबादला जिले से बाहर कर दिया जाय तो मैं कर दूंगा ।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, जब पहला प्रदर्शन थाने पर हुआ था तो एस०ओ० ने उन लोगों से कहा था कि तुम लोगों को देख लेंगे। यह धमकी एस०ओ० श्री ऋषि बल्लभ को थी। इसलिए वह एस०ओ० जबर्दस्त है। यह मेहरबानी कर रहे हैं कि उसका तबादला बाहर कर रहे हैं । क्या एस०डी०एम० के ट्रांसफर पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर एस०डी० एम० के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि गल्ला वसूली नीति का विरोध उन्होंने किया। इसके अलावा उसके विरुद्ध और कोई चीज नहीं है। इसलिए एस० डी० एम० के ट्रांसफर करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनता के द्वारा जिलाधिकारी को एक पत्र दिया गया था और उसमें यह शिकायत की गई है कि श्री सुन्दरियाल को थाने में लाया गया था और उन्होंने उनको चाय पिलाई और नाश्ता कराया। इसके बाद ही दुर्घटना हुई और उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि श्री सुन्दरियाल थाने में गये थे ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, इसको अपराध अनुसन्धान शाखा को जांच के लिए दे दिया गया है और जांच हो रही है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, विसरा भेजने के लिए विशेष बाक्स होता है जिसका नं० एक होता है। तो यह विसरा उसमें न भेजकर साधारण तरीके से क्यों भेजा गया ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, विसरा भेजने का ऐसा कुछ नहीं है। विसरा केमिकल इक्जामिनर के यहां भेजा गया है।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, केमिकल इक्जामिनर की तरफ से विसरा का नं० एक होता है, जो स्प्रिट होती है वह मन्जूर शुदा होती है। ये सब केमिकल इक्जामिनर की तरफ से होती है। सी० एस० को अधिकार नहीं है कि वह बर्तन में उसको भेजे। इसलिए इसमें नियम का क्यों पालन नहीं किया गया है ?

श्री राज संगल पांडेय--

यदि नियम का पालन नहीं किया गया है तो मान्यवर, उसकी जांच की जायेगी।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, वक्तव्य के प्रश्न २ के चौथे पैराग्राफ में यह है कि जनता के कुछ व्यक्तियों द्वारा जो प्रार्थना-पत्र दिया गया था उसमें श्री सुन्दरियाल की मृत्यु में एस०डी०एम० का हाथ होने का सन्देह व्यक्त किया गया था। तो कृपा करके जो शिकायती प्रार्थना-पत्र आये हैं उनको पढ़कर सुना दें कि गल्ला वसूली के बारे में ही शिकायत थी तथा और कोई शिकायत नहीं थी, या और शिकायतें थी तो कौन-कौन सी शिकायतें थीं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

वह शिकायत बाद की है। मैं पढ़े देता हूं...।

मैं श्री सांवलदास गुप्ता, अध्यक्ष, संसोपा, दिल्ली प्रदेश का पत्र जो उन्होंने जिलाधीश, बिजनौर को लिखा पढ़ रहा हूं:--

"सविनय निवेदन है कि मैं संसोपा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूं और श्री ऋषि बल्लभ सुन्दरियाल का मुझ से पिछले २० वर्षों से सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्रों में घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में श्री ऋषि बल्लभ ने समाज की पिछड़ी, दलित एवं शोषित जनता का नेतृत्व किया और सरकारी एवं दमन एवं अन्याय की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया है।

बिजनौर जिले के एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता श्री ऋषि बल्लभ सुन्दरियाल की विष देकर कथित हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ अन्तर्गत वक्तव्य

मोहल्ला लाडपुरा, थाना किरतपुर जिला बिजनौर में हरिजनों की होली के दहन के लिये एक स्थान है जिस पर गत अनेकों वर्षों से परम्परागत हरिजन होली का दहन करते चले आ रहे हैं। पिछले २–३ वर्षों से कस्बे के चंद लोगों ने हरिजनों की होली का दहन के स्थान पर जबरदस्ती कब्जा करने की चेष्टा की। जिले के अधिकारीगण के समक्ष श्री ऋषि बल्लभ सुंदरियाल ने हरिजनों के समर्थन में प्रतिनिधित्व किया लेकिन अधिकारीगण मौन रहे और इस संबंध में उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों को श्री सुंदरियाल जी सहन न कर सके। थानाध्यक्ष, किरतपुर, श्री सरदार हरबख्श सिंह पार्टीबाजी के चक्कर में पड़ कर हरिजनों पर अत्याचार कर रहा था और उनको अनुचित रूप से दबा रहा था। १२–६–७४ की रात को एक निर्दोष हरिजन सुक्खे व सुंडा को उसके मकान मो० लाडपुरा से पकड़ कर ले जाया गया और उस पर एक राहजनी और कतल का झूठा मुकदमा इसलिये बनाया गया क्योंकि वह होली दहन की जमीन के बारे में जोरदार आवाज उठा रहा था। इस गरीब हरिजन की गिरफ्तारी के विरोध में तथा हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में श्री सुंदरियाल जी के नेतृत्व में हरिजनों ने थाना किरतपुर पर प्रदर्शन किया। तो थानाध्यक्ष किरतपुर ने कहा कि चमारों के दिमाग बिगड़ गये हैं, मैं ठीक कर दूंगा। तुम घास खोदो, लीडरी करोगे तो मरोगे। इस पर राष्ट्रीय हरिजन मोर्चा, जिला बिजनौर की ओर से ऋषि बल्लभ सुंदरियाल ने एक इश्तहार द्वारा जिसमें उ० प्र० सरकार व उच्चाधिकारियों से मांग की कि यदि थानाध्यक्ष किरतपुर ने निर्दोष हरिजन को तत्काल नहीं छोड़ा तो ३०–६–७४ को एक विराट सभा एवं प्रदर्शन किया जायगा तथा थाने पर धरना दिया जायेगा और ३०–६–७४ को तदनुसार किरतपुर में एक विराट जन सभा हुई जिसमें थानाध्यक्ष एवं परगनाधीश, श्री वीरेन्द्र सिंह के दुर्व्यवहार, अत्याचार एवं अनुचित कार्यों की आलोचना की गई। परगनाधीश, नजीबाबाद श्री वीरेन्द्र सिंह गेहूं वसूली के सिलसिले में अनुचित एवं अवैधानिक रूप से तहसील नजीबाबाद के कृषकों पर दबाव डाल रहे थे। किसानों पर हुए अत्याचारों को श्री सुंदरियाल जी ने सहन नहीं किया और श्री वीरेन्द्र सिंह के अनुचित कार्यों के विरुद्ध किसानों के समर्थन में कार्यरत हो गये और श्री सुंदरियाल जी ने एक इश्तहार राष्ट्रीय किसान मोर्चा, जिला बिजनौर की ओर से वितरित किया जिसमें २–७–७४ को ग्राम बाहुपुरा के एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया इससे पूर्व भी दिनांक २३–६–७४ को श्री सुंदरियाल जी ने श्री वीरेन्द्र सिंह परगनाधीश नजीबाद के दुर्व्यवहार एवं किसानों पर अनुचित दबाव व अत्याचारों के विरोध में किरतपुर में एक जन सभा में कटु आलोचना की थी। इस कारण वीरेन्द्र सिंह जी श्री सुंदरियाल से नाराज थे। लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने कुछ लोगों से यह भी कहा कि यदि सुंदरियाल ने हमारे मार्ग में बाधा पैदा की तो उसको ठिकाने लगा दिया जायेगा।

थानाध्यक्ष, किरतपुर एवं परगनाधीश, नजीबाबाद दोनों ही श्री ऋषि बल्लभ सुंदरियाल जी को शत्रु समझते थे। दिनांक १–७–७४ को प्रातः ९ साढ़े ९ बजे श्री सुंदरियाल जी किरतपुर बस अड्डे पर थे। उसी समय बस अड्डे से उनको थानाध्यक्ष किरतपुर श्री सरदार हरबख्श सिंह अपने साथ बात करते-करते कहीं लिवा ले गये। उसी दिन करीब ११ बजे दोपहर को श्री ऋषि बल्लभ सुंदरियाल अस्वस्थ अवस्था में डाक्टर राना के दरवाजे पर पहुंचे जहां उनकी मृत्यु हो गई। किरतपुर की पुलिस ने श्री ऋषि बल्लभ सुंदरियाल के साथियों को बताया कि श्री सुंदरियाल जी की मृत्यु हृदय गति रुक जाने से हो गई है। मृत्यु का समाचार मिलते ही स्थानीय राजनैतिक व सामाजिक कार्यकर्त्ता डाक्टर राना के दरवाजे पर पहुंचे तो श्री सुंदरियाल के मृतक शरीर पर जगह जगह नीले निशान थे। हाथ पैरों के निशान भी नीले थे। बाद में चेहरा भी नीला हो गया था। जिले की जनता यह संदेह कर रही है कि श्री सुंदरियाल की हत्या की गई है और इस समस्त कांड में थानाध्यक्ष किरतपुर सरदार हरबख्श सिंह एवं परगनाधीश नजीबाबाद श्री वीरेन्द्र सिंह का हाथ है। उपरोक्त समस्त हालात व वाकयात की मौजूदगी से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री ऋषि वल्लभ जी की मृत्यु स्वाभाविक न होकर राजनैतिक हत्या की गई।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

अतः सानुरोध प्रार्थना है कि श्री ऋषि बल्लभ सुदरियाल की हत्या की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच किसी जज अथवा उससे उच्च स्तर के न्यायिक अधिकारी से कराई जाय और जो उस हत्या का दोषी पाया जाय उसे कठोर दंड दिया जावे ।

नोटः--इश्तहार दिनांक ३०-६-७४ व २-७-७४ के संलग्न हैं ।

(ह०) सांवल दास गुप्ता

इसके अलावा दो चिट्ठी और हैं आप लोग कहें तो पढ़ दें ।

कई सदस्य---

एक ही काफी है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

यह गंभीर विषय है । नेता विरोधी दल ने सदन के सामने जो रक्खा है उससे मालूम होता है कि इक्जीक्यूटिव आफिसर्स भी इसमें इन्वाल्व हैं । ऐसा संदेह है और यह जो जांच की गई है वह काफी नहीं है इसलिये न्यायिक जांच की मांग की गई है । इससे सच बात सामने आ जावेगी । इसमें सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री राज मंगल पा०डेय---

मान्यवर, मैजिस्ट्रीयल जांच के साथ सी०आई०डी०जांच भी होगी । अगर सरकार को कोई भी संदेह हुआ कि सी० आई० डी० जांच ठीक से नहीं हुई है तो मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसके बाद जो भी जांच सदन चाहेगा उसमें हमें एतराज न होगा । लेकिन सच्ची भावना से यह हम करा रहे हैं और सी० आई० डी० की जांच से आप सभी संतुष्टट होंगे ।

चौधरी चरण सिंह---

एक प्रश्न । दूसरे देशों में सी० आई० डी० इन्डिपेन्डेट होती है सिविल पुलिस से । लेकिन हमारे यहां सिविल पुलिस और सी० आई० डी० म्युचिअली ट्रांसफरेबिल हैं । एक दूसरे से संबंध रहता है । क्या माननीय मंत्री जी डी० आई० जी०, सी० आई० डी० को यह आदेश देंगे कि एक ऐसे आफिसर से जांच करायें जिसका कोई संबंध बिजनौर से, एस० डी० एम० से या थानाध्यक्ष से न रहा हो यानी यह थानाध्यक्ष उस आफिसर के मातहत न रहा हो ।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, चौधरी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं और वह इस प्रदेश के होम मिनिस्टर रह चुके हैं । वे जिस अधिकारी को कहें उसके सुपुर्द यह जांच कर दी जाय ।

चौधरी चरण सिंह---

आप मिस्टर दीक्षित को बुला लें और जिसको वह कहें उसको जांच सुपुर्द कर दें ।

श्री राजमंगल पांडेय---

मैं तो कहता हूं कि चौधरी साहब जिसको कहें उसके सुपुर्द जांच कर दें । अगर वह डी० आई० जी०, सी० आई० डी० को कहें तो उनके सुपुर्द कर दें । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि जांच के बाद फिर यह न हो कि फलां से जांच करायी । इसलिये शक-शुबहा वाली बात न रह जाय ।

श्री सत्य प्रकाश---

तो डी० आई० जी०, सी० आई० डी० से ही जांच करा लें ।

श्री राजमंगल पांडेय---

आपके कहने से नहीं । अगर चौधरी साहब कहें तब ।

बिजनौर जिले के एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता श्री ऋषि बल्लभ सुन्दरियाल की ११६७
विष देकर कथित हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने प्रकारान्तर से तो कह ही दिया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उनके बाद और भी अधिकारी तो सी० आई० डी० में और पुलिस में आये होंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

पुलिस का कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसके बारे में चौधरी साहब न जानते हों ।

श्री राम सेवक यादव—

क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि डी० आई० जी० श्री दीक्षित को माननीय नेता विरोधी दल के पास इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये वे भेजेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

बातचीत का प्रश्न ही नहीं है । मैंने तो मालिक चौधरी साहब को बना दिया ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं । कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२३ जुलाई, १९७४ ।

नत्थी "क"

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५० पर)

तालिका मांगें

१—पिछले हड़ताल के समय दिए गए वादे पूरे किए जायें जैसे नाम बदलना, गरम वर्दी, छूटे पर्दों के स्केल, हड़ताल का वेतन तथा वार्षिक बढ़ोत्तरी संबंधी निर्णय इत्यादि लागू किए जायें।

२—इलाहाबाद के कर्मचारियों को, अकारण निकालना तथा बिजली कर्मचारी संघ को बढ़ावा दना।

३—पनकी एवं ओबरा की मांगों को पूरा किया जाय।

४—यूनियन के अधिकारियों को नाजायज परेशान करना।

५—आपरेटिंग स्टाफ के स्केलों को जो गलत हो गए हैं, ठीक किया जाना।

६—राष्ट्रीय क्षति के जो केस दिए गए हैं उनकी जांच कर दोषी को दंडित किया जाना।

७—यमुना में नियम के विरुद्ध जो सेलेक्शन किया गया है तथा चोरों को बचाया जा रहा है ठीक किया जाय।

८—ई० पी० एफ० की स्कीम से कर्मचारियों को मुक्त किया जाय।

९—पिछले आश्वासन पूरे किए जायें।

१०—समान नीति न लागू करने की शिकायत दूर की जाय।

नत्थी "ख"

[देखिए नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५५ पर]

संलग्नक

विकास खंड का नाम	मद	क्रम सं०	ग्राम का नाम	कुआं बना अथवा नहीं
१	२	३	४	५
		सामुदायिक विभाग		
१—लक्ष्मीपुर	आयोजनेतर	१—फुलवरिया मल्हनी		कुआं बना है
		२—बसन्तपुर	.. ..	,,
		३—राज मन्दिर खुर्द	..	,,
		४—बटई डोहा	.. ..	,,
		५—कजरी	.. ..	,,
		६—जिगनिहा	.. ..	,,
		७—बगनी बुजुर्ग	.. ..	,,
		८—गौहरपुर	.. ..	,,
		९—पुरन्दरपुर सोनबरसा	..	,,
		१०—मठिया ईदू	.. ..	,,
		११—मुड़ली	.. ..	,,
		१२—जंगल हथियागढ़	..	,,
		१३—बरगवा विशुनपुर	..	,,
२—मिझौलिया (नवतनवा)	आयोजनेतर	१—चकदह	..	.. कुआं बना है।
		२—कोहड़बल	.. ..	,,
		३—जारां	.. ..	,,
		४—बड़हरा	.. ..	,,
		५—रंग गढ़वा	.. ..	,,
		६—मोहसांगड्डी	.. ..	,,
		७—सिहोबा	.. ..	,,
		८—लक्ष्मीनगर	.. ..	,,
		९—हनुमान गढ़िया	..	,,
		१०—जुगौली	.. ..	,,
		११—बैकुण्ठपुर	.. ..	,,
		१२—बरलहवा	.. ..	,,
		१३—खैराटी	.. ..	,,
		हरिजन सहायक विभाग		
१—लक्ष्मीपुर	आयोजनागत	१—बसावनपुर	..	.. कुआं बना है
		२—मुड़ली	.. ..	,,
		३—मदरहा कलरही	.. ..	,,
		४—इलाहाबास	.. ..	,,
		५—रानीपुर	.. ..	,,

१	२	३	३	५
२–मिश्रौलिया (नवतनवा)	आयोजनागत	१––संग्रामपुर	..	.. कुआं बना है
		२––मरजादपुर	..	.. ,,
		३––बरवाखुर्द	..	.. ,,
		४––करमहवा	..	.. ,,
		५––गनेशपुर टोला करमहवा		.. ,,
		६––ढोढवा	..	.. ,,
		७––त्रिलोकपुर जारा		.. ,,
		८––बरैनी	..	.. ,,
		९––नौनियां	..	.. ,,
		१०––सम्पतिहा	..	.. ,,

सामुदायिक विकास विभाग (हरिजन सहायक विभाग द्वारा प्रदत्त धनराशि से)

१–लक्ष्मीपुर	आयोजनागत	१––मालिकगढ़	..	.. निर्माण कार्य प्रगति पर है।
२–मिश्रौलिया (नवतनवा)	आयोजनागत	१––पुरुषोत्तमपुर	..	.. ,,

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६२ पर]

संलग्नक

गत तीन वर्षों के अन्तर्गत विकास खंड, बिलरियागंज, आजमगढ़ में निम्न हरिजन बस्तियों में हरिजनों के लिए पानी पीने हेतु कूप का निर्माण किया गया था :—

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	पूर्ण कूप
१	पचखोरा	सामुदायिक विकास विभाग द्वारा
२	बरामदपुर	,, ,,
३	माहोकम नाथ पट्टी	,, ,,
४	शान्तीपुर	,, ,,
५	दुलार जसकरन	,, ,,
६	पड़री हाजी	,, ,,
७	विजयापार	,, ,,
८	अखरचन्दा	,, ,,
९	हाजी पट्टी	,, ,,
१०	हिरई मुल्लीगढ़	,, ,,
११	छिड़ी	,, ,,
१२	अमीन फरेन्दा	हरिजन कल्याण विभाग द्वारा
१३	खरगपुर	,,
१४	ककरही दुलार	अपूर्ण कूप
१५	एवती पहलवानपुर	,, ,,
१६	भगतपुर	,, ,,

गत तीन वर्षों के अन्तर्गत विकास खन्ड हरैया आजमगढ़ में निम्न हरिजन बस्तियों में हरिजनों के लिए पानी पीने हेतु कूप का निर्माण किया गया है :—

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	पूर्ण कूप
१	हरैया	सामुदायिक विकास विभाग द्वारा
२	जमनीधत	,, ,,
३	रामगढ़	,, ,,
४	जाजपुर	,, ,,
५	तरकौली	,, ,,
६	हाजीपुर	,, ,,
७	नैनीजोर	,, ,,
८	बनहरा	सामुदायिक
९	छपरा	विकास विभाग

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम				पूर्ण कूप
१०	शुकरौछी	..	..	..	द्वारा
११	जोकहरा	..	..	..	,,
१२	चांदपट्टी	..	..	..	हरिजन कल्याण विभाग द्वारा

गत तीन वर्षों के अन्तर्गत विकास खण्ड, आजमगढ़, जिला आजमगढ़ में निम्न हरिजन बस्तियों में हरिजनों के लिए पानी पीने हेतु कूप का निर्माण किया गया है :—

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम			पूर्ण कूप	
१	नत्थूपुर	..	..	सामुदायिक विकास विभाग द्वारा	
२	बलुआ	..	..	,,	,,
३	शाहदौलत मझौवा		..	,,	,,
४	महुला देवारा	..	..	,,	,,
५	चांदपुर	..	..	,,	,,
६	महरूपुर	..	..	,,	,,
७	कैथौली	..	..	,,	,,
८	छपरा सुल्तानपुर		..	,,	,,
९	पंडरी पट्टी	..	..	,,	,,
१०	पाउर कुन्डा	..	..	,,	,,
११	सोहरा भार	..	..	अपूर्ण कूप	,,
१२	उमरोहा	..	..	पूर्ण कूप हरिजन कल्याण विभाग द्वारा	
१३	बैरमा	..	..	,,	
१४	सिकन्दरपुर	..	..	अपूर्ण कूप	
१५	जमसर	..	..	,,	
१६	मेकई खास	..	..	,,	
१७	देरूपुर	..	..	,,	

गत तीन वर्षों के अन्तर्गत विकास खण्ड, फतेहपुर मण्डोव, जिला आजमगढ़ में निम्न हरिजन बस्तियों में हरिजनों के लिए पानी पीने हेतु कूपों का निर्माण किया गया है :—

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम			कूप निर्माण की स्थिति	
१	गजियापुर	..	..	पूर्ण कूप	सामुदायिक विकास विभाग द्वारा
२	हकारीपर	..	..	,,	,,
३	मुस्तफाबाद	..	..	,,	,,
४	गगउपुर	..	..	,,	,,
५	गजियापुर	..	..	,,	,,
६	धर्मपुर	..	..	,,	,,
७	नेवादा गोपालपुर		..	,,	,,
८	मोलनापुर	..	..	,,	,,
९	रामपुर	..	..	,,	,,
१०	बनपोखरा	..	..	,,	,,
११	फतेहपुर मण्डोव	..	..	,,	,,
१२	हैवतपुर बस्ती	..	..	,,	,,

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	कूपनिर्माण की स्थिति	
१३	मारूफपुर	पूर्ण कूप सामुदायिक विकास	विभाग
१४	हसन सराय	द्वारा	,,
१५	तालचंवर	,,	,,
१६	लालनपुर	,,	,,
१७	बेला बदायनपट्टी ..	,,	,,
१८	धानपुर	,,	,,
१९	सुवाह	,,	,,
२०	काठ तरांव	,,	,,
२१	नीम डांड़	,,	,,
२२	शेषपुर	,,	,,
२३	छतहरा	,,	,,
२४	डुमरी	,,	,,
२५	अहीरपुर	,,	,,
२६	परसिया जयरामगिर ..	,,	,,
२७	मसरपुर आलापुर ..	,,	,,
२८	अलीपुर	अपूर्ण	,,
२९	गोपालपुर	,,	,,
३०	मुस्तफाबाद	पूर्ण	,,
३१	मोर्चापार	,,	,,
३२	दुवारी	अपूर्ण	,,
३३	उकरौली	,,	,,
३४	फतेहपुर मंडौव	,,	,,
३५	महुई	,,	,,
३६	भगतपूरा	,,	,,

नत्थी 'घ'

[देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६३ पर]

संलग्नक

व.राणसी मण्डल के राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की स्थिति एवं आय तथा खर्च का विवरणं वर्ष १९७१ से अप्रैल १९७४ तक

क्रम-संख्या	जिले का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	१९७०–७१		१९७१–७२		१९७२–७३		१९७३–७४ (अप्रैल १९७४ तक) अनुमानित	
			आय रु०	खर्च रु०	आय रु०	खर्च रु०	आय रु०	खर्च रु०	आय रु०	खर्च रु०
१	वाराणसी	कल्ली पुर	२३,९७०	२८,२४१	१०,११५	१०,९७६	२१,४७६	२६,०४६	५२,०००	२८,०००
२	,,	चन्दौली (प्रयोग एवं प्रदर्शन प्रक्षेत्र)	१९,४०९	२४,२७४	२९,०७४	३३,४६९	२७,९२९	२८,२७८	३१,८५०	३०,६५९
३	,,	वाराणसी, (परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र)	८१,२००	५५,११८	१,०७,२३१	८९,१७३	१,१९,०५३	७१,७१७	१,३०,८३८	८५,८३८
४	मिर्जापुर	तिसूही	१,२५,४७६	९७,२३५	१,५२,४००	८१,०२१	८५,७३७	५९,१६३	१,७६,६२४	७५,४१२
५	,,	पिपराडांड	१८,२५४	२७,३४४	३४,३६६	३७,०१८	४४,१८५	४६,९४७	१,१४,८४९	५२,५८२
६	,,	मुगराही	८०,०९४	७४,९४०	१,२६,२९५	८७,८९४	७७,३३४	६७,४०१	१,५४,३४९	६९,६४४
७	गाजीपुर	तिसौरा	४६,०५३	४७,५५२	५१,१३४	५६,९२९	४३,८७५	६१,११६	९५,७८५	५३,७८५
८	,,	अंकुशपुर	३१,५४५	३९,९५१	३६,७०१	४१,५७३	१७,८४२	४२,२४५	४४,४७९	३८,४७९
९	,,	बड़ाबाग	२९,८५५	२८,७३०	३०,३४९	३१,०७२	१५,४९६	३४,४८४	४६,५१७	३२,५१७
१०	जौनपुर	मई	२१,८०८	२०,९२१	३१,१६२	२९,१७१	१७,४९७	२९,५७४	२३,०६०	१५,०६०
११	,,	बक्सा	३४,९१६	२८,४७१	३७,७५९	३४,९२२	२७,८३५	३५,५०५	२०,८२४	१५,८२४
१२	बलिया	सौहाव	३०,३१२	२५,३८४	३४,१९५	३३,९७३	१६,६७७	२७,९११	४८,०००	३२,०००
१३	,,	केवड़ा	२७,७२५	२०,६३४	२७,५८७	२५,१०२	२८,२०७	२८,०१२	४२,५६०	२८,५६०
		योग ..	५,७०,६१७	५,१८,७९५	६,९८,२५३	५,६१,३१७	५,४३,१४३	५,५८,३९९	९,८१,७४४	५,५८,३६०

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६५ पर]

राजकीय अनुदानों का विवरण

वर्ष	अनुदान की रकम	प्रयोजन	उपयोगिता अनु-उपयोगिता
	रु०		
१९७२–७३	१,२००	सफाई सामान खरीदने के लिये	उपयोग हो गया
१९७२–७३	१०,०००	रोड मरम्मत तथा नवनिर्माण	उपयोग हो गया
१९७२–७३	४०,०००	विशेष सड़क अनुदान	उपयोग हो गया
१९७३–७४	१०,०००	सड़क तथा नाली बनाने हेतु	उपयोग नहीं हुआ
		ऋण का विवरण	
१९७१–७२	६०,०००	सड़क बनाने हेतु ..	उपयोग हो गया ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६८ पर)

लोधा विकास क्षेत्र १९६८ में समाप्त होने के पश्चात् धनीपुर एवं जवां विकास क्षेत्र में विलय कर दिया गया था ।

मार्च, १९७० में ब्लाक जवां एवं धनीपुर में ऋण वितरण प्राप्त ऋणी सदस्यों की सूची

क्रम-संख्या	नाम व वल्दियत	ग्राम व डाकखाना	उद्देश्य	धन जिसका भुगतान किया गया	दिनांक भुगतान
१	२	३	४	५	६
				रु०	
१	श्री चिरजी पुत्र जाहरिया	नगला पीपल बीठना	ट्यूबवेल	१५००.००	२–३–७०
२	लोकमन सिंह पुत्र धासीराम	आर्यनगर भडराम डा० शाहपुर	,,	३३००.००	,,
३	राम स्वरूप पुत्र कल्यान सिंह	पड़की सुल्तानपुर पड़की ..	,,	१७००.००	,,
४	होडल सिंह पुत्र हरनाम सिंह	साथा खास	पम्पसेट	४०००.००	,,
५	किरोडी पुत्र जौहरी	भोपतपुर केशोपुर गडराना ..	ट्यूबवेल	१७००.००	,,
६	करनपाल सिंह पुत्र मुंशी सिंह	सांगौर कलवा	,,	१७००.००	३–३–७०
७	होतीलाल पुत्र गुमान सिंह	चुग्रावली	,,	१०००.००	,,
८	सीताराम पुत्र जगदीश प्रसाद	अलीपुर पालीरजापुर ..	,,	२५००.००	,,
९	भूदेव पुत्र आनन्दी	बदौली फतहखां नगला मंदिर ..	,,	४०००.००	,,
१०	कुशलपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह	पड़की खास	पम्पसेट	५०००.००	,,
११	छिद्दा पुत्र भदइया	शाहपुर कुतब गोविन्दपुर फगोई	ट्यूबवेल	१८००.००	४–३–७०
१२	राधे श्याम पुत्र कारेराम	चमरौला गोविन्दपुर फगोई ..	,,	२८००.००	,,
१३	सुम्मेरा पुत्र बीपा	शाहपुर कुतब गोविन्दपुर फगोई ..	,,	१८००.००	,,
१४	सुखराम पुत्र भीमसेन	,, ..	,,	१८००.००	,,
१५	बेनी पुत्र गरीबदास	,, ...	,,	१५००.००	,,

१६	जयराम पुत्र छिद्दा ..	..	..	केशोपुर गडराना खास	..	पम्पसेट	५०००.००	,,
१७	कुंवर पाल पुत्र पीताम्बर	..	..	,,		ट्यूबवेल	५०००.००	,,
१८	सूरजपाल सिंह पुत्र गंगाराम	..	..	,, ..		,,	५०००.००	,,
१९	बहोरी सिंह पुत्र छिद्दू सिंह	..	..	,, ..		,,	२५००.००	,,
२०	छिद्दू सिंह पुत्र जसवन्त सिंह	..	..	,,		,,	५०००.००	,,
२१	एदल सिंह पुत्र तोताराम	..	..	,,		,,	२५००.००	,,
२२	परसराम पुत्र दुर्गा ..	..	..	पड़ियावली नगला मंदिर	..	,,	५०००.००	,,
२३	रघुराज सिंह पुत्र किशनपाल सिंह	..	..	छलेसर खास ..	..	,,	५०००.००	,,
२४	हुकुम सिंह पुत्र हरनरायन सिंह	..	..	किढराहरदुआगंज	..	पम्पसेट	५०००.००	,,
२५	बुधेन्द्र सिंह पुत्र टुन्डा ..	..	..	मनोहरपुर कायस्थ मुकुन्दपुर	..	ट्यूबवेल	५०००.००	,
२६	महेन्द्र पाल सिंह पुत्र तेजासिंह	..	..	शाहपुर खास ..	..	,,	५०००.००	,,,
२७	सुरेन्द्र पाल पुत्र कुमरपाल	..	..	मंडला गोंडा ..	..	,,	५०००.००	५–३–७०
२८	गंगासहाय पुत्र बिहारी ..	..	..	अलापुर गढ़िया अलीगढ़	..	,,	५०००.००	,,
२९	दीपचन्द पुत्र रूपराम ..	..	..	सारसोवन अलीगढ़	..	,,	५०००.००	,,
३०	छिद्दा सिंह पुत्र भजन सिंह	..	..	बाढ़ौन खास ..	..	,,	५०००.००	,,
३१	बाबू सिंह पुत्र खुल्लीराम	..	..	जिरौलीडोर खास	..	,,	३५००.००	,,
३२	मोहर सिंह पुत्र जंगपाल सिंह	..	..	सांगौर कलवा ..	..	,,	२३००.००	,,
३३	शेर सिंह पुत्र काशीराम ..	..	..	इस्माइलपुर छलेसर	..	,,	२५००.००	७–३–७०
							५००.००	,,
३४	बद्री सिंह पुत्र तोताराम ..	..	..	,, ..		,,	४०००.००	,,
३५	इब्राहीम पुत्र धूमन ..	..	..	बराबरी खास ..	..	,,	३५००.००	,,
३६	कोमल सिंह पुत्र छिद्दा	..	..	भरतपुर बाढ़ौन ..	..	,,	३७००.००	१४–३–७०
३७	दिगम्बर सिंह पुत्र सोरनसिंह	..	..	जवां सिकन्दरपुर जवां	..	,,	३७००.००	,,
३८	उमराव पुत्र फगुनों ..	..	..	शाहिबाबाद पलाअलीगढ़	..	,,	३३००.००	१६–३–७०
३९	फतेह सिंह पुत्र मान सिंह	..	..	तकीपुर गोधा ..	..	,,	५०००.००	,,
४०	रोशनलाल पुत्र रामचरन	..	..	छलेसर खास ..	..	पम्पसेट	५०००.००	,,
४१	दीपचन्द्र पुत्र खुशीराम ..	..	..	भवाइन छलेसर ..	..	ट्यूबवेल	५०००–००	१७–३–७०
४२	कालीचरन पुत्र जौहरी ..	..	..	ईकरी अलहदादपुर	..	पम्पसेट	३२००–००	१८–३–७०

१	२	३	४	५	६
				रु०	
४३	दुर्जन पुत्र बंशी	हयातपुर हिगौरिया डिगसी ..	ट्यूबवेल	४०००.००	१८-३-७०
४४	टीकमसिंह पुत्र सुम्मन सिंह	शाहपुर कुतुब गोविन्दपुर फ० ..	,,	५०००.००	,,
४५	बनवारी लाल पुत्र गंगा प्रसाद	नदरोट लोधा	,,	३३००.००	,,
४६	जगदीश प्रसाद पुत्र जयराम	नहरा लोधा	,,	३३००.००	,,
४७	लीला पुत्र मानसिंह	मुल्लापाडा भुजपुरा ..	,,	१८००.००	,,
४८	गुलाब सिंह पुत्र टीकाराम	साहिबाबादपला अलीगढ़ ..	,,	३५००.००	,,
४९	मोती पुत्र गंगा	मुल्लापाड़ा भुजपुरा अलीगढ़ ..	,,	३८००.००	
५०	तेजसिंह पुत्र सोना	नगला आशिक अली ,, ..	,,	३८००.००	,,
५१	नकुआ पुत्र खचेरा	मुल्लापाड़ा भुजपुरा ,, ..	,,	२८०० ००	,,
५२	पोहपी पुत्र सुल्तान	करहैला गौरवां शहरीमदनगढ़ी ..	,,	५०००.००	,,
५३	शेरपाल सिंह पुत्र श्याम पाल सिंह	चुआवली भ० नि० कोट ..	पम्पसेट	३०००.००	१९-३-७०
५४	मु० किशन प्यारी पत्नी अजयपाल सिंह	,, ,, ..	ट्यूबवेल	३०००.००	,,
५५	पुन्नी सिंह पुत्र नैम सिंह	मईनाथ शाहपुर	,,	५०००.००	,,
५६	गोवर्धन पुत्र मेंवाराम	,, ..	,,	५०००.००	,,
५७	डोरी सिंह पुत्र रूपराम	,, ...	,,	५०००.००	,,
५८	केशव पुत्र बंशी	,, ...	,,	५०००.००	,,
५९	श्रीमती रानीदेवी पत्नी राधेश्याम	पड़का सुल्तानपुर पड़की ..	पम्पसेट	५०००.००	,,
६०	मेघराजसिंह पुत्र फूल सिंह	मईनाथ शाहपुर	ट्यूबवल	४५००.००	,,
६१	कारे पुत्र सद्दा	नगला मानसिंह अलीगढ़ ..	,,	५०००.००	,,
६२	सरदार सिंह पुत्र तोताराम	जतनपुर चिकावटी जिरौरी डोर ..	,,	५०००.००	२०-३-७०
६३	मदनपाल सिंह पुत्र चित्रपाल सिंह	,, ...	,,	४७००.००	,,
६४	पोखपाल सिंह पुत्र उमराव सिंह	,, ...	,,	५०००.००	,,
६५	नेगपाल सिंह पुत्र सोनपाल सिंह	,, ...	,,	५०००.००	,,
६६	भवंर पाल सिंह पुत्र छत्तरपाल सिंह	,, ...	,,	३०००·००	,,

उत्तर प्रदेश राजपत्र असाधारण

६७	नरोत्तमसिंह पुत्र अमानसिंह	,,	,,	२८००.००	,,
६८	मुंशीपुत्र नवल सिंह	,,	,,	५०००.००	,,
६९	राजेन्द्रसिंह पुत्र धूम सिंह	नयाबास नरेन्द्र गढ़ी	पम्पसेट	५०००.००	,,
७०	जगन्नाथ पुत्र पोदाराम	हैवतपुर प्रथा कोछोड	,,	५०००.००	,,
७१	वीरी सिंह पुत्र राम सिंह	सिया खास	नलकूप	५०००.००	,,
७२	तोताराम पुत्र ठकुरा	सेमला मा०नि०कोट	,,	४८००.००	,,
७३	कन्हे सिंह पुत्र लाल जी सिंह	बरौला जफराबाद अलीगढ़	,,	५०००.००	,,
७४	छतर सिंह पुत्र टीकाराम	गडरौना खास	,,	५०००.००	,,
७५	हाकिम अली पुत्र नूर मोहम्मद	रिगलपुरी बरेली	,,	५०००.००	२१-३-७०
७६	बीरी सिंह पुत्र जालिम सिंह	जमालपुर सिया अमरौली	,,	५०००.००	,,
७७	मटरू सिंह पुत्र जालिम सिंह	,,	,,	५०००.००	,,
७८	हरनारायन पुत्र कुन्दन	चन्दरौला कलवां	,,	५०००.००	,,
७९	बनी सिंह पुत्र कुन्दन सिंह	बाढ़ौना जवां	,,	२६००.००	,,
८०	सुरेन्द्र सिंह पुत्र पूरन सिंह	साथा खास	पम्पसेट	५०००.००	,,
८१	मोदा पुत्र पूसा	नगला गिरधारी हरदुआगंज	,,	५०००.००	,,
८२	पोहय सिंह पुत्र अन्तराम सिंह	किढ़ारा हरदुआगंज	,,	५०००.००	,,
८३	चित्रपाल सिंह पुत्र चोब सिंह	नगला गिरधारी हरदुआगंज	,,	४९००.००	,,
८४	गजपत सिंह पुत्र कल्लू सिंह	नगला मौनी डिगसी	नलकूप	५०००.००	,,
८५	टीका पुत्र गंगाराम	मदेसी खास	,,	५००० ००	२२-३-७०
८६	बाबूलाल पुत्र धनीराम	भगवानपुर मा०नि०कोट	,,	५०००.००	,,
८७	उमाचरन पुत्र प्रभु लाल	मलिकपुर खास	नलकूप	५०००.००	२५-३-७०
८८	मलखान सिंह पुत्र पोइया सिंह	नहौरा नगला बादौन मजूपुर	,,	५०००.००	,,
८९	ज्ञान सिंह पुत्र गिरवा सिंह	,,	,,	३८००.००	,,
९०	कारे सिंह पुत्र शिव लाल	,,	,,	३८००.००	,,
९१	हर प्रसाद पुत्र नत्था सिंह	,,	,,	३८००.००	,,
९२	फतेह सिंह पुत्र राम चन्द्र	,,	,,	३८००.००	,,
९३	मुशी सिंह पुत्र बिहारी सिंह	,,	,,	३८००.००	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
				रु०	
९४	कारे सिंह पुत्र लालेग्राम	.. नहौरा नगला बादौन मजूपुर	"	३८००.००	२५-३-७०
९५	दरियाव सिंह पुत्र मुंशी सिंह	.. "	"	२६००.००	"
९६	श्रीमती त्रिवेणी पत्नी भीकम्बर	.. खिजरपुर बाढ़ौन ..	"	२७००.००	"
९७	श्रीमती चन्द्रवती पत्नी राजपाल	"	"	२७००.००	"
९८	घसुआ पुत्र मूरा	.. भांकरी अहिवासी खास	पम्पसेट	३२००.००	"
९९	शिव चरन पुत्र जसवन्त सिंह	.. खिजरपुर बाढ़ौन	नलकूप	३८००.००	"
१००	मुकन्दी सिंह पुत्र रामफूल	नहोरा नगला बाढ़ौन मजूपुर	"	३८००.००	"
१०१	डालचन्द्र पुत्र मुर्ली सिंह	भाईनाथ शाहपुर	"	३३००.००	२६-३-७०
१०२	प्यारे लाल पुत्र कन्हैया लाल	.. चगेरी खास ..	पम्पसेट	५०००.००	"
१०३	कशव देव पुत्र लक्ष्मी नरायन	.. अमरौली खास ..	"	३८००.००	"
१०४	कुन्दन लाल पुत्र पीतम्बर	लालिब नगरखास ..	"	५०००.००	"
१०५	अब्दुल्ला पुत्र मूरा	सलेमपुर माफी केशवपुर जाफरी	नलकूप	४०००.००	"
१०६	समना पुत्र दुर्गा	पडियावली नगला मंदिर	"	४०००.००	"
१०७	भिकारी पुत्र फगुनी	.. चमरौली गोविन्दपुर फगेई	"	१७००.००	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७४ पर)

क्र० सं०	समिति की सिफारिशें जो स्वा० शा० अभि० वि० से सम्बन्धित हैं	शासन का निर्णय
1	2	3
1--सिविल और विद्युत/यांत्रिक अभियंताओं को अलग-अलग संवर्ग में रखा जाय ।	इसे मान लिया गया है । वास्तव में स्वा० शा० अभि० विभाग में सिविल और विद्युत/यांत्रिक अभियंताओं का अलग-अलग संवर्ग पहले से ही है ।
2--यदि किसी समय एक विषय के स्नातक उपलब्ध न हों तो दूसरे विषय के स्नातकों को प्रश्नगत विषय में दक्षता प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण दिया जाय ताकि इसके बाद एक स्नातक दूसरे संवर्ग में प्रवेश पाकर अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से वहन कर सके ।	इसे मान लिया गया है ।
3--विभाग में प्रोन्नति से पूर्व रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना आवश्यक समझा जाय और अभियंताओं की दक्षता बढ़ाने हेतु एक ट्रेनिंग रिजर्व का सृजन किया जाय ।	इसे सिद्धान्त रूप में मान लिया गया है परन्तु प्रोन्नति के लिये रिफ्रेशर ट्रेनिंग की कोई शर्त न होगी। ट्रेनिंग रिजर्व से सम्बन्धित वित्तीय भार का मूल्यांकन करने के पश्चात् इस पर अन्तिम निर्णय लिया जायगा ।
4--(क) विभाग में विद्युत/यांत्रिक अभियंताओं को परामर्शदाताओं के रूप में रखने की पद्धति समाप्त करके उन्हें कार्यकारी चार्ज उसी प्रकार दिया जाय जैसा कि अभी तक सिविल अभियंताओं को दिया जाता है ।	इसे मान लिया गया है ।
(ख) विभाग में जितना भी कार्य हो रहा है उसका कम से कम 20 प्रतिशत काम विद्युत/यांत्रिक अभियंताओं का है और उसी अनुपात में स्टाफ की नियुक्ति की जाय ।	स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग में विद्युत/यांत्रिक शाखाओं और मंडलों की संख्या विभाग की निर्माण शाखाओं और मंडलों की संख्या का 20 प्रतिशत रखा जाय ।
5--विभाग में मुख्य अभियंता के पद पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता के स्तर से दोनों संवर्गों में से श्रेष्ठता के आधार पर चुनाव किया जाय ।	इसे मान लिया गया है ।
6--अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद के लिये चयन के समय दोनों संवर्गों के अधिकारियों में श्रेष्ठता के साथ-साथ ज्येष्ठता तथा सेवा की कुल अवधि पर भी ध्यान दिया जाय ।	अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद के लिये दोनों संवर्ग के अभियंताओं में से केवल श्रेष्ठता के आधार पर चुनाव किया जाय ।

क्र० सं०	समिति की सिफारिशें जो स्वा०शा०अभि०वि० से सम्बन्धित हैं	शासन का निर्णय
1	2	3
७	निम्न सिद्धान्तों के अनुसार विभाग अपने सेवा नियम बना लें अथवा उन्हें संशोधित कर दें ।	इसे मान लिया गया है ।
	(क) विभाग में अलग-अलग संवर्गों के लिये सुस्पष्ट नियम बनायें जायें ।	
	(ख) विभाग में समिति के निर्णय के अनुपात में स्टाफ की संख्या निर्धारित की जाय और उसमें प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्विचार किया जाय ।	
	(ग) प्रत्येक संवर्ग में प्रोन्नति के लिये निश्चित मार्ग दर्शन हो ।	
	(घ) उपर्युक्त संस्तुति २ में दिये गये सुझाव को कार्यन्वित करने के लिये नियमों में आवश्यक प्राविधान अथवा संशोधन किया जाय ।	

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ज'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७५ पर)

क्रय-विक्रय एवं प्रक्रियात्मक सहकारी समिति लि०, जिला वाराणसी द्वारा किये गये खाद के व्यापार से संबंधित सूचना ।

(क) १ जनवरी, १९७३ से ३१ दिसम्बर, १९७३ तक की सूचना--

१--खाद का क्रय

खाद उत्पादक कारखाने का नाम जिससे खाद क्रय की गई		क्रय की गई खाद की मात्रा (मीट्रिक टन में)
(१) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० दिल्ली	..	२८२८.३००
(२) हिन्दुस्तान स्टील लि० कलकत्ता	..	४७४.४००
(३) रैलीज इन्डिया लि० लखनऊ	..	२७८.०००
(४) इन्डियन पोटास सप्लाई एजेन्सी, मद्रास	..	११२५.०००
(५) साहू केमिकल्स, वाराणसी	..	२४५.२२५
		४९५०.९२५
		मी०टन०
२--खाद का विक्रय--		
५७ सब डीलर्स/लाइसेन्सीज को बेची गयी खाद	..	२१२७.२००
फुटकर रूप में सीधी कृषकों को बेची गयी खाद	..	२७८६.४६०
योग	..	४९१३.६६०

(ख) १ जनवरी, १९७४ से ३१ मई १९७४, तक की सूचना--

१--खाद का क्रय--

खाद उत्पादक कारखाने का नाम जिससे खाद क्रय की गयी		क्रय की गयी खाद की मात्रा
		मी०टन
(१) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया लि० दिल्ली	..	५५८.५५०
(२) हिन्दुस्तान स्टील लि० कलकत्ता	..	६७४.८००
(३) रेलीज इन्डिया लि० लखनऊ		२०५.३५०
(४) इन्डिया पोटास सप्लाई एजेन्सी, मद्रास	..	५७०.६००
(५) साहू केमिकल्स, वाराणसी	..	५९.२७५
योग		२०६८.५७५
		मी०टन०
२--खाद का विक्रय--		
३४ सब-डीलर्स को बेची गयी खाद	..	१०६४.१००
फुटकर रूप में सीधे कृषकों को बेची गयी खाद	..	२६१.४७५
योग		१३२५.५७५

समिति द्वारा खाद-वितरण इस उद्देश्य से किया गया कि वह कृषकों को उपलब्ध हो और उसकी चोरबाजारी न हो सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कृषकों की जोत-बही देखी जाती रही, सरकारी निदेशों का पालन किया गया तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के अनुज्ञा-पत्रों पर खाद विक्रय की जाती रही ।

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८८ पर)

कानपुर, आगरा, इलाहाबाद और वाराणसी केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों के अप्रैल, १९७३ से २२ जून १९७४ तक लखनऊ आने का वांछित विवरण निम्नलिखित है--

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	कितने बार यात्रा की गयी	यात्री भत्ता व्यय रु० पै०	यात्रा का उद्देश्य
१	२	३	४	५
१	आगरा	केन्द्र शून्य	..	केन्द्र के संचालन के लिये तकनीकी परामर्श लेने एवं उत्तीर्ण छात्रों के सर्टीफिकेटों में हस्ताक्षर करवाने हेतु।
२	इलाहाबाद	केन्द्र एक बार	८८.५५	
३	कानपुर	केन्द्र शून्य	..	..
४	वाराणसी	केन्द्र छः बार	११९.३०	(१) २६-८-७३ से २९-८-७३ तक केन्द्र के भवन के लिये विश्वेश्वर ट्रस्ट वाराणसी द्वारा रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की विभिन्नधाराओं से मुक्त होने के लिये प्रार्थना-पत्र पर आपत्तियां प्रस्तुत करना।
			१११.८०	(२) १९-११-७३ से २३-११-७३ तक। केन्द्र भवन के विषय में उप विधि परामर्श से कानूनी सलाह लेना तथा अन्य आवश्यक सूचनायें एवं कागजात प्राप्त करना।
			१११.८०	(३) १०-१२-७३ से १२-१२-७३ तक। केन्द्र में अत्यधिक कार्य होने के कारण भण्डार से आवश्यक सामान लेना तथा मदद के लिये अधिक कर्मचारियों की व्यवस्था रजिस्ट्रार कार्यालय से विश्वेश्वर ट्रस्ट के कागजातों की नकल प्राप्त करना।
			१२०.३०	(४) १-१-७४ से ३-१-७४ तक। केन्द्र भवन संबंधी विवाद के संदर्भ में उप निदेशक से विचार-विमर्श तथा इस संबंध में हुए खर्चे की स्वीकृति आदि कक्षाओं के प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करवाना।

१	२	३	४	५
			१२७.८०	(५) ३०–१–७४ से २–२–७४ तक। भवन संबंधी मुकदमों की स्थित पर उप-निदेशक प्रसार, लखनऊ से विचार विमर्श एवं स्थिति से अवगत करना तथा आदेश प्राप्त करना।
			११८.४५	केन्द्र के कार्य की अधिकता हेतु कर्मचारियों की व्यवस्था पर उप-निदेशक प्रसार से आदेश लेना।
		छः यात्राओं का कुल व्यय	७०९.४५	(६) १–३–७४ से ३–३–७४ तक। रिटोर्ट की विलम्ब से मरम्मत की व्यवस्था करना तथा अन्य रिटोर्ट का प्रबन्ध करना, जिससे कि जनता का आधा बना सामान नष्ट न हो जाय मटर एवं टमाटर का कैनिंग के लिये आवश्यक सामान आदि की व्यवस्था करना।

प्रदेश सरकार

पी० एस०यू०पी०--ए०पी० १२७ वि०सभा० (१५९३)–१९७५–८३५ (मैग०)।